खण्ड-293, अंक-5
गुरूवार, 16 पौष, शक संवत् 1893
(6 जनवरी, 1972 ई0)

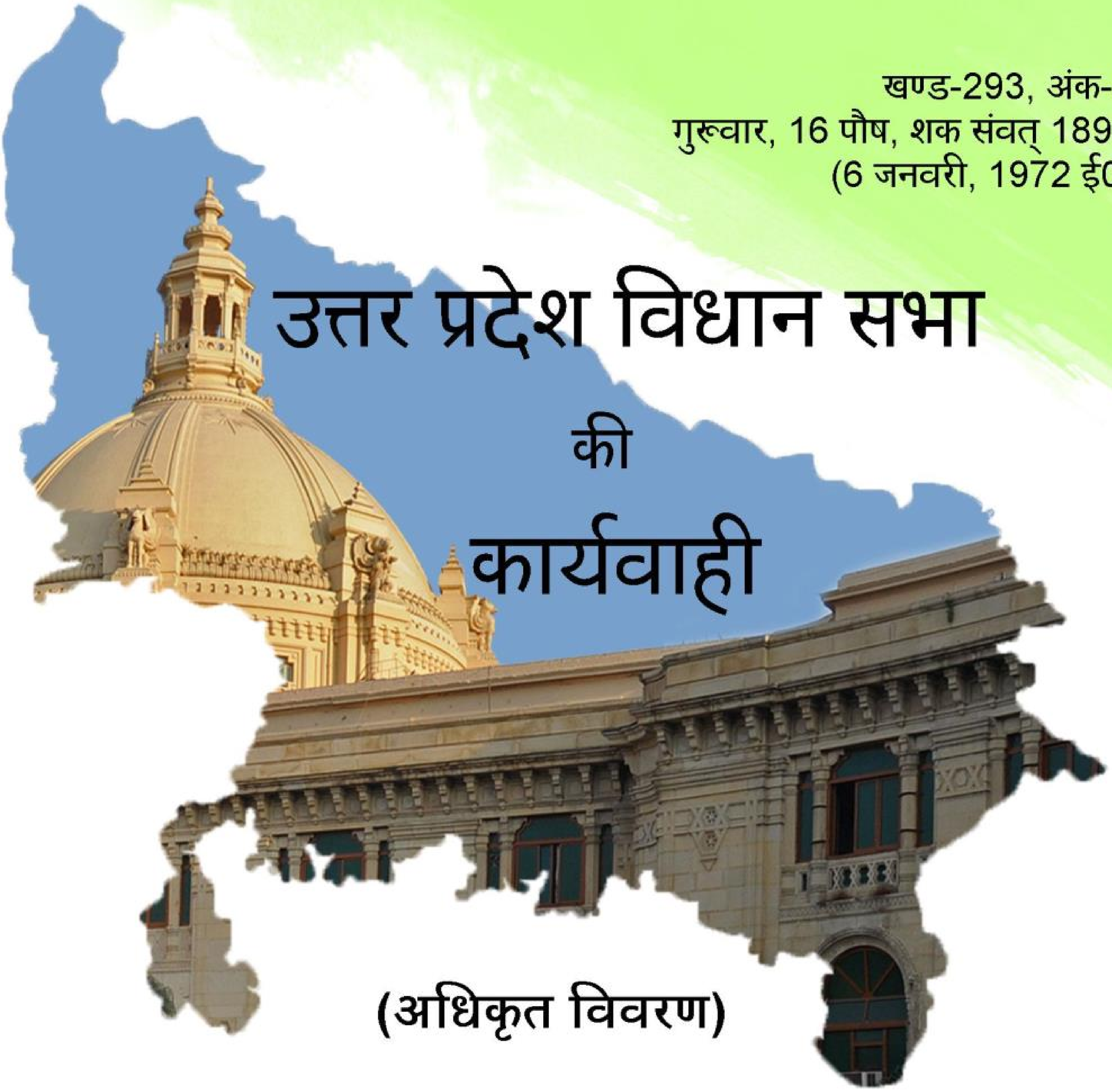

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 293 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६७५–६७९
प्रश्नोत्तर	६७९–७२९
श्री रामकुमार भार्गव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का नवम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	७२९
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1971 (पटल पर रखा गया)	७३०
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1971 (पटल पर रखा गया)	७३०
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (जारी)	७३०
सदस्य द्वारा गलत दैनिक भत्ता लिये जाने संबंधी शिकायत	७३०–७३१
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	७३१
सदन के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	७३१–७३२
5 अगस्त, 1971 को श्री नौनिहाल सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 के संबंध में उद्योग राज्य मंत्री का शोधन वक्तव्य	७३२–७३५
प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियों एवं महात्मा गांधी की मूर्ति को अपमानित किये जाने के संबंध में वक्तव्य	७३५–७३६
उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972 (विचारोपरान्त पारित)	७३७–७६७
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972 (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय, विचार जारी)	७६७–७९३
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	७९३–७९५
उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1972 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	७९५
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1971 (सदन के पटल पर रखा गया)	७९६
गन्ने के मूल्य सम्बन्धी नीति के कारण किसानों में असन्तोष के संबंध में वक्तव्य ..	७९६–८००
नत्थियां	८०१–८२८

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ६ जनवरी, १९७२

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री वासदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—३६९

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपादयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती

विधान सभा उत्तर प्रदेश

गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डा० मन्ना)
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीप नारायण वन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैश्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री

बनारसी राम, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मन्साराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजित राम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशारी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरण, श्री (जिला आगरा)
राम जियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर

राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राच, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम प्यारे, श्री
राम प्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
बासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाजहांपुर)
शिव कुमार, पाण्डेय श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कान्डपाल, श्री
हरीसिंह, विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट---राज्य सूचना मंत्री, पुरुषोत्तमदास टण्डन भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार ६ जनवरी, १९७२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जरवल चीनी मिल पर गन्ना उत्पादकों का बकाया

**१---श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

क्या सरकार को पता है कि बहराइच की जरवल गन्ना फैक्टरी पर गन्ना उत्पादकों का २० लाख रुपया बकाया है और इस वर्ष अभी तक फैक्टरी न चलने से किसानों का सारा गन्ना खेतों में खड़ा है ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

बहराइच जिले की जरवल चीनी मिल पर गन्ना उत्पादकों का गन्ने के मूल्य के रूप में ३० नवम्बर, १९७१ तक कुल रु० ४०.८० लाख अवशेष था। इस वर्ष सीजन १९७१–७२ में दिनांक २४ दिसम्बर, १९७१ से मिल ने पेराई आरंभ कर दी है। रुपया ९२ प्रति बोरा उत्पादित चीनी पर अग्रिम धनराशि में से चालू सीजन १९७१–७२ व बकाया गन्ना मूल्य आदि के भुगतान हेतु मिल से बैंक गारंटी प्राप्त हो गई है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ४० लाख ८० हजार रुपया बाकी है, यह कितने सालों का बाकी है और अब तक इसके पेमेन्ट न होने का क्या कारण है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

बकाया रुपये का ब्योरा इस प्रकार है—सन् १९६८–६९ में ५ लाख २१ हजार, सन् १९६९–७० में १३ लाख ६० हजार, सन् १९७०–७१ में २१ लाख ९९ हजार।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बकाया की वसूली के लिये सरकार की ओर से क्या-क्या कदम उठाए गए?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सरकार ने इस रुपये को वसूल करने के लिये हर संभव प्रयत्न किये और अन्त में जुलाई में इस मिल का अधिग्रहण करने की कार्यवाही की गयी। अधिग्रहण की कार्यवाही ३ जुलाई को की गई थी। वह लोग हाईकोर्ट में चले गये और हाई कोर्ट ने अधिग्रहण की कार्यवाही रोक दी और यह आदेश दिये कि जो पूर्व स्थिति थी वह रहे। पूर्व स्थिति यह थी कि सन् १९७० में मिल और सरकार के बीच एक समझौता हुआ था, उसी के अनुसार कार्यवाही हो। तो यह हमारे बीच में अड़चन आयी इसलिये नहीं हो सका। अगर यह मिल अधिग्रहित हो जाती तो शायद किसानों के पैसे की वसूली हो जाती। यह कठिनाई रही जिसकी वजह से पूरी तौर से उनको पैसा नहीं दिलवा पाये।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ४० लाख ८० हजार की धनराशि शेष है, यह केवल गन्ना मूल्य है या इसमें ब्याज भी शामिल है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जहां तक मुझे पता है, यह गन्ना मूल्य है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि बैंक गारंटी मिल से प्राप्त कर ली है। तो क्या उन्हें यह विश्वास है कि इस बैंक गारंटी से पिछले बकाया का भी भुगतान हो जायगा और करेन्ट पेमेन्ट भी हो जायगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

प्रयत्न तो यही है। इस मिल से जो समझौता हुआ है सन् १९७० में उसी के अनुसार अब कार्यवाही हो रही है। हमने उसमें अपना एक सरकारी अधिकारी जनरल मैनेजर बैठा रखा है। जितना पैसा चालू सीजन में हो सकेगा वह और जो पिछले वर्ष की चीनी जमा है उससे भी वसूल करने का प्रयत्न किया जा रहा है। उसके बाद भी एक अधिकार सुरक्षित है अगर फिर भी बाकी रह जायगा तो एज लैंड रेवेन्यू भी उसको वसूल करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, दो दफा माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले जो समझौता हो चुका था उसके अनुसार तो वह क्या समझौता हुआ था उस पर तो जरा प्रकाश डाल दें ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, जो समझौते की शर्तें हैं, यदि आप कहें, तो पढ़ दूं, लम्बी हैं। वैसे मोटी-मोटी बातें मैं आपको बताए देता हूं। हमने वहां पर सरकारी अधिकारियों को जनरल मैनेजर नियुक्त कर दिया है। उसी की देख-रेख में ही वहां पर सारी कार्यवाही होगी। वे कोई भी चीनी की बोरी बगैर उनकी अनुमति के नहीं उठा सकेंगे।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

सन् १९६८-६९ से रुपया बकाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति के बाद किसानों के बकाया के दिलाने में क्या प्रगति हुई है ? यह भी बताएं कि किस निश्चित तिथि तक किसानों का पैसा बेबाक हो जायगा ? ३ साल से उनका पैसा बकाया पड़ा है, उसे कृपया दिलाने का कष्ट करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैंने निवेदन किया है कि किसानों का पैसा न दिलाने के संबंध में कौन-कौन सी अड़चनें हमारे बीच में आयी हैं। हाई कोर्ट हमारे बीच में आ जाती है जिसके कारण दिक्कत हुई हैं। वैसे सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है कि पैसा शीघ्रातिशीघ्र दिलाया जाय।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

जरवल चीनी मिल पर ४० लाख रुपये से अधिक बकाया था। गन्ना आयुक्त के द्वारा किसानों का गन्ना इस वर्ष भी उसी मिल में देने के लिये सुरक्षित किया गया है। जब उस मिल पर ४० लाख रुपये से अधिक बकाया है तब फिर उसी मिल को किसानों का गन्ना क्योंकि दिलवा रहे हैं और किसी दूसरी मिल को क्यों नहीं दिलवा रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

अगर उस मिल को गन्ना नहीं दिलायेंगे तो बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं वे भी बेकार हो जायेंगे। अगर यह मिल नहीं चलती है तो जो किसानों का बकाया पैसा है उसकी वसूली की संभावना भी नहीं रहेगी। यदि मिल चलती है तो धीरे-धीरे वसूली हो जायगी।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या इस मिल से किसानों की बकाया धनराशि पर ब्याज दिलायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जो किसानों का मूल धन है यानी केन प्राइस वह भी दिलायेंगे और जो ब्याज है वह भी दिलायेंगे—दोनों चीजें दिलायेंगे। बैंक से गारंटी मिली है एक बोरे पर ९२ रु०। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सारा पेमेन्ट हो जाय।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

जरवल चीनी मिल पर जो बकाया धनराशि है क्या वह सरकारी अधिकारियों की नियुक्त के बाद की है या पहले की ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

वह रकम सन् १९६८ से है।

श्री पारसनाथ सिंह—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी पिछले ३ वर्षों की केन प्राइस के पेमेन्ट कराने हेतु उतने रुपये की शक्कर सुरक्षित रखने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैंने निवेदन किया है कि हम हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं ताकि किसान की बकाया धनराशि का पेमेन्ट हो जाय। इस बीच में हमने बैंक से भी समझौता कर लिया है जिसके आधार पर बैंक ने ९२ रु० प्रति बोरे की गारंटी दी है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मिल के अधिग्रहण करने के पहले क्या कभी सरकार ने इस धन की वसूली के लिये लैंड रेवेन्यू की रिकवरी के आधार पर कार्यवाही की है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मिल के अधिग्रहण करने के पहले की सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार ऐसी कोई कठोर नीति अपनायेगी जिससे कि प्रदेश के सारे गन्ना किसानों का रुपया शीघ्र उनको मिल सके ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जो वर्तमान सरकार है वह इसके प्रति पूरी तरह से जागरूक है और वह बराबर प्रयत्न कर रही है कीमत दिलाने के लिये।

अस्थायी पदों को स्थायी करने के लिये जांच समिति का गठन

**२—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल), श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री मोतीलाल यादव (जिला जौनपुर), श्री कृष्णकांत अवस्थी (जिला सीतापुर) तथा श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ३ दिनांक १५ सितम्बर, १९७१ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि सरकारी सचिवालय के अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने के लिये गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं, कर्मचारियों को स्थाई करने वाला आदेश कब तक जारी कर दिया जायगा ?

नियोजन उपमंत्री (श्री कृष्णचन्द्र शर्मा)—

शासन ने सरकारी सचिवालय के अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने के लिए कोई समिति नहीं गठित की है बल्कि शासन के अधीन समस्त अस्थाई पदों का मूल्यांकन करने तथा उन्हें स्थाई करने की सम्भावना की जांच करने के लिए समिति बनाई है। समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही, जैसा आवश्यक होगा, आदेश जारी करने का प्रश्न उठेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह समिति कब गठित की गयी थी और इसके टर्म्स आफ रेफ़रेंन्स क्या हैं तथा इसकी रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह समिति जुलाई, १९७१ में गठित की गई थी। सभी विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है, जब वह एकत्र हो जायेगी तो समिति फिर उस पर शीघ्र विचार कर के अपनी रिपोर्ट देगी।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या सरकार ऐसे आदेश देगी कि जिससे सूचना जल्द एकत्र हो सके और रिपोर्ट शीघ्र आ सके ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

यह प्रयत्न निरन्तर जारी है और जैसे ही रिपोर्ट तैयार हो जायेगी उसका परीक्षण करा लिया जायगा।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

जब तक मंत्री जी इसके लिये कोई तिथि निश्चित नहीं करेंगे तब तक रिपोर्ट शीघ्र कैसे आ जायेगी, तो क्या कोई तिथि इसके लिये निश्चित करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

तिथि निश्चित करना तो सम्भव नहीं है लेकिन सभी विभागों को जल्दी सूचना भेजने के लिये लिखा गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्वालीफाइंहूग एग्जामिनेशन के आधार पर सन् १९५७ में विभागीय लिस्ट एक बनायी गयी थी जिसके अनुसार कुछ अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाना था, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह नया सवाल है।

अंग्रेजी शराब की दूकानों की नीलामी

**३—श्री शिवराज सिंह, श्री हुकुम सिंह (जिला आगरा) तथा श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अंग्रेजी शराब की दूकानों को नीलाम करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

कारागार मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

जी हां।

श्री शिवराज सिंह—

यह प्रश्न कितने समय से सरकार के विचाराधीन है और इस पर अन्तिम निर्णय लेने में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं तथा सरकार को अभी निर्णय लेने में कितना समय और लेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह प्रश्न मंत्रि-परिषद् में २३ जून, १९७१ को पेश हुआ था। उसमें सिद्धान्तः यह तय कर लिया था कि फारेन लीकर का आक्शन होगा। उसके बाद लीगल एडवाइज यह मिली कि इसको

नये वित्तीय वर्ष से ही लागू किया जा सकता है क्योंकि जिसके साथ अगर कोई कान्ट्रेक्ट हो गया है तो वह हाई कोर्ट में आपत्ति उठा सकता है। उसके बाद कुछ रूल्स चेंज होने के लिये तैयार हैं और वे मंत्रि-परिषद् में पेश होंगे। ऐसी आशा है कि पहली अप्रैल से इसे लागू किया जायेगा।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि विदेशी शराब के लाइसेन्सदारों ने अपना एक संघ बनाकर ८ लाख रुपया सरकार को रिश्वत देने के लिये इकट्ठा किया है ताकि वह इस निर्णय को बदल सके ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह काल्पनिक है, मैं इजाजत नहीं देता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

माननीय सदस्य को इसकी सूचना होगी और उनकी इस सूचना से हम सतर्क हुए जा रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो आपको यह कानूनी राय मिली कि यह किसी भी वित्तीय वर्ष के शुरू से ही करना चाहिए, तो उस के बाद कोई वित्तीय वर्ष आरम्भ हुआ या नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

यह श्रीमन्, २३ जून, १९७१ के बाद की राय थी और यह मध्य वर्ष में था, अब पहली अप्रैल, १९७२ को नया साल शुरू होगा।

अवर वर्ग सहायकों के वेतनमान में बढ़ोत्तरी की स्वीकृति न प्राप्त होना

**४---श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके द्वारा माह सितम्बर, १९७१ में उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत अवर वर्ग सहायकों के वेतनमान में बढ़ोत्तरी करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि इतना समय व्यतीत होने के पश्चात् भी आदेश प्रसारित नहीं किया गया जब कि मुख्य मंत्री जी ने स्वयं यह कहा था कि इस मामले में सरकार वेतन आयोग की संस्तुति की प्रतीक्षा न करके स्वयं निर्णय लेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा---

शासन द्वारा अभी तक सचिवालय में कार्यरत अवर वर्ग सहायकों के वेतनमान में बढ़ोतरी के प्रश्न पर स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है और न ही ऐसा कोई आश्वासन सदन में दिया गया था कि वेतन आयोग की संस्तुति की प्रतीक्षा न करके शासन द्वारा स्वयं अवर वर्ग सहायकों के वेतनमान के बढ़ोतरी के प्रश्न पर निर्णय ले लिया जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं, २६ जुलाई, १९७१ को इस सदन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ था और उसमें पूछा गया था क्या भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चरण सिंह ने इस सम्बन्ध में क्या आदेश दिये थे, तो उस प्रश्न से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में यह सरकार की ओर से मुख्य मन्त्री द्वारा कहा गया था कि---"इस पर विचार किया जा रहा है"। तो क्या यह बात भी सरकार के नोटिस में है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

इस पर मुख्य मन्त्री जी ने सदन में यह निवेदन किया था कि इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा और विचार किया गया तथा आज भी प्रश्न विचाराधीन है।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)--

क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के पहले ही उनकी समस्या को देखते हुए उनकी तन्ख्वाह बढ़ाने की बात सोचेंग। इसमें आश्वासन संख्या ६४ है उसमें भी सरकार ने कहा है कि वह कार्यवाही करने जा रहे हैं, तो इस प्रकार के आश्वासनों का यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

माननीय सदस्य अगर देखें तो यह कहा गया था कि वेतन आयोग की सिफारिशें न आने पर भी, केवल उनकी सिफारिश पर ही नहीं उसके पहले भी विचार हो सकता है, तो उसके लिए पहले ही से सरकार विचार कर रही है और आश्वासन पूरा हो रहा है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिस आश्वासन की पूर्ति की चर्चा अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने की, इस सिलसिले में मुख्य मंत्री जी ने स्वयं भी कोई आदेश इसके पूर्व प्रसारित किये हैं ? यदि हां, तो वह अब तक लागू क्यों नहीं हुए ? और इस विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

आदेश मुख्य मंत्री जी ने दिया, लेकिन यह नहीं कि लागू कर दिया जाय, बल्कि यह कि इस पर जल्दी ही विचार करना चाहिए। उस पर वित्त विभाग ने अपनी राय दी कि अगर हम अवर वर्ग के संबंध में कोई निर्णय ले लेंगे तो यह अलग सी बात हो जाएगी, इसलिये सबका निर्णय साथ साथ होना चाहिए। इसलिए यह प्रश्न अब भी शासन के विचाराधीन है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

चूंकि जो नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होती हैं उसमें कोई भी ग्रेड रुपया १६० के नीचे का नहीं है और इनकी नियुक्तियां भी पब्लिक सर्विस कमीशन से होती है जबकि इनका ग्रेड १६० रु० से नीचे है, इसको ध्यान में रखकर तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने इस संबंध में ठीक ही आश्वासन दिया था और वह केवल विभाग ने उन आदेशों को दबाया है, क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

क्या आदेश पुराने मुख्य मन्त्री ने दिया था इसके बारे में तो इस समय मैं नहीं कह सकता लेकिन यह सारे प्रश्न जो हैं, उनको क्या वेतन मिलना चाहिए, क्या भत्ता मिलना चाहिए इस पर सरकार विचार कर रही है, जैसा निवेदन किया माननीय सदन से यह राय भी हुई थी कि केवल अवर वर्ग ही नहीं, प्रवर वर्ग इत्यादि भी ले लिये जायं क्योंकि एक के साथ करने से कदाचित दूसरी समस्या खड़ी होगी। मैं समझता हूं कि शीघ्र ही उस पर फैसला होगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

औद्योगिक ऋण

*१—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितना औद्योगिक ऋण और कब से वसूल होना शेष है ? एक लाख रुपये से ऊपर के कर्जदार व्यक्तियों, फर्म्स के नाम बताने की कृपा करें जिन पर सरकार का कर्ज बकाया है और कब से ?

उद्योग राज्य मंत्री (श्री देवकी नन्दन विभव)—

प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वितरित औद्योगिक ऋण में से कुल ६,६९,९०,९५७ रुपये वसूल होना शेष है, इस अवशेष ऋण में सबसे पुरानी धनराशि वर्ष १९४८–४९ से देय है।

एक लाख रुपये से ऊपर के कर्जदार निम्नलिखित छः व्यक्ति व फर्म्स हैं जिनके ऊपर उनके नाम के सामने दी हुई तिथि से ऋण बकाया है :—

१—सर्वश्री अमिताभ टेक्सटाइल मिल्स लि०, देहरादून-फरवरी, मार्च, १९७१ से।
२—सर्वश्री स्टील सन्स प्रा० लि० गोविन्दपुरी, मोदीनगर—मार्च, १९७१।
३—सर्वश्री बी० डी० गुप्ता एण्ड ब्रदर्स, मेरठ—२ मई, १९६१।
४—लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्क्स, कानपुर—२८ मार्च, १९६७।
५—जे० के० स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं० लि०, कानपुर—१ सितम्बर, १९६७।
६—न्यू सेन्ट्रल मिल्स कं० लि०, कलकत्ता—१ मार्च, १९७१।

*२—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बता सकेंगे कि प्रदेश में कर्ज की कुल कितनी धनराशि ऐसे व्यक्तयों, फर्म्स पर वसूल होना शेष है जिन्होंने कार्य ही प्रारम्भ नहीं किया और सरकार को वह ऋण मय ब्याज वसूल करना पड़ रहा है ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

कर्ज की कुल २,७१,८८,५४९ रुपये की धनराशि सरकार को ऐसे व्यक्तियों/फर्म्स से वसूल करनी पड़ रही है जिन्होंने कार्य आरम्भ ही नहीं किया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर यदि मित्थल साहब पढ़ दिया करें तो माननीय सदस्यों के लिए भविष्य में अच्छा रहेगा। वह पढ़ ही नहीं सकते औ : आपने कई दफा करेक्ट किया है। आप आज्ञा दें तो प्रश्न पूछ लूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका कोई साथी मदद कर देगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

और कोई कर दे या मित्थल साहब।

माननीय मंत्री जी कृपया बताएंगे कि अलग-अलग, प्रत्येक व्यक्ति और फर्म पर बकाया की धनराशि कितनी-कितनी है ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

यू० पी० टेक्सटाइल मिल्स, २,३०,२१४ रुपये, स्टील ऐंड सन्स ४ हजार ७६४ रुपये...।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, १ लाख से ऊपर की तो आपकी सूची है और आप ६ हजार पढ़ रहे हैं.....।

श्री देवकी नन्दन विभव—

मेरे पास जो सूचना है, उसी को मैं पढ़ रहा हूं।

श्री रामगोपाल सन्ड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

गलत बयानी नहीं कर रहे हैं। वे पढ़ नहीं पा रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, क्या मन्त्रियों की भी कोई रिटायरमेंट एज होती है?

श्री देवकी नन्दन विभव—

मेरे पास जो सूचना दी गई है वह गलत दे दी गई है इसलिये इसका उत्तर मैं बाद में दे दूंगा.....

(व्यवधान)

श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं कि इस प्रश्न को इस समय स्थगित कर दिया जाय और मंत्री जी इस प्रश्न पर पूरी तैयारी करके आयें.....

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय प्रश्न को स्थगित करने का सवाल नहीं है। जब किसी भी आदमी की दीर्घकालिक अवस्था की दुर्बलता हो और वे पढ़ न पा सकें तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है.....।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, यह सदन अस्ताल नहीं है। दूसरे मन्त्री जवाब दे सकते हैं। आपने भी उन्हें टोका और फिर वे उसे ६ हजार ही पढ़ रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अस्पताल की स्टेज तो दूसरी ही होती है यह तो विधान सभा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मैं एक बिना आंकड़ों वाला प्रश्न पूछ लूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

जो प्रश्न पहले किया गया है उसका उत्तर आने दिया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, पंडित जी भी नाराज हो रहे हैं। कहीं वे भी नाराज हो गये तो.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप गलत आरोपित कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, क्या इस प्रश्न के दो-दो उत्तर आये हैं। एक उत्तर मंत्री जी पढ़ रहे हैं और एक उत्तर आपके पास आया है?

श्री उपाध्यक्ष—

एक लाख से ऊपर की तो सूची है तो वह एक हजार कैसे हो जायेगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अगर माननीय सदस्य उनको पढ़ने दें तब तो वे पढ़ें। आप लोगों ने तो ऐसा हंसना शुरू कर दिया है.....

श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी स्वयं हंस रहे हैं.....।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, वे स्वयं हंस रहे हैं और उनके ऊपर रहम कर रहे हैं.....

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जब आप लोगों को हंसता देख रहा हूं तो क्या रोऊं?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

काम तो रोने का ही है।

श्री देवकी नन्दन विभव—

बी० डी० गुप्ता एन्ड ब्रदर्स—मेरठ—३,८६,६४० रु०, लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्क्स—५२,१४,००० रु०, जे० के० काटन एन्ड स्पिनिंग एण्ड वीविंग वर्क्स लि० १२,७४,००० रु०, न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड, १५,५८,००० रु०।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, दूसरे का क्या हुआ स्टील ऐंड सन्स कम्पनी मोदीगर जो है। उसमें कितनी रकम उन्होंने बताई।

श्री देवकी नन्दन विभव—

यह जो संख्या दी हुई है उसमें असल में बीच में एक जीरो छूट गया है इसलिये वह ६ हजार के बजाय ६ लाख है....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों या फर्मों से जिनको ऋण दिया गया और उन्होंने काम शुरू नहीं किया, सरकार ने धन वापसी के लिए क्या कार्यवाही की और कितनी कामयाबी अब तक मिली है, कितना रुपया वापस हुआ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

यह जो भी रुपया दिया गया है उसके लिए काफी प्रयत्न किये जा रहे हैं और चूंकी सभी जितने भी दिये गये हैं वह पूरी जमानत पर दिये गये हैं, सीक्योर्ड दिये गये हैं लोन्स अब उनके लिए अटैचमेंट भी करा रहे हैं और ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में नोटिस भी दिये हैं, लेकिन कभी कभी यह स्थिति होती है कि वहां पर जो मजदूर हैं, अगर उनको बन्द करते हैं, तो वह बेकार हो जायंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैंने तो पूछा था कि जहां काम ही नहीं शुरू हुआ है तो वहां मजदूर कहां से आ गये ? जहां काम शुरू नहीं हुआ तो उस पैसे की वापसी के लिए क्या कदम उठाये हैं और कितना वापस हो चुका है और क्या कोशिश की गयी है ? आप कहते हैं कि मजदूर बेकार हो जायंगे ।

श्री देवकी नन्दन विभव—

यह जो रुपया २ करोड़ है यह तो सिर्फ इस वक्त बकाया रह गया ।

(व्यवधान)

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

माननीय मंत्री जी ने यह फरमाया था कि काफी कार्यवाही की गयी है तो दो करोड़ में से काफी कार्यवाही करने के बाद कुछ वसूली भी हुई है या नहीं ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

यह जो आंकड़े दिये गये हैं ये तो अवशेष हैं,वह इस वक्त है, उसके आंकड़े हैं। इसके अलावा काफी धनराशि और ऐसी थी जो वसूल की गयी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन ६ फर्मों और व्यक्तियों के बकाया की सूची इन्होंने दी है उसमें से नम्बर ३, ४, ५ में ३ पर १९६१ से बकाया है ३ लाख ८७ हजार और लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर पर ५२ लाख ५ वर्षों से बकाया है और तीसरे नम्बर पर ३ लाख बकाया है, इन तीनों फर्मों या व्यक्तियों से वसूलयाबी में उन्होंने क्या और कदम उठाये हैं ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

इनको नोटिस दिये गये और जैसे लअमीरतन काटन मिल्स है, ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में इनकी प्रापर्टी नीलाम करने के लिये नोटिस दिये, लेकिन फिर उन्होंने कुछ समझौता कर लिया और कुछ किस्तें अदाकीं, लेकिन फिर जहां नहीं अदा किया तो प्रयत्न कर रहे हैं बाकी किस्तों की अदायगी हो ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उत्तर बिलकुल वेग हैं । मैंने तीन फर्मों और व्यक्तियों के नाम बताये और मुझे आशा थी कि वह प्रत्येक फर्म का अलग-अलग बतायेंगे कि क्या-क्या कदम उठाये गये । एक पर १० वर्ष से पड़ा है ७,८७,००० रु० बी० डी० गुप्ता मेरठ का है । तो मंत्री जी अलग-अलग बतावें । नोटिस तो सालाना १० साल से दिये जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसके अलावा क्या ठोस कदम उठाये हैं ? हर साल नोटिस तो दिये ही जाते हैं ।

श्री देवकीनन्दन विभव—

उसके लिये ठोस कदम तो यही है कि हम या तो उनकी प्रापर्टी को नीलाम कर दें, लेकिन उससे पहले काफी प्रयत्न करते हैं कि अगर एक दम से रुपया वसूल न हो सके तो थोड़ी थोड़ी किस्तों में वसूल हो जाय और उसमें सफलता भी मिल रही है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जिन फर्मों के ऊपर बकाया की रकम १९६२ और १९६७ से इतनी पुरानी हो गयी है उनके ऊपर जो सबसे आखिरी वसूल करने का हथियार है, चाहे उसमें जेल भेजना पड़े, क्या वह कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

इधर काफी सख्ती से वसूल करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और इसमें काफी सफलता भी प्राप्त हुई है। अब जेल भेजने की बात है वह तो अंतिम रूप है। लेकिन इससे वसूली नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष—

एक प्रश्न माननीय सदस्य नित्यानन्द स्वामी जी ने किया था कि जहां काम शुरू नहीं हुआ है उनसे वसूली क्यों नहीं हुई ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

जहां काम शुरू नहीं किया गया है वहां तो काफी सख्ती करते हैं और उन को कोई रियायत नहीं देते हैं और काफी सख्त कार्यवाही कर रहे हैं लेकिन समय तो लगता ही है और माननीय सदस्य को पता है कि किस तरह से वसूली की जाती है।

हीरालाल स्मारक इण्टर कालेज, मरौली, आजमगढ़ के प्रधानाचार्य व शिक्षकों का बकाया वेतन

*३—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि हीरालाल स्मारक इंटर कालेज, मरौली, आजमगढ़ के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों व चपरासियों का वेतन लगभग १४ माह से बाकी पड़ा है ? यदि हां, तो इस बकाया वेतन का भुगतान सरकार कब तक कर रही है ?

श्रम उप-मंत्री (श्री सोहनलाल धुसिया)—

जी हां। वेतन वितरण अध्यादेश से पूर्व की देय धनराशि होने के कारण इस भुगतान का पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय की प्रबंध समिति पर है।

श्री लालसा—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस विद्यालय की प्रबंध समिति कब से भंग कर दी गई है ?

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)—

मान्यवर, वह भंग नहीं की गई है बल्कि उनकी आमदनी और जो सरकारी ग्रांट होती है उसको जोड़ कर वेतन आदि के वितरण के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक से कह दिया गया है।

श्री लालसा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वेतन के विवरण की व्यवस्था जिला विद्यालय निरीक्षक के हाथ में कब से है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

१९६३ से है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

जिन विद्यालयों में १४/१६ महीने का वेतन बकाया है उनके विरुद्ध कोई ऐसी पालिसी बनायेंगे जिससे गरीब अध्यापकों का भुगतान हो सके ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, यह प्रश्न कई बार आ चुका है। अगर शासन पुराने बकाये वेतन के देनदार की जिम्मेदारी ले लेती है तो वह उसको वहन नहीं कर सकती है लेकिन इस पर जरूर विचार

कर रहे हैं कि कोई ऐसी युक्ति निकल आये जिससे उनको वेतन दिला सकें और माननीय सदस्य ने जो बताया है उसको हम देख लेंगे।

श्री रामगोपाल संड—

शिक्षा मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जब से जिला विद्यालय निरीक्षक वेतन देने लगे हैं उससे पहले का वेतन बकाया है तो सरकार यह कहने से अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकती है जब कि उनको ग्रांट इन एड दी जाती है और वे रिकागनाइज्ड कालेजेज हैं। यह नीति निर्धारण का प्रश्न है क्या सरकार विशेष अनुदान ऐसे विद्यालयों को इस सत्र में देकर उन गरीब अध्यापकों, लिपिकों और चपरासियों को वेतन दिलायेंगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

श्रीमन्, मैं तो निवेदन कर चुका हूं कि हम कोई युक्ति सोच रहे हैं। लेकिन आज कैसे कह सकते हैं क्योंकि करोड़ों में जाकर हिसाब बैठता है। शासन यह भार कहां तक वहन करेगा।

श्री रामचरण त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

जब से सरकार ने वेतन का भुगतान अपने ऊपर ले लिया है उसके बाद भी जो पैसा यहां से भेजा जाता है उससे उनके वेतन भुगतान में कठिनाई होती है और २–२, ३–३ महीने विलम्ब से वेतन मिलता है। क्या मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि प्रत्येक स्कूल की ग्रान्ट जिला विद्यालय निरीक्षक को एक दम शुरू में ही दे दी जाया करे, जिससे वेतन मिलने में देरी न हो ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

नया वेतन वितरण विधेयक पास हुआ और उसके अनुसार अमल किया जा रहा है। कुछ कठिनइयां जो हमारे सामने आ रही है, उनकी व्यवस्था की जा रही है। यह बात सही है कि कहीं-कहीं १–२ महीने की बकाया है, लेकिन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न हम कर रहे हैं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बकाया वेतन का शासन पर कितना भार पड़ेगा, अगर उसकी गणना मन्त्री जी ने नहीं करायी है तो अब करा लें और एकमुश्त अध्यापकों को दे न सकें तो किश्तों में दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपना सुझाव लिख कर भेज दीजिये।

एस०एम० कालेज, चन्दौसी के अध्यापकों और कर्मचारियों को सेवा वृद्धि दिये जाने की जांच

*४—श्री शिवराज सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस० एम० कालेज, चन्दौसी में अध्यापकों और निम्न श्रेणी कर्मचारियों को रुपया देकर सेवा वृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन शासन को दिनांक २३ जनवरी, १९७१ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सोहनलाल धुसिया—

जी हां।

मामले की जांच करवाई जा रही है।

श्री शिवराज सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जांच किस एजेन्सी के माध्यम से करायी जा रही है, कब से हो रही है और उसके पूर्ण होने में कितना समय और लगेगा ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

यह जांच शिक्षा विभाग के अधिकारी—उप शिक्षा निदेशक, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के माध्यम से करायी जा रही है। अभी जांच का परिणाम नहीं आया, उनको स्मरण-पत्र दिया जा रहा है, अब जांच को जल्दी पूर्ण करने के लिये लिखेंगे।

जीव विज्ञान प्रयोगशाला का अभाव

*५—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि राजकीय इन्टर कालेज, शाहजहांपुर के इन्टरमीडिएट में जीव विज्ञान विषय में मान्यता देने हेतु अक्तूबर, १९६८ की राजाज्ञा निरस्त कर देने से वहां के विद्यार्थियों को बड़ी असुविधा हो गई है ? क्या सरकार उपरोक्त कालेज को जीव विज्ञान पढ़ाने की पुनः मान्यता शीघ्र देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सम्बन्धित राजाज्ञा निरस्त नहीं की गई। जीव विज्ञान प्रयोगशाला के अभाव में जीव विज्ञान विषय पढ़ाने का प्रबन्ध नहीं हो सका था। वर्ष १९७१–७२ से जीव विज्ञान विषय पढ़ाने की अनुमति दे दी गई है।

हसनपुर थानाध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें निराधार पाया जाना

*६—श्री जितेन्द्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी हाल में हसनपुर थानाध्यक्ष (मुरादाबाद) के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें वर्ष १९७०–७१ में प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्वाही की गई ?

गृह उप-मन्त्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

वर्ष १९७०–७१ में थाना हसनपुर पर तैनात थानाध्यक्षों में केवल एक सब-इन्सपेक्टर श्री गोविन्द लाल शाह के विरुद्ध भ्रष्टाचार की ७ शिकायती पत्र प्राप्त हुए। ५ शिकायती पत्रों में लगाये आरोपों की जांच उप पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई तथा जांच से आरोप निराधार पाये गये। २ शिकायती पत्रों में लगाये गये आरोपों की जांच सी० आई० डी० ने प्रारम्भ की। सी० आई० डी० की जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है।

उक्त शिकायती पत्रों की संख्या में उन शिकायती-पत्रों को सम्मिलित नहीं किया है जिनमें लगाये गये आरोप वही थे जिनकी जांच हो रही है।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जिन दो शिकायतों की जांच हो रही है, वे क्या हैं और किस की हैं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

जिन शिकायतों की जांच हो रही है उनमें एक शिकायत रिश्वत संबंधी है, एक शिकायत में एक महिला को भगाकर ले जाया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया लेकिन रिपोर्ट करने

पर उसके खिलाफ थानाध्यक्ष ने कोई ऐक्शन नहीं लिया। इस प्रकार की अन्य शिकायतें भी है। शिकायत करने वालों में एक विधायक श्री जितेन्द्रपाल सिंह हैं दूसरे श्री राम प्रसाद हैं।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

यह देखते हुये कि शिकायत एक सम्मानित विधायक द्वारा की गई है तथा यह सी० आई० डी० को जांच के लिये भी दी गयी है। इन बातों को देखते हुए क्या उस दरोगा को निलम्बित किया गया है या नहीं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

उस दरोगा का स्थानान्तरण कर दिया गया है और इस समय सी० आई० डी० जांच कर रही है। अगर वह दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध अवश्य ही कार्यवाही की जायगी।

बी०टी०सी० के प्रशिक्षण हेतु छात्रों के चयन में वरीयता

*७—श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहारनपुर में वर्ष १९७० के लिये बी० टी० सी० के प्रशिक्षण हेतु जिन छात्रों का चयन किया गया है उसके आधारभूत सिद्धान्त क्या-क्या थे ? क्या सरकार ने उक्त चयन हेतु कोई निर्देशन भी प्रसारित किया था ? वह क्या है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जिला सहारनपुर में वर्ष १९७० के लिये बी० टी० सी० चयन हेतु कोई अलग से निर्देश जारी नहीं किये गय थे। जो सामान्य निर्देश प्रदेश के समस्त जिलों के लिये जारी किये गये थे उसके अनुसार स्थानीय निकायों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को जो ३० वर्ष की आयु से अधिक न हों उन्हें यदि वे जूनियर हाई स्कूल की भी योग्यता रखते हों तो चुनाव में वरीयता दी जाय। इसके उपरान्त यदि स्थान रिक्त हो तो बाहरी अभ्यार्थियों के आवेदन पत्रों पर मेरिट के आधार पर विचार किया जाय तथा सुरक्षा विभागीय कर्मचारियों के पुत्र, पुत्री, सगे भाई, सगी बहन, पति तथा पत्नी यदि वह न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखते हों तो उन्हें अवश्य ले लिया जाय। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये १८ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे गये थे।

अध्यापकों के अस्थायी पदों को स्थायी करने पर विचार

*८—श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री कृप्या बतायेंगे कि उत्तराखंड में राजकीय आधारित पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में सन् १९६० से कार्यरत अध्यापकों के स्थायीकरण का प्रश्न सरकार के विचराधीन है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सोहन लाल धुसिया—

इन विद्यालयों में अध्यापकों के सृजित अस्थायी पदों को स्थायी करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। पदों के स्थायी होने के उपरान्त ही अध्यापकों के स्थायीकरण पर विचार करना सम्भव होगा।

*९—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आधारित विद्यालयों में सन् १९६० से कायरत हाई स्कूल, इन्टर, बी० ए०, एच० टी० सी० अध्यापकों की पदोन्नति न करके उनके

स्थान पर नये हाई स्कूल पास बी० टी० सी० अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूल में नियुक्त किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सोहनलाल धुसिया—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

कौन से कारण हैं कि १२ वर्ष के बाद भी इन पदों का अभी तक स्थायी कारण नहीं किया गया?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

हमारा बार्डर विभाग वहां पर इन कार्यों की देखभाल करता है। क्योंकि शिक्षा का कार्य है इसलिये जवाब देने के लिये वह हमारे अन्तर्गत आ जाता है। उन्होंने सभी विभागों को अपनी संस्तुतियां भेजी हैं। सभी में यह किस्सा है इसलिये देर हुई है। उनकी संस्तुति आ गई है, परीक्षण हो रहा है। उम्मीद है कि जल्दी ही इसमें कुछ हो जायगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

प्रश्न ९ के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। यह प्रश्न इस सदन के अन्दर २६-८-१९७१ को आया और सरकार को १०-८-१९७१ को भेजा गया। यह जनवरी, १९७२ है। तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितने और महीने सूचना एकत्र करने में लगेंगे?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

यही कह सकता हूं कि अब इसमें लिखापढ़ी कर के कुछ जल्दी करने की कोशिश करूंगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

चूंकि बार्डर विभाग अलग है और वहां से सम्पर्क स्थापित करने में माननीय मंत्री जी को दिक्कत होती है तो मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछूंगा कि क्या वे इस बार्डर विभाग को तोड़ने जा रहे हैं, ताकि रेड टेपिज्म न हो?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बिल्कुल तोड़ने नहीं जा रहा हूं और मजबूत करने का इरादा कर रखा हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

व्यवस्था का प्रश्न है। आप देखेंगे कि ५-५ महीने के जो प्रश्न हैं, जिनकी एक टेलीफोन पर सूचना एकत्र की जा सकती है उनके उत्तर में सरकार कह देती है कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर दीजियेगा तो हम उसको देखेंगे। अभी आगे के प्रश्न चलने दीजिये।

बदायूं जिले में बैंक द्वारा शिक्षकों की वेतन अदायगी की योजना

*१०—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बैंक से शिक्षकों के वेतन अदायगी की योजना बदायूं जिले के कितने विद्यालयों में लागू की गई है एवं ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनमें १ जून १९७१ तक गत ५ माह तक का वेतन नहीं मिला है?

श्री सोहनलाल घुसिया—

२५ सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में।

एक जून, १९७१ तक ३ विद्यालयों में दिसम्बर, १९७० से फरवरी, १९७१ तक का, ८ विद्यालयों में फरवरी, १९७१ का तथा २ विद्यालयों में फरवरी एवं मार्च, १९७१ का वेतन नहीं वितरित किया गया था।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

इन विद्यालयों के नाम क्या हैं और जिन विद्यालयों में यह वेतन नहीं मिला उसके कारण क्या थे?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

लड़कों के हैं हायर सेकेन्डरी स्कूल, बदायूं और मदनलाल इंटर कालेज, बिसौली। बालिकाओं के हैं प्राथमिक आर्य कन्या इंटर कालेज, बदायूं, एस०के० इन्टर कालेज, बदायूं, वैदिक इंटर कालेज, नगला, प्रमोद इंटर कालेज, सहसवान, के० एम० इन्टर कालेज, इस्लामानगर और जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नूरपुर, आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मई, राष्ट्रीय माध्यमिक इंटर कालेज, बदायूं और के० एन० एम० ई० कालेज, बदायूं।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

जिन विद्यालयों ने अध्यापकों के वेतन नहीं दिये हैं उनमें प्रशासनिक योजना लागू है या नहीं?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

प्रबन्ध समितियां भी हैं और वे काम भी कर रही हैं और कुछ बकाया हमारे इस वेतन वितरण अधिनियम से पहले की है, यह सवाल पहले भी आ चुका है और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण से यह बकाया है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि इसका कारण क्या है कि कई विद्यालय ऐसे हैं कि जहां इस बैंक से वेतन दिलाने की योजना से पूर्व नियमित रूप से वेतन दिया जाता था और जिन की आर्थिक हालत अच्छी है जैसे कृषि इंटर कालेज, बदायूं?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

इसकी सूचना उनको ही होगी। वह हमें भी बता दें।

श्री रामगोपाल संड—

क्या मंत्री जी ऐसी सूचना एकत्र कर के बतायेंगे कि ऐसे मैनेजर्स हैं संस्थाओं के कि जिनके पास पैसा था लेकिन चूंकि सरकार बैंकों में पैसा दिलाने की जिम्मेदारी ले ली है इसलिये उन्होंने अब रुपए को दबा लिया है, ऐसे लोगों की जांच कर के क्या मंत्री जी अध्यापकों का वेतन दिलाने की कृपा करेंगे?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

लिखित रूप में ऐसी शिकायत आयेगी तो देखेंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री—

जिन अध्यापकों को ५ मास का वेतन नहीं मिला है वह अध्यापक अवश्य ही आर्थिक कठिनाई में काम कर रहे हैं या ऐसा है कि वह नौकरी छोड़कर चले गये हैं?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना की आवश्यकता है।

जनता सेवा समिति, भोजपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

*११—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनता सेवा समिति, भोजपुर, जिला मुरादाबाद के दफ्तर पर पुलिस ने दिनांक २० जून, १९७१ को जो छापा मारा उसमें क्या-क्या चीजें बरामद हुयीं और इस सम्बन्ध में पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

जनता सेवा समिति भोजपुर, जिला मुरादाबाद के दफ्तर पर पुलिस ने २०-६-१९७१ को कोई छापा नहीं मारा वरन् पुलिस अधीक्षक ने स्वयं इस समिति के विरुद्ध एक शिकायती पत्र के सिलसिले में समिति के सदस्यों को बुलाया था जिस पर इन लोगों ने कागजात एवं अभिलेख दाखिल किये। इस संबंध में थाना भगतपुर पर अपराध सं० ६८ धारा ४२०/२९४-ए भा० द० वि० के अन्तर्गत २१-६-१९७१ को अंकित हुआ। धारा २९४-ए भा० द० वि० अहस्तक्षेपनीय होने के कारण परगनाधीश बाकुर द्वारा से इजाजत लेकर तफतीश आरम्भ हुई। इस मामले में उप पुलिस महानिरीक्षक ने भी जांच की और उन्होंने इस मामले को सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दिया।

श्री नौनिहाल सिंह—

जो उत्तर मिलता है वह प्रति ऐसी तो मिला करे जो पढ़ने में आवें इसको हम पढ़ भी नहीं पाते।

बजट में उर्दू की उन्नति के लिए दिया गया धन

*१२—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९६९-७० के बजट में उर्दू की तरक्की के लिये जो धन मंजूर किया गया था, वह रुपया किस तरह और कहां-कहां खर्च किया गया?

श्री सोहन लाल धुसिया—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

यह जो उत्तर दिया गया है कि सूचना एकत्र की जा रही है तो मंत्री जी यह सूचना कब तक एकत्र कर लेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

यह सन्तोषजनक नहीं है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

यह उत्तर डेढ़ माह पहले दिया था लेकिन अभी तक सूचना नहीं आई तो वह कबतक एकत्र कर लेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं स्वयं कह रहा हूं कि बहुत देर होती है, सूचना एकत्र की जा रही है ऐसा उत्तर हमेशा उचित नहीं मालूम पड़ता।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

उर्दू के बारे में यह सवाल है, उर्दू की शिक्षा प्राइमरी स्टेज से लेकर डिग्री कालेजेज और विश्वविद्यालय में है, इतना बड़ा विस्तृत सवाल है, पूरे सूबे से सब संस्थाओं से जानकारी हासिल करना आसान नहीं है, इसलिये कहा गया कि सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है शिक्षा मंत्री जी ने जैसा बताया है इस का क्षेत्र बहुत व्यापक है कि पूरे सूबे में यह रकम कहां-कहां खर्च हुई।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

क्या यह सही है कि सरकार ३–४ माह में भी यह सूचना एकत्र करने में असमर्थ रही?

(श्री नसीमुद्दीन के पुनः खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में तो उत्तर दे दिया गया है, क्या आप और कोई सवाल करना चाहते हैं?

श्री रियासत हुसैन—

जो रुपया बजट में उर्दू की तरक्की के लिए प्रोवाइड किया गया था क्या उसी में से ५ १/२ लाख रुपया उर्दू एकैडेमी को दिया गया है या वह अलग से दिया गया है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

यह प्रश्न १९६९–७० के बजट से सम्बन्धित है और उर्दू एकैडेमी को अब दिया गया है, तो उस रुपये में से देने का प्रश्न ही नहीं आता है।

श्री बीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न २ वर्ष पूर्व का है और ४ १/३ महीने पूर्व दिया गया था और हर साल के बजट के खर्चे की सूचना भी सरकार को प्राप्त होती रहती है तो यह बताने में कि वह कहां-कहां खर्च किया गया है सरकार को क्या दिक्कत विशेष है जिनके कारण वे यह सूचना एकत्रित नहीं करा सके?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

हमने अपने यहां से कम से कम १२ पत्र भेजे लेकिन अब तक कोई सूचना नहीं मिली। आगे यह भी कहा जा सकता है कि दुबारा फिर यत्न करेंगे।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जिन अधिकारियों से बराबर चिट्ठी पत्री की गयी और जवाब नहीं आया, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्या शिक्षा मंत्री जी करेंगे?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

कार्यवाही तो की ही जावेगी।

सचिवालय में अवर वर्ग सहायकों के लिये स्पेशल क्वालीफाइंग परीक्षा

*१३—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

विधान सभा में १९७० के प्रथम सत्र के २रे गुरुवार (१२–३–७०) के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या १५ के क्रम में क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय में एडहाक अवर वर्ग सहायकों के लिये स्पेशल क्वालीफाइंग परीक्षा कराने में कितना समय अभी और लगेगा और यह परीक्षा अभी तक क्यों नहीं कराई गई जब कि इसे शीघ्र कराये जाने की सम्भावना व्यक्त की गई थी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सचिवालय में एडहॉक अवर वर्ग सहायकों के लिए स्पेशल क्वालीफाइंग परीक्षा मई, १९७२ में आयोजित की जायगी। परीक्षा के आयोजन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा था इसलिए यह परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं की जा सकी।

सचिवालय में अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों की नियुक्ति

*१४—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह भी बतायगी कि सन् १९६१ से सन् १९६५ तक सचिवालय में कुल कितने अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों की नियुक्ति की गई? क्या सरकार इन अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों की एक सूची उनकी वरिष्ठता के आधार पर मय उनकी शैक्षिक योग्यता के अधो-हस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगी और यह भी बतायेगी कि क्या अनप्लेस्ड अवर वर्ग को अवर वर्ग के स्थायी पदों पर नियुक्तियां देने के सम्बन्ध में शासन ने कोई कोटा निर्धारित किया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सन् १९६१ से १९६५ तक सचिवालय में कुल १७० अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों की नियुक्ति की गई (इनमें से १०० ऐसे अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायक हैं जो प्रवर वर्ग सहायक/ अवर वर्ग सहायक के स्थायी पदों के लिए चुन लिए गये हैं अथवा सेवा छोड़ कर अन्यत्र चले गये हैं) शेष ७० अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों की सूची उनकी वरिष्ठता के आधार पर मय उनकी शैक्षिक योग्यता के संलग्न है।

अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों को विशेष अर्हकारी परीक्षा पास अभ्यर्थियों के साथ वैभागिक अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित रिक्तियों पर लिए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश लिपिकवर्गीय कर्मचारिवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। भविष्य में अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों को वैभागिक अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित पदों पर स्थायी रूप से उनके क्रमानुसार नियुक्त किया जायगा।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ ८०१ पर)

इन्जीनियरिंग शिक्षा के लिये प्राविधिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ऋण

*१५—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है जिसमें प्राविधिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ऋण प्राप्त कर के शिक्षा प्राप्त करने के बाद इंजीनियरिंग स्नातकों को रोजगार मिले जिससे वे सरकार द्वारा दी गई धनराशि की अदायगी कर सकें?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इंजीनियरिंग में शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्राविधिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ऋण दिया जाता है। परन्तु विशेषतः ऋण लेने वाले व्यक्तियों के रोजगार के लिये कोई अलग से योजना नहीं है।

राज्य पर व्यय उद्योग

*१६—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में कुल कितने राज्य उद्योग चल रहे हैं और उनमें कुल कितना धन अब तक लगा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अब तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा कुल १४ राज्य उद्योग चलाये जा रहे हैं तथा उनमें कुल मिला कर २२,३२,९३,७१३ (बाइस करोड़ बत्तीस लाख तिरानबे हजार सात सौ तेरह रुपया) १९७०–७१ तक लगा है।

नरेन्द्र देव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जलालपुर की उत्तर-पुस्तिका

*१७—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वर्ष १९७१ की परीक्षाओं से सम्बन्धित नरेन्द्र देव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जलालपुर (फैजाबाद) के परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का एक 'बन्डल' जिसकी आर० आर० संख्या २४८८२३, केन्द्र, संख्या ५५३ तथा सन्दर्भ संख्या ५४३२ है, अभी तक बिना जांचे हुए अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पड़ा हुआ है और सम्बन्धित परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है? यदि हां, तो उपरोक्त उत्तर पुस्तकाओं के बिना जांचे हुए ही सम्बन्धित छात्रों का परीक्षाफल कैसे घोषित कर दिया गया?

श्री सोहनलाल धुसिया—

जी हां।

उत्तर पुस्तकों का एक बन्डल, केन्द्र द्वारा देर से भेजने के कारण तथा संबिंधित परीक्षक द्वारा उसे स्टेसन से न छुड़ाने के कारण ३०–७–७१ तक अलीगढ़ स्टेशन पर पड़ा रहा।

जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ से बिना जंची उत्तर पुस्तकें जो स्टेशन पर पड़ी होने के बारे में सूचना मांगी गई थी। परन्तु उनसे कोई सूचना इस बन्डल के बारे में न मिलने पर यह अनुमान लगाया गया कि बन्डल अपने गन्तव्य स्थान पर न पहुंच कर कहीं अन्यत्र चला गया है और निकट भविष्य में इसके मिलने की संभावना नहीं है।

अतः परीक्षाफल समिति के निर्णयानुसार संबन्धित परीक्षार्थियों को अन्य विषयों में प्राप्त अंकों के अनुपात में अनुपातिक अंक प्रदान कर उनका परीक्षाफल घोषित कर दिया गया।

श्री कल्याण सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय इतना गम्भीर है लेकिन सरकार ने उसको लाइटली ले लिया है। इन उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हुयी नहीं कि परीक्षाफल घोषित कर दिया गया। यह परीक्षा की प्रणाली के खोखलेपन को साबित करती हैं और उनके विभाग की अदक्षता की भी प्रतीक है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ने इस कांड की जांच करायी और यदि हां तो कौन-कौन व्यक्ति इसके उत्तरदायी निकले और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुयी?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

आज ही यह सूचना आयी और आज ही मालूम किया गया। इसकी जांच करायी गयी थी और जिनकी लापरवाही से यह हुआ था उनको दंड भी दिया गया है।

श्री रामगोपाल संड—

श्रीमन्, लगभग २ हजार बंडल इस बार गायब हुए जिनमें प्रत्येक बंडल में ५–५ और ६–६ सौ कापियां रहती हैं। जैसा कि मन्त्री जी ने बताया कि ऐसे विद्यार्थियों को आनुपातिक नम्बर दे दिये जाते हैं। अगर एक विद्यार्थी एक पर्चे में १४ नम्बर पाया है तो दूसरे में उसे १४ ही मिलेंगे और अगर उस को २० मिल जाते तो वह पास हो जाता। मैं जानना चाहता हूं कि कितने बंडल गायब हुए और कितने विद्यार्थी इस प्रकार अनुपातिक नम्बरों से पास किये गये?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, कृपया माननीय सदस्य लिखकर दे दें तो उसकी जांच कराऊंगा।

श्री कल्याण सिंह—

अभी मंत्री जी ने कहा यह कि इस प्रश्न की सूचना हमको अभी मिली है और इस कांड की जानकारी, भी मिली है तो क्या इस बिन जंचे हुए सूचना क्या मेरे प्रश्न के द्वारा ही प्राप्त हुई है या पहले भी छानबीन कराई गई थी। और क्या जो अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही से क्या सदन को अवगत करायेंगे मंत्री जी ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

इसमें एकाध आदमी पर सन्देह है उसको दंड दे दिया गया है और इसके अलावा जो नियमानुकूल कार्यवाही है वह माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा होती है। आनुपातिक अंक देने का नियम आज का नहीं है वह पुराना है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त—

सर्किल इन्सपेक्टर, चन्द्रपालसिंह का मेरठ रेंज से आगरा स्थानान्तरण

*१८—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ऋषीकेश में सर्किल इन्सपेक्टर चन्द्रपालसिंह को डी० आई० मेरठ द्वारा अवांछनीय व्यक्ति घोषित किये जाने के बाद, बार-बार अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण किये जाने के बाद भी पिछले एक वर्ष में कोई भी आदेश उसने कार्यान्वित नहीं होने दिया तथा अपनी मर्जी के स्टेशन पाने पर ही यह इन्सपेक्टर स्थानान्तरित किया गया ? क्या यह सही है कि वह गृह उपमंत्री का सगा सम्बन्धी है और उसके लिये किये गये सभी स्थानान्तरण के आदेश इन्हीं के द्वारा रद्द किये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ऐसी स्थिति नहीं है। श्री चन्द्रपाल सिंह को मेरठ रेंज में अन्य इन्सपेक्टर की नियुक्ति पर, सतर्कता विभाग में भेजने का प्रस्ताव हुआ परन्तु उस विभाग द्वारा उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। अतः श्री सिंह को मेरठ रेंज में रिक्त हुये एक अन्य इन्सपेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। दिनांक २३ जून, १९७१ को श्री सिंह के पर्वतीय क्षेत्र में स्थानान्तरण के आदेश हुये परन्तु वह न्यायसंगत नहीं पाये गये और श्री सिंह को दिनांक २० जुलाई, १९७१ को आगरा रेंज में स्थानान्तरित किया गया।

यह सही नहीं है।

गन्ना उत्पादकों की बकाया की वसूलयाबी के लिये कार्यवाही

*१९—कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया), श्री देवेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर) तथा श्री शिवराज सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना उत्पादकों के देय गन्ना मूल्यों को १९७०-७१ बकाया की वसूलयाबी हेतु किन-किन मिलों के अकूपायर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गन्ना रेगुलेशन आफ सप्लाई ऐन्ड परचेज ऐक्ट, १९५३ की धारा १७ (४) के अनुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा बकाया मालगुजारी वसूल करने जैसी कोई कार्यवाही की गयी ? तथा उपरोक्त अकूपायर में से कितने मिल मालिक थे और कितने मैनेजर इत्यादि ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

पूरी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है और एकत्रित की जा रही है।

नोट—तारांकित प्रश्न सख्या १७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

प्रधानाचार्य की बी० ए० की प्रमाणिकता में संदिग्धता

*२०—श्री कल्याण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नकर्त्ता का दिनांक २ जुलाई, १९७१ का एक ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें डी० ए० वी० कालेज, इलाहाबाद के वर्तमान प्रधानाचार्य की बी० ए० की परीक्षा की डिग्री की प्रमाणिकता की संदिग्धता का उल्लेख है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां, विभागीय जांच कराई गई।

अध्यापकों की भविष्य निधि का अंश नियमित रूप से जमा न होना

*२१—श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि मेरठ जिले के अनेक गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों (बालक, बालिका) ने अध्यापकों के भविष्य निधि का अंश नियमित रूप से जमा नहीं किया किया ? ऐसे कौन से तथा कितने विद्यालय हैं ? भविष्य निधि का धन जमा कराने के लिये क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*२२—श्री मोहनलाल कपूर—

क्या शिक्षा मंत्री को यह भी जानकारी है कि उक्त निलम्बित लिपिकों में से श्री राम अभिलाष शर्मा का २५ जुलाई, १९५२ से ३ जून, १९५९ तक जिस अवधि में वे निलम्बित हो कर पुनः स्थापित हुए थे, को वेतन का अभी तक भुगतान नहीं किया गया ? तथा उनके अवकाश के बारे में क्या निर्णय लिया गया ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

केवल एक लिपिक है। उनकी निलम्बन तिथि, पुनः पदस्थापन तिथि तथा वेतन के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत है :—

निलम्बन तिथि	पुनः पदस्थापन तिथि	वेतन भुगतान संबंधी विवरण
२५-७-१९५२ (अपराह्न)	११-२-१९५२ (पूर्वाह्न)	जीविका भत्ता ही प्रदान किया गया है।
२५-४-१९५३ (पूर्वाह्न)	३-६-१९५९ (अपराह्न)	वेतन सहित पुनः पदस्थापन हुआ।
३-६-१९५९ (अपरान्ह)	२७-५-१९६६ (अपरान्ह)	इस निलम्बन की अवधि को दंड अधिकारी द्वारा बिना वेतन का असाधारण अवकाश स्वीकार किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद में निलम्बित तथा पुनःस्थापित लिपिक

*२३—श्री राम देव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के अन्तर्गत कितने ऐसे लिपिक है जिन्हें २५ जुलाई, १९५२ ई० से २४ मई, १९६६ ई० के मध्य में तीन बार निलम्बित किया गया है और २४ मई, १९६६ ई० से पुनः स्थापित (रिइंस्टेट) किया गया है ? यदि हां, तो पुनः स्थापन वेतन समेत अथवा बिना वेतन के हुआ ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

२५ जुलाई, १९५२ से ३ जून, १९५९ तक की अवधि के अवशेष वेतन का भुगतान करने के सम्बन्ध में महालेखाकार द्वारा कतिपय आपत्तियां उठाई गई हैं। उन आपत्तियों का समाधान करने की कार्यवाही की जा रही है और समाधान हो जाने पर महालेखाकार की सहमति हो जाने के उपरान्त अवशेष धनराशि का भुगतान करना सम्भव हो सकेगा।

अंतिम निलम्बन की अवधि (३–६–१९५९ से २७–५–१९६६) का दंड देने वाले अधिकारी द्वारा असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकार करने के आदेश दिये गये हैं। परन्तु लोक सेवा आयोग की अनुमति से शासन ने निर्णय लिया है कि उन्हें निलम्बन काल पूरा वेतन दिया जाय। आदेश शीघ्र ही जारी किये जा रहे हैं।

प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज, फैजाबाद द्वारा प्रवेश दिया जाना

*२४—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को जानकारी है कि राजकीय इन्टर कालेज, फैजाबाद में इस वर्ष जुलाई, १९७१ में कक्षा ६ के प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा के लिये बालकों से दो-दो फोटो उत्तर पुस्तकों में लगान हेतु लिये गये थे तथा प्रवेश परीक्षा में फेल कुछ लड़कों को भी प्रवेश दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन परिस्थितियों में तथा किसके आदेश से?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां।

विशिष्ट व्यक्तियों के अनुरोध पर प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज, फैजाबाद द्वारा प्रवेश किया गया है।

नेहरू डिग्री कालेज, छिबरामऊ का ट्रस्ट द्वारा संचालित न होना

*२५—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नेहरू डिग्री कालेज छिबरामऊ किस ट्रस्ट द्वारा संचालित है, वह व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक और किस व्यवस्था के मातहत छिबरामऊ सहकारी संघ उसका खर्चा वहन कर रहा है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

नेहरू डिग्री कालेज छिबरामऊ किसी भी व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा संचालित नहीं है। सहकारी संघ, छिबरामऊ इस डिग्री कालेज का कोई खर्च वहन नहीं करता है।

छात्रों से सहकारी संघ के नाम से रुपया न लिया जाना

*२६—श्री महराम सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त डिग्री कालेज में छात्रों के प्रवेश के समय सहकारी संघ के नाम पर १०१ रुपये किस नियम के अन्तर्गत लिया जाता है और प्रवेश के समय छात्रों से कुल फीस की रकम कितनी ली जाती है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

प्रवेश के समय छात्रों से सहकारी संघ के नाम पर कोई धन नहीं लिया जाता है। पुराने छात्रों से ५९ रु० तथा नवीन छात्रों से ९१ रु० समस्त शुल्क प्रवेश के समय लिया जाता है।

बाराबंकी जिला परिषद के अध्यापकों का आवास भत्ता

*२७—श्री शेषनारायण शुक्ल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार को पता है कि बाराबंकी जिला परिषद् में अध्यापिकाओं का आवास भत्ता सन् १९६७ से अब तक का भुगतान नहीं हुआ है ? उसका भुगतान कब तक हो जायगा ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इस प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाता। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

बलिया जिला परिषद के अध्यापकों में हरिजन अध्यापक

*२८—श्री मैनेजर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिला परिषद् में कुल कितने अध्यापक ७०–७१ में नियुक्त हुये और उनमें कितने हरिजन लिये गये ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

वर्ष १९७०–७१ में जिला परिषद्, बलिया में २६५ अध्यापकों की नियुक्तियां प्राइमरी स्कूलों में की गई जिनमें से २० हरिजन हैं।

संस्कृत पाठशालाओं के हेड पंडित का वेतन क्रम

*२९—श्री शेर सिंह दानू (जिला चमौली)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी में राजाज्ञा सं० बी० –१००६६/१५–२३३(९)–१९५२, दिनांक २ अप्रैल, १९५४ के अनुसार संस्कृत पाठशालाओं में एल० टी० वेतन-क्रम में सहायक अध्यापकों के पद सृजित किये गये और हेड पंडितों को पुराने सी० टी० वेतन-क्रम में ही रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां। क्योंकि हेड पंडित एल० टी० वेतन-क्रम के लिए निर्धारित अर्हताएं नहीं रखते।

राजकीय इण्टर कालेज, कर्णप्रयाग के भवन की मरम्मत के लिये स्वीकृत धनराशि

*३०—श्री शेरसिंह दानू—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, कर्णप्रयाग के भवन की वार्षिक मरम्मत के लिये वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में पैंतीस सौ की जो धनराशि स्वीकृत थी वह कहां-कहां खर्च की गई ? क्या यह सच है कि उक्त धनराशि से विद्यालय के मुख्य भवन की कोई मरम्मत नहीं हुई ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

वर्ष १९७०–७१ में राजकीय इण्टर कालेज, कर्णप्रयाग के वार्षिक मरम्मत हेतु ३,५०० रु० स्वीकृत है जिसमें से लगभग ३,१०० रु० का व्यय प्रधानाचार्य के आवास गृह की मरम्मत पर तथा लगभग ४०० रु० का व्यय विद्यालय के मुख्य भवन की मरम्मत पर किया गया।

एल० टी०, सी०टी० वेतन-क्रम में अध्यापकों का स्थायीकरण

*३१—श्री उमाशंकर शुक्ल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५९ से नियुक्त अथवा पदोन्नति एल० टी० एवं सी० टी० वेतन-क्रम के सरकारी सहायक अध्यापकों का स्थायीकरण अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

वर्ष १९५९ से कार्यरत एल० टी० वेतन-क्रम के १३७ में से ६८ तथा सी० टी० वेतन-क्रम के ३६९ में से २३२ अध्यापकों की स्थायी नियुक्ति दी जा चुकी है। एल० टी० ग्रेड के शेष ६९ अध्यापकों के स्थायीकरण हेतु लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। इनके स्थायीकरण के लिये अधीनस्थ अधिकारियों से पत्रजात मांगे गये हैं। उनके प्राप्त होने पर स्थायीकरण के आदेश निर्गत हो सकेंगे। जहां तक सी० टी० वेतन-क्रम के शेष १३७ अध्यापकों का प्रश्न है, इस संवर्ग में ८३ स्थायी रिक्तियां उपलब्ध हो गयी हैं। सम्बन्धित अध्यापकों को स्थायी नियुक्ति देने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों से पत्रजात मांगे जा चुके हैं। इनके प्राप्त होने पर अध्यापकों को स्थायी करने की कार्यवाही की जायेगी। शेष ५४ अध्यापकों को स्थायी करने के लिये स्थायी रिक्तियां उपलब्ध होने पर विचार किया जायगा।

फर्जी जूनियर हाई स्कूल को मान्यता न दिया जाना

*३२—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री को यह मालूम है कि ग्राम पथरा, विकास खण्ड गंगेसरी, जिला मुरादाबाद में दिनांक २ जनवरी से ३० जून, सन् १९७० तक कोई भी जूनियर हाई स्कूल नहीं था परन्तु एक फर्जी स्कूल के नाम से मान्यता प्राप्त की गई, ग्राम पंचायत की ४४ एकड़ जमीन हासिल की गई, ५१,६०० रु० की फर्जी आमदनी दिखाई गई, विद्यार्थियों की फर्जी परीक्षा दिलाई गई अन्त में फर्जी चोरी की रिपोर्ट थाने आदमपुर में दर्ज कराई जिसका पता तब चला जब तहसीलदर हसनपुर मौके पर तहकीकात करने गये ? यदि हां, तो इसमें विशेष जांच के आदेश जारी करेंगे ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

प्रश्नगत स्थान पर शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी फर्जी जूनियर हाई स्कूल को मान्यता नहीं दी गयी। वहां की आदर्श खादी ग्रामोद्योग जूनियर हाई स्कूल, पथरा नामक संस्था को जुलाई, ७० से ३० जून, ७१ की अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी। जुलाई, ७० में अभिलेखों की चोरी हो जाने के कारण वास्तविक भूमि, आमदनी एवं प्रश्न में पूछे गये अवधि में परीक्षा होने की पुष्टि नहीं की जा सकती। चोरी की रिपोर्ट की सत्यता तथा तहसीलदार (हसनपुर) की कथित तहकीकात पर आख्या अभी शासन को प्राप्त नहीं हो पाई। उसके प्राप्त होने पर ही विशेष जांच कराने के संबंध में निर्णय लेना संभव होगा।

मुरादाबाद होलसेल सेन्ट्रल कन्ज्यूमर्स कोआपरिव स्टोर्स के कर्मचारी से सम्बन्धित मुकदमे के कागजात का खोया जाना

*३३—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

क्या सरकार यह बताने की कष्ट करेगी कि जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेशानुसार दि मुरादाबाद होलसेल सेन्ट्रल कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड की एक रपट थाना कोतवाली मुरादाबाद में तारीख ५ जनवरी, १९६८ को भारतीय दण्ड संहिता तथा दफा ४०८/४६८ इलजाम नम्बर १८३ सरकार बनाम सोमदत्त वगैरा लिखाई जिस पर मुल्जिम सोमदत्त वगैरा को जमानत

लेकर छोड़ दिया गया और इसी मामले से सम्बन्धित मजीद जांच के लिये कागजात तारीख १९ सितम्बर, १९६९ को पुलिस सी० ओ० सिटी को मुरादाबाद में भेजे गये? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला मैजिस्ट्रेट, मुरादाबाद के आदेशानुसार दी मुरादाबाद होलसेल कन्जूमर्स कोआपरेटिव स्टोर लिमि० के दो कर्मचारियों के विरुद्ध ५ जनवरी ६८ को एक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को प्रस्तुत की गई जिसे अपराध सं० १८३, भा० दं० वि० की धारा ४०८/४६८ के अन्तर्गत कायम किया गया था। रिपोर्ट में नामांकित अभियुक्त सोमदत्त शर्मा तथा विनोद चन्द्र सक्सेना गिरफ्तार नहीं हुए। इस संबंध में श्री राम कुमार को गिरफ्तार करके जमानत पर छोड़ दिया गया था। इस मामले में सम्बन्धित कागजात उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि मजीद जांच के लिये कागजात सी० ओ० सिटी, मुरादाबाद को भेजे गये थे अथवा नहीं। मुकदमें के कागजात खोने के बारे में पृथक से भा० द० वि० की धारा ४०९ के अन्तर्गत मुकदमा अंकित किया गया जिसकी विवेचना की जा रही है। भा० दं० वि० की धारा ४०८/४६८ के अन्तर्गत मुकदमे में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई है।

*३४—श्री श्रीकृष्ण बाजपेई—

[३रे बुधवार के लिये स्थगित]

[६ जनवरी, १९७२ के लिय निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बहराइच जिले के विद्यालयों द्वारा अन्तरिम सहायता का भुगतान न किया जाना

*१—श्री पारसनाथ सिंह, श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद), श्री मोहनलाल कपूर, श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के किन-किन विद्यालयों ने राजकीय आदेश के बाद भी २५ जून तक जून मास का वेतन और अन्तरिम सहायता के आठ रुपये भुगतान नहीं किये हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और सरकार ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बहराइच जनपद जिला विद्यालय निरीक्षक का स्थानान्तरण

*२—श्री पारसनाथ सिंह, श्री धूमप्रसाद, श्री मोहनलाल कपूर, श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद को जिला विद्यालय निरीक्षक की पद अवनति तथा स्थानान्तरण पिछले एक वर्ष के अन्दर कितने बार हुए और किन-किन परिस्थितियों के अन्तर्गत उनको फिर जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर उसी जिले में रखा गया?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

पद अवनति तो एक बार भी नहीं हुई, स्थानान्तरण एक बार हुआ, परन्तु प्रशासकीय कारणों से उसे बाद में निरस्त कर दिया गया।

*३—श्री कल्याण सिंह—

[निरस्त किया गया]

अध्यापकों और कर्मचारियों का समय से वेतन भुगतान न होना

*४—श्री कल्याण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला अलीगढ़ में ऐसे कौन-कौन से गैर सरकारी मान्यता एवं अनुदान प्राप्त हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज हैं जहां कि प्रबन्धाधिकरणों के द्वारा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा कर्मचारियों का वेतन भुगतान) अध्यादेश के अधीन अनुसूचित बैंकों में सहखाता खोले जाने के बावजूद भी दिनांक २०-९-७१ तक नियमानुसार अध्यापक एवं कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, वेतन का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

नौ विद्यालय, जिनकी सूची संलग्न है। इन विद्यालयों द्वारा समय से वेतन बिल एवं तदर्थ अनुदान की मांग न प्रस्तुत करने के कारण वेतन भुगतान समय से न हो सका। विद्यालयों के प्रबन्धाधिकरण को चेतावनी दे दी गई है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८०३ पर)

प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण हेतु समिति का गठन

*५—श्री रामसिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या सरकार प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां। शासन के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया गया है।

बरेली जिले में डकैतियां

*६—श्री रामसिंह खन्ना—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में कितनी डकैतियां जुलाई, १९७१ से अक्टूबर, १९७१ तक पड़ीं और उनमें से किन-किन में गिरफ्तारियां हुईं और किन-किन में गिरफ्तारियां नहीं हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जुलाई, १९७१ से अक्तूबर, १९७१ तक जिला बरेली में ३८ डकैतियां पड़ीं। इनमें से २२ मामलों में गिरफ्तारियां हुईं और शेष १६ में नहीं हुईं।

जिला बुलन्दशहर के जनसंघ के नेता की हत्या

*७—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के जनसंघ के नेता श्री लक्ष्मण सिंह की दिन दहाड़े दो व्यक्तियों द्वारा जून, ७१ के प्रथम सप्ताह में हत्या कर दी गई? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार जून, ७१ के प्रथम सप्ताह में तो नहीं वरन् ३०–५–७१ को बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद के हसनपुर बकसवा गांव के प्रधान श्री लक्ष्मण सिंह को गांव के पांच व्यक्तियों ने घेर कर बल्लम और लाठी से चोटें पहुंचाईं क्योंकि दोनों पक्षों के बीच गांव समाज की एक भूमि को लेकर मुकदमें बाजी चल रही थी। उनको बुलन्दशहर सदर अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के आधार पर धारा १४७/१४८ ३०२, भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा अंकित करके विवेचना की गई। तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और शेष दो अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। विवेचना के परिणामस्वरूप अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र ३०–६–७१ को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा वेतन वृद्धि की मांग

*८—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक ७ जून, ७१ को लखनऊ में प्राथमिक शिक्षक संघ के अखिल भारतीय अधिवेशन में प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि वह प्राथमिक शिक्षकों की वेतन वृद्धि की मांग को अविलम्ब स्वीकार करे? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

प्रसंगगत अधिवेशन में की गई मांगों की कोई सूचना शासन को नहीं है।

आगरा विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के संबंध के एक सदस्यीय जांच आयोग की नियुक्ति

*९—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर एक आगरा विश्वविद्यालय के टीचर्स असोसिएशन का शिष्ट मण्डल माह जुलाई, ७१ में सरकार से मिला है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कोई उच्चस्तरीय जांच कर रही है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है किन्तु अन्य सूत्रों से प्राप्त आरोपों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने ६ अक्टूबर, १९७१ को एक सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त किया था।

*१०—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[४थे मंडल में तारांकित प्रश्न १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नियोजन कार्यालय, फैजाबाद में गांधी प्रतिमा पर से सिर गायब होना

*११—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार को पता है कि राष्ट्र पिता महात्मा गांधी की पुण्य जन्म तिथि पर इस वर्ष नियोजन कार्यालय जिला फैजाबाद के पार्क में स्थित उनकी मूर्ति को सर काट कर गायब कर दिया गया ? यदि हां, तो इस अपराध के संबंध में क्या कार्यवाही अमल में लाई गई ? क्या अपराधियों का पता लगाया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

महात्मा गांधी की उक्त प्रतिमा का सर जो कुछ वर्ष पहले से टूटा हुआ था परन्तु प्रतिमा पर रखा हुआ था दिनांक २–१०–१९७१ को गायब पाया गया। सूचना मिलते ही भा० दं० वि० की धारा ३७९/२९५ के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। ५ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा चार्ज शीट न्यायालय भेजी जा चुकी है।

अविकसित और पिछड़े जिलों के लिये विकास साधन

*१२—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बीच के अविकसित और पिछड़े जिले में जिनमें शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, पीलीभीत और बरेली हैं इनके विकास हेतु सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कोई विकास बोर्ड बनाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं। विभिन्न विकास कार्यक्रम विभागों द्वारा सम्पादित किये जा रहे हैं और जनता के प्रतिनिधियों से नियोजन एवं विकास के मसलों पर परामर्श करने के साधन विभिन्न स्तरों पर पहले से उपलब्ध हैं।

गोरखपुर जिले के अन्तर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू माध्यमिक विद्यालय, जारवा खजनी का अनुदान

*१३—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू लघु माध्यमिक विद्यालय जारवा खजनी को ३१–७–७० से ३० सितम्बर, १९७१ तक कितना अनुदान दिया गया ? यदि नहीं, तो अनुदान न मिलने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इस विद्यालय को वर्ष १९७०–७१ में क्षतिपूर्ति अनुदान रुपया १,०११.०० तथा ७१–७२ में ५६४.०० रुपया प्राप्त हुआ है। वर्ष ७०–७१ में विज्ञान अनुदान अनावर्तक ५,६४०.०० रु० एवं अनावर्तक १२०.०० रु० प्राप्त हुआ है।

गोरखपुर जिले में हत्या व डकैती

*१४—श्रीमती मसाली देवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में १ जनवरी, १९७१ से ५ अक्टूबर, १९७१ तक कितनी हत्या तथा डकैती की घटनायें हुईं तथा उपरोक्त विषय में कितने मुकदमें चल रहे हैं और कितने में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

गोरखपुर जिले में १ जनवरी, १९७१ से ५ अक्टूबर, १९७१ तक डकैती की ८३ रिपोर्टें विभिन्न थानों पर प्राप्त हुईं जिन पर मुकदमें कायम हुए। २० मुकदमों का चालान किया गया और वे न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा ३७ मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है।

इसी अवधि में हत्या की ४८ रिपोर्टें गोरखपुर जिले के विभिन्न थानों पर प्राप्त हुईं जिन पर मुकदमें कायम हुए। २ मुकदमों का चालान किया गया और वे न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा १२ मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है।

बलिया जिला के खादी ग्रामोद्योग द्वारा आर्थिक सहायता

*१५--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिला में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अगस्त सन् १९७१ तक किन-किन संस्थाओं को कितनी-कितनी धनराशि की किस-किस कार्य के लिये कब-कब वित्तीय सहायता दी गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

बलिया जिला में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा अगस्त सन् १९७१ तक जिन-जिन संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है तत्संबंधित पूर्ण विवरण संलग्नक तालिका पर उपलब्ध है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८०४ पर)

*१६--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त बोर्ड के अन्तर्गत गत ३ वर्षों में बलिया जिले में कौन-कौन समितियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? यदि नहीं हुआ है, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जुलाई १९६८ से अक्तूबर, १९७१ के बीच बलिया जिले से किसी भी खादी ग्रामोद्योगिक सहकारी समिति का पंजीकरण नहीं हुआ है। इस बीच ३ ग्रामोद्योग समितियों के पंजीकरण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में कई कमियां पाई गईं। अतः इन्हें ठीक कराने के लिए वापस कर दिया गया है। यह प्रस्ताव अभी भी ठीक रूप से तैयार होकर प्राप्त नहीं हो सके हैं।

*१७--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

[निरस्त]

थाना रुपईडीह के अन्तर्गत पुलिस दस्तंदाजी की घटनाएं

*१८--श्री सूरज लाल (जिला गोंडा)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के थाना रुपईडीह में १ जनवरी, ६७ से ३० अगस्त, ७१ तक पुलिस दस्तन्दाजी की कुल कितनी सूचनायें प्राप्त हुईं? उनमें कितने पर मुकदमें कायम किये गये तथा कितने की तफ्तीश हो रही है एवं कितने में अन्तिम रिपोर्ट लगाई जा चुकी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

बहराइच जिले में रुपईडीहा थाने में १-१-६७ से ३१-८-७१ तक ८०८ पुलिस दस्तंदाजी की सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें सब में मुकदमें कायम हुए। इनमें से ६६० मुकदमों की जांच की गई जांच के बाद ३३४ मुकदमें चालान किए गए और ३४६ मुकदमों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई। अब कोई मुकदमा जांच में नहीं है।

कानपुर जिले के पुलिस थाना, डेरापुर के अन्तर्गत डकैती व कत्ल

*१९—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के पुलिस थाना डेरापुर के अन्तर्गत १ जनवरी, ७१ से ५ जून, १९७१ तक किन-किन गांवों में कहां-कहां किस-किस का कत्ल हुआ और डकतियां पड़ीं तथा बलवे की कितनी घटनायें हुईं ? क्या यह सही है कि उक्त डेरापुर थाने में कत्ल एवं बलवे और डकैतियों की संख्या बढ़ रही है और वहां थानाध्यक्ष अपराध रोक पाने में असमर्थ हैं ? यदि हां, तो इन्हें रोकने के संबंध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

थाना डेरापुर जिला कानपुर के अन्तर्गत १–१–७१ से ५–६–७१ तक हुए कत्ल, डकैती तथा बलवे के सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न है।

थाना डेरापुर के अन्तर्गत इन अपराधों में कुछ वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों का आपसी वैमनस्य प्रतीत होता है। यह कहना सही नहीं है कि थानाध्यक्ष अपराध रोक पाने में असमर्थ हैं। हत्या तथा डकैती के अधिकांश मामले में अभियुक्तों का पता लगा लिया गया है। थाने की अपराध स्थिति को देखते हुए एक डकैती गार्ड का प्रबन्ध किया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८०६ पर)

निर्धारित शर्तों के आधार पर विज्ञापनों की स्वीकृति

*२०—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ से निकलने वाले अर्जक साप्ताहिक ने विज्ञापन के लिये पत्र की स्वीकृति सरकार से पाने हेतु कोई आवेदन पत्र १९७० के पूर्वार्ध में दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त समाचार-पत्र को विज्ञापन के लिये स्वीकृति दी, यदि नहीं तो क्यों ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री पुरुषोत्तमदास टंडन)—

जी हां। परन्तु यह साप्ताहिक विज्ञापन देने की निर्धारित समस्त शर्तों को पूरा न करने के कारण विज्ञापनों के लिए स्वीकृत नहीं किया जा सका।

कर्ज के लिये प्रार्थना–पत्र

*२१—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिला में जगदम्बा उद्योग शोहरतगढ़ के नाम से क्या कोई प्रार्थना-पत्र डेढ़ लाख कर्ज का सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या इस उद्योग की स्थिति की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*२२—श्री सुखपाल पांडेय, तथा श्री रामकरन सिंह—

[२रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री फौजदार राय, निवासी ग्राम ओरां, जिला आजमगढ़ की हत्या

*२३—श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत कंधरापुर थाना क्षेत्र के ओर ग्राम के निवासी श्री फौजदार राय की हत्या १९ अगस्त, ७१ को कर दी गई ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है और पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री फौजदार राय निवासी ग्राम ओरां थाना कंधरापुर जिला आजमगढ़ की, १९-८-७१, को बाजार से घर आते समय कुछ व्यक्तियों द्वारा हत्या किये जाने की सूचना थाना कंधरापुर पर उसी दिन प्राप्त हुई। इस सूचना के आधार पर धारा ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया जिसमें जांच के पश्चात् चार्ज शीट न्यायालय भेजी गई।

*२४—श्री रामगोपाल सण्ड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*२५—श्री रामगोपाल सण्ड—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्राम पिपरा चौबे, थाना इटियाठोक जनपद गोंडा में आर्मस ऐक्ट के अन्तर्गत लिखाई गई रिपोर्ट

*२६—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा) तथा श्री सुखपाल पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पिपरा चौबे थाना इटियाथोक जनपद गोंडा में ४-४-७१ ई० को ३०७/२५ आर्म्स ऐक्ट धारा के अनुसार रिपोर्ट दिखलाई गई थी और क्या यह सत्य है कि उपरोक्त रिपोर्ट हरिजनों ने किया था और उसके साथ ही बदमाश से पिस्तौल भी छीना था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

थाना इटियाथोक जिला गोंडा पर रामदुलारे (हरिजन) निवासी रुपईडीहा ने कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध एक लिखित रिपोर्ट दिनांक ४-४-७१ को की थी जिसके आधार पर धारा ३०७ भा० दं० वि० तथा २५ आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया। वादी ने एक देशी पिस्तौल भी थाने पर दाखिल की थी जो उसकी रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त राम करन से छीनी गई थी। अतः इस सम्बन्ध में धारा २५ आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत एक अलग मुकदमा भी रामकरन के विरुद्ध कायम किया गया। इन मुकदमों की जांच से धारा ३०७/भा० दं० वि० की घटना व पिस्तौल की बरामदगी की बात झूठी पाई गई। अतः उपरोक्त दोनों मुकदमों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई।

संयुक्त निदेशक, प्रशासन की प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट पर विभागीय जांच

*२७—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया) पथा श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रधानाचार्य, आई०टी० आई०, देवरिया के विरुद्ध सोशलिस्ट नेता श्री हरि केवल प्रसाद ने एक शिकायती पत्र दिनांक ७-८-७१ को निदेशक श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को दिया है तथा इसकी जांच दिनांक २४-८-७१ से २६-८-७१ तक श्री पी० सी० त्यागी, संयुक्त निदेशक, प्रशासन उत्तर प्रदेश ने किया ? यदि हां, तो जांच से शिकायती पत्र की कौन कौन सी बातें सत्य पाई गईं और उन पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई? तथा उक्त मामले से संबंधित एक पत्र देवरिया के एक विधायक द्वारा राज्य श्रम मंत्री उत्तर प्रदेश को माह सितम्बर, १९७१ में दिया गया है जिसमें एक चिट्ठी का फोटो भी संलग्न है ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)---

जी हां। संयुक्त निदेशक (प्रशासन) की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है। उक्त रिपोर्ट पर सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कंट्रोल एण्ड अपील) रूल्स के पैरा ५५ के अनुसार विभागीय जांच जारी है। इस समय यह कहना संभव नहीं है कि उनके खिलाफ कौन-कौन सी शिकायतें सत्य हैं।

औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिये अर्जित भूमि

*२८---श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि उद्योग विभाग ने बरेली रामपुर मार्ग पर कृषकों की भूमि को पिछले ४ साल से लेकर प्लाट बनाये हैं ? यदि हां, तो अब तक वह रिक्त क्यों पड़े हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

सरकार ने बरेली में एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए ३५७ एकड़ भूमि अर्जित की थी। इसमें से बहुत थोड़ी भूमि आवंटित हो पाई है और काफी भूमि अभी खाली पड़ी है। इसका मुख्य कारण यह है कि भूमि अर्जन के समय बरेली में कागज के एक बड़े उद्योग के स्थापित होने की आशा की जाती थी लेकिन वह बड़ा उद्योग अन्त में कार्यान्वित न हो सका। यदि उक्त बड़ा उद्योग लगता तो अनेक छोटे सहयोगी उद्योग भी लग जाते और कोई भूमि खाली न पड़ी रहती। अब तक १४ उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है और प्रयास किए जा रहे हैं कि शेष भूमि पर शीघ्र से शीघ्र उद्योगों को आकर्षित किया जावे ताकि समस्त भूमि का उपयोग हो सके।

सरकारी नौकरियों व उद्योगों में अल्प संख्यक की सुरक्षा हेतु उपलब्ध अधिकार

*२९---श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई, अगस्त, सितम्बर, १९७१ में लखनऊ में प्रान्तीय स्तर की नेशनल इन्टेग्रेशन कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें मुख्य मंत्री ने क्या सुझाव दिया और उन्होंने अल्प संख्यक जातियों की सुरक्षा वगैरह के लिये क्या सुझाव दिये और सरकारी नौकरियों और उद्योग आदि में अधिक से अधिक खपाने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

राज्य एकीकरण परिषद् की दिनांक १० जुलाई, १९७१ की बैठक में मुख्य मंत्री द्वारा राष्ट्रीय एकता के बारे में राज्य सरकार की नीति स्पष्ट की गई जो बैठक की कार्यवाही के सारांश में, जिसकी प्रति † संलग्न है, ब्योरे से देखी जा सकती है। परिषद् की बैठक में दिये गये विभिन्न सुझावों पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

एक नागरिक होने की हैसियत से सब अल्प संख्यक जातियों को सुरक्षा, सरकारी नौकरी, उद्योग आदि में वह सब अधिकार और अवसर उपलब्ध हैं जो अन्य नागरिकों को हासिल हैं। इसी तरह भाषायी अल्प संख्यकों को भी राष्ट्रीय नीति के अनुसार सारे अधिकार प्राप्त हैं। घोषित नीतियों के कार्यान्वयन के लिये सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है।

शोरे के ठेकों से बकाया की वसूली

*३०---श्री मोहम्मद असरार असमद---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६८-६९ तथा १९६९-७० में जिला मथुरा में शोरे के ठेकों से कितनी रकम सरकार को मिलनी थी और कितनी वसूल होना बाकी है

† छापी नहीं गई।

तथा कितनी रकम क्षमा कर दी गई और जो रकम क्षमा की गई वह किस अधिकारी ने की है तथा क्षमा करने के क्या कारण थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष १९६८–६९ में जिला मथुरा में शोरे के ठेकों से कुल रु० १,१४,७१०.०० की रकम सरकार को मिलनी थी। इस धनराशि में से रु० १,०९,८००.०० की रकम वसूल हो चुकी है। शेष रु० ४,९१०.०० की धनराशि की वसूली की कार्यवाही इस कारण से समाप्त करदी गई है कि संबंधित ठेकेदारों द्वारा शोरे की मिट्टी उठायी जाने में गांव वालों ने विरोध किया है जिसके फलस्वरूप उक्त ठेकेदारों को यह मिट्टी उपलब्ध नहीं हो सकी। अतः जो धन उक्त ठेकेदार उस समय तक सरकारी खजाने में दाखिल कर चुके थे, उसको सरकार जब्त करके उन पट्टों को रद्द कर दिया गया तथा उपरोक्त रु० ४,९१०.०० की शेष धनराशि की वसूली समाप्त कर दी गई। इस प्रकार उक्त वर्ष की निस्बत अब कोई धनराशि वसूल होना बाकी नहीं है और न कोई रकम क्षमा की गई है।

वर्ष १९६९–७० में उक्त जिले में शोरे के ठेकों से कुल रु० २,३१,१०३.०० की धनराशि सरकार को मिलनी थी। इसमें से रु० २,१९,३२८.०० की धनराशि वसूल हो चुकी है तथा रु० ११,७७५.०० की धनराशि वसूल होना शेष है। इस शेष धनराशि में से रु० २,५२५.०० की वसूली की कार्यवाही दीवानी न्यायालय के आदेश से स्थगित है और शेष रु० ९,२५०.०० की धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही है। इस वर्ष में भी कोई धनराशि क्षमा नहीं की गई है।

आजमगढ़ जिले के ग्राम मुड़ियार के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा

*३१—श्री बलसिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में ग्राम मुंडियार तहसील फूलपुर थाना अहिरौली में २६–९–७१ को जो दंगा हुआ है उसके सम्बन्ध में वहां के अल्पसंख्यकों ने जो थानेदार के पास प्रार्थना-पत्र दिया था उस पर थानेदार ने सुरक्षा का क्या प्रबन्ध किया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ग्राम मुंडियार के अल्प संख्यकों ने थानेदार को ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया था, किन्तु वहां की दशा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था सम्बन्धी प्रबन्ध जिला प्रशासन द्वारा दिया गया था।

सीतापुर जिले के थाना महमूदाबाद व सदरपुर में डकैती तथा कत्ल की रिपोर्टें

*३२—श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले के थाना महमूदाबाद तथा थाना सदरपुर में सन् ७०–७१ में कितनी डकैती और कितने कत्ल हुए उसमें कितने मुकदमें में फाइनल रिपोर्ट लगी व कितने मुल्जिमानों के चालान किये गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

१–४–७० से ३१–३–७१ तक की अवधि में थाना महमूदाबाद में डकैती की १४ तथा हत्या की ९ घटनाओं की सूचनाएं प्राप्त हुईं। डकैती की घटनाओं में से पांच तथा कत्ल की घटनाओं से ३ से सम्बन्धित मुकदमों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई। महमूदाबाद थाने की डकैती की ९ घटनाओं से संबंधित मुकदमों में ३६ व्यक्तियों तथा हत्या की ६ घटनाओं से सम्बन्धित मुकदमों में ५७ व्यक्तियों का चालान किया गया।

उक्त अवधि में थाना सदरपुर में डकैती की १८ तथा हत्या की ७ घटनाओं की सूचनाएं प्राप्त हुईं। इन डकैती की घटनाओं में से तीन तथा कत्ल की घटनाओं में से २ से सम्बन्धित मुकदमों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई। इस थाने की डकैती की १२ घटनाओं से सम्बन्धित मुकदमों में ५४ व्यक्तियों तथा हत्या की ५ घटनाओं से सम्बन्धित मुकदमों में ३२ व्यक्तियों का चालान किया गया।

विधायक व सदस्य लोक सभा के अंगरक्षक

*३३—श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर में ऐसे व्यक्ति कौन-कौन हैं जो विधायक या सदस्य लोक सभा नहीं हैं किन्तु उनको अंगरक्षक दिये हुए हैं तथा उसका क्या आधार है और कितना प्रति व्यक्ति पर वर्ष भर में खर्च होता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शासन लोक हित में सूचना सदन के पटल पर रखना उचित नहीं समझता।

वाराणसी जिले के हरोरा गांव में पुलिस कर्मचारियों व ग्रामीण को जिन्दा जलाया जाना

*३४—श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री बंशीधर पाण्डेय, श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली) तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि वाराणसी जिले की चकिया थाने के हरोरा गांव में दिनांक २५ अथवा २६ अक्तूबर, ७१ को दो पुलिस कर्मचारी तथा दो ग्रामीण जिन्दा जला दिये गये ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्नगत दुर्घटना २६ अक्तूबर, १९७१ को हुई। इसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८१० पर)

आगरा विश्वविद्यालय की अनियमितताओं की जांच के लिये एक सदस्यीय आयोग

*३५—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि आगरा विश्वविद्यालय प्रशासन में व्याप्त घोर अनियमितताओं की जांच के लिये कोई एक सदस्यीय कमीशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसी वर्ष अगस्त, १९७१ में नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या उस कमीशन की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

आयोग ६ अक्तूबर, १९७१ को नियुक्त किया गया था।

चूंकि रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और अभी उसका निरीक्षण हो रहा है, अतः उसे गोपनीय रखा जाना जनहित में होगा।

उत्तर काशी जिले में नया राजकीय इन्टर कालेज खोलना

*३६—श्री शेरसिंह दानू तथा श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तराखण्ड के चमोली, पिथौरागढ़ तथा उत्तर काशी जनपदों के ऐसे कौन-कौन विकास खण्ड क्षेत्र हैं जहां अभी तक कोई भी राजकीय एवं गैर-सरकारी

इन्टरमीडियेट कालज अथवा डिग्री कालेज नहीं है और क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों में इन्टरमीडियेट कालेज तथा डिग्री कालेज स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय कहां-कहां और कब तक स्थापित कर दिये जायंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस समय जिला चमोली में नारायणगढ़ तथा गैरसेण विकास खण्ड एवं जिला उत्तरकाशी में नौगांव विकास खण्ड ऐसे हैं जहां राजकीय अथवा गैर सरकारी इन्टर कालेज नहीं चल रहे हैं। जिला चमोली में चतुर्थ प्लान में निर्धारित लक्ष्य से एक अधिक इन्टर कालेज खोला जा चुका है। अतः चतुर्थ प्लान के अन्त तक इस जिले के उक्त विकास खण्डों में राजकीय इन्टर कालेज खोलना सम्भव नहीं है। उत्तरकाशी जिले में चतुर्थ प्लान के शेष दो वर्षों में एक नया राजकीय इन्टर कालेज खोलने का लक्ष्य है। अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि यह कालेज जिले के किस स्थान पर खोला जायेगा।

प्रत्येक तीन सीमान्त जिलों में एक-एक राजकीय डिग्री कालेज चल रहा है। किसी भी जिले में एक से अधिक डिग्री कालेज खोलने की अभी कोई गुंजाइश नहीं है।

अन्तरिम जिला परिषद्, चमोली के अध्यापकों द्वारा हड़ताल

*३७—श्री शेर सिंह दानू तथा श्री कल्याण सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के करीब आठ सौ परिषदीय अध्यापकों ने दिनांक १२ अक्तूबर, १९७१ से अपनी मांगों की पूर्ति के लिये पूर्ण हड़ताल करदी थी ? यदि हां, तो उनकी क्या-क्या मांगें हैं और क्या शासन उन्हें पूरा करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

अन्तरिम जिला परिषद्, चमोली के अध्यापकों ने अपनी निम्नलिखित मांगों की पूर्ति हेतु हड़ताल की थी:—

(१) द्वैत शिक्षा प्रणाली का अन्त किया जाये।

(२) वेतन वितरण समय से हो।

(३) अप्रैल–मई, १९६९ का तथा १९७१–७२ के विशेष वेतन का भुगतान किया जाये।

(४) विशेष वेतन को वेतन में जोड़कर महंगाई भत्ता दिया जाये।

(५) भवन निर्माण कार्य द्रुतगति से कराया जाये।

इसमें से कुछ मांगें पूरी हो गई हैं तथा शेष शासन के विचाराधीन हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, विधायक पर हमला

*३८—श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़), श्री मुल्तान सिंह (जिला आगरा), श्री राम करन यादव (जिला गाजीपुर) तथा श्री उदयनाथ (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि २२ जून, १९७१ को शाम लगभग ५ बजे गोरखपुर के विधायक एवं इनके सगे भाई के ऊपर लगभग ७ व्यक्तियों ने संघातिक आक्रमण किया जिसकी रिपोर्ट विधायक ने उसी दिन थाना झंगहा, गोरखपुर में भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४७/३२३ में दर्ज कराया जो फ्रैक्चर के आधार पर १४७/३२५ में बदल गई ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, विधायक निवासी ग्राम विशनपुरा जिला गोरखपुर ने थाना झंगहा, जिला गोरखपुर पर इस आशय की सूचना २२-६-७१ को दी कि उनके पिता द्वारा श्री सहदेव से लिये गये खेत में उस दिन ५ बजे शाम जब वह और उनके भाई घास निकालने का काम कर रहे थे तब एक व्यक्ति ने आकर उनको मना किया और बाद में ७ व्यक्तियों ने आकर उनको व उनके भाई को लाठी और मुक्के से मारना प्रारम्भ कर दिया। इस सूचना के आधार पर मुकदमा धारा १४७/३२३, भा० दं० वि० अंकित किया गया। डाक्टरी मुआइने के आधार पर श्री फिरंगी प्रसाद की उंगली में फ्रैक्चर पाया गया। अतः उस मुकदमें को धारा १४७/३२३/३२५, भा० दं० वि० में परिवर्तित २४-६-१९७१ को किया गया। विवेचना के बाद ८ अभियुक्तों का चालान किया गया। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

राजकीय इण्टर कालेज, बांदा द्वारा छात्रों को बिना परीक्षा लिये प्रमोट करना

*३९---श्री महिरजध्वज सिंह (जिला बांदा)--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बालकों के राजकीय इन्टर कालेज, बांदा में मई, सन् १९७१ में कक्षा ८ (आठ) की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले कुछ छात्रों को जुलाई, सन् १९७१ में बिना पुनः परीक्षा लिये ही प्रमोट कर दिया गया? और क्या यह भी सही है कि कम नम्बरों से फेल होने वाले छात्रों को प्रमोट नहीं किया गया? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

जी हां। कक्षा ८ (आठ) के केवल एक ही छात्र को प्रधानाचार्य ने शिक्षा संहिता के अनुच्छेद ११९ (ब) के अन्तर्गत प्रमोट किया है। लेकिन शासन इससे संतुष्ट नहीं है। जांच का आदेश दे दिया गया है।

*४०---श्री जंगबहादुर यादव---

[३रे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को अग्रिम बढ़ोत्तरी न मिलना

*४१---श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मन्डल में मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को जिनको अग्रिम बढ़ोत्तरी नहीं मिलती उनको अभी तक पुनरीक्षित वेतन नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

सूचना एकत्र की जारी रही है।

आजमगढ़ जिले में बम विस्फोट की घटनाएं

*४२---श्री श्यामलाल कन्नौजिया---

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में सितम्बर, १९७१ से १ नवम्बर, १९७१ तक कितने बम विस्फोट की घटनायें हुयीं और कितने मरे, कितने घायल हुए?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जिला आजमगढ़ में उक्त अवधि में बम विस्फोट की कुल ७ घटनायें हुईं जिसमें ६ व्यक्ति मरे और १० व्यक्ति घायल हुए।

जनपद गोरखपुर के थाना झगहा का निरीक्षण न होना

*४३—श्री फिरंगीप्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा का माह मई, १९७१ में कोई निरीक्षण हुआ है ? यदि हां, तो किसके द्वारा ? क्या ये लोग अपने साथ कुछ गम्भीर आरोपों से युक्त शासन की ओर से जांच हेतु गये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मई, १९७१ में थाना झंगहा का कोई निरीक्षण नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रिग्गल, निवासी थाना जहानाबाद, जिला फतेहपुर का शिकायती-पत्र

*४४—श्री नारायणदास (जिला लखनऊ), श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव), श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर), श्री पन्नालाल गुप्त (जिला फतेहपुर) तथा श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री रिग्गल, पुत्र श्री कल्लू रैदास, निवासी ग्राम विस्सौली, थाना जहानाबाद, जिला फतेहपुर द्वारा दिनांक ३० अगस्त, १९७१ का भेजा हुआ ऐसा शिकायती-पत्र मिला है जिसमें श्री रिग्गल ने अपने पुत्र के दिनांक २७ जुलाई, १९७१ को गा ब होने और मार डाले जाने तथा स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट की नकल न देने तथा मुल्जिमों से मिले रहने की शिकायत की है ? यदि हां, तो उस शिकायती-पत्र के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, श्री रिग्गल का ३०-८-१९७१ को एक प्रार्थना-पत्र मिला जिसमें प्रश्न में उल्लिखित आरोप लगाये गये थे। आरोपों की जांच कराई गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पुत्र की हत्या नहीं हुई वरन बाढ़ आई हुई नदी में जब वह जानवरों को निकालने के लिए कूदा तो वह डूब गया जिसकी सूचना प्रार्थी के दूसरे पुत्र श्री जियालाल ने जबानी थाना जहानाबाद में दी और जो रोजनामचा आम में दर्ज हुई। इसकी नकल देने का प्रश्न नहीं उठता। जांच से पुलिस के तथाकथित अभियुक्तों से मिले रहने की बात भी गलत पाई गई।

गोन्डा जिले में हुई हत्याओं की रिपोर्ट

*४५—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोन्डा जिले में जनवरी, सन् १९७१ से २३-१०-१९७१ तक कितनी हत्याओं की रिपोर्ट विभिन्न थानों में लिखाई गई ? इन हत्याओं में से कितने में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक १-१-१९७१ से २३-१०-१९७१ तक जनपद गोण्डा में विभिन्न थानों पर ५८ मुकदमें हत्याओं के अंकित हुये। अब तक इनमें से ५ मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई है।

जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर के थानाध्यक्ष के विरुद्ध विधायक का शिकायती-पत्र

*४६—श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर के थानाध्यक्ष के विरुद्ध स्थानीय विधायक ने कितने शिकायती-पत्र पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को १५ अगस्त, १९७० से २० जनवरी, १९७१ के बीच लिखे और कितने क्या यह भी सही है कि सभी प्रार्थना-पत्रों पर पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका कारण बताने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

दिनांक १५-८-१९७० से २०-१-७१ के बीच स्थानीय विधायक के दो शिकायती-पत्र पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर को प्राप्त हुये थे जिन पर जांच तथा अन्य समुचित कार्यवाही की गई। उसका प्रश्न नहीं उठता।

*४७--श्री रामकुमार दीक्षित--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इंचार्ज थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर के विरुद्ध कितनी शिकायतों की जांच डिप्टी एस० पी० अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक १५ अगस्त, १९७० से १५ अक्तूबर, १९७१ तक की गई? जांच रिपोर्ट क्या थी और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इस अवधि के बीच ६ शिकायतों की जांच डिप्टी एस० पी० अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट तथा कार्यवाही के संबंध में सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८११ पर)

लोक सेवा आयोग की मुंसफी परीक्षा में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी

*४८--श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश ने १९७१ में ८५ खाली पदों की भरती के लिये मुंसिफी की परीक्षा ली है? यदि हां, तो इसमें कितने हरिजन और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी लिये गये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। अनुसूचित जाति के १० अभ्यर्थी संस्तुति किये गये हैं। पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कोई आरक्षण नहीं होता है।

*४९--श्री रूपनाथ सिंह यादव--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त परीक्षा में बैठे हुए ४० अभ्यर्थियों के परीक्षा फल रोक लिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार इन ४० अभ्यर्थियों का नाम भी-नियुक्ति के लिये मंगवाने की कार्यवाही करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी नहीं।

प्रश्न के दूसरे भाग नहीं उठते।

*५०--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

[तारांकित प्रश्न संख्या ८० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५१--श्री छांगुर राम--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

*५२--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

[१ले मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों का बन्द किया जाना

*५३—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के राजकीय, माध्यमिक, प्राविधिक विद्यालयों को तोड़ देने का आदेश दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां, प्रदेश में राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों को बन्द करने के आदेश दे दिये गये हैं क्योंकि यह योजना सफल नहीं हुई है।

*५४—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन प्राविधिक विद्यालयों में इस समय कितने अध्यापक (इन्सट्रक्टर्स) तथा अन्य कर्मचारी नियुक्त हैं और इन प्रशिक्षक व्यक्तियों को सरकार किसी अन्य योजना में सम्मिलित करने की नीति बनाई है और यदि हां, तो वह क्या है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों में सितम्बर, १९७१ में २५९ अध्यापक तथा १९८ अन्य कर्मचारी नियुक्त थे। अभी किसी कर्मचारी की छटनी नहीं की गई है। इन संस्थाओं से फालतू हुए कर्मचारियों को प्राविधिक शिक्षा निदेशालय प्राविधिक संस्थाओं तथा अन्य विभागों में सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक ४४ व्यक्तियों का प्रबन्ध किया जा चुका है।

जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार की शिकायतें

*५५—श्री रामविलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को जानकारी है कि शाहजहांपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध भूतपूर्व सदस्य लोकसभा व स्थानीय विधायक तथा अनेक हायर सेकेण्डरी स्कूल के अध्यापकों ने शासन से तथा निदेशक शिक्षा विभाग को लिखित शिकायतें भ्रष्टाचार और रिश्वत खोरी की सप्रमाण की है? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की?

डाक्टर रमजीलाल सहायक—

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

लिपिकों का दीर्घ कालीन ठहराव के आधार पर स्थानान्तरण करने का नियम

*५६—श्री राम विलास पाण्डेय—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर के कार्यालय में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो १० वर्ष से अधिक से हैं जिनका नियमानुसार स्थानान्तरण हो जाना चाहिये? यदि हां, तो ऐसा न होने का क्या कारण?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां। एक लिपिक १० वर्ष से अधिक से हैं। लिपिकों का दीर्घकालीन ठहराव के आधार पर स्थानान्तरण करने का कोई नियम नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बी० टी० सी० की प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र, हापुड़ के परीक्षक व अधिकारी

*५७—श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९७०–७१ की बी० टी० सी० की प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र हापुड़ के राजकीय दीक्षा विद्यालय में मुख्य परीक्षक कौन अधिकारी था तथा उसके द्वारा ली गई परीक्षा क्यों रद्द की गई ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*५८—श्री सूबेदारसिंह—

[१ ले मंगलवार के प्रश्न संख्या ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

डाकुओं द्वारा अपहरित व्यक्तियों का पुलिस द्वारा मुक्त कराया जाना

*५९—श्री हुकुमसिंह परिहार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९७०–७१ में आगरा जिले में डाकुओं द्वारा कितने अपहरण किये गये और इन अपहरण किए हुए व्यक्तियों में से कितने लोगों को पुलिस ने डाकुओं के शिकन्जे से मुक्त किया और कितने डाकुओं को रुपया देकर छूटे ? क्या इनमें से कुछ व्यक्ति मारे भी गये ? अगर हां, तो कितने ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मई, १९७० तथा ३० नवम्बर, १९७१ तक आगरा जिले में कुल ९६ व्यक्तियों का अपहरण डाकुओं द्वारा किया गया। इनमें से ३० व्यक्ति पुलिस की सहायता से और ६५ व्यक्ति डाकुओं को रुपया देकर मुक्त हुए तथा एक व्यक्ति मारा गया।

*६०—श्री हुकुमसिंह परिहार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डाकुओं के दमन के लिये आगरा जिले में जो विशेष पुलिस तैनात है उसमें कितने अफसर और कर्मचारी हैं ? क्या इस पुलिस की नियुक्ति के बाद आगरा जिले में डाकुओं के आतंक में कमी हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

डाकू दमन के हेतु आगरा जनपद में दो विशेष पुलिस तैनात हैं उसमें ५ अफसर और ४० कर्मचारी हैं। इन विशेष पुलिस में से तैनाती के बाद आगरा जिले में पहले की अपेक्षा डाकुओं के आतंक में कमी हुई है।

मुड़ियार कांड, आजमगढ़ की, राजस्व परिषद् द्वारा जांच कराने का निर्णय

*६१—श्री दर्लसिंगार यादव—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में मुडियार काण्ड के सम्बन्ध में २९ सितम्बर, १९७१ को प्रश्नकर्ता ने कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक २९ सितम्बर, १९७१ प्राप्त हुआ था। इस मामले से संबंधित परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त शासन द्वारा इस सम्पूर्ण घटना चक्र की उच्च स्तरीय प्रशासकीय जांच राजस्व परिषद् के एक सदस्य द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

मुरादाबाद-गढ़ रोड पर ट्रक व प्राइवेट बस लूटने की घटनाएं

*६२—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १ अक्तूबर से १५ नवम्बर, १९७१ के समय में मुरादाबाद-गढ़ रोड पर कितनी घटनायें ट्रक लूटने की और प्राइवेट बसेज लूटने की हुई और उन डकैतियों की घटनाओं में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मुरादाबाद-गढ़ रोड पर १ अक्तूबर से १५ नवम्बर, १९७१, की अवधि में ट्रक तथा प्राइवेट बस लूटने की केवल एक घटना की रिपोर्ट थाना गजरोला में अंकित हुई। घटना दिनांक २३/२४ अक्तूबर, १९७१ की रात्रि में हुई बताई जाती है। घटना के आधार पर धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके विवेचना आरम्भ की गई। विवेचना से ५ अभियुक्त प्रकाश में आये। इनमें से एक अभियुक्त पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारा गया। दो गिरफ्तार किए गए। जो दो गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। इनकी तलाश जारी है।

मन्त्री जी की कार का बदमाशों द्वारा अपने कब्जे में करना

*६३—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर, १९७१ को किसी मन्त्री की कार डाकुओं ने छीनी और डाका डालने के लिये इस्तेमाल की ? यदि हां, तो वह किस मन्त्री की थी और उस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कोई जांच कराई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह सत्य है कि दिनांक २९-१०-१९७१ की रात्रि में राजकीय वाहन नं० यू० पी० डी० ८०६० (कार) जो स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री को लेने के लिये लखनऊ से किच्छा स्टेशन जा रही थी सीतापुर व शाहजहांपुर के बीच चार अज्ञात बदमाशों द्वारा, जिनके पास पिस्तौल तथा चाकू थे, अपने कब्जे में कर ली गई। उस समय उक्त गाड़ी में केवल गाड़ी के चालक तथा एक चपरासी थे। गाड़ी को अपने कब्जे में करने के बाद उक्त बदमाश उसे गढ़मुक्तेश्वर की ओर ले चले तथा रास्ते में एक ट्रक तथा एक टैक्सी कार को लूटा। लगभग ३.३० बजे प्रातः उन्होंने गाड़ी को गढ़मुक्तेश्वर के पास छोड़ दिया तथा उसके बाद चपरासी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना गढ़मुक्तेश्वर, जिला मेरठ में लिखाई। बाद में यह रिपोर्ट शाहजहांपुर के थाना तिलहर में अंकित की गई और इसकी विवेचना वहां के एक अधिकारी कर रहे हैं। जांच के सिलसिले में शाहजहांपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दिल्ली, मेरठ व गाजियाबाद भी गए और इस गिरोह को पकड़ने के लिये सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

पी० सी० एस० प्रतियोगिता परीक्षा के इन्टरव्यू में मिनिमम मार्क्स की शर्त को हटाने पर विचार

*६४—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने पी० सी० एस० (जुडिशियल) की प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिये साक्षात्कार (इन्टरव्यू) में मिनिमम मार्क्स प्राप्त करने की कोई शर्त लगाई है ? यदि हां, तो यह प्रतिबन्ध कब से लागू किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। यह शर्त २० अगस्त, १९५२ से लागू की गई। इसे हटाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

कथित बाबा हैड़ाखान व उनके गिरोह से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र पर जांच

*६५—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल), श्री रघुनाथ सिंह वर्मा (जिला मैनपुरी) तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतावेंगे कि तारीख २४ सितम्बर, १९७१ को जिला नैनीताल, तहसील हल्द्वानी, हल्का लोहरियासाल के सर्वश्री वालादत्त सुयाल ज्येष्ठ उप प्रमुख, ब्लाक हल्द्वानी तथा विपिन चन्द्र सुयाल उमेदसिंह मेहरा ने जो प्रार्थना-पत्र गृह सचिव, उत्तर प्रदेश को ग्राम कठघरिया में कथित बाबा हैड़ाखान व उनके गिरोह की जानकारी कराये जाने एवं सुरक्षा की कार्यवाही हेतु दिया था इस सम्बन्ध में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की और क्या तथ्य सामने आये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शासन को सर्वश्री वाला दत्त सुयाल, विपिन चन्द्र सुयाल व उमेद सिंह महरा का प्रार्थना-पत्र दिनांक २४-९-१९७१ प्राप्त हुआ था तथा उस पर जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच करायी जा रही है। जांच पूर्ण होने पर तथ्यों का पता लग सकेगा। प्राप्त सूचना के अनुसार कथित बाबा हैड़ाखान की उपस्थिति से उस क्षेत्र में कोई भय अथवा असुरक्षा की भावना व्याप्त नहीं है।

हिस्ट्रीशीट की समाप्ति पर बन्दूक के लाइसेन्स की स्वीकृति

*६६—श्री सतीश चन्द्र (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एटा जिले में थाना जैथरा के श्रीपाल नामक एक बदमाश का जो फगनौल का निवासी है और घुसरी में रहता है और जो हिस्ट्रीशीटर भी है और रजिस्टर नम्बर ८ में दर्ज है बन्दूक का लाइसेंस दिया गया ? यदि हां, तो उक्त लाइसेंस पुलिस के कौन-कौन से अधिकारियों की सिफारिश के अनुसार दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

एटा जिले में थाना जैथरा के श्रीपाल नामक व्यक्ति को जिनकी हिस्ट्रीशीट ११-५-१९६९ को समाप्त की जा चुकी थी, १९७१ में बन्दूक का लाइसेंस स्वीकृत किया गया है। इस लाइसेंस के लिये एस० ओ०, श्री घनश्याम सिंह व क्षेत्र अधिकारी, श्री हरिशचन्द्र सिंह व एस० पी०, श्री जे० के० पी० सिंह की सिफारिश थी।

थानाध्यक्ष, जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर की केस डायरी

*६७—श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि भूतपूर्व थानाध्यक्ष जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर (जिन्होंने अक्तूबर, १९७१ में चार्ज छोड़ा) की केस डायरी छः महीना पीछे थी जिस दिन उन्होंने जैतीपुर में चार्ज छोड़ा ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध पुलिस अधीक्षक द्वारा क्या कार्यवाही की गई और क्या उनकी केस डायरी पुलिस अधीक्षक द्वारा लेकर सील कर दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह सही नहीं है कि भूतपूर्व थानाध्यक्ष जैतीपुर श्री देवी दयाल दीक्षित, जिन्होंने अक्तूबर, १९७१ में थाना जैतीपुर का चार्ज छोड़ा, की केस डायरी चार्ज छोड़ने के समय छः महीना पीछे थी। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

*६८—श्री विश्राम दास—

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि उक्त भूतपूर्व थानाध्यक्ष जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर में दो मर्तबा निलम्बित रह चुके हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उक्त भूतपूर्व थानाध्यक्ष जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर में कभी निलम्बित नहीं रहे।

थानाध्यक्ष, श्री देवीदयाल दीक्षित, जिला शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायतें

*६९—श्री राम रतन प्रसाद (जिला बलिया)—

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि थानाध्यक्ष, श्री दीक्षित बन्डा, जिला शाहजहांपुर के विरुद्ध पिछले छः महीने से अनेक शिकायतें, भ्रष्टाचार, व गलत कार्य करने की पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को प्राप्त हुई? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार भूतपूर्व थानाध्यक्ष, जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर, श्री देवी दयाल दीक्षित के विरुद्ध पिछले छः माह में भ्रष्टाचार या गलत दर्ज करने के केवल ४ शिकायती-पत्र पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर से प्राप्त हुए। इन सभी प्रार्थना-पत्रों की सर्किल आफिसर द्वारा जांच कराई गई। जांच से सभी आरोप असत्य पाए गए। अतः थानाध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

थाना गुरबख्श गंज, जिला रायबरेली के श्री रामबली की हत्या की अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच

*७०—श्री राजेन्द्रप्रताप सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि दिनांक ७ सितम्बर, १९७१ को थाना गुरुबख्शगंज, जिला रायबरेली में श्री रामबली सिंह की नृशंस हत्या कर दी गई? यदि हां, तो कितने मुल्जिमान गिरफ्तार किये गये और क्या कार्यवाही हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री रामबली सिंह निवासी ग्राम बरगदहा जिला रायबरेली की हत्या दिनांक ७/८-९-१९७१ की रात में किये जाने की सूचना दिनांक ८-९-१९७१ को थाना गुरुबक्सगंज जिला रायबरेली पर प्राप्त हुई जिसके सम्बन्ध में धारा १४७/३०२ भा० दं०वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया। दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा तीन अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया। इस मामले में पहले स्थानीय पुलिस ने जांच की और अब आगे की विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है।

ग्राम पराथाना, थाना गुरुबख्श गंज, जिला रायबरेली के प्रधान पर हमला

*७१—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि ग्राम पराथाना गुरुबख्शगंज, जिला रायबरेली के प्रधान जो कि हरिजन हैं, के घर पर अक्तूबर, १९७१ के आखिरी सप्ताह में श्री लल्लन प्रसाद अवस्थी ने २५ आदमियों सहित आक्रमण किया और चोटें पहुंचाई जिसकी रिपोर्ट प्रधान की पत्नी ने थाने में दर्ज कराई? यदि हां, तो विवरण क्या है और आगे क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक २५-१०-१९७१ को ग्राम पारा जिला रायबरेली निवासिनी श्रीमती सुखद देवी पत्नी श्री सूर्यबली कुरील, भूतपूर्व प्रधान, ने थाना गुरुबख्शगंज पर इस आशय की सूचना दी कि दिनांक २२-१०-१९७१ को रात्रि में लगभग १०-३० बजे चार नामदर्ज व्यक्ति उनके दरवाजे

पर आये, गालियां देते हुए उनके पति श्री सूर्यबली कुरील के बारे में पूछने लगे, गालियां देने को मना करने पर वादिनी को मारा और कहा कि यदि सूर्यबली मिल जाय तो उसे गोली मार दी जाय। इस सूचना में श्री लालन प्रसाद अवस्थी का नाम नहीं था। इस सूचना के आधार पर थाने पर धारा ३२३/५०४/५०८ भा० दं० वि० के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। चूंकि मामला अहस्तक्षेपनीय था, अतः इसके बारे में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

चोरी गई एम्बेसडर कार का पकड़ा जाना

*७२—श्री अब्दुल सलाम शाह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि शाहजहांपुर पुलिस ने एक एम्बेस्डर गाड़ी के साथ एक गिरोह दिनांक ८ नवम्बर, १९७१ को ऐसा गिरफ्तार किया है जिसने पचासों राहजनी राजमार्ग २४ पर की तथा ७ मोटरें चुरायीं? यदि हां तो विवरण क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार शाहजहांपुर पुलिस ने ७-११-१९७१ को एक एम्बेसडर कार पकड़ी, जो थाना सिहानीगेट, जिला मेरठ क्षेत्र से चुराई गई थी। इस संबंध में तीन व्यक्ति बन्दी बनाए गए तथा उनका चौथा साथी भागने में सफल हो गया। इन बन्दियों से केवल तीन कार की चोरियों का पता लगा, जो इन्होंने गाजियाबाद व दिल्ली क्षेत्र से पहले चुराई थी। राजमार्ग २४ पर हुए राहजनी अथवा अन्य मोटरों की चोरी के मामलों से उक्त व्यक्ति संबंधित हैं अथवा नहीं, यह सूचना विभिन्न जिलों से एकत्रित की जा रही हैं।

राजाराम, ग्राम महमूदपुर (शाहजहांपुर) को इनाम देने का विचार

*७३—श्री अब्दुल सलाम शाह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १० जून, १९७१ को श्री राजाराम आदि, निवासी ग्राम महमूदपुर, थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर ने जो खतरनाक गिरोह लालू सिंह को पकड़ा और थाने ले गये इस बहादुरी के लिये इन लोगों को क्या इनाम दिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री राजाराम आदि को इनाम दिए जाने के बारे में मामले से संबंधित मुकदमें का फैसला हो जाने के बाद विचार किया जायगा।

इलाहाबाद जनपद में जूनियर बेसिक स्कूल के लिये भवन न होना

*७४—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में कुल कितने ऐसे जूनियर बेसिक स्कूल हैं जिनके पास भवन नहीं हैं? सरकार इन स्कूलों के भवन निर्माण के लिये क्या करने जा रही है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

इलाहाबाद जनपद में प्रारम्भिक स्कूलों की व्यवस्था

*७५—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्दर इलाहाबाद जनपद में कुल कितने नये प्रारम्भिक स्कूलों की व्यवस्था की जायेगी? इन नये स्कूलों में विधान सभा क्षेत्र बारों को कितने आबंटित होंगे?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

[गान्धी जयन्ती पर स्कूल में पढ़ाई

*७६--श्री केशोराम (जिला बदायूं)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किशनलाल राम कुमार जूनियर हाई स्कूल, आंवला (बरेली) के प्रधानाध्यापक ने राष्ट्रीय पर्व गांधी जयन्ती २ अक्तूबर, १९७१ को स्कूल में छुट्टी न मनाकर स्कूल में पढ़ाई की? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*७७--श्री केशोराम--

क्या इस सम्बन्ध में कोई सूचना उक्त स्कूल के ६ अध्यापकों द्वारा शासन व विभाग को मिली? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

सचिवालय को इसकी कोई जानकारी नहीं है। निदेशालय से पूछा गया है। आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

*७८--श्री इन्द्र लाल--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

अप्रशिक्षित संस्कृत अध्यापकों की वेतन-वृद्धि बन्द किया जाना

*७९--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या शिक्षामंत्री को ज्ञात है कि जिला परिषद्, उन्नाव के विद्यालयों के अप्रशिक्षित संस्कृत अध्यापकों को प्रदान की गई तदर्थ वेतन-वृद्धि के पांच रुपये मार्च, १९७१ से देना बन्द कर दिये गये हैं? और इससे पूर्व दिये गये वेतन से भी दिनांक २ फरवरी, १९६९ से कटौती करके वापस लिया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

सूचना एकत्र की जा रही है।

अलीगंज थाना, जिला एटा के मुकदमों में चार्जशीट

*८०--श्री सतीश चन्द्र शर्मा (जिला एटा)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगंज थाना जिला एटा में पिछले पांच महीने में कितने मुकदमें ३०२, ३०७, ३२५ ताजीरात हिन्द दर्ज हुए और उसमें अभी तक कितने में चार्जशीट लगी कितनों में नहीं? तथा इसका कारण क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८१३ पर।)

अतारंकित प्रश्न

अध्यापक वेतन अध्यादेश के अनुसार संयुक्त खाते से वेतन न वितरित करने वाले गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय

१—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले में ऐसे कितने गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (बालक, बालिका) माध्यमिक विद्यालय हैं, जो अध्यापक वेतन अध्यादेश के अनुसार संयुक्त खाते से वेतन वितरित नहीं कर रहे हैं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

कोई नहीं।

फतेहगंज पश्चिमी थाने के भवन निर्माण हेतु भूमि अध्यापन की कार्यवाही

२—श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना फतेहगंज पश्चिमी, जिला रायबरेली के भवन निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। थाने के भवन निर्माण हेतु भूमि अध्यापन की कार्यवाही की जा रही है।

श्री रुद्रनारायण की कथित हत्या के सम्बन्ध में रिपोर्ट अंकित न कराया जाना

३—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री रुद्र नारायण झा बिहार के एम० पी० की हत्या में उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी तथा बाराबंकी के कुछ लोग पकड़े गये ? यदि हां, तो वे लोग कौन-कौन हैं और क्या काम करते थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार प्रदेश के श्री रुद्र नारायण झा की कथित हत्या के सम्बन्ध में वाराणसी तथा बाराबंकी जिले के किसी थाने पर न तो कोई रिपोर्ट अंकित की गयी है और न ही कोई व्यक्ति इस सम्बन्ध में उक्त जिलों की पुलिस द्वारा अथवा बिहार पुलिस द्वारा उक्त जिलों की पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार ही किया गया है।

राजकीय दीक्षा विद्यालय, बांसगांव, गोरखपुर के अन्तर्गत छात्रावास एवं विद्यालय भवन की निर्माण योजना

४—श्रीमती मसाली देवी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत राजकीय दीक्षा विद्यालय बांसगांव में छात्रावास एवं विद्यालय भवन के निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

५-६—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[पहले मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १२-१३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर जिले के गांवों में हत्या, डकैती एवं राहजनी की घटनाएं

७—श्रीमती मसाली देवी —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ मई, १९७१ से ३० सितम्बर, १९७१ तक गोरखपुर जिले की बांसगांव, खजनी, सिकरीगंज, गोला बड़हलगंज के अन्तर्गत कितनी हत्यायें, डकैती, राहजनी की घटनायें हुई उन गांवों के नाम एवं मृतकों के नाम क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८१४ पर)

८—श्रीमती मसाली देवी—

[निरस्त]

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं का स्थानान्तरण

९—श्रीमती मसाली देवी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में १ मार्च, १९७१ से ३० सितम्बर, १९७१ तक बांसगांव ब्लाक में कितने प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया ? और क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने अध्यापक ऐसे हैं जिनका स्थानान्तरण १ वर्ष के अन्तर्गत ही दो तीन स्थानों पर हुआ, उनके नाम क्या हैं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

३६ प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक तथा अध्यापिकाओं का स्थानान्तरण किया गया। दो अध्यापक श्री जगदीश राय तथा श्री जगत राय का स्थानान्तरण वर्ष के अन्दर दो स्थानों पर किया गया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर का बुलन्दशहर में स्थानान्तरण

१०—श्री बंशीधर पांडेय, श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री राम विलास पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर का स्थानान्तरण उनके विरुद्ध गम्भीर शिकायतें, भ्रष्टाचार व रिश्वत खोरी के कारण अक्तूबर, १९७१ में तनज्जुली पर किया गया ? यदि हां, तो फिर स्थानान्तरण रोक दिया गया ? यदि हां, तो कब तक के लिये ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर का स्थानान्तरण बुलन्दशहर के लिए सह विद्यालय निरीक्षक के पद पर कर दिया गया है। यह पद उसी वेतन-क्रम में है जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर का पद है। इनका स्थानान्तरण १-२ महीने के लिए शिक्षा निदेशक की संस्तुति पर रोक दिया गया है। अब यह आदेश हो गए हैं कि यह अपने पद का चार्ज बुलन्दशहर में ले लेवें।

११—श्री शेरसिंह दानू—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

पी०सी०एस० एवं पी०पी०एस० की परीक्षा में सुरक्षित स्थान

१२—श्री पारसनाथ सिंह तथा श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९७१ में होने वाली पी०सी०एस० एवं पी०पी०एस० आदि परीक्षाओं द्वारा कितने व्यक्तियों का चुनाव किया जाना है तथा उनमें से कितनी विभिन्न वर्गों के लिये सुरक्षित हैं तथा कितने सामान्य प्रत्याशी लिये जाने हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न सारिणी में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८१५ पर)

१३—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[निरस्त]

रायबरेली जिले में थानों का पुनर्संगठन तथा नये थाने की स्थापना

१४—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले में कितने थाने १९७१-७२ में खोले जाने की योजना है और वे कहां-कहां खोले जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

रायबरेली जिले के थानों का पुनर्संगठन किया जा रहा है और योजना के अन्तर्गत तीन नये थाने स्थापित किये जायेंगे। ये थाने भदोकर, मुन्शीगंज, डीह, खीरों या शिवगढ़ में से किसी तीन स्थानों पर स्थापित किये जाने पर विचार हो रहा है।

रायबरेली जिले में हत्याएं

१५—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९७० में रायबरेली जिले में कितनी हत्यायें हुईं और उनमें से कितनी राजनीतिक हत्यायें थीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सन् १९७० में रायबरेली जिले में कुल ४३ हत्याओं की घटना होने की सूचना विभिन्न थानों पर प्राप्त हुई। इनमें से कोई राजनैतिक हत्या नहीं थी।

१६—श्री कृष्णानन्द राय—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

आजमगढ़ जिले में पुलिस स्टेशन बनाने की योजना

१७—श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत मेंहेनगर बाजार, तहसील लालगंज में पुलिस स्टेशन बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक आरम्भ हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां।

प्रस्ताव सक्रिय रूप से शासन के विचाराधीन है परन्तु कार्यान्वयन की निश्चित तिथि बताना अभी संभव नहीं है।

१८—श्री शेर सिंह दानू—

[पहले शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या १६ के अन्तर्गत उत्तरित]

१९–२०—श्री राम विलास पाण्डेय—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

प्राविधिक शिल्प संस्थाओं एवं इन्जीनियरिंग कालेजों के डिग्री व डिप्लोमा प्राप्त छात्र

२१—श्री छांगुर राम—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं एवं इंजीनियरिंग कालेजों से प्रति वर्ष कितने विद्यार्थी इंजीनियरिंग स्नातक एवं डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त करते हैं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं एवं इन्जीनियरिंग कालेजों से छात्रों को प्रतिवर्ष एक निश्चित संख्या में डिप्लोमा तथा डिग्री नहीं दिये जाते हैं। यह संख्या उक्त संस्थाओं से प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होने वाले छात्रों पर निर्भर रहती है। पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में प्राविधिक संस्थाओं से इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम में डिप्लोमा की परीक्षा तथा इन्जीनियरिंग कालेजों से स्नातक की परीक्षा पास करने वाले छात्रों एवं स्नातकों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष				इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम में डिप्लोमा की परीक्षा पास करने वाले छात्रों की संख्या	इंजीनियरिंग में स्नातक परीक्षा पास करने वाले स्नातकों की संख्या
१९६८–६९	..	..	..	३३५६	१७५०
१९६९–७०	..	..	..	३२७७	१९८६
१९७०–७१	..	..	..	२४३५	१९४७

श्री रामकुमार भार्गव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का नवम् प्रतिवेदन†

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से विशेषाधिकार समिति के नवम् प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं। यह श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह सदस्य विधान सभा द्वारा श्री रामकुमार भार्गव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर पंचम विशेषाधिकार समिति का नवम् प्रतिवेदन है। मान्यवर, प्रतिवेदन इस प्रकार है—

मान्यवर, श्री रामकुमार भार्गव का इस बीच निधन भी हो गया है और दुःखपूर्वक मुझे यह प्रतिवेदन सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना है।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा सचिव विधान सभा को बुलाये जाने पर)

(व्यवधान)

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७१

सचिव विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७१ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ८१६ पर)

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१

सचिव विधान सभा—

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ८१९ पर।)

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी ६ जनवरी, १९७२ की बैठक में सदन के दिनांक, १०, ११ व १२ जनवरी, १९७२ के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(१) दिनांक १० जनवरी, १९७२ को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७१ तथा उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१, जैसा कि वे विधान परिषद् द्वारा पारित हुये हैं, पर विचार एवं उनका पारण हो। तदुपरान्त बनारस विश्वविद्यालय में अशान्ति की स्थिति पर चर्चा हो।

(२) दिनांक ११ जनवरी, १९७२ को निम्नलिखित विधेयकों पर प्राथमिकता के अनुसार विचार हो :—

(१) उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रमण विनियमन) पुनः अधिनियम तथा (वैधीकरण) विधेयक, १९७२।

(२) उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९७१।

(३) भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है।

(४) उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन।

(३) दिनांक १२ जनवरी, १९७२ को संविधान (२५वां संशोधन) विधेयक, १९७२ द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के अनुसमर्थन के संकल्प पर विचार हो, यदि उस दिन तक संबंधित विधेयक और उस पर संसद की प्रतियां उपलब्ध हो जायं।

सदस्य द्वारा गलत दैनिक भत्ता लिये जाने संबंधी शिकायत

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, मैंने १०-१०-१९७१ को एक शिकायत भेज दी थी। आज तीन महीने हो गये, उत्तर नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर दे दिया है, तो अध्यक्ष के पास फाइल होगी ।

श्री रामप्रसाद देशमुख—

सचिव को पता है मैंने उन्हीं को दिया था।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, कार्य-मन्त्रणा समिति की सिफारिश थी कि उसमें १० तारीख वाले शामिल होंगे। आपने उसमें ११ और १२ का भी एनाउन्स कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोग जो तय करेंगे, वही होगा ।

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि १० जनवरी, १९७२ के कार्यक्रम के संबंध में कार्य-मन्त्रणा समिति की सिफारिशें स्वीकार हों ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रथम प्रश्न यह है कि १० जनवरी के कार्यक्रम के संबंध में कार्य-मन्त्रणा समिति की सिफारिशें स्वीकार हों ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सदन के आगामी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से यह जानना.....

श्री उपाध्यक्ष—

किस विषय में ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

दो के संबंध में ।

श्री उपाध्यक्ष—

पूछिये, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सदन १२ ही तारीख तक चलेगा, या आगे भी ?

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति में जो तय होता है, उसी के अनुसार कार्यक्रम चलता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केवल यह जानना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि क्या सदन १२ तारीख के बाद बैठेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक १२ तारीख को होगी, तब मालूम होगा....

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

लेकिन यह तो बताया जा सकता है कि इसका समय बढ़ेगा कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

अभी नहीं।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज जो उत्तर प्रदेश सहकारिता अधिनियम पर चर्चा होने वाली है....

श्री उपाध्यक्ष--

जो प्वाइंट आफ आर्डर उठाते हैं उसे तो जो विषय चल रहा है उसके सम्बन्ध में होना चाहिये।

श्री विश्वनाथ कपूर--

लेकिन मेरी सुन तो लें....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मान्यवर, मेरी इसी सम्बन्ध में है....

श्री उपाध्यक्ष--

आपका भी इस सम्बन्ध में नहीं है। आप भी बैठ जायं। माननीय उद्योग मंत्री जी।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आपको कैसे मालूम मान्यवर, मेरा इस सम्बन्ध में नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष--

क्योंकि अब हम आगे बढ़ गये हैं।

५ अगस्त, १९७१ को श्री नौनिहाल सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७ के संबंध में उद्योग राज्य मंत्री का शोधन वक्तव्य

उद्योग राज्यमन्त्री (श्री देवकीनन्दन विभव)--

[उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक ५ अगस्त, १९७१ को श्री नौनिहाल सिंह, एम०एल०ए० द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७ के सम्बन्ध में उन्होंने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या उद्योग मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो ऋण दिया गया था,] इसकी विभाग से जांच करा ली गई थी या नहीं कि इसका पूर्ण रूप से प्रयोग कर लिया गया है या दूसरे काम में लगा दिया गया ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था--जी हां, यह जांच करा ली गयी थी और उसमें केवल एक को छोड़कर बाकी सभी का काम चालू हो गया है।

उनके यह पूछने पर कि यह कौन हैं जिन्होंने अपना उद्योग चालू नहीं किया है, यह उत्तर दिया गया था कि मेसर्स, जरी उद्योग समिति है।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला।

सही उत्तर इस प्रकार है--जी हां, यह जांच करा ली गयी थी और इसमें केवल दो को छोड़कर बाकी सभी का काम चालू हो गया है। उन दो का नाम है--श्री सईद मुहम्मद तथा श्री अहमद नूर।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर निम्नलिखित है।

विधान सभा के द्वितीय सत्र (१९७१) के चौथे गुरुवार के लिये निर्धारित, श्री नौनिहाल सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर :

प्रश्न	उत्तर
७--क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले में १ जनवरी, १९६८ से ३१ मार्च, १९७१ तक उद्योगों के लिये कितने लोगों को कितना धन किस-किस उद्योग के लिये कर्ज दिया गया ?	मुरादाबाद जिले में १ जनवरी, १९६८ से ३१ मार्च, १९७१ तक १५ इकाइयों को कुल ४,५१,५०० रुपये औद्योगिक ऋण दिया गया था जिसका विवरण संलग्न है।

कमलापति त्रिपाठी,
मुख्य मन्त्री।

उन इकाइयों की सूची जिनको मुरादाबाद जिले में १-१-१९६८ से ३१-३-१९७१ तक की अवधि में ऋण वितरित किया गया :

इकाइयों का नाम	उद्योग	वितरित धन-राशि
		रु०
१--श्रीमती उर्मिला देवी महेश्वरी ..	आर० सी० सी० पाइप ..	४०,०००
२--मेसर्स मनहार इनसेक्टोसाइड्स ..	इनसेक्टोसाइड्स ..	७३,०००
३--मेसर्स जौहर सरजिकल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी	हैन्डलूम गोज ..	२६,०००
४--मेसर्स हिन्द ब्रदर्स इन्डस्ट्रीज ..	कार्ड बोर्ड पैकिंग बाक्स ..	४२,५००
५--श्री महेश चन्द्र कौशिक ..	आयुर्वेदिक मेडिसिन ..	२०,०००
६--श्री बाल कृष्ण ..	सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प ..	२५,०००
७--श्री हाजी सइउद्दीन ..	मेटल फिनिसिंग एन्ड ई० पी० एन० एस०।	२१,०००
८--मेसर्स एसोसियेटेड एग्रीकल्चर इन्टरप्राइजेज	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट्स ..	२०,०००
९--मेसर्स हरी शुगर वर्क्स ..	शुगर सल्फीटेशन प्रासेसेज	५६,०००
१०--मेसर्स आर० के० शुगर वर्क्स ..	क्रिसटल शुगर ..	१,००,०००
११--श्री सईद मोहम्मद ..	उदन फर्नीचर ..	७,०००
१२--श्री खजान सिंह ..	खान्डसारी ..	१०,०००
१३--श्री अहमद नूर ..	खाद ..	६,०००
१४--मेसर्स रंगाई छपाई सहकारी समिति लिमिटेड।	प्रिंटिंग ..	४,०००
१५--मेसर्स जरी उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड।	जरी उद्योग ..	१,०००
	योग ..	४,५१,५००]

[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय बांके लाल जी क्या आप आदेश देंगे ? माननीय उद्योग मंत्री जी की मैं मदद किये देता हूं और पढ़ देता हूं....

एक सदस्य---

इसे पढ़ा हुआ समझा जाय....

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने लिस्ट दी थी उसमें पते नहीं बताये गये हैं कि इकाइयां कहां कहां स्थित हैं, इससे मुझे परेशानी है। और दूसरी बात यह है कि कितना रुपया किस्तों में वसूल हुआ है ?

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

मान्यवर, इस वक्तव्य की हमारे पास एक भी कापी नहीं पहुंची, और कहा जाता है कि उसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय....

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

मान्यवर, इसको बिना पढ़े हुये कैसे मान लिया जायेगा....

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय खन्ना जी ने जो सवाल उठाया है, मैं उनसे कहूंगा कि वह कृपा कर कार्य-सूची नत्थी 'घ' पर पढ़ने की अनुकम्पा करें।

श्री जगन्नाथ खन्ना---

अगर सभी चीज पढ़ी हुई मान ली जाय तो कोई पढ़ेगा नहीं....

श्री उपाध्यक्ष---

जब सदन में किसी माननीय सदस्य ने कहा कि उसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय, तो उसे इस बात को कहने का अधिकार है....

श्री जगन्नाथ खन्ना---

जब माननीय मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उन्हें क्यों नहीं पढ़ने दिया गया ? क्या उन्हें कोई कठिनाई हो रही थी पढ़ने में ?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

पढ़ने में तो कोई कठिनाई नहीं हो रही थी, लेकिन मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ ही माना जाय।

श्री देवकी नन्दन विभव---

ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे पढ़ने में कोई कठिनाई हो रही थी। मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ यही निवेदन करना चाहता था कि मेरी एक-आध बात सुन लें।

श्री बांकेलाल---

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी को पेन्शन दे दें तो बहुत अच्छा होगा। उनका कुछ बोझा हलका हो जायेगा।

श्री नौनिहाल सिंह---

मान्यवर, जो मैं जानना चाहता था उसका उत्तर मुझे नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष---

कृपा कर आप उन से मिल कर जान लें। आप जो जानना चाहते हैं वह उन से लिख कर पूछ लें।

श्री नौनिहाल सिंह---

मान्यवर, थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष---

यह शोधन वक्तव्य था जो दिया गया। वह नहीं होता है।

श्री नौनिहाल सिंह---

मान्यवर...।

श्री उपाध्यक्ष---

आप उसे पढ़ कर देखें। आप अपनी बुद्धि इस्तेमाल करें और यदि उसमें गलती हो तो उसे लिख कर वापस कर दें।

प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियों एवं महात्मा गांधी की मूर्ति को अपमानित किये जाने के संबंध में वक्तव्य

गृह उप मंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)---

प्रदेश में नक्सलवादियों की वर्तमान गतिविधियां न तो अधिक उग्र हैं, न तो इतनी व्यापक हैं कि वे खुलेआम जनता को परेशान कर रहे हैं अथवा उनके द्वारा लूटपाट की जा रही है। पुलिस इन तत्वों के विरुद्ध तत्परता से कार्यवाही कर रही है जिसके फलस्वरूप गत दो वर्ष के दौरान लगभग सभी नक्सलवादी नेता गिरफ्तार कर लिये गये हैं। जो २--३ नेता गिरफ्तार नहीं किये जा सके हैं उनकी गिरफ्तारी के लिये प्रयास जारी है। अनेक हिंसात्मक अपराधों से संबंधित अभियुक्तों को भी काफी संख्या में गिरफ्तार करने में पुलिस सफल हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी--लेनिनवादी) के आन्तरिक मतभेदों के कारण नक्सलवादी तत्वों को कोई निश्चित मार्ग दर्शन नहीं हो पा रहा है, जिसके फलस्वरूप पार्टी की गतिविधियों में शिथिलता आई है। इसके अतिरिक्त पुलिस के बराबर दबाव के कारण यह तत्व अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो रहे हैं।

२---दिनांक १४--१०--१९७१ को मेरठ में गांधी जी की प्रतिमा को खंडित करने व उस पर नक्सलवादी नारे लिखने की घटना के संबंध में अभी जांच जारी है। जांच पूरी होने पर ही कुछ निश्चित परिणाम पर पहुंचा जा सकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि गत १४--१०--१९७१ को यह सभी समाचार पत्रों में छपा कि मेरठ में महात्मा गांधी की मूर्ति को खंडित किया गया और उनके चेहरे पर कोलतार लगाया गया और नक्सलवादी नारे लाल स्याही से लिखे गये। क्या यह घटना वहां घटी या नहीं? यदि हां, तो उसकी जांच में क्या प्रगति हुई है? कितने लोगों की इस सम्बन्ध में गिरफ्तारी हुई है? और सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

मान्यवर, इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच हो रही है। सरकार इस सम्बन्ध में बराबर जागरुक है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

घटना घटी या नहीं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

यह घटना घटी है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, एक ऐसी घटना फैजाबाद में हुई और अन्य स्थानों पर भी हुई है। इन सब को देखते हुये मेरा यह विचार है कि यह सब एक योजनानुसार नक्सलवादियों द्वारा इसलिये किया जा रहा है ताकि इन महापुरुषों के प्रति समाज की निष्ठा कम हो जाय।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

ऐसी घटनायें हमारे प्रदेश में हुईं और फैजाबाद में हुई उसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं। ५२ गिरफ्तारियां की गई हैं और जांच जारी है। कलकत्ता में भी ऐसी घटना हुई है महापुरुषों की मूर्तियों को खंडित किये जाने की। मेरठ की घटना के बारे में जांच चल रही है। उसकी कोई अन्तरिम रिपोर्ट भी आई थी परन्तु उससे कुछ स्पष्ट नहीं था और सरकार उससे सन्तुष्ट नहीं हुई।

एक सदस्य---

महापुरुषों के प्रति समाज की निष्ठा कम हो जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह हो सकता है। इसलिये इस सम्बन्ध में जांच की कार्यवाही की जा रही है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ की घटना के सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई ? जिन व्यक्तियों ने ऐसा किया है क्या उनके नाम आपके पास हैं और वह अन्डर ग्राउन्ड हैं या नाम उनके आप के पास नहीं हैं और जांच चल रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जांच हुई लेकिन कोई नाम हमारे पास नहीं हैं। जो कुछ सरकार को जानकारी है उसकी मुझे सदन अनुमति दे कि मैं उसे अभी सदन में न रखूं, यह जरूरी है। जो रिपोर्ट आई है थोड़ी सी वह अन्तरिम है और उससे कोई बात स्पष्ट नहीं है और इसी कारण यह सोचा गया कि उसकी तफसील से जांच करा कर रिपोर्ट दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

कार्य-सूची की क्रम संख्या ८---मा० आबकारी मंत्री।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, महात्मा गांधी जी की मूर्ति को खंडित किया गया है यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आगे चलिये। माननीय आबकारी मंत्री।

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, १९७२*

कारागार मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, १९७२ पर विचार किया जाय।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। आप बहुत बड़े समाजवादी हैं और आपके आदेश हैं कि सदन का सारा काम काज हिन्दी भाषा में ही होगा। हिन्दी इस प्रदेश की राजभाषा है। जो विधेयक इस सदन में पेश किया गया है और उसके साथ जो प्रतियां नत्थी की हैं वह अंग्रेजी भाषा में हैं और वह ऐसी भाषा में हैं जो इस विधेयक की भाषा नहीं है। मान्यवर, इनको भी हिन्दी में ही अनुवाद करवा कर नत्थी करना चाहिये। इस को पेश करने के पूर्व उनको हिन्दी में अनुवाद करवा कर लगाना चाहिये था। आज यह सरकार हिन्दी विरोधी नीति अपना रही है और अंग्रेजी को प्रोत्साहित कर रही है।

(चौधरी रामपाल सिंह यादव ने विधेयक की प्रति फाड़ी)।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो १९१० का ऐक्ट है। उस समय अंग्रेजी में ही सभी बिल बनते थे। अब हिन्दी है परन्तु उसकी प्रति तो हिन्दी में नहीं लाई जा सकती थी। यह उसकी प्रति है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

नहीं लाई जा सकती थी परन्तु उसका अनुवाद हिन्दी में तो करवाया जा सकता था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

जब हमारी भाषा हिन्दी है तो यहां के विशेषज्ञ उसका अनुवाद तो हिन्दी में कर सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं तो बहुत अधिक प्रसन्न होता यदि आप इसके अलावा और किसी मूल प्रश्न पर हिन्दी का प्रश्न उठाते। उसकी मूल प्रति अंग्रेजी में लगाने में क्या आपत्ति हो सकती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

हमारे मुख्य मन्त्री ने इस बात की घोषणा कई बार की है कि प्रदेश का सारा काम हिन्दी भाषा में ही किया जायगा। यह भी कहा है कि सभी जिलों में पत्र व्यवहार हिन्दी में ही किया जायगा उसी सन्दर्भ में मैं कह रहा हूं कि आज तक उसका भी पालन नहीं किया गया, उनके अधिकारी आज भी अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं। प्रश्न तो केवल इतना है कि उसका अनुवाद तो हिन्दी में करवाया जा सकता था।

श्री उपाध्यक्ष--

जो आपके समक्ष विधेयक है वह तो हिन्दी में ही है।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं...

---

*४ जनवरी, १९७२ की कार्यवाही में छपा है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। यदि आप बिना मेरी आज्ञा के बोलेंगे तो वह लिखा नहीं जायगा।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मान्यवर, आप नियम २८६ को देखें। मुझे खेद है कि सम्मानित सदस्य, कानपुर ने इसका पालन नहीं किया है। और एक विधेयक जो इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया था। उसको इस प्रकार से फाड़ कर फेंकना एक प्रकार से सदन का अवमान है। मैं सदन के अवमान का प्रश्न तो इस समय उठाना नहीं चाहता लेकिन यह निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की ओर से यदि इस प्रकार की विधेयक को फाड़ने की घटना हो तो मैं समझता हूं कि उसके सम्बन्ध में आप जरूर अभी व्यवस्था दें जिसे भविष्य के लिये यह मार्ग प्रदर्शन हो सके।

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी व्यवस्था है। जैसे आपने अभी कुछ यह व्यवहार किया है उस व्यवहार का कोई स्वरूप बनाने की चेष्टा आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिये। जसा ये व्यवहार करते हैं और आप यह चाहते हैं कि इनका व्यवहार सदन में ठीक नहीं है, असंसदीय है तो उसको अच्छे से अच्छे शब्दों में ढकना चाहिये, और बाहर लोगों को यह सब मालूम हो कि ये ऐसा व्यवहार करते हैं, फाड़ते हैं और ऐसा बोलते हैं तो इस सम्बन्ध में मेरा दृष्टिकोण यही है कि उससे फायदा होगा तो ये फायदा उठायेंगे और उससे हानि होगी तो आपको फायदा होगा। मैं यहां पर बैठा हुआ हूं तो यह दृष्टि लेकर नहीं बैठा हूं कि जो माननीय सदस्य यहां पर हैं वे समझते या जानते नहीं हैं या उनको स्वतन्त्रता नहीं है। इसलिए जो व्यवहार यहां हुआ है उसके सम्बन्ध में मैंने कह दिया कि यहां यह प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वह समाप्त होता है। अब उसके बारे में यहां पर प्रदर्शन हो तो बुरे काम को बुरे समय में बुरा कह देना ज्यादा बुरा समझा जाता है। हम किसी माननीय सदस्य को, किसी रूप में जब तक वह व्यवहार लाजिम न हो, हम उसे इजाजत नहीं देते हैं। अब १९१० के ऐक्ट का उद्धरण इसमें न भी रखा जाता तो काम चल जाता। वह आपकी सुविधा के लिए रखा गया है और बिल के बारे में एक माननीय सदस्य की यहां दिलचस्पी थी क्योंकि इससे उनको समझने में आसानी होगी। इसको आप अगर समझ लेते तो उसके लिए कोई इसको फाड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं किसी प्रश्न को असंगत समझकर इसका हिस्सा नहीं मानता हूं। बुद्धि से मेरा यही तात्पर्य था।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

आपने अपने महान् विवेक का परिचय दिया है।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

हमारे ऐसे लोगों ने बचपन में यह पढ़ा था कि जो यह किताब के पन्ने हैं या सरस्वती के रूप में और पैर पड़ने पर उसको माथे से लगाते थे। इस प्रकार से किताब को फाड़कर फेंकना और वह भी जनसंघ की तरह से जो संस्कृति के पुजारी हैं, कहां तक उपयुक्त है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

वह जनसंघ के नहीं है। एस० एस० पी० के हैं। मैं भी निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस प्रकार की धारणा जो मुख्य मन्त्री जी ने बताई कि पैर के नीचे आजाता था तो उसको सिर पर लगाते थे तो मैं भी ऐसा करता था। यह कहीं-कहीं पर इस्तेमाल होती है तो इस पर भी रोक होगी तो अच्छा होगा। मैं आपकी राय से सहमत हूं लेकिन इसके बारे में मैं जरूर यह कहना चाहता हूं कि बात सही है अगर उन्होंने फाड़ा न होता तो अच्छा था लेकिन आपने कह दिया। ऐसी भविष्य में घटना न हो तो इसके बारे में आप विचार करें। आपने व्यवस्था दी

है। बारबार किसी चीज पर आग्रह करने पर भी मुनासिब काम करने के लिए यदि कोई घटना उचित कार्यवाही करने के लिए या अच्छे प्रस्ताव के लिए हो जाती है तो वह कोई भारी बात नहीं है। हम बराबर यह चाहते हैं कि अधिकारियों से पत्र हिन्दी में आना चाहिए, अंग्रेजी में नहीं आना चाहिए मगर अंग्रेजी में आते हैं। तो औपचारिक दृष्टि से उसका असर नहीं होता है। हम कहते हैं कि हिन्दी में होना चाहिए हमने कहा कि हम नहीं मानते। तो रोष प्रकट करने की एक बात है। यह भी रोष प्रकट करने का तरीका हो सकता है। इसको केवल एक अभद्र व्यवहार ही आप नहीं कह सकते।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, अध्यक्ष जी की एक रूलिंग भी है। पृष्ठ २४५ पर है कि सदन में किसी वक्तव्य को फाड़कर फेंकना सर्वथा अनुचित है।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन अगर किसी चीज को फाड़कर फेंकने की आदत आपके सामान्य जीवन की पद्धति हो जाय तो क्या किया जाय? जब कोई पर्चा इधर से आ जाता है तो मैं जानता हूं कि कुछ हमदर्दी है, तब तो ऊपर से पर्चे आ रहे हैं। तो इतना महत्व न दें, जो फाड़ा यह नादानी में फाड़ा। जिस दल के वह हैं उसमें रहने का मेरा भी सौभाग्य रहा और....

श्री बांके लाल—

इस दल में आप कभी रह चुके हैं, इसी दल ने यह हैसियत दी कि आप आज इस कुर्सी पर बैठे.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह श्रेय अगर आपके दल ने लिया होता तो मैं बहुत प्रसन्न होता।

श्री बांके लाल—

जनहित के विरुद्ध अगर कोई कागज रहेगा—बारबार आपने इसी सदन में कहा कि सदन की भाषा हिन्दी है—तो वह कागज फाड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

नादानी में सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्य को यह मालूम है कि लोहिया जी की बहुमूल्य पुस्तकें अंग्रेजी में भी हैं। एक्ट अंग्रेजी में हैं। समाचार पत्रों के बारे में उनकी एक नीति थी। लेकिन मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। एक ऐक्ट पुराना है सन् १९१० का, उसको अगर एक जज....

एक सदस्य—

हिन्दी में अनुवाद कराकर दे देना चाहिये.....

श्री उपाध्यक्ष—

उसकी जरूरत नहीं थी, वह न देते, वह तो आप की सुविधा के लिए दिया।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मैं यह व्यवस्था चाहता हूं क्या उत्तर प्रदेश शासन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जब इस प्रदेश की राजभाषा हिन्दी है और हिन्दी के लिए हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कई बार अधिकारियों को तम्बीह भी की है कि हिन्दी का प्रयोग किया जाय, तो हमारे पुराने कानून अंग्रेजी में हैं उनका रूपान्तर हिन्दी में किया जाय?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं सदन को सूचित कर दूं कि अंग्रेजी का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि एक उद्धरण लगा दिया गया है। आप अगर नहीं चाहेंगे तो आपकी सुविधा के लिए नहीं लगाया जाएगा ।

एक सदस्य---

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

इस समय नहीं, मैं बोल रहा हूं। तो मैं आप से भी निवेदन करूंगा कि फिर अंग्रेजी पुस्तकों से उद्धरण भी न दें क्योंकि यह भी तो एक उद्धरण ही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

यह घड़ी भी बदल दीजिए। यह भी अंग्रेजी में है। यह तो अजीब बात होगी कि हम उद्धरण भी अंग्रेजी में न दे सकें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं.....

एक सदस्य---

व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि जनसंघ वालों ने यह कागज फाड़ा। इसको जनसंघ वालों ने नहीं फाड़ा....

श्री उपाध्यक्ष---

आपने सुना नहीं। उसी वक्त कह दिया गया था कि वस्तुस्थिति क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं समझता हूं कि अब इस मसले को खत्म करना चाहिए। लेकिन यह निवेदन करूंगा कि यही सदन है, एक बार यहां रामायण की पुस्तक फाड़ दी गयी और जला दिया गया। अगर यह कागज फाड़ने और फेंकने की आदत लग जायेगी तो मालूम नहीं कौन-कौन कागज फाड़े जायेंगे और वह मुनासिब बात नहीं होगी। अंग्रेजी का ऐक्ट कोई शौकिया नहीं रखा गया है। कोई पुराना ऐक्ट था, उसका उद्धरण आपके सामने रखा गया है।

श्री बांके लाल---

उसका हिन्दी में अनुवाद कर देते।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

आप सुनिये। बहुत से हिन्दी कानूनों का हिन्दी में अनुवाद हो रहा है। कानून की एक भाषा है और कानूनी पुस्तकों या कानूनी फैसलों का हिन्दी में अनुवाद एक बड़े अच्छे ढंग से किया जाता है ताकि वे प्रमाणित हो जाएं। अनुवाद कर देने मात्र से प्रमाणित अनुवाद नहीं होता। अंग्रेजी से बहुत प्रेम किसी को नहीं है और न यहां अंग्रेजी में काम होता है। उसी पुराने रूप में वह दिया गया था। माननीय सदस्य को इतना रोष हुआ कि उन्होंने अंग्रेजी के शब्दों को देख कर उसे फाड़ फेंकना मुनासिब समझा। यह तो उनके विवेक पर है, चाहे फाड़ें या फेंकें। इस प्रकार की कार्यवाही बहुत उचित नहीं है और गौरव और गरिमा के विरुद्ध होती है। मुझे केवल इतना ही निवेदन करना था।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

वास्तविकता यह है कि यह घोषणा की गई थी कि इस प्रदेश में सारा काम हिन्दी में होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं गोन्डा जिले में कई ऐसे कार्यालय हैं जहां पर अंग्रेजी में काम होता है। उस दिन माननीय प्रेम चन्द्र शर्मा के सामने एक कार्यालय से एक अफसर का आदेश, वह भी डायरेक्टर, इंग्लिश में आया था।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से नहीं जो आप कह रहे हैं। सवाल यह है कि आपने उस पर क्या किया ? यह बहस का सवाल नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

जब से आपने यह घोषणा की है कि जो अधिकारी अंग्रेजी में कार्य करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी तब से आप कार्यालयों के आंकड़े मंगा कर देखें तो आपको पता चलेगा कि कमलापति जी के जमाने में ज्यादा पत्र अंग्रेजी में आए हैं। पुराना ऐक्ट आया था, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने घोषणा की परन्तु आपने क्या कार्यवाही की ? अगर आपके सामने एक बात आई थी तो हिन्दी में नहीं थी तो आपने क्या कर्त्तव्य पालन किया ? आपको उसी समय सवाल पूछना चाहिये था।

(श्री बांके लाल द्वारा बोलने का प्रयास किये जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बार-बार उछलते हैं, कृपया आसन ग्रहण करें। लक्ष्मीरमण आचार्य जी, मैंने तो कह ही दिया है, आप क्या कहना चाहते थे ?

(श्री बांकेलाल बोलने के लिये पुन: खड़े हुए।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

हमें वैधानिक आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय मैंने आबकारी मंत्री को बुलाया है। अभी नहीं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

हमें वैधानिक आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब वे भाषण दे रहे हैं। तो आपकी यह आपत्ति है कि वे भाषण न दें। क्या आप उन्हें उनके भाषण देने के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

नियम का पालन होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, आबकारी मंत्री, आप भाषण दें।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था का सर्वप्रथम यही तकाजा है कि जब एक बात कही जाए तो उसमें अव्यवस्था न हो।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

आपको सुनना होगा, व्यवस्था देनी होगी।

*श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि पूरे प्रदेश में मद्य निषेध किया जाय और उसी की सफलता के लिये यह विधेयक लाया गया है। इस दिशा में हमारी सरकार ने काफी प्रगति अब तक की थी। मद्य निषेध लागू करने के उद्देश्य से पहली अप्रैल, १९५६ से राज्य सरकार ने उस क्षेत्र को छोड़ कर जो गांजा पीने वाले हैं, शेष जगह गांजा पर भी प्रतिबन्ध लगाया। इसके बाद राज्य सरकार ने यह आदेश निकाला कि प्रदेश भर में आबकारी की दुकानें प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार को बन्द रहेंगी।

पहली अप्रैल, सन् १९६३ में कुछ तीर्थ-स्थानों पर, जैसे ऋषिकेश, हरद्वार, वृन्दावन आदि में मद्य निषेध लागू करने के लिये आदेश भेजे गये। पहली अप्रैल, १९६९ को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के जिलों में मद्य निषेध लागू करने के आदेश गये। पहली अप्रैल, १९७० में टेहरी गढ़वाल तथा पौड़ी-गढ़वाल में मद्य निषेध लागू किया गया। बाद में जो और तीर्थ स्थान बच गये थे वहां के लिये भी मद्य निषेध लागू करने के आदेश गये—जैसे इलाहाबाद, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा आदि जिलों में उसे लागू किया गया। इस प्रकार १२ जिलों में मद्य निषेध पूरी तरह से लागू हो गया था। परन्तु इलाहाबाद तथा मथुरा आदि में इसका व्यापार करने वालों ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जो मंजूर हो गयी। बाद में पौड़ी गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल वालों ने भी इसी आधार पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जो वह भी मंजूर हो गयी। अब उस आदेश के अनुसार वहां मद्य निषेध खत्म करना पड़ा और उस याचिका में राज्य सरकार को यह आदेश भी उच्च न्यायालय ने दिया कि पौड़ी-गढ़वाल व टेहरी-गढ़वाल में दो माह के अन्दर दूकानें आबकारी की खोल दी जायं।

राज्य सरकार के पास कोई दूसरा औचित्य नहीं था कि वह उच्च न्यायालय के आदेश को न माने। उसके आदेश के अनुसार और जगह भी दुकानें खोलना पड़ीं। दुकान खोलने के बाद वहां इसके विरोध में जन आन्दोलन भी हुये और सरकार के पास तरह-तरह के विरोध-पत्र भी आये। अतः मद्य निषेध के लिये जो सरकार ने आश्वासन दिया था, वह उसके लिये वचन-बद्ध थी, तथा जनमत को देते हुये भी उसे यह विधेयक लाना पड़ा। पूरा सदन इससे सहमत होगा कि आज अगर यह विधेयक यहां न लाया जाता तो अन्य वे जिले भी जहां मद्य निषेध लागू है, अपनी-याचिका दायर कर देते और तब सम्भव है फिर पूरे प्रदेश में मद्य निषेध खत्म हो जाता।

इस सदन के सामने कुछ संशोधन पेश किये गये हैं। उसमें एक संशोधन यह है कि जनमत की राय ली जाए। दूसरा यह है कि प्रवर समिति में भेजा जाए। उसके लिए मैं सदन के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सामने इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर जनमत की राय ली जाएगी या प्रवर समिति में इसे भेजा जाएगा तो इसमें बहुत विलम्ब लगेगा और हमारा जो विचार है कि पहली अप्रैल से इस विधेयक को लागू करें तो वह उस समय से लागू न होकर बीच मध्य वर्ष में लागू होगा, जिससे कानूनी कठिनाइयां आएंगी। क्योंकि उच्च न्यायालय के इस सम्बन्ध में कई फैसले हो चुके हैं कि यदि किसी कान्ट्रेक्ट को बीच में तोड़ा जाता है तो वह लेजिस्लेचर के पावर के अन्दर की बात है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं इसको वे पारित होने द और अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से प्रस्तावित विधेयक में संशोधन रखता हूं, कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, १९७२ को जनमत संग्रह के लिए घुमाया जाय जो इस सम्बन्ध में अपनी राय एक मास के भीतर दे, तत्पश्चात् सदन में इस पर विचार हो।

मान्यवर, यह सरकार की नीति का सवाल है और जब तक सरकार की नीति के साथ कोई संकल्प नहीं होता है, तब तक वह नीति सफल नहीं हो पाती है। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि नीति के साथ सरकार का कोई संकल्प नहीं है। नीति कैसी होनी चाहिये ? यह आपको ठीक से स्मरण रखना है। गांधी जी के शब्द हैं नशाबन्दी होनी चाहिए। उन्होंने लिखा है—"शराब-बन्दी के प्रश्न के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। कोई नरम या आसान नीति इस भयंकर बुराई का सामना नहीं कर सकेगी। पूर्ण शराबबन्दी ही लोगों को इस अभिशाप से बचा सकती है।" तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आपने गांधी जी के चरणों में सीख ली है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजादी के पहले शराब की दूकानों पर धरना देते थे और यही मांग करते थे कि धीरे-धीरे नहीं, शराब बन्दी तत्काल और पूर्ण होनी चाहिए। लेकिन आज मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि जो पार्टी आजादी के पहले इस प्रकार का नारा देती थी और कर्म भी तद्नुसार करती थी, आजादी प्राप्त करने के २४ वर्ष बाद अपनी नीतियों से पीछे हट रही है और आप कहते हैं कि—धीरे-धीरे।

मुझे दुःख होता है पहले जिस कांग्रेस की सदस्यता के लिये शराब न पीना और खद्दर पहिनना एक अनिवार्य शर्त थी, आज उसी कांग्रेस सरकार ने उस नियम को तोड़ दिया है। आज ये चीजें उनके लिए जरूरी नहीं हैं। कांग्रेस का सैनिक बनाने के लिये शराब न पीना और खद्दर पहिनना आज जरूरी नहीं है। आपने कह दिया है कि शराब पियो, टेरिलीन पहनो। अब आप-की नीति कहां गई ? कैसे आप इस देश का कल्याण कर पाएंगे ?

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

कोई सपना तो आप ने नहीं देखा है ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

इसका मतलब मैंने यही समझा है। जब आप ने कह दिया कि अनिवार्य नहीं है, तो मैं यही समझता हूं कि टेरिलीन पहनों और शराब पियो।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

ऐसा कौन कहता है कि अनिवार्य नहीं है ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

यह आप का प्रस्ताव है और मैं यह भी जानता हूं यह जो प्रस्ताव इन्दिरा जी ने पास किया है जो यह प्रस्ताव पारित किया है, आपके प्रतिनिधियों के गलों में नहीं उतर रहा है। लेकिन कांग्रेस की जो पार्टी है, बहुमत ने इस प्रस्ताव को पारित किया है। मैं मानता हूं कि आप लोग उन लोगों में नहीं जिसमें इंदिरा जी हैं।

श्री राजबहादुर चन्द---

आपको गलत फहमी है। आप सुधार लीजिये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मैं [illegible] बात कर रहा हूं, आप धीरे-धीरे कहते हैं, तत्काल हो जाना चाहिए। मान-[illegible] मन्त्री जी ने यह कारण दिया है कि हाईकोट में हम गये उसमें हमको असफलता मिली। हमें जहां तक मालूम है, हाई कोर्ट में असफलता का सब से बड़ा कारण यह था कि सरकार ने केवल थोड़े क्षेत्र में लागू किया था। विभेद किया था। हाई कोर्ट ने इस प्वाइंट को पकड़ा कि विभेद नहीं होना चाहिए। क्या कारण है कि चार नगरों तक सीमित रहे? अगर मद्यनिषेध एक साथ सम्पूर्ण प्रदेश में लागू कर दिया गया होता तो म दावे के साथ कहता हूं कि वह आपको असफलता न मिली होती।

आज मैं कहता हूं कि आप धीरे-धीरे चलने की नीति अपनायेंगे तो एक नहीं अनेकों संकट आएंगे। फिर रिट होगी, फिर आपको संशोधन लाना पड़ेगा। यह तीसरी बार आ रहा है उसी मसले पर। मैं आप की भावनाओं की कद्र करते हुए मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ऐसा विधयक लाएं कि सारे प्रदेश म एक साथ लागू हो जाय। मैं मानता हूं कि आप लोगों की इच्छा है, तो लागू होना चाहिए। लकिन बार-बार इच्छा रहते हुए यह कहा जाता है कि पैसा कहां से आये? आज उत्तर प्रदेश की सरकार को दो करोड़ से ज्यादा पसा आ रहा है, बिक्री-कर से और सम्भवतः आबकारी से। आप चाहते नहीं हैं, राज्य को जो इतना पैसा आ रहा है, वह छोड़ा जाय। मैं समझता हूं कि जो आबकारी से पैसा आ रहा है, वह पाप का पैसा है, नापाक काम है।

तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इतने नापाक काम को, अपनी पाप की कमाई को छोड़िए। यह सवाल गांधी जी के सामने रखा गया था पसे वाला। उस पर गांधी जी ने कहा था, इस किताब में है, उसे मैं रख देना आवश्यक समझता हूं---"म भारत का कंगाल हो जाना पसन्द करूंगा लेकिन मैं यह बरदाश्त नहीं कर सकता कि हमारे हजारों लोग शराबी हों। अगर भारत म शराबबन्दी जारी करने के लिए लोगों को शिक्षा देना बन्द करना पड़े तो कोई परवाह नहीं। मैं यह भारी कीमत चुका कर भी शराबखोरी को बन्द करूंगा।" उस समय यही कहा गया था कि पैसा आता है, शिक्षा में खर्च होता है, शिक्षा पर असर पड़ेगा। एक आदमी ने यही सवाल उठाया था। गांधी जी न कहा कि अगर शराबबन्दी जारी करने के लिये शिक्षा भी बन्द करनी पड़ेगी तो करूंगा। इस शिक्षा से फायदा क्या होगा कि हमारे जितने शिक्षित लोग निकल, वह शराबी हों, जुवाड़ी हों, इस शिक्षा से क्या फायदा। इसलिये गांधी जी ने कहा था कि हमें शिक्षा चाहे बन्द करनी पड़े लेकिन मैं बरदाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता नहीं कि इस देश में एक भी शराबी, जुवाड़ी, कबाबी दिखायी दे।

मैं मंत्री जी से स्पष्ट कहना चाहता हूं, देख लेंगे। आजादी के पहले शराब से आय कितनी होती थी और आज १९७१ में कितनी होती है, मेरा खयाल है कि ३० गुना बढ़ गयी है और किसी वस्तु से आय इतनी नहीं बढ़ी जितनी हिन्दुस्तान में शराब की बिक्री से बढ़ी है। इस से बढ़कर इस प्रदेश के लिये कौन सी दुर्भाग्य की स्थिति हो सकती है यह सरकार को सोचना चाहिय आप देखें कि इस विधेयक में धारा ३७ क (२) म दूसरी पंक्ति में जो ये शब्द ह "अथवा वर्ग विशष" इनका क्या तात्पर्य है और वह वर्ग विशेष कौनसा है जिसे सरकार को छूट देनी है। क्या आप धनी वर्ग में किसी को बन्द करेंगे और किसी को पिलायेंगे। यह बड़ा भ्रामक है।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)---

आदिवासियों से मतलब है?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

यह वर्ग विशेष किसी जाति विशेष के लिये नहीं आया है इसलिये आदिवासी से उसका कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। वर्ग विशेष में गरीब तथा अमीर में किस के लिये बन्द रहेगी और किसको छूट रहेगी ? ऐसा न हो जिस मंशा से आप यह शब्द रखने जा रहे हैं वे उसम रुकावट पैदा करें।

तीर्थ-स्थान, विद्या केन्द्र तथा औद्योगिक केन्द्र को इससे मुक्त रखने की व्यवस्था की है। तीर्थ-स्थान से भी भ्रम पैदा होता है। उत्तर प्रदेश में चार जिलों के लिये आपने यह किया है। उनके लिये आपने महानगर अथवा नगरपालिका शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। तीर्थ-स्थान शब्द से हाई कोर्ट में गड़बड़ी पैदा होने का अन्देशा है क्योंकि धर्म से सम्बन्धित है। हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि यह धर्म निरपेक्ष राज्य है और तीर्थ-स्थान शब्द रखना धम से सम्बन्धित हो जाता है। हाई कोट न इस सम्बन्ध म पहले अपना फैसला दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या फैसला है ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

हाई कोर्ट ने यह कहा है कि धार्मिक दृष्टिकोण से तीर्थ स्थान रखा गया है जब कि यह धर्म निरपेक्ष राज्य है। फिर सरकार वही शब्द ला रही है जिसके कारण पहले भी उसको असफलता मिल चुकी है।

श्री राजबहादुर चन्द—

आज आप इसे पास करा लीजिये फिर देखा जायेगा....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप संक्षेप में ही बोलें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जी हां, मैं खत्म कर रहा हूं। अभी आप ने पौड़ी-गढ़वाल वगैरह का नाम लिया कि वहां पर हुआ है। मैंने जो संशोधन इसमें दिया है वह इसलिये दिया है ताकि आपकी इसम गरम नीति हो जाये। आपकी गरम नीति नहीं है बल्कि नरम नीति है। नीलाम की पद्धति यदि आप चलायेंगे तो उसमें अनेकों लोग होड़ लगायेंगे। इसको ही आप अपनी गरम नीति कहते हैं। आपको इसमें लोभ और लालच हो गया है और जितना ही आप इसमें लोभ और लालच करेंगे उतनी ही आपकी नीति नरम होती जायेगी क्योंकि आपको तो पैसे की जरूरत है और व्यापारी बने बैठे हैं। आपको देश, और प्रदेश नहीं दिखायी दे रहा है। इसीलिये श्रीमन्, मैंन आप से कहा कि यह सरकार की नरम नीति है गरम नीति नहीं है। यदि सरकार की गरम नीति होती तो जिस प्रकार की चौधरी साहब ने कर दिया था कि नई शराब की दुकानों को लाइसेन्स देना बन्द कर दिया था, उसी प्रकार आप भी करते।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने नई शराब की दुकानों के लाइसेन्स नहीं दिय ह ? यदि वे कहते हैं कि नहीं दिये हैं तो मैं कहूंगा कि उन्होंने दिये हैं। मैंने इसी विधान सभा में एक प्रश्न पूछा था कि इसके सम्बन्ध में कुछ सरकार न कहा था उसी पर वह दृढ़ है ? तो मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि नहीं। वह तो केवल एक ही वर्ष—गांधी शताब्दि के लिय था आग के लिये नहीं था तो कहा आप की गरम नीति हुई। सारी आप की नरम नीति है। इसलिये मान्यवर, चूंकि आपन कहा कि संक्षप में ही बोल और अन्य पौड़ी गढ़वाल आदि के लोग बोलना चाहत हैं, इसलिये म माननीय मंत्री जी से केवल यही निवेदन करूगा कि जिस शराब से चोरी, बदमाशी और असामाजिक तत्वों का यह अड्डा बना हुआ है उसे आप

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

बन्द करें। तभी आप अमर हो सकते हैं। इसलिये इस विधेयक को आप जनमत संग्रह के लिये अवश्य भेज दें। जब यह बिल जनता के न्यायालय में चला जायेगा तो वही निश्चित कर लेगा कि इस पर किस प्रकार की नीति होनी चाहिए। यदि आप इसे जनता के पास नहीं भेजेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि केवल पहाड़ी क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश आन्दोलन करेगा और आपके पास राय भेजेगा और तब मैं आप से कहूंगा कि यह प्रदेश की जनता की राय है इसलिये इस पर ऐसी नीति होनी चाहिए जो गरम हो। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को जनमत संग्रह के लिये भेजे जाने के पक्ष में अपना समर्थन देता हूं।

*श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरे संशोधन का रूप इस प्रकार है—उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, १९७२ एक प्रवर समिति को भेजा जाय जो अपनी रिपोर्ट एक मास में दे देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मद्य निषेध का जहां तक सम्बन्ध है मैं उसका स्वागत करता हूं और होना भी चाहिए और पूरे प्रदेश में होना चाहिए। अभी जो शनैः-शनैः का आश्वासन दिया गया है वह बहुत घातक होता है। जहां तक मेरा सुझाव है यह संशोधन ज्यादा टेक्निकल है। वह टेक्निकल इसलिये है कि जो लेजिस्लेशन बनता है वह सही रूप से बल्कि उसकी जांच पड़ताल अच्छी तरह से या जो कुछ उसमें शब्द रखे जाते हैं वे सही नहीं रखे जाते हैं। इसलिये उसमें बार-बार संशोधन लाने की आवश्यकता होती है। और हाई कोर्ट भी उन्हीं शब्दों के आधार पर जो प्रयोग होते हैं उसको रद्द कर देती है।

माननीय मंत्री महोदय, लीगल प्रोफेशन से हैं, वकील हैं, यह भी जानते हैं कि किस तरह से लेजिस्लेशन लाया जाना चाहिए, परन्तु वह भी उसका प्रयोग सही सही नहीं करते हैं। इसके पहले अच्छी तरह से जांच करवा लेनी चाहिये। कुछ ऐसे अपने सदस्यों में से जो लीगल प्रोफेशन में से यहां बैठे हैं उनसे इसकी अच्छी रूपरेखा तैयार करा लेनी चाहिए। अगर उस रूपरेखा के बाद कोई विधेयक आता है तो उसमें बाद को बार-बार संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती, इसी में देखेंगे कि एक आफिशियल संशोधन अभी आ गया है शिवराज सिंह जी के नाम से जब कि बिल भी नहीं ठीक तरह से रखा गया है और उसको माननीय मंत्री जी मान लेंगे और हम लोग चाहे कुछ भी कहें, कितने अच्छे सुझाव दें लेकिन उनको नहीं मानेंगे। इससे यह जाहिर होता है कि बिल सही तरीके से नहीं तैयार किया गया इसलिये उनके द्वारा संशोधन रखवाया गया है।

मैं तो स्वागत कर रहा हूं मद्य-निषेध के विषय में लेकिन जिन कारणों से हाई कोर्ट ने एक ऐक्ट निरस्त कर दिया उसी चीज को फिर आप लाने जा रहे हैं, उसको हम बताना चाहते हैं आपने फिर वही बातें रखी हैं जिससे हाई कोर्ट को फिर इंटरफियर करना पड़ेगा जहां तक कि क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेशन का होता है। आपने इसमें लिखा है कि "मद्य-निषेध क्षेत्र में आने वाले निवास करने वाले विदेशी", तो विदेशियों से आप को विशेष मुहब्बत है। आपने यहां डिसक्रिमिनेट किया। रहने वालों को भी और जो आने वाले हैं दोनों को आपने रख दिया। इस पर फिर आप को दिक्कत पैदा होगी। आने वालों पर तो हो सकता है कि न हो लेकिन जहां पर आपने कह दिया रहने वालों को भी मुक्त करते हैं वह डिस्क्रिमिनेशन है।

इसी प्रकार से गुजरने वाले यात्री जो हैं उनके लिए आप कोई लाइसेंस नहीं देते हैं, कोई परमिट नहीं देते हैं, तो क्या होगा कि आप दूसरे रूप से मद्य-निषेध की भावनाओं को नष्ट करना चाहते हैं। यात्रियों के लिए कुछ नहीं कहा, वह १० बोतल, सौ बोतल, पूरी गाड़ी भरकर चलेंगे, कोई मेंशन नहीं किया है। आपने कह दिया कि जितनी चाहें ले लें। इसी प्रकार से जो विदेशी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निवासी हैं उनके लिये क्या किया ? उनके लिये कोई परमिट नहीं रखा है, ले आने ले जाने का कोई परमिट नहीं दिया है। ये ऐसी बातें हैं जिनके कारण आप को फिर एक दूसरा संशोधन लाना पड़ेगा। इससे कितनी दिक्कत पैदा होती है जो बार-बार संशोधन लाना पड़ता है। सब से पहले आपत्ति जो यादव जी ने की थी तो मंत्री जी ने कह दिया कि "एक्साइज" वर्ड पुराना पड़ा हुआ है, इस वजह से है। इस सदन में घोषणा की गयी थी कि जो पुराने अंग्रेजी के ऐक्ट हैं उनका हिन्दी में अनुवाद करा दिया जायगा। तो "एक्साइज" नहीं, उसकी जगह "आबकारी" लिख देते तो भी उससे कोई दिक्कत न होती। इस प्रकार से जो खामियां हैं उनसे बाद को दिक्कत पैदा होंगी। इसके विषय में पहले ही बताया कि मद्य-निषेध का बिलकुल स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि कुल प्रदेश में हो। न होने के कारण कुल में, जो बुराइयां और कठिनाइयां पैदा होती हैं कि एक जिले में कर दिया और उसके आस-पास के जिलों में नहीं किया तो वहां से वह ट्रांस्पोर्ट होगी और दूसरे ढंग से गैरकानूनी ढंग से लाने का लोग प्रयत्न करेंगे। एक शिष्ट-मंडल गढ़वाल का मिला था और उसने मांग की थी कि गढ़वाल ऐसा क्षेत्र है जहां इससे बड़ी व्यथा है लेकिन आप ने उसके संबंध में कोई संशोधन नहीं रखा है।

जो पहाड़ी इलाके हैं, जहां बर्फ पड़ती है वहां आवश्यक हो जाती है, उसके लिये कोई चीज नहीं रखी गई है। यह सही है जैसा कि चौधरी साहब ने बताया है कि वहां यह चीज नहीं है लेकिन ऐसे स्थानों पर आवश्यक हो जाता है। जिस तरह से आपने प्रतिरक्षा सेवा के लिये रखा है उसी तरह से पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फ पड़ती है और बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है वहां कुछ न कुछ एलाउन्स देना चाहिये था। इन कारणों से हम चाहते थे कि यह प्रवर समिति में भेजा जाय जिससे सारी बातों पर वहां विचार हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन, मन्त्री जी ने हाई कोर्ट की रूलिंग से पीड़ित होकर या उसके फैसले के निबटारे के लिये जो यह संशोधन विधेयक रखा है उसमें निश्चित पालिसी के ऊपर विचार करने का हमारा अधिकार हो जाता है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि इस देश की आजादी की लड़ाई में जब महात्मा गांधी जी का प्रोहिबीशन एक प्रोग्राम था और उसके आधार पर यह लड़ाई लड़ी गई तो उसको फिर यह सरकार आमदनी का जरिया बना कर चाहे कि मुल्क का निर्माण किया जाय जिसको मूल बेस बना कर आजादी की लड़ाई लड़ी गई।

मैंने सदन में बार-बार कहा है कि शराब के मामले में टोटल प्रोहिबीशन होना चाहिये। किसी शख्स को किस तरह के इफ एन्ड बट लगाकर, किसी भी यात्री या विदेशी को किसी तरह की छूट नहीं होनी चाहिये। किसी तरह से अगर मगर नहीं होना चाहिये। जो २७-२८ करोड़ रुपये का मसला है जिसके लिये कहा जाता है कि इससे सूबे की बड़ी भारी आमदनी है, उसको अगर पूरा करना है तो मैं समझता हूं कि टोटल प्रोहिबीशन के बाद, आज देश प्रदेश की हालत इस हद तक पहुंच गई है कि यहां बड़े से बड़े सेठ, बड़े से बड़े कर्मचारी लोग शराब पीते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे चलाकर उनके ऊपर जुर्माना डाल कर यह रुपया वसूल किया जाय तो इस २७/२८ करोड़ रुपये से ज्यादा रकम वसूल की जा सकती है। यह ज्यादा उचित होगा बमुकाबले इसके कि पाबन्दी लगायें कि जहां स्कूल होंगे, जहां पब्लिक इन्टरेस्ट में मुनासिब नहीं होगा, जहां गरीब लोग रहते होंगे वहां रुकावट की जायगी तो अगर मगर लगाने से काम चलने वाला नहीं है।

मेरी समझ में नही आता कि डिफेंस परसोनेल को छूट दी जायेगी। मैं इसमें वर्षों रहा हूं, पहाड़ों पर और बर्मा के बार्डर पर रहा हूं और मैंने कभी न तो शराब पी है और न

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

सूंघी है और मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। फिर उसकी एफीशियेंसी से इसे क्यों जोड़ा जाता है कि उसको शराब नहीं मिलेगी तो काम में रुकावट पड़ेगी। अगर एक आदमी दूसरी जगह से लाता है तो वह उसका फायदा क्यों न उठायेगा। वह १०० बोतल अपने साथ लेकर चलता है और उसमें से २, ४, १० बोतल निषिद्ध क्षेत्र वाले को दे आता है तो उसको आप कैसे रोकेंगे।

अब हाईकोर्ट की एक रूलिंग के बाद आप यह प्रयास कर रहे हैं कि इसको पहली अप्रैल से पहले ले आया जाय। आपका प्रयास जिस हद तक है अपनी स्टेट में वह उचित है लेकिन मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी के हाथ से ऐसी चीज हो कि चीज को बिल्कुल बालाएताक रख दिया जाय। लेकिन यह कह कर कि २८ करोड़ रुपये की आमदनी का सवाल है, यह सवाल रह जाता है और बड़े-बड़े वकीलों और जिले के बड़े-बड़े आफिसर साथ बैठकर शराब पीते हैं। अगर वही शराब रिक्शा चलाने वाला पीता है तो पुलिस वाला उसको बन्द कर देता है लेकिन उसी शराब को किसी क्लब में बैठकर बड़े-बड़े लोग पीते हैं, चाहे वह नैनीताल का बोट हाउस हो अथवा मुरादाबाद का क्लब हो, कोई क्राइम नहीं होता। क्योंकि आपने लिख दिया कि १७, १८ और १९ में जो परमिट होल्डर हैं उनको पीने की इजाजत है। बार क्लब खुल गया और परमिट मिल गया। अगर कोई इंडिविजुअल पीना चाहे तो नहीं पी सकेगा। लेकिन अगर बार क्लब का नाम रख दिया तो लाइसेन्स मिल गया।

जहां जगहों का ताल्लुक है कहा जाता है कि कम से कम पब्लिक प्लेसेज पर, स्कूलों के आस पास न खोलो, लेकिन वह भी नहीं हो पाता। लोग दूकानों में शराब पीकर निकलते हैं, झगड़ा करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता क्या बात है, वह भी इस सरकार से हो नहीं पाता है। अगर आपको शराब ही पिलाना है तो क्यों नहीं हर शहर में अलग से एक कम्पाउन्ड बना देते हैं जहां शराब पीना ही नहीं और भी ऐश का सामान मुहैया कर दिया जाय और वहां उनको चाहे आपस में लड़ने दीजिये, मरने दीजिये। जो सड़क के ऊपर, भीड़ की जगह पर, जहां हर वक्त स्त्री और मर्द और विद्यार्थी निकलते हैं वहां से शराब की दूकानों को हटा दीजिये।

देसी शराब का तो ठेका होता है लेकिन अंग्रेजी शराब की बात अभी सरकार के विचाराधीन है। कभी यह मामला कमेटी के सुपुर्द हो जाता है और कभी उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाती। इस बारे में सरकार को अपनी एक पालिसी निश्चित करनी चाहिये। यह एक मूल प्रश्न है और इसका देश और प्रदेश के निर्माण पर बहुत असर होने वाला है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि यह नाजायज पैसा है। शराब की कमाई किसी भी तरह से जायज कमाई नहीं है। इस पैसे से जो निर्माण कार्य होता है वह कभी भी ठीक और अच्छा नहीं हो सकता। बहुत सा पैसा तो एक्साइज इंस्पेक्टर की जेब में चला जाता है, कुछ ठेकेदार सीमेंट में रेता मिला कर खा लेता है, कुछ कमिश्नर साहब खा लेते हैं बाकी सरकार के हाथ में आता है। इससे कुछ होने वाला नहीं है।

पुरानी एक कहावत भी है कि जो हलाल की कमाई होती है उसी में बरक्कत होती है। इससे तो निर्माण का काम आप करेंगे उसमें बरक्कत नहीं होगी, वह कार्य ही खराब होगा, मजबूत नहीं होगा। जो लोग शराब पीते हैं, बड़े-बड़े वकील और मजिस्ट्रेटों ने मिल कर इस कानून में ऐसे अगर्चे मगर्चे लगाये हैं कि उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। क्योंकि वह खुद पीते हैं उस कानून को तोड़ मरोड़ कर अगर मगर से ऐसा फायदा उठाया कि सारे पुराने कानून को हाई कोर्ट ने कह दिया कि जहां कहीं प्रोहिबिशन लगाया गया सब गैर-कानूनी है और मन्त्री जी को फिर से कानून बनाना पड़ गया। लेकिन इसमें भी अगर मगर है। फारेनर को इजाजत होगी, डिफेंस वाले को इजाजत होगी, परमिट वाले को इजाजत होगी।

लेकिन चूंकि यह बिल मंत्री जी ने गुजारे के लिये रखा है, पहली अप्रैल से पहले पहले उन्हें स्टेट्स को हासिल करने के लिये इसे लागू करने देना है इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन मेरा सुझाव और मेरी मांग मन्त्री जी से यह है कि वह अपने मंत्रित्व काल में पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे तौर से प्रोहिबिशन लागू कर दें और फिर उस कानून को तोड़ने वालों से सजा की शक्ल में इतना रुपया वसूल कर लें कि २७, २८ करोड़ का घाटा पूरा हो सके बजाय इसके कि दुकानों को नीलाम कर के और दूसरे तरीकों से आमदनी की जाय। श्रीमन्, आप स्वयं देखें कि दारुलशफा में जहां दुकान है वहां कोई भला आदमी रास्ता नहीं निकल सकता शाम को ८ बजे के बाद। कानून में लिखा है कि शराब की दुकान पब्लिक प्लेस पर न हो, एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स के करीब न हो, जहां कोई इबादतगाह हो वहां न हो, लेकिन देखने में आता है कि हर जगह पर है। इस बात में मन्त्री जी को गहराई से जाना चाहिये और मैं फिर उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने मंत्रित्वकाल में प्रोहिबिशन को इतनी मजबूती से लागू कर दें जो कम से कम यादगार रहे कि एक मन्त्री ने इतनी मजबूती से यह काम किया।

*श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, जब से आपने इस कुर्सी को सम्भाला है तब से मद्य निषेध पर यहां पर बहुत बातचीत हुई है।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले से भी हो रही है।

श्री इन्द्रमणि--

सन् १९७० या ६९ में सरकार ने कुछ इलाकों में मद्यनिषेध किया था लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक टेहरी और पौड़ी आदि के स्थानों में फिर से शराब चालू हो गई। सरकार ने फिर से आर्डिनेंस और बिल ला कर मैं समझता हूं कि वहां के जनमत का आदर किया है। जैसा कि हमारे भाई ने कहा, स्वतंत्रता की लड़ाई में हमने अहिंसा को माना था। गांधी जी ने सब से पहले कहा था कि हर बुराई की जड़ में शराब है। अगर हम इस देश को उसी रास्ते पर ले जाते तो जो हम भटक जाते हैं वह भटकते नहीं। लेकिन फिर भी सरकार ने यह सोचा है इसलिये यह धन्यवाद की पात्र है।

जहां तक पहाड़ी जिलों का सवाल है, अन्य पहाड़ों और हमारे उत्तर प्रदेश के पहाड़ में अन्तर है। उत्तर प्रदेश का वह पहाड़ है जिसमें गंगोत्री, जमनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ हिन्दुओं के चार पवित्र धाम हैं। मुनि-की-रेती में देश विदेश के लोग आते हैं। और वह एक कासमोपालिटियन नगर हो गया है। चूंकि सारे देश के यात्री इस मध्य हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमनोत्री के दर्शन के लिये आते हैं और वह यदि मुनि की रेती में यह शराब की दुकानें और बोतलों की खनखनाहट देखें जोकि वहां आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिये आते हैं तो उनको बड़ी ग्लानि होती है। हमारे यहां काश्मीर की तरह सैलानी यात्री नहीं आते, हमारे यहां वे आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिये आते हैं। ऐसे लोगों को अगर वहां बोतलों की और होटलों की खनखनाहट मिले तो उनकी अन्तरात्मा की क्या दशा होगी, और अगर इसी तरह से वहां शराब चलती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब देश के आदमी सोचेंगे कि वहां तो यह हाल है और यही हाल बद्रीनाथ और केदार-नाथ में होगा तो वहां जाने की आवश्यकता नहीं है और सारी आध्यात्मिक भावना वहां के तीर्थों की समाप्त हो जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री इन्द्रमणि]

जो लोग आर्थिक स्थिति की बात कहते हैं और कहते हैं कि वहां की सारी अर्थ व्यवस्था खत्म हो जायगी उनकी बात मेरी समझ में नहीं आती। वहां पर होटल वाले, मोटर के व्यापार वाले, पुरोहित और पंडे सब लाभान्वित होते हैं और उनको आर्थिक सहायता मिलती है। इस आर्थिक उद्देश्य से भी पर्वतीय जिलों में मद्यनिषेध रहना चाहिये।

यह भी तर्क दिया जाता है कि पर्वतीय लोग बहुत पीते हैं लेकिन इस विषय में भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पर्वतीय जिलों में भी जब यह आन्दोलन चला तो इस आन्दोलन में वहां पर आप देखें कि जनमत किधर रहा, वहां के लोग अगर पीते हैं तो वहां जनमत इस तरह का कैसे बना कि सहारनपुर तक ८० महिला और पुरुष वहां जेल में गये लेकिन जैसे ही एमर्जेंसी शुरू हुई हमने अपने उस आन्दोलन को फौरन समाप्त कर दिया क्योंकि देश की रक्षा हमारे लिये पहले थी, यह तो एक हमारे भीतर की व्यवस्था थी, प्रजातंत्र भी भीतर की व्यवस्था है लेकिन देश की रक्षा का प्रश्न सब से पहले है इसलिये एमर्जेंसी के कारण उस आन्दोलन को हमने समाप्त किया। यह भी कहा जाता है कि फौज में लोगों के लिये यह जरूरी है। लेकिन हमारे पास कितने ही फौजी लोगों के पत्र आये हैं और वह अखबारों में भी छपे हैं जो अपने मोर्चे से पत्र लिखे हैं कि आपकी सब से बड़ी सेवा होगी अगर पहाड़ी क्षेत्र में मद्यनिषेध लागू करेंगे।

अभी कांडीखाल गांव में टेहरी का है उसकी बगल में १२ तारीख को शराब की दुकान खोली गई है जहां के ५० नौजवान फौज में काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम तो एमर्जेंसी काल में रेडियो सुन रहे थे तब तक उन्होंने हमारे यहां शराब की दुकानें खोल दीं। जब शराब पीकर उन फौजियों की गैर मौजूदगी में लोग उनके घरों पर हल्ला करेंगे तो जाहिर है कि फौज वालों का ध्यान अपने बाल बच्चों, माता पिता और भाई बहनों की इज्जत की तरफ रहेगा। फौजी के लिये यह जरूरी है कि वह निश्चिन्त होकर लड़ाई लड़े और उसको यह फिक्र न रहे कि उसके घर पर कोई शराब पीकर हल्ला करता होगा। अगर यह शराब पहाड़ में रहेगी तो फौजियों के घर में शांति नहीं रह सकती।

सरकारी अधिकारी जो कहते हैं कि पहाड़ में शराब रहना चाहिये, जब पहाड़ में शराब शुरू हुई तो एक महिला के साथ बाहर के रहनेवाले ने शराब पीकर उसके शील भंग की बात कर दी, शराब से ही हर बुरा व्यसन पैदा होता है और बुरी वासना रहती है। इसलिये यह कहना कि पहाड़ के लिये और फौज के लिये शराब जरूरी है गलत है और यह हर हालत में बुरी चीज है। इस समय हमारे पर्वतीय जिले टिहरी गढ़वाल में प्रति व्यक्ति आमदनी १२९ रुपये है। हम कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति में उन्हें शराब पिलायी जायगी तो क्या उनको तबाह करना चाहते हैं। पुराने समय में जब टिहरी राज्य था तो वहां पर ८४ शराब की दुकानें थीं और इन्हीं के कारण महाराजा के खिलाफ आन्दोलन हुआ करते थे। इन आन्दोलनों का मुख्य कारण ये शराब की भट्टियां हीं थीं। उन्हें जला दिया गया और कहा गया कि अब कोई शराब की दुकान नहीं रहेगी। चीन में अफीम खिलानी सिखायी गयी लेकिन बाद में यह हुआ कि उन्हीं अफीमचियों ने उन सिखाने वालों को हटा दिया। इसी प्रकार से अगर यहां पर शराब की दुकानें खोली गयीं और उसके बूते पर राज्य किया गया तो यह राज्य भी नहीं रहेगा। बम्बई और मद्रास वाले उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं कि वहां पर शराब शुरू हो गयी है लेकिन इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की संस्कृति का केन्द्र उत्तर प्रदेश ही रहा है जो राम, कृष्ण की भूमि है न कि बम्बई और मद्रास। सधर्म का मतलब है कि हम अपने धर्म के मुताबिक चलें। हमारे धर्म में कहीं भी शराब की बात नहीं कही गयी है। जो विदेश से लोग आते हैं वे तो अपनी बेटियों के सामने भी शराब पीते हैं लेकिन हमारे यहां कभी ऐसा नहीं होता है।

मुझे अभी एक पत्र मिला टिहरी से। इसमें लिखा है कि :—

"इस पर विचार करने के लिए १२ जनवरी को यहां पर मद्य निषेध आन्दोलन के सत्याग्रहियों की बैठक में यह निश्चय किया गया कि ११ जनवरी तक प्रतीक्षा की जावे और यदि तब तक कुछ नहीं होता तो उसके बाद पुनः युद्ध के कारण स्थगित शराब की दूकानों पर पिकेटिंग करने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाय।"

अब आप कानून ले आये हैं मुझे आशा है कि ११ से पहले, जो दुकानें वहां पर हैं, वे बन्द हो जायं तो आपकी कृपा हो जायगी। हम में से कोई भी आदमी चाहे व्यसन के कारण या आदत के कारण शराब पीता हो लेकिन हृदय से वह यही चाहता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो बिल लाये हैं, इससे सरकार ने सबसे बढ़िया काम किया है। और इसे सबसे महत्वपूर्ण समझकर इस पर तुरन्त कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी माननीय शम्भू नाथ चौधरी जी का भाषण सुना। उन्होंने कुछ हवाला स्वर्गीय महात्मा गांधी का दिया। महापुरुष का कोई उदाहरण नैतिकता के आधार को लेकर अगर दिया जाय तो बहुत ही पवित्र काम है। भारतवर्ष में शराब के विरोध का तो मुझे याद है कि उस वक्त के साधारण स्वयंसेवक की हैसियत से मैं इस प्रदेश के कुछ अंचलों में काम करता रहा और ऐसी दूकानों पर हम लोगों ने प्रदर्शन भी किये हैं और सजायें भी भोगी हैं और उसका जीता जागता नमूना हमारे देश में है। सदा से इस बात की कोशिश की है कि मद्य निषेध हो।

मद्रास में भी ताड़ के दरख्तों को काटा गया। बड़े ऊंचे-ऊंचे दर्जे के अभियान हुए और इसको रोकने में बहुत से लोगों को तकलीफ भी सहनी पड़ी। इसमें कोई शक नहीं है। जो प्रयास किये गये थे उसका असर हुआ। लेकिन असर घटता भी जाता है और बढ़ता भी जाता है। जैसे वातावरण होता है। उस वक्त एक विदेशी सरकार से हम लड़ रहे थे और उस लड़ाई का कुछ अंग हमने भी रक्खा था कि विजय प्राप्त हो तो जो भी होता है वह उनकी आर्थिक ढंग से उन्नति करने में सहारा देने में है उनको हमने रोका। हमने कपड़े की भी पिकेटिंग की क्योंकि उनसे आर्थिक सहायता मिलती थी अपने यहां के कपड़े भेजकर। तो यह कोई आज की बात नहीं है।

हमारा प्रयास चालीस पचास वर्षों से निरन्तर हो रहा है। जनप्रिय सरकार के सामने कई बार ऐसे प्रश्न आये और उसने मद्य निषेध के बारे में कान्सीडर भी नहीं किया। माननीय मंत्रीगण जब तब इस सम्बन्ध में प्रयास भी करते रहे हैं और उन जिलों को पकड़ा गया जहां पर इस प्रकार के लोग जो आदतन ज्यादा शराब पीते थे वहां सरकार की तरफ से इस बात की कोशिश की गई कि किस तरीके से यह जो बुरी हमारी आदत है जिससे हमारा घर बरबाद हो जाता है, जो हमारी गाढ़ी कमाई रहती है उसे आदतन पीने में लगाते हैं। तो उससे बाल बच्चे भूखे मरने लगते हैं, छूट जाये।

ऐसे केन्द्र कई जगह रहे हैं जिसमें इस बात का प्रयास किया गया है कि प्रदर्शन और मोरेलिटी के उपदेश देकर रोकथाम की कोशिश की गई है। यह जरूर है कि उसमें भी कानून का सहारा लिया जाता है। कानून का बहुत सहारा लिया गया। यहां पर शारदा ऐक्ट हुआ लेकिन वह बात रुकी नहीं। कानून का भी थोड़ा-बहुत सहारा लिया गया और जनता को पाठ भी पढ़ाते रहे हैं। हम यह नहीं कह सकते कि इसको आद्योपान्त निकाल देंगे लेकिन शको-शुबहा नहीं है कि उसके बराबर पाते हैं। हमारे मित्र ने कहा कि यहां पर धार्मिकता है, तहजीबो-तमद्दुन का सभ्यता और संस्कृति का केन्द्र है। यह तहजीब और सभ्यता कहां से निकलती है। वहां नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता रहा कि यह राम का देश है, कृष्ण का देश है, सुन्दर सुन्दर तीर्थ भी हैं जहां लाखों आदमी पर्वों के अवसरों पर एकत्रित होते हैं। वहां पर भगवान के जो

[श्री रामकुमार शास्त्री]

उत्तम कार्य रहे हैं उनकी चर्चा होती है। वहां पर साधु-महात्मा एकत्रित होते हैं। साल बा साल रोज मर्रा के कामों में जो हम भूल करते हैं उन पर्वों में भी पुनीत और पावन स्थानों पर पहुंचने की हमें प्रेरणा मिलती है और अपना जीवन सरल बनाने के लिये और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिये उदाहरण पेश करने के लिये वहां से सीखकर जाते हैं।

हमारी सरकार ने प्रयास किया। जैसे रायबरेली जिला है। वहां कुछ ऐसी जरायम कौमें थीं जिनका पेशा था कि वे अपनी बिरादरी में ज्यादा शराब पीते थे। उसके लिये सरकार द्वारा अथक परिश्रम किये गये। यह कह देना कि हमने सबका सब उन्मूलन कर दिया हमको कोई शको-शुबहा नहीं है। जितना भी सही रास्ते पर समाज को ले जाना चाहिये था यह प्रयास किया गया। हमारे पहाड़ी इलाकों में भी ऐसी कौमें हैं जैसे थारू--जो बड़ी सड़ी-गली किस्म की शराब पीते हैं। वे ऐसे इलाके में रहते हैं जिससे अपनी थकावट को दूर करने के लिये ही वे पीते हैं। यह चीज भी धीरे-धीरे निषेध की ओर प्रयास रखना जनहित में कल्याण कारी सिद्ध हो सकता है।

अब आजकल अंतर्राष्ट्रीय जगत से हमारा संबंध है। यह विज्ञान का युग है। ऊंचे ढंग का रहन-सहन है लोगों का पढ़े-लिखे समाज में इसीलिये शराब पी जाती है। किन्तु उसके कुछ तरीके हैं, कुछ समय है। जैसे यदि हमारा रिक्शाभाई शराब पीकर रिक्शा चलाता है तो चलने-फिरने वालों को तकलीफ होती है। अब यह कहना कि इसको बिल्कुल हटा दें तो उचित नहीं होगा। इस स्रोत से २८ करोड़ रुपये लेकर हम किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं। शिक्षा के ऊपर उसे खर्च कर सकते हैं। अगर कोई अपावन चीज है, उसको अच्छे काम में लगा दें, उसका फल अच्छा होगा। कानून से तो कोई दबाया नहीं जा सकता। हमको आपको तजुर्बा है कि ज्यों-ज्यों शख्ती की गयी, तो उसके दूसरे तरीके अख्त्यार कर लिये गये। जरूरत है उनको सुधारने की। तुलसी दास जी ने कहा है कि "सठ सुधरहिं सतसंगत पाये"। सत्संगत का अच्छा प्रभाव पड़ता है।

हमारे साथ जेलखानों में क्रिमिनल्स जाते हैं। वे हमारे सम्पर्क में आते हैं। उनको पढ़ाया-लिखाया जाता है। तो जो ऐसे लोग हैं, उनको मौका दिया जाय समाज में उठने का। हमारे लड़के विदेशों में जाते हैं। उनको वहां एक अर्से तक रहना पड़ता है। तो उनकी चाल-ढाल में कुछ तो फर्क आ ही जाता है। क्योंकि जैसा जमाना होता है, वैसी ही वेश-भूषा हो जाती है। जब अंग्रेजी राज्य था तो अंग्रेजी पढ़ते थे और उसका महत्व था। जब मुसलमानों का राज्य था तो उर्दू और फारसी पढ़ते थे और अचकन पहनते थे उसी प्रकार से जब अंग्रेजों का प्रभाव हुआ तो वेशभूषा में अदला-बदली हुई। आज जो पहनावा है, उसको देखकर ये बिल्कुल हिप्पी की तरह हो गये हैं। तो समय अपना प्रभाव डाल ही देता है। ज्यों-ज्यों मर्ज की दवा की गयी, त्यों त्यों बजाय इसके कि उसमें घटाव हो, काल के प्रभाव से मर्ज बढ़ता ही गया। आपने मान लिया उसे रोक दिया तो, इक्साइज डिपार्टमेंन्ट के सामने इल्लिसिट डिस्टिलेशन होना शुरू हो गया। कानपुर में मद्य-निषेध कर दिया तो लखनऊ आ गये। मंगलवार को रोका गया तो पहले से ही स्टाक रख लिया गया। तो जहां पर बुराई होती है उसके फैलने का कोई न कोई रास्ता हो ही जाता है। कानून बनाने वाला खामोश तो नहीं रहेगा, लेकिन जब तक हमारा और आपका सहयोग नहीं रहेगा काम नहीं चल सकता। केवल आलोचना करने से काम नहीं चलेगा कि इसमें प्रगति नहीं हो रही है। तो प्रगति के बढ़ाने वाले सहायक हम ही होते हैं। जब हमारा रंग-ढंग बदलता चला जा रहा है, तो उसे सहज में रोक भी नहीं सकते। और अगर हम उसे रोक नहीं सकते और कानून बनादें तो उससे कोई लाभ नहीं। शनैः-शनैः

जो शब्द है वह खतरनाक है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द भी नजर नहीं आता । जहां आपने तेजी की, वहां कोई अच्छा असर नहीं हुआ । हमारे माननीय मंत्री जी अनुभव करते हैं और उस मुहकमे में आये हैं, तो उनपर अच्छा असर हुआ होगा और अनुभव भी हुआ होगा । मेरा कहने का कोई दूसरा मतलब नहीं है, असर के माने यह नहीं है कि वह नशे में आ गये हैं---मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ तब्दीली महसूस की होगी.....

श्री राम प्यारे--

मान्यवर, जरा संक्षेप में....

श्री राम कुमार शास्त्री--

मैं अभी एक मिनट् में समाप्त किये देता हूं । मैं कह रहा था, मान्यवर, कि चीन में पांव में पहनने के जूते बनवाते थे जिससे पांव छोटे रहें, लेकिन अब यह हालत है कि वही चीनी बड़े और सुन्दर जूते बनवा रहे हैं । हमारे गाजीपुर में अफीम की खेती होती थी । अब भी पूर्वी अंचलों में आप चले जाइये, बाराबंकी साइड में वहां पोस्ते की खेती होती है । रेलों में से आप देखिए सफेद-सफेद आपको खेत दिखाई पड़ते हैं । एक जमाना था, इसका रोजगार हुआ करता था और सरकार दूसरे देशों को भेजती थी । व्यापारी को तो पैसे से मतलब है । लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ-साथ कायदे-कानून बने, मोरेलिटी के स्टेण्डर्ड भी ऊंचे हुये और यह बात कम होती जा रही है । पेकिंग की चर्चा होती है---इसमें कोई शक नहीं है कि वहां के लोगों ने भी धीरे-धीरे अपने देश को बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंचाया । जहां तक २८ करोड़ रुपये की बात है उसको भी छोड़ा जा सकता है । क्योंकि आपको याद होगा कि हम अमेरिका से वर्ष-हर-वर्ष उनसे खाद्यान्न लेते थे, और जब तय कर लिया कि नहीं लेंगे तो स्वयं आत्मनिर्भर हो गये । जब नहीं लिया तभी स्वावलम्बी बने ।

जब तक त्याग की भावना हमारे अन्दर नहीं आयेगी, तब तक हम कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते । २८ करोड़ रुपया क्यों नहीं छोड़ा जा सकता । हम इसको छोड़ सकते हैं और चाहिये कि उसका घाटा दूसरी जगह से पूरा करें । हमारे यहां मद्य-निषेध की परिपाटी आज की नहीं है । अर्सों से चली आ रही है और हमारी सरकार का नैतिक कर्त्तव्य है कि इसको रोके और ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ---हुआ भी है । लेकिन जहां तक सम्भव हो जल्दी से जल्दी इसके उपाय करें और यह तभी हो सकता है जब आप और हम सभी लोग सहयोग करें और सहयोग के आधार पर मद्य-निषेध को लागू किया जा सकता है । मैंने तो इस बिल के एम्स ऐण्ड ओब्जेक्ट भी नहीं देखे । जो आप लोगों से बातें सुनी उन्हीं बातों के आधार पर मैंने कुछ कहा । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और हम तो चाहते हैं कि हमारे यहां के लोग जितनी जल्दी मोरेलिटी के बल पर साधू, फकीर या औलिया बन जायं तो बहुत अच्छा ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप दूसरों को संक्षेप में कहने को कहते हैं अतः आप भी संक्षेप में कहें ।

*श्री राम प्यारे--

माननीय उपाध्याक्ष जी, मैं केवल पांच मिनट में ही कहूंगा ।

मैं माननीय आबकारी मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल के मंशा व उद्देश्य को समझ कर ही उसका हृदय से स्वागत करता हूं । यह बात सही है कि इस बिल में प्रदेश में जो नशाबन्दी करने का प्रश्न है वह केवल एक स्टेट के करने से नहीं हो सकता है । जब तक हिन्दुस्तान की सारी स्टेट्स इस सम्बन्ध में एक निर्णय पर नहीं पहुंचतीं तब तक यह सम्भव नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम प्यारे]

मैं दो-तीन बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस प्रकार से आपने उत्तरी क्षेत्र में बड़े पहाड़ों पर मद्य निषेध किया है उसी प्रकार से आप प्रदेश के दक्षिणी अंचल में करें जहां ३–४ लाख आदिवासी रहते हैं। उनके जनजीवन में शराब का वह स्थान है कि वह हर त्यौहार, रीति-रवाज और विवाह शादियों में प्रयोग में लाई जाती है। इसके महत्व को देखते हुये भूतपूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय पन्त जी ने वहां सन् १९५४ में ही नशाबन्दी कर दी थी लेकिन कुछ अधिकारियों के दुराग्रह के कारण पुनः चालू कर दी गई है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि कम से कम प्रदेश के बैकवर्ड इलाकों में जहां हरिजन, आदिवासी और दूसरे बैकवर्ड लोग रहते हैं जैसे देहरादून में और नैनीताल जिलों में जहां पर शराब की भट्टियां हैं, मद्य निषेध अवश्य लागू किया जाय और उन भट्ठियों को समाप्त करें।

माननीय मंत्री जी मुझे विश्वास है कि इस सम्बन्ध में दृढ़तापूर्वक कार्यवाही करेंगे। इसमें कई चीजों की घोषणा मंत्री जी ने की है। राष्ट्रीय पर्वों के दिन और हर मंगलवार को शराब नहीं बिकती है। मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही और अभिस्वार्थ के कारण हर मंगलवार को शराब की दूकानें खुली रहती हैं, हर राष्ट्रीय पर्व को, होली है, २६ जनवरी है, २ अक्टूबर और १५ अगस्त को शराब की दूकानें बन्द रहें लेकिन नहीं रहती हैं। आपके विभागीय अधिकारियों की हालत यह है कि एक-एक एक्साइज इंस्पेक्टर की आमदनी इतनी है कि यह चर्चा है कि आई० ए० एस० में जाना बेकार है और अगर रुपया कमाना है तो एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाओ। इसका कारण यह है कि इसके विभाग में कुछ ठेकेदारों ने मोनोपली कर रखी है। हमारे यहां दुद्धी तहसील में राबर्ट्सगंज में एक ठेकेदार है हमेशा उसी का ठेका रहता है। वह अधिकारियों से मिलकर, लोकल पुलिस और एक्साइज इंस्पेक्टर से मिल कर अधिकारियों को रुपया देता है।

विभाग एक भी उदाहरण नहीं दे सकता है जिसमें एक भी दूकान का चालान हुआ हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि हर मंगलवार के दिन बन्द रखें तो काफी सुधार हो सकता है। इसी तरह से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जितनी भी शराब की भट्ठियां हैं वह सब सार्वजनिक स्थानों पर, सड़क पर, स्कूल के किनारे और बस्तियों के बीच में हैं इससे सारा का सारा वातावरण दूषित हो रहा है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि वह भट्ठियों की स्थिति से अपने को अवगत करायें और ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम सार्वजनिक स्थानों से शराब की भट्ठियां दूर रहें। इन चन्द शब्दों के साथ मैं सुझाव देता हूं कि अच्छा हो आप भट्ठियों को समाप्त कर दें और जब तक वह समाप्त न हों तो तब तक उनके छोटे-छोटे टुकड़े कर दें।

यह बड़ी खुशी की बात है कि आपने यह घोषणा की है कि इंग्लिश शराब का नीलाम होगा। मैं पुनः यह मांग करता हूं कि जो नियम शराब के सम्बन्ध में हैं उनको आप सख्ती से पालन करें और अपने अधिकारियों के ऊपर लगाम को कुछ तेज कर दें। इसमें आप कुछ संख्या को भी बढ़ावें इन्स्पेक्टरों की १००–१०० मील का एरिया है। एक्साइज पर ऐडमिनिस्ट्रेटिव खर्च बहुत कम है अतः आपको इन्सपेक्टरों की तादाद बढ़ानी होगी। मैं यह भी कहूंगा कि आपको पुलिस से यह अधिकार छीनना होगा। उनसे यह अधिकार ले लीजिये क्योंकि यह लोग घूस लेते हैं और जगह-जगह पर भट्ठियां चलवा रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि आपने जो पुलिस को अधिकार दिये हैं उनको आप छीन लीजिये। वे लोग अवैध ढंग से भट्ठियां चलवा रहे हैं। साथ ही वे नियम का पालन भी नहीं करवाते हैं। स्वयं ही वे उसको भंग करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का अनुमोदन करता हूं।

श्री डूंगरसिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय आबकारी मंत्री जी ने जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं कि हमारे पर्वतीय जिलों में गरीबों की जनसंख्या ही

अधिक है। वे लोग बहुत गरीब हैं। वहां पर भी आपको जगह-जगह पर शराब की भट्ठियां दिखलाई पड़ेंगी। उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा शराब में बहुत अधिक चला जाता है।

सन् ६९ में जब हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री गुप्ता जी थे तो उन्होंने एक सरकारी पालिसी बनाई थी कि पर्वतीय जिलों में दो साल के अन्दर सारी शराब की दुकानें बन्द कर दी जायेंगी और उसके तहत म पिथौरागढ़, चमोली और उत्तर काशी में सभी शराब की दुकानें बन्द हो गई थीं। मगर ज्योंही सरकार बदली और चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी उन्होंने जो पालिसी गुप्ता जी की सरकार की थी उसको बदल दिया। हमारे आबकारी मंत्री जो इस समय हैं उस समय किसी दूसरे विभाग में थे और उनको भी अच्छी तरह से ज्ञात है कि उस समय सरकार की यह पालिसी बन चुकी थी। चौधरी साहब ने उस पालिसी को नहीं माना और फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में पुनः शराब की दुकानें कायम हो गईं।

पौड़ी, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी और अल्मोड़ा सभी स्थानों के विधायक माननीय चौधरी साहब के पास गये और गुप्ता सरकार की शराब बन्दी के विरुद्ध वर्तमान सरकार के निर्णय की शिकायत की। चौधरी साहब ने बताया कि हमको बताया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लोग शराब पीना ज्यादा पसन्द करते हैं। यह तो हमारा दुर्भाग्य है कि चौधरी साहब को इस प्रकार की गलत सूचना मिली और उन्होंने इस पालिसी को अपनाया कि वहां पर शराब की दुकानें पुनः खुल जायं। उन्होंने पर्वती क्षेत्र में शराब बन्दी की पालिसी समाप्त कर पुनः शराब की दुकानें खुलवा दीं। चौधरी साहब से निवेदन किया था कि यह जो चार जिले हैं इनमें सारी शराब बन्दी कर दी जाय। ऐसा न होने से वहां की जो गरीब जनता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। परन्तु कुछ नहीं हो पाया।

आज कम से कम आबकारी मंत्री जी को इसके लिये बधाई तो अवश्य ही दी जानी चाहिये कि उनको सद्बुद्धि आई और इस बड़े कदम को उन्होंने बढ़ाया। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इसके विरुद्ध आन्दोलन भी हुये कि गांजा, अफीम और शराब इन सारी चीजों को हटाया जाय। इस आन्दोलन में हम लोग भी भाग लेते थे और इन चीजों के विरोध में आवाज उठाया करते थे। हम सब लोग आजादी के आन्दोलनों के समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस बात पर कटिबद्ध थे और हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में लगातार इस बात के प्रस्ताव पास होते थे और गांधी जी के नेतृत्व वाले आन्दोलनों में इस बात को लेकर आगे बढ़ते थे कि स्वतंत्रत भारत में शराब बन्दी की जायगी लेकिन हम लोग गांधी जी की दुहाई देने के बाद २५ वर्ष के बाद भी मद्यनिषेध नहीं कर सके और इस देश में शराब की बिक्री से जो रुपया आता है उसको देश के विकास का सबसे बड़ा साधन मानते हैं। रियासत हुसेन साहब ने यह ठीक ही कहा कि अगर अच्छी चीज की आमदनी से जो रुपया विकास योजना में खर्च किया जायगा उससे निर्माण होने वाली योजना से अच्छी तरह से लाभ मिलेगा और अच्छी प्रकार यह कार्य फूलेगा व फलेगा लेकिन बुरी चीज से जो कमाई करते हैं और उस रुपये को लगाते हैं तो वह अच्छी प्रकार फलता नहीं है। धार्मिक रूप से समझकर या मानवता के सिद्धान्त से इसको समझ लिया जाय तो अच्छा है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि असल में इस बिल को ही लाने की जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ पूर्ण मद्यनिषेध का बिल लाना चाहिये था और इस विधान सभा से पास कराना चाहिये था। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यह २८ करोड़ रुपया विकास कार्यों के लिये जो आप शराब बिक्री से खर्च करते हैं इसको तो और जगह से भी निकाला जा सकता है। हम लोग बंगलादेश के लिये अपनी जान तक देने के लिये तैयार हैं। उसके लिये हम करोड़ों रुपया भी स्वेच्छा से इकट्ठा कर रहे हैं। हम लोगों ने कल ही बंगला देश के लिये टैक्स लगाने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। इस शराबबन्दी के लिये जो रुपया की जरूरत होगी उसको भी हम दूसरे मदों के टैक्स से व दूसरी जगह से देने के लिये तैयार हैं। उसके

[श्री डुंगर सिंह विष्ट]

बराबर धनराशि इकट्ठा करके हम विकास के कार्यों को कर सकते हैं और विकास कार्यों को सफल बना सकते हैं।

मैं इस मद्यनिषेध की पृष्ठभूमि को भी याद दिलाना चाहता हूं कि जिस पृष्ठभूमि में हम अपनी आजादी का आन्दोलन चलाते थे और इसकी पृष्ठभूमि में हम लोग नाचते गाते रहते थे कि नशीली चीजें शराब, गांजा, अफीम आदि जो बुद्धि हरती मिटा के इनकी खरीद बिक्री दूकान सारी हटानी होगी गांधी जी के सिद्धान्त को लेकर हम लोगों को आशा थी कि इस आजादी के बाद तुरन्त ही हमारा जो नमक-कर है और मद्य निषेध है तुरन्त ही कार्य रूप में परिणित हो जायगा मगर अब हम लोग रह रह कर इस बात के लिये गम्भीरता से महसूस करते हैं कि हम लोग आज भी वहीं पर खड़े हैं जहां पर २५ साल पहले खड़े थे। जो गांधी जी के सिद्धान्तों को हमने प्रतिपादित किया था उन पर हम लोग बिलकुल अमल नहीं कर पाये हैं। मैं आपको यह बात बताऊं कि आज शराब का यह आलम हो गया है कि उसके सहारे अधिकारियों से काम सिद्ध हो जाते हैं। आज किसी इन्टरमीडिएट कालेज या डिगरी कालेज के किसी भी विषय के प्रैक्टिकल परीक्षा में परीक्षक से अच्छे नम्बर प्राप्त कर सकते हैं। उनको शराब पिलाकर प्रैक्टिकल परीक्षक से बढ़िया नम्बर प्राप्त किये जा सकते हैं। कई शिक्षण संस्थाओं में उनको इस बात का इन्तजाम करना पड़ता है। जिस संस्था ने इसका इन्तजाम नहीं किया तो उनके छात्रों को फेल कर दिया जाता है।

मैं इस तरह अनेक उदाहरण आपको दे सकता हूं। यह शराब का जो आलम है नैनीताल क्लब में बैठ कर खूब जमता है। मैंने नैनीताल के वोट हाउस क्लब के बारे में सरकार से कई बार निवेदन भी किया था और इसके लिये लिखा भी था कि इसको बन्द कर दिया जाय। नैनीताल के वोट हाउस क्लब की इतनी बदनामी है कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन उस बोट हाउस क्लब में यह हाल होता है कि जज और वकील व अधिकारी वर्ग वहां पर बैठ कर मुकदमों को तय करते हैं। जज तथा अधिकारी भी वहां पर रहते हैं, वकील भी रहते हैं और मुवक्किल मुद्दई मुदालेह भी रहते हैं। वहीं पर ये सब बैठ कर शराब के नशे में मुकदमों को तय कर लेते हैं। मैं विश्वासपूर्वक यह कह सकता हूं कि फैसला केवल शराब की १० रुपये की बोतल से हो जाया करते हैं चाहे दूसरा आदमी उसको ईमानदारी का मुकदमा ही मानता हो।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी बार हैं, या क्लब हैं जो आजादी से शराब की बिक्री करते हैं उनको तुरन्त बन्द करें। यह जो विलायती शराब के आक्शन की बात है सरकार इनको भी नीलाम कराये मैं समझता हूं अगर देशी शराब साथ ही विलायती शराब का आक्शन करें और उससे जो रुपया प्राप्त हो उससे ज्यादा लाभ हो सकता है। मेरे विचार से गांधी जी के देश में पर्यटकों को या विदेशी लोगों को खुले आम शराब ले जाने की छूट नहीं होनी चाहिये। अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। पर्वतीय क्षेत्र के लिए सन् १९६९ में एक पालिसी तय की गई थी। सरकार उस पर अमल करे श्रीमन्, मद्य निषेध उसको नहीं कहा जा सकता कि आप नैनीताल जिले के रामगढ़ में दुकान खोल लीजिये, और भुवाली में मत खोलिये, या कानपुर में मद्य निषेध कर दिया लेकिन लखनऊ में तमाम शराब चले, या अल्मोड़ा शहर में शराब बन्दी न की जाय, देहातों में शराबबन्दी की जाय। इससे कोई फायदा नहीं होता है। पर्वतीय क्षेत्र में सम्पूर्ण शराबबन्दी होनी चाहिए। उत्तराखंड को दृष्टि में रखते हुये, तीर्थस्थानों को दृष्टि में रखते हुये और वहां की गरीबी को दृष्टि में रखते हुये वहां पूर्ण शराब बन्दी होनी चाहिए।

श्रीमन्, शराब में बड़ी मिलावट होती है। नैनीताल में पहले तीन हजार में शराब की दुकान जाती थी। आज तीन लाख में जाती है। क्या खूबी आ गयी? ठेकेदार कहां से

रुपया लायेगा ? वह डिस्टिल वाटर वगैरह तमाम दुनिया भर की चीजें मिलाकर गलत तरीके से बोतलें भरी जाती हैं। अभी दो-तीन महीने पहले हल्द्वानी में शराब की बोतलों में गलत चीजें पायी गयीं और जिसके पीने से १०–११ आदमी मर गए। लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई क्योंकि वह बहुत धनवान आदमी है। उसने निश्चित रूप से एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज अधिकारी और एक्साइज कमिश्नर आदि को लेन-देन कर दिया होगा, इसलिये कार्यवाही नहीं हुई। तो पर्वतीय क्षेत्र में तो पूर्ण मद्य निषेध निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष ––

अब कुछ लोगों को बोलना है। जिन्होंने संशोधन रखे हैं उन्हें भी मौका देना पड़ेगा।

चौधरी रामपाल सिंह यादव––

हमारे दल को अभी कोई मौका नहीं मिला है। पांच-पांच मिनट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष––

अभी खंड भी है और फिर उसके बाद दूसरा विधेयक भी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी––

आप तो सब एडजस्टमेन्ट कर लेते हैं, श्रीमन्। भगवत दयाल जी को मौका दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष––

पांच-पांच मिनट बोल लें।

*चौधरी रामपालसिंह यादव––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी बात कहने का मौका दिया इसके लिए मैं आप का आभारी हूं। मान्यवर, यह जो विधेयक पेश किया गया है यह बिल्कुल अधूरा और लंगड़ा विधेयक है। ऐसा लगता है कि यह सरकार जो लगातार २४' वर्ष से इस प्रदेश का शासन कर रही है और जो आज कुर्सी पर बैठी है, यह सरकार जनता की नहीं बल्कि शराबियों की सरकार है और शराब बन्दी को नहीं चाहती। इनका यह कहना है कि हमने १२ जिलों में शराब बन्दी का इरादा किया है। श्रीमन्, २४ साल से १२ जिलों में शराब बन्दी कर पाए हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में ५४ जिलों में शराब बन्दी करने में इन्हें १२० वर्ष लगेंगे।

इससे इस सरकार की नियत का पता लगता है। यह कहते हैं कि शराब बन्दी इसलिए धीरे-धीरे करना चाहते हैं कि इनकी जो शराब से २८ करोड़ की आमदनी है उसका लोभ-लालच लगा हुआ है।

मान्यवर, यह तो एक ऐसा काम है और इसकी ये दलील दे सकते हैं कि ४८ करोड़ रुपये के घाटे को हम कहां से पूरा करेंगे, अगर पैसा नहीं होगा तो निर्माण का काम नहीं होगा। यह तो एक ऐसा ही काम है जैसे कोई आदमी डकैती डाल कर मन्दिर बनवाना चाहे। तो आज यह सरकार शराब की दुकानों को खुलवाकर आमदनी प्राप्त करके ऐसा ही काम कर रही है जैसे डकैती डाल कर कोई मन्दिर बनवा रहा हो।

इन्होंने जो अधिनियम पेश किया है उसमें इन्हें दो बातें स्पष्ट रूप से लिख देनी चाहिए थीं। एक तो यह कि आज की तारीख से सारे प्रदेश में शराब की दुकानें बन्द हो जाएंगी। तब कहीं जा कर महात्मा गांधी जी का स्वप्न पूरा होता। इस सरकार के लिए यह शर्म की बात है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चौधरी रामपाल सिंह यादव]

कि टेहरी-गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल में लोग आन्दोलन करने को तैयार हैं,सत्याग्रह करने को तैयार हैं । मैं इनको बता देना चाहता हूं कि अगर सरकार का नशा बन्दी के मामले में यही उसे क्षापूर्ण रवैया रहा तो सारे प्रदेश के लोग, सारे गांवों और शहरों के, नशा बन्दी के लिये एक बड़ा आन्दोलन खड़ा करेंगे। इसलिए हम इस सरकार को पूरे तरीके से इस बात पर सोचना चाहिए कि इस प्रदेश में नशा बन्दी हो जाए। अपने विधेयक में इन्होंने जनमत के बारे में कहा है। इन्होंने कहा है कि जहां कहीं जनमत की राय होगी तो हम शराब की दुकानों को बन्द कर देंगे।

मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस धारा को सारे प्रदेश में प्रसारित कर दें। जब वे ऐसा कर देंगे तो बहुमत में लोग यह लिख कर देंगे कि शराब की दुकान हमारे गांव से हटा दी जाए। यह सरकार जनमत का नाम लेती है। अगर इस सरकार को जनमत का भरोसा है, इस प्रदेश की जनता का भरोसा है, तो जैसा कि श्री शम्भूनाथजी का संशोधन है कि इस विधेयक को लाने में इतनी जल्दी क्यों आ पड़ी है, जनता की राय जानने के लिये सारे प्रदेश में भेजना चाहिए। शराब की दुकानें बिल्कुल जहर की दुकानें हैं । हमारे कानपुर में पिछले नवम्बर दिसम्बर के महीने में करीब ४० आदमियों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गयी थी और उसकी जानकारी जब इस सरकार को हुई तो सरकार ने एक मैजिस्ट्रेट की जांच बिठाल दी। उस मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट अभी तक यह सरकार सदन के सामने नहीं ला पायी। जनता के सामने नहीं ला पायी। मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट क्या होगी ? आज कौन नहीं जानता कि इस प्रदेश का मैजिस्ट्रेट इस प्रदेश का बड़ा वकील, और इस प्रदेश का वह आदमी, जो अपना आतंक समाज में जमाए रखना चाहता है, शराब की बोतल बाहर है।

(इस समय २ बजकर १२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राम सिंह पीठासीन हुए)

आज ये सारे लोग शराबी लोग हैं और अगर इन शराबियों के हाथ में शराब रोकने का काम देंगे, शराब के भ्रष्टाचार का काम सौंपेंगे तो उनकी रिपोर्ट उनके पक्ष में ही आएगी। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कानपुर में जहरीली शराब पीने के कारण ४० लोगों की जो मृत्यु हुई है उसके लिए सी० आई० डी० की जांच करवाएं और जांच के उपरान्त जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें। सरकार ने बहुत तीर मारा तो आयुक्त का ट्रांस्फर कर दिया। आबकारी आयुक्त के रहते हुए ४० लोगों की मृत्यु हो गई और आपने केवल उनका ट्रांस्फर कर दिया। उस आयुक्त के खिलाफ ३०२ व ३०४, आई० पी० सी० का मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि उन की देख रेख में शराब की दुकान में जहर विकवाया गया और उस जहर को पी कर ४० लोगों की मृत्यु हो गई । जो आयुक्त वहां पर थे उन्हें फौरन निलम्बित करें और उनके ऊपर मुकदमा चलवाएं।

इनका यह कहना है कि मंगलवार को शराब की दुकानें बन्द रहती हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूं---किसी जगह पर भी शराब की दुकानें मंगलवार के दिन बन्द नहीं रहतीं। यह आदेश कहीं पर भी लागू नहीं होता है। मैं अपने क्षेत्र की बात बताता हूं।

मेरे क्षेत्र की सारी दुकानें मंगलवार के दिन भी खुली रहती हैं। मैंने दरोगा से वहां के शिकायत की, उसने कहा कि आबकारी इन्स्पेक्टर ने कहा है कि इनको खुली रहने दो, इन्होंने जब ठेका लिया था तो उनसे कह दिया गया था कि वे इस दिन भी खुली रखेंगे, नहीं तो वे ठेका नहीं लेते थे। तो मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वे ऐसे आबकारी इन्स्पेक्टरों के खिलाफ सख्त ऐक्शन लें, जिनकी साजिश से शराब की दुकानें मंगलवार के दिन भी खुली रहती हैं। सरकार की शराब बंदी की योजना तभी सफल हो सकती है जब इस विधेयक में यह लिख दिया जाय कि आज के दिन से प्रदेश भर में सारी दूकानें बन्द कर दी जायेंगी। मैं सरकार को चुनौती देकर

कहना चाहता हूं कि अगर उसमें हिम्मत हो तो वह जनता की खुली अदालत में आये और इस विधेयक को जनमत के लिये जाने दे। वह जनता का सामना करे। जनता अगर यह मांग करे कि सारे प्रदेश में शराब बन्दी हो, तो वह उसका पालन करे। इन शब्दों के साथ में माननीय शम्भू नाथ जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया (जिला झांसी)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। मैं अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश में नशाबन्दी के लिये कई चीजें की, परन्तु हमने उसके बुनियादी कामों पर अमल नहीं किया। आखिर आपकी नशाबन्दी की योजना क्यों सफल नहीं हो रही है? अगर सरकार छोटे-छोटे टुकड़ों में इसे करेगी तो यह योजना कभी सफल नहीं हो सकती।

करना है तो सम्पूर्ण प्रदेश में इसे लागू कीजिये। और जब तक सख्ती से कानून पालन नहीं किया जायेगा नशाबन्दी नहीं हो सकती। केन्द्रीय सरकार तो आपको नुक्सान का ५० प्रतिशत देने के लिये भी तैयार है, फिर आपकी क्या मजबूरी है। आज भी जो ड्राई एरिया हो चुके हैं वहां लोग टिंचर, स्प्रिट तथा मीथालेटेड स्प्रिट सोडावाटर में मिला कर पीते हैं। आज जो हमारे समाज में इतना नैतिक पतन हो रहा है वह इसी कारण से हो रहा है।

पहले हमारी यह परम्परा थी कि गांव में लोग भजन कीर्तन आदि किया करते थे। आज उन सारी धार्मिक बातों का अभाव हो गया है। उसकी जगह राजनीति की गन्दी बातों की चर्चा होती है, गुटबन्दी की चर्चा होती है। इसलिये अगर आप दिल से चाहते हैं कि नशाबन्दी हो तो आप को चाहिए कि इसके लिये आप ७–८ विद्वानों की एक ऐसी मंडली बना दें जो जगह-जगह जाकर लोगों में शराब के प्रति नफरत पैदा करें, ऐसा वातावरण पैदा करें, उनकी भावना ऐसी करे जिससे वे स्वयं शराब से नफरत करने लगे, उसे पीना बन्द कर दें। आप केवल कानून से उसे बन्द नहीं कर सकते। उनको यह बताया जाय कि यह खतरनाक चीज है। छोड़ दिया जाय तो विद्वानों की ऐसी मंडली आपको तैयार करनी होगी। नेता लोग न हों वह तो स्वयं वोट की खातिर पव्वा पिला देते हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, केवल कानून बनाने से यह बुराई रुकने वाली नहीं है, यह चोरी-छुपे चलता ही रहेगा।

हम बुद्धि जीवी परिवारों में देखते हैं कि उनमें भी शराब का व्यसन व्याप्त है। हम देखते हैं बरातों, जलसों में सामिष तथा निरामिष दो तरह का भोजन तैयार रहता है। हमने देखा है कि बड़े बड़े अधिकारी–अफसर, दरोगा और कलेक्टर पुलिस इंस्पेक्टर सब इसी तरफ शामिल रहते हैं। दूसरी तरफ हलुआ-पूड़ी खाने को रहता है और एक तरफ शराब व मुर्गा अलग खाने के लिए रखा जाता है। तो वहां लोग हलुआ-पूड़ी की तरफ नहीं जाते हैं, शराब-मुर्गा की तरफ ज्यादा जाते हैं।

साधारण और गरीब, किसान तथा मजदूर जिसे परिवार के भरण-पोषण की हर वक्त चिन्ता रहती है वह शाम को एक पव्वा लगा लेता है और शाम को अपने दुखों-चिंताओं को भूल-कर एक चैन की सांस ले लेता है, तो वह क्या गलती करता है। जबकि हमारे बड़े बड़े अधिकारी लोग जो सुखों में डूबे हुए हैं स्काच-विस्की पीते हैं, उनके सबार्डिनेट्स रम पीते हैं और उनसे छोटेवाले माल्टा पी लेते हैं। हमारे गरीब यदि ठर्रा ही पी लेते हैं तो आपकी क्या हानि है। यह तो उनकी मजबूरी है। वे इसलिये पीते हैं कि वे बेकार हैं और कठोर परिश्रम के लिये, शक्ति लेने के लिए पीते हैं। वे शराब पीकर अपने गमों को भूलते हैं और अपनी बीबियों से हंसकर कुछ क्षण बातें कर लेते हैं, वे अपने बच्चों को प्यार कर लेते हैं। अपने दिमाग की समस्याओं को दूर करने के लिये वे ऐसा करते हैं। नशा उतरता है तो उसे फिर वही रोजी-रोटी की फिक्र लग जाती है। जिस कारण से मजबर होकर वह ऐसा करता है, उस मेन प्वाइंट को दूर किया

[डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया]

जाए, उसे रोजी रोटी दी जाए, अच्छे मनोरंजन के साधन दिए जाएं। शहरों में मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं, किन्तु वे गांवों में नहीं हैं।

मैं बुन्देलखण्ड के इलाके से आता हूं और मैं वहां पर प्रायः मजदूरों से मिलता रहता हूं। जब हम उनसे पीने के लिए मना करते हैं, तो वे कहते हैं कि हमें सुबह उठकर नित्य दिन भर कठोर परिश्रम करना पड़ता है और जिन्दगी चिन्ताओं से घिरी रहती है, इसलिये हम लोग रात में थोड़ी पी लेते हैं। हमारे यहां चौधरी स्टेशन पर ठेका खुला हुआ है। मेरा निवेदन है कि उनको अलग स्थान पर स्थापित कर दिया जाए, बिल्डिंग गवर्नमेन्ट की ओर से अलग बने जिससे हमारे बच्चों पर उसका बुरा असर न पड़े। यही बातें मैं अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार आपके सामने कहना चाहता हूं।

श्री हरिनाथ तिवारी---

अधिष्ठाता महोदय, मैं इसे वापस नहीं लेता हूं। मैंने टेक्निकल प्वाइंट्स पर डिस्कश किया था। यह कहा था कि जो आप संशोधन लाए हैं, उसमें अब भी बहुत कमियां हैं, इसलिए उनको पूरा करके ले आवें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मंत्री जी अपना उत्तर देने के पहले, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक बात की घोषणा कर सकें तो अपने भाषण में कर दें कि शहरों में और गांवों में आबादी में जो दुकानें हैं, उनके बारे में यदि जनता की मांग हो तो उन दुकानों को आप हटा लेंगे। आप इस प्रकार का कार्य २--१ महीने में कर दें। आप नये नीलाम के पहले यह घोषणा कर दें तो यह बड़ा अच्छा निर्णय होगा, एक ऐतिहासिक घोषणा होगी। इसका हम सभी लोग स्वागत करेंगे।

*श्री स्वामीप्रसाद सिंह---

श्रीमन्, माननीय सदस्यों के वाजिब सुझाव और तरह-तरह के विचार मेरे सामने आए। एक सबसे बड़ा, माननीय सदस्य ने मुख्य विरोध या जो कहने की बात थी वह सिर्फ यह है....

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह---

पूरे सूबे में मद्यनिषेध न लागू होने का कारण यह है कि सरकार को २८ करोड़ रुपया मिलता है। लेकिन यह शराब पीने वाली सरकार है जैसा कि हमारे रामपाल चौधरी ने कहा, या जिस वक्त टी० एन० सिंह जी की सरकार थी उस वक्त शराब पीने वाली सरकार थी, जिसका रामपालसिंह चौधरी को शायद अब भी नशा नहीं उतरा है, उन्होंने इस मद्य निषेध की पालिसी लागू करने को स्टे कर दिया था। शायद रामपाल सिंह चौधरी जानना चाहें क्या शराब पीने वाली सरकार वह थी जिसने मद्यनिषेध पालिसी को स्टे किया था या यह शराब पीने वाली सरकार है जिसने मद्यनिषेध की पालिसी को लागू किया? शायद रामपाल सिंह चौधरी को आज भी नशा रहा है, उन्होंने आज परचा भी फाड़ा और भाषण भी ज्यादा जोर से दिया, कि शराब पीने वाली सरकार है। मैं समझता हूं कि इस की हवा से आप को शायद नशा आ गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार की कभी मंशा नहीं है, सिर्फ २६ या २८ करोड़ रुपये की आमदनी के लिए नहीं करना चाहती, यह बात अवश्य है २६ करोड़ का अगर माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया हो, लेकिन वह बात सामने है, हर सरकार के सामने रहती है, वरना उधर के माननीय सदस्यों की सरकारों ने पूरे सूबे में मद्यनिषेध कर दिया होता। अगर इस कानून से पूरे सूबे में मद्यनिषेध लागू कर दिया जाय, क्या जिन जिलों में मद्यनिषेध लागू है क्या वहां शराब नहीं पीते ? मैं माननीय रामपाल सिंह से पूछना चाहता हूं कि क्या आप की पार्टी के सदस्य या विधायकगण नहीं पीते हैं ?

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

नहीं पीते हैं मैं इस बात का चैलेंज करता हूं।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

कानून से फायदा होता है, कानून एक पहलू है लेकिन कानून है कि कत्ल नहीं होना चाहिए लेकिन कत्ल होता है। विधायकों और सदस्यों का कर्त्तव्य हो जाता है कि उनके मनोभाव को बदलें, जैसा कि शास्त्री जी ने कहा, जब तक देश का चरित्र नहीं बदलेगा तब तक कानून के हिसाब से कोई स्कीम लागू और सफल नहीं हो सकती है। जो संशोधन आये हैं, मैंने पहले अर्ज किया है, जनमत संग्रह किया जायगा या प्रवर समिति को भेजा जायगा तो अप्रैल में वर्ष प्रारम्भ होता है, उसके चले जाने से बीच में मद्यनिषेध करने से कानूनी अड़चनें आएंगी और लिटिगेशन हो सकता है। इसलिये माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जनता की राय लेने से या प्रवर समिति में भेजने से कानून में देरी होगी, और उन पहाड़ों में जिन में दूकानें खुल गयी हैं, जब तक कानून लागू नहीं होगा तब तक दूकानें खुली रहेंगी और जनता की जो भावना है कि वहां मद्यनिषेध लागू हो वह पूरी नहीं होगी। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से यही प्रार्थना करूंगा कि अपने संशोधनों को वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता—

अब मैं ये संशोधनों के प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। पहला संशोधन माननीय शम्भूनाथ चौधरी का है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, १९७२ को जनमत संग्रह के लिए घुमाया जाय जो इस सम्बन्ध में अपनी राय एक मास के भीतर दे तत्पश्चात् सदन म इस पर विचार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, १९७२ एक प्रवर समिति को भेजा जाय जो अपनी रिपोर्ट एक मास में दे देवें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, १९७२ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ से ४

धारा ४ का निकाला जाना

२—युनाइटेड प्राविन्सेज एक्साइज ऐक्ट, १९१०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा १४ निकाल दी जाय।

धारा २० का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा २० में, उपधारा (४) निकाल दी जाय।

धारा २० ए और २०-बी का निकला जाना

४—मूल अधिनियम की धारा २०-ए और २०-बी निकाल दी जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ तथा ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

नये अध्याय ६-क का बढ़ाया जाना

५—मूल अधिनियम के अध्याय ६ के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"अध्याय ६-क—मद्यनिषेध के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

३७ क(१)—राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा—

मादक वस्तुओं का, आयात, निर्यात, परिवहन करने या कब्जे में रखने का निषेध

(क) उत्तर प्रदेश या उसके किसी भाग में अथवा वहां से किसी मादक वस्तु के आयात या निर्यात को निषिद्ध कर सकती है, या

(ख) किसी मादक वस्तु के परिवहन को निषिद्ध कर सकती है।

(२) धारा २० के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश या उसके किसी निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष द्वारा या, ऐसे अपवादों, यदि कोई हो, जो, अधिसूचना में निर्दिष्ट किये जायं, के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों द्वारा किसी मादक वस्तु को या तो अप्रतिबद्ध रूप में या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जायं, कब्जे में रखने का निषेध कर सकती है।

(३) उपधारा (१) के अधीन किसी मादक वस्तु के आयात, निर्यात या परिवहन को निषिद्ध करने की राज्य सरकार की शक्ति का और उपधारा (२) के अधीन किसी मादक वस्तु को कब्जे में रखने को निषिद्ध करने की उसकी शक्ति का प्रयोग राज्य में मद्यनिषेध का क्रमिक प्रसार करने की नीति के अनुसरण में किया जा सकता है, और निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुये समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों का तदर्थ चयन किया जा सकता है :—

(क) तीर्थ स्थान, विद्या केन्द्र या औद्योगिक क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र की विशेषता,

(ख) स्थानीय निवासियों की सामान्य आर्थिक स्थिति, जिसके अन्तर्गत उनके आहार पुष्टि-तल और जीवन स्तर भी है,

(ग) स्थानीय जन-मत, और

(घ) कोई अन्य संगत तथ्य जो राज्य सरकार की राय में लोक हित में सारवान हो:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा जिससे राज्य सरकार को अपने आदेश में उन तथ्यों को जिनके आधार पर कोई विशिष्ट क्षेत्र मद्य निषेध लागू करने के लिए किसी समय चुना जाय, उल्लिखित करना अपेक्षित हो।

(४) यदि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश या उसके किसी भाग (जिसे आगे इस धारा में मद्यनिषेध क्षेत्र कहा गया है) के सम्बन्ध में उक्त नीति के अनुसरण में उपधारा (२) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाय तो मद्यनिषेध क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना या तो अप्रतिबद्ध रूप में अथवा ऐसे अपवादों या शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाय, जारी की जा सकती है।

(५) किसी मद्य निषेध क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्य सरकार, या तो नियमों द्वारा अथवा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उपधारा (१) के अधीन या उपधारा (२) के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित मादक वस्तुओं को या ऐसी मादक वस्तुओं में से किसी को निम्नलिखित द्वारा या उनके प्रयोजनों के लिए कब्जे में रखने, उनका आयात, निर्यात या परिवहन करने के सम्बन्ध में कोई छूट दे सकती है या शिथिलीकरण कर सकती है :—

(क) प्रतिरक्षा सेवाओं के सदस्य,

(ख) मद्य निषेध क्षेत्र में आने वाले या निवास करने वाले विदेशी,

(ग) मद्य निषेध क्षेत्र से गुजरने वाले यात्री,

(घ) व्यसनी (केवल गांजा की दशा में) और अन्य व्यक्ति जिन्हें स्वास्थ्य के आधार पर कोई मादक वस्तु अपेक्षित हो,

(ङ) धारा १७, १८, २१ और २४ के अधीन लाइसेन्स ग्रहण करने वाले व्यक्ति,

(च) रेल, सड़क या वायुयान द्वारा मद्यनिषेध क्षेत्र से, को या होकर गुजरने वाले परेषण,

(छ) औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, औषधीय या धार्मिक प्रयोजन।

(६) किसी ऐसी छूट या शिथिलीकरण के सम्बन्ध में जो उपधारा (५) के अधीन दी जाय, राज्य सरकार या तो नियमों अथवा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो निर्दिष्ट किया जाय, पास या परमिट दिये जाने की व्यवस्था कर सकती है।

(७) उप धारा (४) में अभिदिष्ट अधिसूचना जारी कर दिये जाने पर, इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स देने वाला प्राधिकारी, लाइसेन्स को, जहां तक उसका सम्बन्ध मद्य-निषेध क्षेत्र से है, बिना नोटिस तुरन्त निरस्त कर सकता है, और वह तदुपरान्त लाइसेन्स की असमाप्त अवधि के सम्बन्ध में देय शुल्क की धनराशि के बराबर धनराशि की छूट देगा, और उसके सम्बन्ध में लाइसेन्सधारी द्वारा अग्रिम रूप से दिये गये किसी शुल्क या जमा की गई धनराशि को, उसमें से राज्य सरकार को देय धनराशि को, यदि कोई हो, घटा कर लौटा देगा, किन्तु लाइसेन्सधारी को ऐसे निरसन के सम्बन्ध में धारा ३५ में दी गई किसी बात के होते हुए भी कोई प्रतिकर देय न होगा।

(८) जब उपधारा (७) के अधीन कोई लाइसेन्स निरस्त किया जाय तो लाइसेन्सधारी अपने कब्जे की मादक वस्तुओं का निस्तारण उस प्रकार करेगा जैसा राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त (एक्साइज कमिश्नर) सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

श्री हरिनाथ तिवारी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित अध्याय ६—क की धारा ३७ (क) की उपधारा (३) (ग) में "स्थानीय जनमत" के स्थान पर 'स्थानीय मतदाता के एक तिहाई जनमत, रख दिया जाय। जनमत से यह समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति अथवा तीन व्यक्ति की इसमें संख्या होनी चाहिये मेरा सुझाव है कि मतदाता का एक तिहाई रख दिया जाय। आशा है मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

मुझे यह संशोधन मंजूर नहीं है। जनमत के मानी यही है कि बहुमत हो। जनमत हमेशा जाहिर हो जाता है कि किसी स्थान पर जनमत तैयार है या नहीं है। गिनती की आवश्यकता नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित अध्याय ६—क की धारा ३७(क) की उपधारा (३) (ग) में "स्थानीय जनमत" के स्थान पर "स्थानीय मतदाता के एक तिहाई जनमत" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रूप नाथ सिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन रखना चाहता हूं :—

"मूल अधिनियम के अध्याय ६ के पश्चात् प्रस्तावित अध्याय ६—क की धारा ३७—क की उपधारा (३) (ग) में "स्थानीय जनमत" के आगे कोष्ट में निम्नलिखित वाक्य लिख दिया जाय :—

(जिसका तात्पर्य गांव सभा व स्थानीय निकाय व विकास क्षेत्र समितियों के प्रस्ताव से भी है।)

इसकी मंशा स्पष्ट है कि जनमत में गांव सभा, स्थानीय निकाय जैसे टाउन एरिया, जिला परिषद् तथा म्युनिसिपल बोर्ड या बी० डी० सी० की कमेटी आती या जो कोई प्रस्ताव पास कर दें तो उसे भी जनमत मान लिया जाय और उसके आधार पर जो छूट दी जाने वाली है वह दी जाय। माननीय मंत्री जी को इस संशोधन को मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। और जो जनमत शब्द यहां पर रखा हुआ है उसको हमने इस मतलब से और साफ कर दिया है। मान्यवर, जब सरकार चाहती है मद्य निषेध लागू हो तो जहां करोड़ों लोगों को खाने को नहीं मिलता है, मकान रहने के लिये नहीं मिलता है और कपड़ा पहनने के लिये नहीं मिलता है वहां शराब, गांजा और अन्य बुरी आदतों से उनकी दशा और खराब होती जा रही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे मेरे इस संशोधन को मान लें।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

श्रीमन्, मैं इस संशोधन को मानने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि जो माननीय सदस्य का सुझाव है उससे इसकी स्प्रिट में कमी हो जायगी। स्थानीय जनमत एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें जिला सूबा और कमिश्नरी सभी आ जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब मैं इसको उपस्थित करता हूं। प्रश्न यह है कि मूल अधिनियम के अध्याय ६ के पश्चात् प्रस्तावित अध्याय ६—क की धारा ३७—क की उपधारा ३ (ग) में "स्थानीय जनमत" के आगे कोष्ट में निम्नलिखित वाक्य लिख दिया जाय—

(जिसका तात्पर्य गांव सभा व स्थानीय निकाय व विकास क्षेत्र समितियों के प्रस्ताव से भी है।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री हरिनाथ तिवारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ५ में प्रस्तावित अध्याय ६—क की धारा ३७ (क) की उपधारा (५) (ख) में "मद्य निषेध क्षेत्र में आने वाले या निवास करने वाले विदेशी" के स्थान पर "मद्यनिषेध क्षेत्र में आने वाले विदेशी" रखा जाय।

इसका कारण मैंने माननीय मंत्री जी को पहले भी बताया था कि अन्यथा इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो जायेगा। विदेशियों के लिये तो आप मद्य निषेध करेंगे नहीं और वहां पर रहने वालों के लिये आप मद्य निषेध करेंगे तो इस प्रकार वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। इस पर बाद में हाईकोर्ट रूलिंग देगा तब आप की समझ में आयेगा। विदेशियों को आप छूट दे रहे हैं और रहने वालों को नहीं दे रहे हैं। जब रूपनाथ सिंह जी शासक थे तब वे शराबी थे और जब आप शासक हैं तो आप शराबी हो गये.....

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

श्रीमन्, मैं इस संशोधन को मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अब मैं इसको प्रस्तुत करता हूं—प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित अध्याय ६—क की धारा ३७ (क) की उपधारा (५) (ख) में "मद्य निषेध क्षेत्र में आने वाले या निवास करने वाले विदेशी" "के स्थान पर मद्य निषेध क्षेत्र में आने वाले विदेशी" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रूपनाथसिंह यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ५ में प्रस्तावित अध्याय ६—क की धारा ३७—क की उपधारा ५(ग) में शब्द "गुजरने वाले" और "यात्री" के बीच में शब्द "कोई विदेशी या सैनिक" लिख दिया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि यह जो "मद्य निषेध क्षेत्र में गुजरने वाले यात्री" शब्द है वह बड़ा व्यापक है। यात्री तो बस में सैकड़ों होंगे और रेलों में हजारों होंगे। ऐसा करने से यदि आपको उन्हें छूट देने की मंशा हो तो सभी यात्रियों को आप परमिट दे देंगे। इसी से मालूम होता है कि आप की शराब-बन्दी की मंशा नहीं है। उल्टे इसका विरोध भी आप ही कर रहे हैं। इस सेन्टेन्स से सारे यात्री शराब का परमिट लेकर चलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इन यात्रियों की संख्या सीमित हो जाय। आप उनको पकड़ सकते हैं। ऐसा कोई वैधानिक तरीके से जायगा या कोई सैनिक है उसको आप मालूम कर लेंगे—लेकिन यात्रियों को कैसे पकड़ेंगे? इस तरह से मैं चाहता हूं कि मान्यवर, इन शब्दों के मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि गुजरने वाले यात्री के पहले "विदेशी" या "सैनिक" रख दें। सब यात्रियों को छूट नहीं होनी चाहिए वरना इसका मंशा बिलकुल असफल हो जायगा।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन् जी, इसमें कोई व्यापक रूप नहीं होता है। ये जो शब्द हैं बहुत सही सोच समझ कर रखे गये हैं। अभी आप उन को पढ़ लें। इसलिए इस संशोधन को मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित अध्याय ६--क की धारा ३१ की उपधारा ५ (ग) में शब्द "गुजरने वाले" और "यात्री" के बीच में शब्द "कोई विदेशी या सैनिक" लिख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री हरिनाथ तिवारी---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित अध्याय ६--क की धारा ३७(क) की उपधारा (५) (ग) में होना आवश्यक है "वाले यात्री" के बाद "के पास परमिट होना आवश्यक है" जोड़ दिया जाय।

माननीय अधिष्ठाता महोदय इससे मंशा यह है कि हर यात्री के लिए छूट दे रखी है लेकिन छूट के साथ जितने यात्री हैं सभी उस व्यवसाय को करना शुरू कर देंगे, शराब का व्यवसाय उनका हो जायगा। इसलिये जो भी यात्री शराब लेकर जाना चाहता है, यह शब्द इसलिये जोड़े जा रहे हैं कि उन के पास कोई परमिट हो कि मद्य-निषेध है, उसके परमिट दिये जाने चाहिये अन्यथा जितने भी यात्री चाहेंगे उनके द्वारा स्मगिलग्स होता रहेगा और एल्लिसिट तरीके से शराब ले जायेंगे। उनके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे मालूम हो कि यह यात्री है लेकिन जो शराब ले जा रहा है इसका कोई परमिट है--यह बहुत आवश्यक है, अन्यथा आपने छूट दे दी है तो सारे यात्री शराब का ही कारोबार करना शुरू कर देंगे।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह---

श्रीमन्, मैं इस संशोधन को मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित अध्याय की धारा ३७ (क) की उपधारा (५) (ग) में होना आवश्यक है "वाले यात्री" के बाद "के पास परमिट होना आवश्यक है" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २१, १९७१ का का निरसन

६---उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अध्यादेश, १९७१ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, १९७२

संविधान के अनुच्छेद ४७ में उल्लिखित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अनुसरण में मद्यनिषेध के प्रसार तथा प्रवर्तन को सुकर बनाने के उद्देश्य से यूनाइटेड प्राविंसेज एक्साइज ऐक्ट, १९१० का अग्रेतर संशोधन करने, तथा उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, १९७२ संक्षिप्त नाम कहलायेगा।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, १९७२ पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, १९७२ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७२†

(श्री अधिष्ठाता के सहकारिता मंत्री के पुकारे जाने पर।)

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, यह विधेयक प्रस्तुत नहीं हो सकता। मेरी बात सुन लें, अधिष्ठाता महोदय।

श्री अधिष्ठाता—

यह विधयक तो प्रस्तुत हो चुका है। अब मंत्री जी अपना भाषण देंगे।

श्री विश्वनाथ कपूर—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि इस पर विचार नहीं हो सकता।

श्री अधिष्ठाता—

जब यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा था उस समय आप कह सकते थे।

श्री विश्वनाथ कपूर—

श्रीमन्, नियमों की अवहेलना हो रही है। इस पर विचार नहीं हो सकता।

---

†३ जनवरी, १९७२ की कार्यवाही में छपा है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, जिस दिन यह विधेयक प्रस्तुत हुआ था उस दिन इसकी प्रतियां नहीं बांटी गई थीं। इसलिये उस समय एतराज नहीं हो सकता था। यह प्रोसीडिंग्स में दर्ज है। इसलिये यह वैधानिक दृष्टि से आज प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मैं भी यही कहूंगा। चाहे पहले आप मेरे मित्र को सुन लें और चाहे मुझे सुन लें।

श्री अधिष्ठाता---

जिस समय यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा था उस समय आप की जानकारी में था कि इसकी प्रतियां वितरित नहीं की गई हैं, उस समय आपने आपत्ति नहीं की।

श्री विश्वनाथ कपूर---

इस समय बहुत बड़ी आपत्ति है और हाई कोर्ट में इसके ऊपर रिट चल रहा है।

श्री अधिष्ठाता---

आप संक्षेप में कहें।

श्री विश्वनाथ कपूर---

श्रीमन्, इसके उद्देश्य और कारणों में दिया हुआ है कि---

"उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५, प्रदेश में २६ जनवरी, १९६८ से लागू किया गया। तब से तीन वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो गया है और इस मध्य अनेकों ऐसी समस्यायें तथा व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं जिनका तत्काल निवारण करना आवश्यक हो गया है और जिसके लिये उक्त अधिनियम को संशोधित किये जाने हेतु यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।"

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १२५ को देखिये। वह यह है कि "विधेयक से सम्बद्ध पत्र मांगने के शक्ति---विधेयक के पुरः स्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेंगे कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और गोपनीय न हों, सदन की मेज पर रख दी जायं।

कल मैंने लिख कर भी दे दिया था और उपाध्यक्ष महोदय का आदेश हुआ था कि दस बजे तक मन्त्री जी सदन की मेज पर रख दें। लेकिन अभी तक कोई कागज नहीं आया। अभी मंत्री जी से यह जवाब आयेगा कि हमारे पास कोई चीज नहीं है। अगर कोई कागज नहीं है तो फिर कैसे लिखा है कि "तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है इस मध्य अनेकों समस्यायें तथा व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं" जिनके निवारण करने की आवश्यकता है फिर वे कठिनाइयां कौन सी चीज हैं। क्या उनके मस्तक में हैं। इसी तरह से यहिया खां बंगला देश के बारे में सोचा करता था। जब वे कागजात मिल जायं तब इसको पेश किया जाय।

दूसरी आपत्ति यह है कि माननीय शिवमंगल जी ने हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर रखी है। उसमें दस तारीख को बहस होना है। उसमें यह है कि यह अध्यादेश नियमों के अनुकूल नहीं है। अगर यहां पर बहस होगी तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसके बारे में रूलिंग हो चुकी हैं कि अगर कोई मैटर सब्जूडिस है तो उस पर बहस नहीं हो सकती। मैं चाहूंगा कि आप इस पर निर्णय दें कि आज यह न लिया आय और जब हाई कोर्ट का निर्णय हो जाय तब यह लिया जाय और हमको पत्रावलियां दिला दी जायं ताकि हम बहस कर सकें।

सहकारिता मन्त्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)--

श्रीमन्, जहां तक नियम १२५ का प्रश्न है आज १०.४५ पर मिला। मैंने दिखाया कि इस प्रकार का कोई पत्र नहीं है। दूसरा सवाल जो रिट के बारे में है, उस पर बात नहीं होगी। यहां पर विधेयक पर बहस होगी और विधेयक पर चर्चा की जा सकती है। इसमें कोई बैधानिक आपत्ति नहीं है।

श्री विश्वनाथ कपूर--

रिट में यह लिखा गया है कि यह जो विधेयक है वह अनकंस्टीटयूशनल है, इल्लीगल है, यही चीज हाई कोर्ट के सामने है और इसी पर हम यहां बहस करेंगे। यह सबजुडिस है और इसके यहां लेने से हाउस आफ कामन्स और लोक सभा की सारी परम्परा ही खत्म हो जायगी।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)--

ऐसा कैसे हो सकता है कोई विधेयक यहां लाया जाय और कोई रिट हो जाय तो वह कैसे रुक सकता है। यह कोई तुक नहीं है।

श्री विश्वनाथ कपूर--

१० तारीख को उस रिट की सुनवाई है आप इसको १० तारीख के बाद ११, १२ को ले सकते हैं।

*श्री रामधारी शास्त्री--

श्रीमन्, इस संशोधन विधेयक के जरिये से मूल अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है। नियमों के अनुसार किसी भी संशोधन विधेयक में कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जिससे मूल अधिनियम का स्वरूप ही बदल जाय, बिल्कुल उल्टा ही हो जाय जब यह पहली बार इस सदन में पास होकर ५ अप्रैल, ६६ को हिन्दी गजट में प्रकाशित हुआ था। उसके साथ में जो ऐम्स एण्ड आबजेक्ट्स थे वह इस प्रकार थे--

Provision has been made for the association of non-officials to the maximum possible extent in the management of a Co-oprative Society. For this purpose it has been provided that the Chairman of the Committee of the management of such societies will be elected from amongst the elected members of the Committee.

इस प्रकार आप देखेंगे कि मूल अधिनियम में २ मुख्य एम्स एण्ड आबजेक्ट्स थे। एक तो उसमें यह था कि कोआपरटिव सोसाइटीज की जो कमेटी आफ मैनेजमेंट होगी उसमें और खास तौर से उसका जो अध्यक्ष होगा वह एक नान-आफीशियल होगा। उससे पहले इस तरह का प्राविधान नहीं था। दूसरी बात उसमें यह थी कि नान-आफीशियल ही उनमें ज्यादा से ज्यादा भाग लें। लेकिन उसके विपरीत इस संशोधन विधेयक में आप देखेंगे उसमें पहले ही स्पष्ट रूप से यह लिख दिया गया है कि--"प्रत्यक सहकारी समिति का एक सभापति और उप सभापति होगा जो इस अधिनियम, नियमों, और उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित, नाम-निर्दिष्ट या नियुक्त किया जायगा।"

श्री अधिष्ठाता--

आप तो बिल पर चले गये। यह प्रस्तुत क्यों नहीं किया जा सकता है, इसके संबंध में आप अपनी बात कहें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामधारी शास्त्री—

जब मूल अधिनियम सदन के समक्ष था तो उसके पेश करने के दो मुख्य कारणों में से एक यह था कि नान-आफीशियल्स का ज्यादा से ज्यादा एसोसियशन कोआपरटिव मूवमेंट में हो सकेगा और दूसरी जो बात मुख्य थी वह यह थी—

"It has been provided that the chairman of the committee of management of such societies will elected from amongst the elected members of the committee."

यानी जो कमेटी आफ मैनेजमेंट का चेयरमैन होगा वह इलेक्टेड मेम्बर अमंग्स्ट दि मैनेजमेंट कमेटी होगा। लेकिन यह जो विधेयक आज हमारे सामने है उसमें हर जगह यह कहा गया है कि सरकार जिसे चाहे उसे नाम-निर्दिष्ट कर सकती है। यह भी आवश्यक नहीं है कि वह सदस्य बोर्ड आफ मैनेजमेंट में से ही कोई हो। आगे पृष्ठ २ पर कहा गया है कि—"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि—(१) यदि समिति को अंश पूंजी में राज्य सरकार का अंश पच्चीस प्रतिशत से अधिक किन्तु पचास प्रतिशत से अनधिक हो, तो राज्य सरकार को प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या के, एक तिहाई सदस्य, जिनमें सभापति भी सम्मिलित है, नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा..."

सभापति के लिये यह अनिवार्य कर दिया कि सरकार द्वारा मनोनीत होगा।

श्री अधिष्ठाता—

आप तो बिल की धाराओं पर आ गये।

श्री रामधारी शास्त्री—

बिल की धारा को केवल रेफर कर रहा हूं।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

यह तो आप बहस में कह सकते थे।

श्री रामधारी शास्त्री—

मुझे दुख है कि माननीय सदस्य ने शायद सुना नहीं। मैं तो यह कह रहा हूं कि यह मूल अधिनियम की मंशा के ठीक विपरीत है। मूल अधिनियम में उसी तरह के संशोधन हो सकते हैं जो उसको बढ़ावा दे या अगर उसमें कोई बात अस्पष्ट है तो उसे स्पष्ट कर दें। लेकिन उसके उद्देश्यों के विपरीत कोई संशोधन नहीं ला सकते। अगर श्रीमन् के पास तुरन्त किताब न हो तो मैं उसे उपस्थित कर दूं।

श्री राजबहादुर चन्द—

माननीय शास्त्री जी ने जो यह कहा कि कोई अधिनियम है उसमें संशोधन यहां नहीं आ सकता। तो जब संविधान में संशोधन आ सकता है तो क्या वजह है कि सरकारी विधेयक में संशोधन नहीं आ सकता ?

श्री रामधारी शास्त्री—

यह बहस तो पढ़े लिखे लोगों की हो रही है।

(इस समय २ बजकर ५५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री विश्वनाथ कपूर—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विधेयक के संबंध में दो आपत्तियां हैं। पहली तो यह कि इसके उद्देश्य में कहा गया है कि, "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ प्रदेश में

२६ जनवरी, १९६८ से लागू किया गया। तब से तीन वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो गया है और इस मध्य अनेको ऐसी समस्यायें तथा व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं जिनका तत्काल निवारण करना अत्यावश्यक हो गया है।" यह बिल जब पुरःस्थापित किया गया उसके बाद कल लिख कर मैंने दिया कि जो इसके सम्बन्ध में कागज हों वह हम लोगों को दिखा दिये जायं लेकिन आज १० बजे तक वह यहां नहीं रख गये थे।

श्री उपाध्यक्ष—

सहकारिता मंत्री जो प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७२ पर विचार किया जाय इस पर आपको क्या आपत्ति है?

श्री विश्वनाथ कपूर—

आप सुन तो लें। वह कागजात हमें मिले नहीं और उद्देश्य में कहा कि ऐसी कठिनाइयां आयीं और ऐसी समस्यायें हुईं।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो जब खंड पर आयें....

श्री विश्वनाथ कपूर—

खंड पर नहीं, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम १२५ के अन्तर्गत विधेयक से संबंधित पत्र मांगने की शक्ति है। विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेंगे कि ऐसे पत्रों की प्रतियां यदि कोई हों, जिस पर विधेयक आधारित हो, जो गोपनीय न हों, सदन की मेज पर रख दी जायं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

उद्देश्य में दिया हुआ है कि समस्यायें और व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। तो वह कठिनाइयां क्या हैं? वह कागज पर होंगी या केवल मस्तिष्क की हैं? वह कागज यहां आ जायं, हमें मौका मिले, तब हम इसके ऊपर बहस कर सकें।

दूसरी आपत्ति मेरी और है कि विधेयक के खंड ५ के बारे में हाई कोर्ट में रिट कर दी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी खंड पर नहीं कह सकते।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मैं यह कह रहा हूं कि पूरे खंड ५ पर रिट हुई है और १० तारीख पड़ी है। उसमें यह चैलेंज किया गया है कि जो आपका संशोधन हो रहा है मूल अधिनियम की धारा ३४ में यह अवैध है। तो वह सबजुडिस है। तो मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि क्या ऐसी हालत में इसके ऊपर विचार हो सकता है?

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा फैसला हमारे यहां पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हो चुका है और आप भी कई बार जब प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि अब यह विचाराधीन हो गया और इसलिये इस पर हम बात कर सकते हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जो चीज साधारणतया और

[श्री उपाध्यक्ष]

सामान्यतः हाई कोर्ट के समक्ष है उस पर भी उन चीजों को छोड़कर जिस पर विचार के लिये हाई कोर्ट ने अपना अभिमत दिया है या विचार के लिये अपने अधीन रखा है उसके अलावा अन्य चीजों पर आप चर्चा कर सकते हैं। विधायनी शक्ति के विषय में तो बहुत अच्छे लम्बी बहस पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हुई थीं और उसका निर्णय है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई चीज है तो यह सदन की जो विधि बनाने की क्षमता है वह कुंठित नहीं होती है और वह बना सकता है। इसलिये दूसरी आपत्ति की उच्च न्यायालय में जाने के बाद कानून नहीं बना सकते, इसको मैं स्वीकार नहीं करता।

श्री विश्वनाथ कपूर---

हमारा कहना है कि ३४ धारा के बारे में हाई कोर्ट में पूरी धारा चैलेंज है उस पर आप बहस कैसे करा सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष---

कुछ भी हो समिति आगे इस राय की है कि विचाराधीन मामला विधान बनाने के रास्ते में रुकावट नहीं हो सकता। इस पर वहां बड़े लम्बे भाषण हुये हैं और इस पर मेरा दिमाग बिल्कुल साफ है और इस आपत्ति को मैं रूल आउट करता हूं। जहां तक पहली आपत्ति की बात है नियम में तो है कि विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई सदस्य मांग कर सकता है कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों ...। आप देखें कि २ रिजर्वेशन के साथ यह स्वीकार किया गया है, प्रतिलिपि ऐसे पत्रों की जो गोपनीय न हों...

श्री विश्वनाथ कपूर---

उनका कहना है कि तब से ३ साल से अधिक का समय बीत चुका है और इस मध्य अनेकों ऐसी समस्यायें तथा व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं जिनका तत्काल निवारण करना आवश्यक हो गया है..वह व्यावहारिक कठिनाइयां कहीं कागज पर होंगी, दिमाग में तो वह हैं नहीं कोई यहां डिक्टेटरशिप या मार्शल ला पाकिस्तान की तरह तो है नहीं, ३ सालकी क्या वह कठिनाइयां हैं, मंत्री जी तो अभी जुलाई से आये हैं पिछले ढाई साल की कठिनाइयां उनको कैसे मालूम हो गईं, वह सिर्फ कोई पत्र होंगे। आप अपनी व्यवस्था दें कि वह कागज रखें, वह कागज कहां हैं, उनको वह जानबूझकर छिपा रहे हैं, आप आदेश दें उन्हें कि पहले वह उन कागजों को सदन में रखें उसके बाद यहां बहस हो क्योंकि उन्होंने ३ वर्ष की दिक्कतों की बात कही है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं मंत्री जी से पूछ लेता हूं, वह इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर दें।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

श्रीमन्, मैंने तो पहले ही निवेदन किया कि ऐसा कोई पत्र जो नियम १२५ में दिये हैं, मैंने दिखवाया कोई नहीं है, इसलिये मैं प्रस्तुत नहीं कर सकता।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

जो यह शब्द ३ साल लिखे हैं इनके लिखने का आधार क्या है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

३ वर्ष का मतलब यह है कि यह मूल ऐक्ट सन् ६५ का है और यह २६ जनवरी, सन् १९६८ से लागू है और उसको ३ साल हो रहे हैं, इस बीच में जो कठिनाइयां महसूस हुईं उसके आधार पर कार्य करने में जो दिक्कतें हुईं, कमियां महसूस हुईं उनके हिसाब से यह कहा गया है।

श्री कल्पनाथ सिंह——

क्या-क्या दिक्कतें आईं, सेक्रेटरी ने क्या कहा और रजिस्ट्रार ने क्या कहा, ये सारी बातें सदन के सामने आनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष——

नियम १२५ के अन्दर पत्रावली गोपनीय हो या न हो दोनों दशाओं में इस नियम के रहते हुए आप माननीय मंत्री जी को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वे बतायें——

श्री रामबिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)——

ये यह भी नहीं कहते हैं कि यह गोपनीय है। मैं जानना चाहता हूं कि इनके क्या अनुभव हैं ?

श्री उपाध्यक्ष——

अगर पत्रावलियां नहीं हैं और गोपनीय हैं तब भी यह विधेयक लाने के लिए आपने स्वयं अपने नियमों में प्राविधान किया है।

श्री कल्पनाथ सिंह——

सरकार तो खुद कहती नहीं कि गोपनीय है। यही कह कर रखें। अब तक उन्होंने अगर यह हथियार इस्तेमाल कर लिया होता और यह कह दिया होता कि यह कागज गोपनीय है तब आपकी व्यवस्था आसान हो जाती। उन्होंने सीधा तानाशाही का रवैया अपनाया है।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव——

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७२ पर विचार किया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह——

श्रीमन्, जिस १२५ नियम का कपूर साहब ने जिक्र किया उस पर आपने क्या व्यवस्था दी?

श्री उपाध्यक्ष ——

यह मेरी व्यवस्था की चीज नहीं है, नियम की चीज है।

श्री कल्पनाथ सिंह——

तो श्रीमन्, अगर नियम का पालन नहीं होता है तो कानून नहीं बन सकता है।

श्री उपाध्यक्ष——

ये कारण देंगे और प्रकाश डालेंगे। ये कहेंगे कि ये कारण हैं और आप कहेंगे कि ये कारण नहीं थे।

श्री कल्पनाथ सिंह——

श्रीमन्, अभी बिल पर बात नहीं हो रही है। जब तक उन पत्रों की प्रतिलिपियां सदन के पटल पर नहीं रखी जातीं हैं, तब तक इस विधेयक पर विचार नहीं हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष——

विधेयक आया। उन्होंने लिखकर भेज दिया कि इससे सम्बन्धित कोई कागज नहीं हैं। यह काफी है। अब ये कारण बता देंगे और आप उसके खिलाफ अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मैं चाहूंगा कि ये पहले कारण बता दें, फिर बिल पर चलें।

श्री उपाध्यक्ष—

उसके सम्बन्ध में जो ये अपना भाषण करेंगे, उसमें बता देंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप उनको कहने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं। आपके सामने व्यवस्था का प्रश्न दूसरा है और जब तक इस व्यवस्था का निस्तारण नहीं होता तब तक आगे न बढ़ने दें।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था तो दे दी कि यदि कोई पत्रावली या कागज उसके साथ न हो तब भी विधेयक तो आ ही सकता है। अगर कोई नया विधेयक आपके दिमाग में आया हो तो बतायें?

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, यह संशोधन विधेयक नया नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

किसी कानून में कठिनाई पड़े और विधेयक लाना सकारण है या अकारण है, इसको आप अपने भाषण में बता देंगे। रख तो सकते ही हैं।

श्री रामबिलास पाण्डेय—

श्रीमन्, संशोधन विधेयक बिना कारण के आ ही नहीं सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप चाहते हैं तो मान लीजिये कि ऐसा साहित्य नहीं दिया है। और नहीं ही दिया है तो मैं अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं—

१०० "ऐसे साहित्य की अनुपलब्धि की दशा में, जिस पर विधेयक आधारित हो विचार नहीं रोका जा सकता।

२६ अगस्त, १९५८, को जौनसार–बाबर परगना (जिला–देहरादून) राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८ पर विचार के समय श्री नारायण दत्त तिवारी ने इस सम्बन्ध में कुछ नियमों की मांग की थी जिनके आधार पर यह विधेयक बना था। उनके उस समय उपलब्ध न होने पर श्री रामस्वरूप वर्मा ने यह मांग की कि जब तक कि वह नियम न दे दिये जायं तब तक इस पर विचार स्थगित कर दिया जाय। श्री अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा—

"इसका परिणाम यह नहीं होता है कि कोई विधेयक पर विचार रुक जाता है। विधेयक चलता रहेगा, अगर आप नियम चाहते हैं तो वह बाद में दे दिये जायेंगे।"

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

यहां पर नियम का प्रश्न नहीं है। इन्होंने पत्रावली देने का कारण स्वयं कह दिया है। इन्होंने स्वयं कहा है कि इस मध्य अनेकों ऐसी समस्यायें आईं। वे समस्यायें कागजों से ही उत्पन्न हुई होंगी। दूसरे एक व्यावहारिक कठिनाई है उसका भी परिणाम होगा। यह नहीं है कि इनके मस्तिष्क में चीज आई और यह कहें कि प्रस्तुत कर देंगे। अगर गोपनीय नहीं कहते हैं तो प्रमाण-पत्र पेश करना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कैसे बाध्य करूं।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन् ये कह रहे हैं कि तीन वर्षों से दिक्कतें आई हैं। तीन वर्षों से ये सहकारिता मंत्री नहीं हैं। उनको क्या-क्या दिक्कतें आई क्या वे बतायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

कागज के बारे में मैंने व्यवस्था पढ़ कर सुना दी है। जो कारण हैं और उस पर अगर आपका आग्रह है तो उस पर ये प्रकाश डाल देंगे।

श्री रामधारी शास्त्री—

श्रीमन्, मेरी भी एक आपत्ति है। मेरा निवेदन यह था कि यह संशोधन विधेयक अपने एम्स ऐण्ड आब्जेक्ट्स के अगेन्स्ट नहीं हो सकता और यह जो प्रस्तुत विधेयक है यह निश्चित रूप से उसकी मंशा को ही खत्म कर देता है।

श्री उपाध्यक्ष—

उद्देश्य और कारण विधेयक से बता सकते हैं।

श्री रामधारी शास्त्री—

श्रीमन्, मूल अधिनियम का जो उद्देश्य है उसके खिलाफ संशोधन विधेयक नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो आपके सामने नहीं है।

श्री रामधारी शास्त्री—

जो संशोधन विधेयक होगा वह मूल अधिनियम के अन्तर्गत होगा। वह किसी कठिनाई को हल करने के लिये हो तो होगा। ऐसा न हो जाय कि उसका मुख्य उद्देश्य अधिनियम का ही समाप्त हो जाय। मेरा कहना यह है कि यह जो संशोधन विधेयक है उसकी मंशा को यह खत्म करता है। उस सिलसिले में मैंने यह कहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

संशोधन का जो उद्देश्य और कारण है उसकी परिधि के बाहर आप कहें लेकिन मूल अधिनियम जब बने उस समय जैसा कि एक आपके साथी ने कहा अंग्रेजी में १९१० का था और उसके जो उद्देश्य और कारण रहे होंगे वे दूसरे होंगे। उसके उद्देश्य को कोई आगे नही बढ़ायें चाहे काम न चल सकता हो। इसका मतलब है कि हम प्रगति और बढ़ाव को रोकना चाहते हैं। जो धारा है, अब उससे बढ़ेगी नहीं। जब कोई कठोरता रिजीडिटी होगी, तो उस जकड़न के खराबी को निकालना पड़ सकता है। इसीलिये जो उद्देश्य और कारण हैं वे इसी संशोधन के तहत हैं, मूल ऐक्ट के नहीं। इसके जो उद्देश्य हैं, वे आपके सामने हैं।

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर यह मूल अधिनियम के जो उद्देश्य हैं, उनके बिल्कुल खिलाफ है। इसमें है कि सरकार चाहे जिसको सभापति निर्दिष्ट कर दे और उसमें है कि इलेक्ट किया जाय। यह उस मंशा के खिलाफ है, उसके उद्देश्य के खिलाफ है, यह संशोधन विधेयक नहीं होना चाहिये।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

मेरे मित्र भी कई बार अधिष्ठाता महोदय थे। मान्यवर इसमें केवल मूल ऐक्ट को विशुद्ध करना है, उसकी खराबी को दूर करना है। उसको कांटछांट कर कलम करने की जरूरत है।

श्री जगन्नाथ खन्ना---

तो उसको संशोधन क्यों कहें।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर रोक सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि ऐम्स ऐण्ड आबजक्ट जो हैं, ये एक कानून बनाने के लिये है। शास्त्री जी ने तो कुछ भ्रम पैदा कर दिया। दरअसल उद्देश्य और कारणों के आधार पर ऐक्ट बन जाता है। उसके बाद वे उद्देश्य और कारण छूट जाते हैं और वह एक ऐक्ट रह जाता है और उसमें संशोधन किया जाता है किसी संशोधन विधेयक के द्वारा। तो यह संशोधन विधेयक उसी के उद्देश्य और कारणों से शासित होता है, पुराने ऐक्ट के कारणों और उद्देश्यों से नहीं। यह बात बिल्कुल साफ है।

श्री रामधारी शास्त्री---

संविधान का प्रिएम्बुल बदल दिया जाय तो ठीक है किन्तु उसका सहारा लेकर.....

श्री उपाध्यक्ष---

प्रिऐम्बुल तो संविधान का भाग है। (दि प्रिऐम्बुल इज दि पार्ट आफ दि कान्सटीट्यूशन)

श्री हरिनाथ तिवारी---

जो मूल अधिनियम बना था, उसमें ऐम्स ऐण्ड आबजेक्ट थे। उसको बिल्कुल निरस्त कर दिया। ऐम्स ऐण्ड आबजेक्ट के विपरीत संशोधन नहीं हो सकता। एम्स और आब्जेक्ट के विपरीत तो संशोधन होना ही नहीं चाहिये। यहां पर जो संशोधन लाया जा रहा है, वह बिल्कुल उसके विपरीत है।

उपाध्यक्ष---

इसमें यह बात नहीं है..

श्री हरिनाथ तिवारी---

कांस्टीटयूशनली ऐसे संशोधन नहीं लाये जा सकते जो उसकी आत्मा के बिल्कुल विपरीत हों। अगर आप ओरीजनल विधेयक देखें तो उसके जो एम्स एण्ड आब्जेक्ट हैं उसमें तानाशाही की कोई बात नहीं थी। उसमें यह था कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे जैसे सभापति, सदस्य, आदि। लेकिन यहां पर जो आब्जेक्ट है वह तानाशाही वाली बात है कि 'जिसे सरकार निर्दिष्ट कर दें'...

श्री उपाध्यक्ष---

यह आप कैसे कह सकते हैं---जहां तक आपने प्रश्न उठाया उद्देश्य और कारणों का...

श्री हरिनाथ तिवारी---

मान्यवर, संशोधन दे रहे हैं। उद्देश्य और कारण जो पुराने अधिनियम के बन चुके हैं उसके विपरीत संशोधन नहीं लाया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष--

वह हमारे सामने हैं। वह कानून का अंग नहीं है--वह उद्देश्य और कारण ऐक्ट नहीं है। जब संशोधन करना होता है तभी नये उद्देश्य और कारण पैदा होते हैं, नहीं तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी।

श्री हरिनाथ तिवारी--

वह तो मानते हैं, लेकिन संशोधन वही हो सकते हैं जो एम्स और आब्जेक्ट से समानता रखते हों और जो पहले अधिनियम बन चुके हैं उनकी आत्मा को नष्ट करके एक नया रूप नहीं दिया जा सकता। इसमें यही अन्तर है।

श्री उपाध्यक्ष--

(एम्स और ओब्जेक्ट ऐक्ट के प्रीएम्बिल) उद्देश्य और कारण अधिनियम की प्रस्तावना नहीं है। वे अधिनियम के भाग नहीं हैं- जिस प्रकार से संविधान में है--[एम्स और अ ब्जेक्ट] उद्देश्य और कारण जो उसकी प्रस्तावना में हैं वह संविधान के अंग बन चुके हैं। इस समय हमारे सामने (ऐक्ट) अधिनियम हैं। उसके मूल उद्देश्य और कारण नहीं हैं। इसलिये हम अपने मार्गदर्शन के लिये उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे सामने नहीं है?

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ कपूर--

मान्यवर, यह समझ में नहीं आया। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिये अधिनियम आया कि जमींदारों को समाप्त किया जाता है। और अब अगर यह संशोधन आये कि उनको रि-इन्स्टेट किया जाता है और हमको नियुक्त करते हैं, अगर यह क्लाज ऐड किया जाय, तो क्या हो सकता है। एम्स और आब्जेक्ट के मुताबिक ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इण्टरप्रीटेशन करते हैं...

श्री उपाध्यक्ष--

आपके काल्पनिक प्रश्न का मैं उत्तर कैसे दे सकता हूं।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मान्यवर, सबसे पहले मैं इस वक्त जो माननीय सदस्यों में भ्रम है कि मूल अधिनियम की मंशा के खिलाफ है, उसका निवारण कर देना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक में जो धारा ५ है उसे देख लें जिसमें कि संशोधन प्रस्ताव है। मूल अधिनियम की धारा ३४...

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, आपने व्यवस्था दी ही नहीं और मंत्री जी ने अपना भाषण आरम्भ कर दिया..

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था तो मैंने दे दी।

श्री कल्पनाथ सिंह--

अगर आपने व्यवस्था दे दी तो शिरोधार्य है, लेकिन जो तानाशाही का बिल माननीय मंत्री जी पेश कर रहे हैं सहकारिता विरोधी..

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

ऐसा नहीं है, मेरी बात सुन लें...

श्री कल्पनाथ सिंह—

जिस भावना से प्रेरित होकर इन्होंने सदन में बिल पेश किया है, श्रीमन्, अगर आप नियम के अन्तर्गत हमारी हिफाजत नहीं करेंगे....मान्यवर, नियमों के अन्तर्गत आप ने हिफाजत नहीं दी। सरकार के इस रवैये के विरुद्ध हमारा दल एक मिनट के लिय सदन त्याग करेगा।

[कांग्रेस (संगठन) दल के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।]

*श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मूल अधिनियम की धारा ३४ में सरकार को यह अधिकार था कि अगर सरकार का किसी समिति में अंश–पूंजी हो या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सहायक हो तो उसे नामांकन का अधिकार पहले भी था और यह भी था कि अगर शासन की अंश पूंजी १६ फीसदी से ज्यादा हो तो दो-तिहाई डायरेक्टर्स तथा सभापति नामांकित करने का अधिकार पहले से था। अब जो संशोधन आया है इस विधेयक में उसमें केवल इतना है कि सरकार का जिस हिसाब से, जिस अनुपात से उसकी अंशपूंजी है या वह प्रतिभूत गारन्टी देता हो या कर्जा देता हो या डिबेन्चर बगैरह की गारन्टी देता हो, इसमें जिस अनुपात से उसका हिस्सा हो, उस अनुपात से नामांकन हो सकेंगे, हालांकि नामांकन का अधिकार पहले भी था। तो यह कहना कि मूल अधिनियम मंशा के खिलाफ है, मैं कैस कहूं, मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन जिन माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि यह मूल अधिनियम के खिलाफ है, वह धारा ३४ को देख लिये होते तो यह चीजें न कहीं गई होती।

दूसरा सवाल यह है कि धारा ५ में बहुत सारी कमियों की ओर निवेदन किया गया है। उद्देश्य और कारण जो इसमें दिये गये हैं और जो संशोधन दिया जा रहा है उसमें यह कहा है कि कहीं पर कोई समिति का बोर्ड चलता हो जो चुना हुआ हो और उसके बीच में सरकार का यह अधिकार हो जाय कि अपने दो-तिहाई डायरेक्टर और सभापति की नामजदगी करें तो किस तरह से जो जो नयी नामजदगी होगी उनको कैसे बोर्ड में जगह मिलेगी। पहले से हर जगह का प्राविधान नियमों और अधिनियम में नहीं था। उन समितियों को विधियां बना रखा था। यह कमी थी जिसको दूर किया गया है अ र उसको दूर करके प्रावीजन किया जा रहा है कि किस तरह से नयी नामजदगी होगी पुराने चुने हुए में से– किस तरह से जगह दी जायगी।

यही नही, कहीं पर नामजद बोर्ड इस तरह का दो तिहाई का और बीच में जितने हों और जितने अनुपात की जितनी गारन्टी 'जितना ऋण हो' सरकार का अधिकार होता है नामांकन करने का है, वह अधिकार समाप्त हो जाय, उसमें किस तरह से फिर चुन हुये लिये जा सकते हैं, इसके लिये प्राविधान अभी तक नहीं था जिससे कठिनाई और दिक्कत होती थी और यह सबसे बड़ी कमी थी, इसका प्राविधान इसमें किया जा रहा है।

जहां तक पहले का अधिनियम था उसमें यह था कि अगर ६० फीसदी से ज्यादा हो जाय तो सरकार को उसमें दो तिहाई डायरेक्टर तथा सभापति की नामजदगी करने का अधिकार था अब उसे इतना किया जा रहा है कि दो-तिहाई डायरेक्टर्स होंगे और उसमें सभापति भी होगा। ऐसी ही कुछ कमियों की बात हुई थी जो पहली दफा में है, उसका विरोध किया गया। इन दोनों चीजों में विधेयक व मूल अधिनियम की धारा १४ में है जिसमें रजिस्ट्रार अगर किसी समिति की विधियों में कोई संशोधन करना चाहता है तो वह संशोधन नहीं करेगा बगैर शासन की अनुमति के पूर्व।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, ४०–५० हजार सहकारी समितियां हैं सारे प्रदेश में और इस तरह से रजिस्ट्रार शासन को अनुमति के लिए भेजा करे तो मेरे ख्याल से कितने वर्ष लग जायेंगे और संशोधन वैध नहीं हो सकता, उसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है कठिनाई की वजह से जिसको दूर करने के लिए यह किया जा रहा है और जिसके लिए कहा गया है कि उसे निकाला जा रहा है। यह दूसरी बात है कि किसी का इस बारे में यह अन्याय मालूम होता है। इस विधेयक का जो आखीरी पैरा है ९८ उसमें यह अधिकार दिया जा रहा है कि अगर किसी के साथ न्याय नहीं हुआ है तो वह शासन में अपील कर सकता है।

ये सारी चीजें थीं जिससे मालूम हो जाता है कि हमने कार्य करने में जो दिक्कतें और कठिनाइयां थीं उनको दूर करने का प्रयत्न किया है। नामांकन का सवाल था। केवल अनुपात के हिसाब से इसमें नामांकन करने का प्राविधान हुआ है। धारा ३४ में यह था कि २/३ उसके संचालक होंगे उसके अलावा अब केवल १० ही हो गये हैं। पहले यह था कि ६० फीसदी से ऊपर होगा और अब कर दिया गया है कि ५० से ६० फीसदी तक होगा। आधे से ऊपर नामजद हो सकेंगे और वह अधिकार उस समय तक रहेगा जब तक शासन का हिस्सा और गारन्टी या कर्ज घटकर ४० के नीचे नहीं आ जाय। पहले भी था ६० तक करेंगे जब तक कि वह ५० फीसदी से घटकर नीचे नहीं आ जाय या फिर पांच वर्ष नहीं बीत जाय। पांच वर्ष निकाल दिये गये हैं। अगर इस तरह से सरकार का हिस्सा, गारन्टी या ऋण २५ से लेकर ५० तक हो तो उस समय शासन को अधिकार होगा डाइरेक्टर और सभापति को नामजद करने का अधिकार शासन को होगा। वह उस समय तक चलेगा जब तक वह घटकर २० फीसदी से नीचे न आ जाय।

सारे प्राविधान पहले भी थे लेकिन आज कुछ कमियों और कठिनाइयों की तरफ शंका प्रकट की गई। आज हमारी बहुत सी समितियां हैं जिनमें शासन का बहुत पैसा लगता है। आगे भी बहुत सी समितियां बनने वाली हैं, फैक्ट्री जैसे और कारखाने तथा प्रोसेसिंग यूनिट्स लगने वाली हैं जिनमें सरकार का और अधिक पैसा लगेगा। छोटे मोटे और भी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे जिनमें हमको काफी पैसा लगाना पड़ेगा जो आगे बजट में आयेगा। एम० सी० डी० सी० से यह पैसा मिलता है। एक उदाहरण देता हूं कि ४० लाख की यूनिट में ७० या ७५ फीसदी वे देते हैं और अगर कोई बहुत पिछड़ा हुआ है तो ८० फीसदी तक दे देते हैं। अब ८ लाख बच गया वह कहां से आयेगा। अब ८ लाख इकट्ठा करने में वर्षों लग सकते हैं और जब तक कि वह एकट्ठा होगा। जब तक कि वह ८ लाख इकट्ठा होगा तब तक कास्ट बढ़ जायेगी और उसकी कीमत ५० या ६० लाख हो सकती है। इसलिए यह सोचा जाता है कि सरकार की तरफ से वह पैसा लगा दिया जाय। सरकार का हिस्सा या पूंजी के रूप में यह होगा। इस प्रकार से उनका काम नहीं रुकने पायेगा। अगर ज्यादा दिन लग जायेंगे तो उस योजना की कीमत बढ़ जायेगी।

यही कुछ चीजें हैं जिससे इस बात की आवश्यकता है कि शासन का उसमें पैसा लगे और वह पैसा आता है जनता से टैक्स के द्वारा। जिस हिसाब से पैसा लगता है उस हिसाब से कहीं कहीं सरकार के नामजद डाइरेक्टर या सभापति होते हैं। यह ठीक है कि सहकारी आन्दोलन असरकारी आन्दोलन है और इसका संचालन गैर सरकारी रहता है लेकिन उसमें जितनी सरकारी सहायता आती है और वह जितनी अधिक सरकारी सहायता होती है उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है। इसलिये इसका होना परमावश्यक है। साथ ही बहुत इनकी संस्तुतियां हैं जिन पर विस्तार कर जाते हैं कि किस हिसाब से हुआ है। वह सारी बातें माननीय सदस्यों के विचार में आ जायेंगी। इसके बाद जब इन पर विचार होगा तो निवेदन करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार आरम्भ किया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७२ को जनमत संग्रह के लिये एक माह तक परिचालित किया जाय।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में सहकारिता के इतिहास में आज एक कलंक का दिन है जिस दिन इस सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटा कर सरकारी नौकरों को केवल उन स्थानों पर भरने के लिये सरकार ने यह बिल पेश किया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो बिल सामने है उस पर कपूर साहब और हरिनाथ जी तिवारी ने आपका ध्यान आकर्षित किया कि यह विधेयक इसके उद्देश्य और कारणों के विपरीत इस सदन में लाया जा रहा है। इसके उद्देश्य और कारण क्या हैं? जिले जिले में बैंक और फेडरेशन के अध्यक्ष कौन होते थे? जो सरकारी प्रतिनिधि थे वह उपाध्यक्ष होते थे और मैनेजिंग डाइरेक्टर कहलाते थे और दूसरे डाइरेक्टर कहलाते थे।

आज जब यह पुराना अधिनियम बना था उस समय सरकार की तरफ से स्थिति साफ की गई थी। उसके उद्देश्य और कारणों में कहा गया था। इसका प्राविधान किया गया था कि अब इस प्रदेश में सरकार के नौकर चुने हुये प्रतिनिधियों के सिर पर नहीं बैठेंगे। इसी भावना के अन्तर्गत यह अधिनियम बनाया गया था लेकिन आज यह दुर्भाग्य का दिन है कि राजनैतिक भावना से प्रेरित होकर इस सदन में इस सरकार ने यह बिल पेश किया है। केवल एक आदमी के लिये यह बिल पेश हुआ है। मुझे कहने की इजाजत दी जाय कि अगर श्री शिवमंगल सिंह जी दलबदलू सरकारी लोगों के साथ जाकर उधर पार्टी ज्वाइन न कर लेते तो शायद यह बिल इस सदन में न आता। इसीलिये आज यह स्थिति पैदा कर दी गई है कि किसी स्वाभिमानी आदमी को इस प्रदेश में अपनी राजनैतिक जिन्दगी चलाने के लिये दुभर होना पड़ रहा है। इनके हाथ में यह संशोधन है और इनके हाथ में ही पुलिस, कलेक्टर, कमिश्नर और सारे अफसर हैं और इस अफसरशाही का प्रयोग ये कैसे करेंगे इसका जीता जागता उदाहरण इस सदन में आपके सामने उपस्थित है। मैं यह कहने के लिये मजबूर हूं कि जिन राजनैतिक कारणों से इस सदन में यह बिल लाया गया है अगर यही कारण इस प्रदेश में चलते रहे तो निःसन्देह सहकारिता आन्दोलन की शकल ही बदल जायगी और जनता का विश्वास टूट जाएगा। मैं यह भी कहने के लिए मजबूर हूं कि आज इस प्रदेश में यह नादिरशाही हुकूमत, यह हिटलरशाही हुकूमत, यह अयूब खां और यहिया खां के पदचिन्हों पर चलने वाली हुकूमत जिस प्रकार प्रजातंत्र का गला घोंट रही है, वह दिन दूर नहीं है जब उन्हीं लोगों की तरह इस सरकार को भी जाना पड़ेगा और वह दिन देखना पड़ेगा जो यहिया खां अपने मुल्क में देख रहे हैं।

कहा जाता है कि सरकारी पैसा सुरक्षित नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसके पूर्व जितने कोआपरेटिव बैंक बने, फेडरेशन बने या और कोआपरेटिव यूनिट्स बने, चाहे प्रोसेसिंग के हों या दूसरे हों, उन यूनिटों में कितने लोगों ने इस बात को देखा कि उन लोगों ने इस भावना के विपरीत कार्य किया। आज एक आदमी को हटाने के लिए, और उस आदमी को जिसका कि काम ऐसा था कि न केवल यहां के सरकारी अफसरों ने तारीफ की—इनके सरकारी अफसरों में कभी उस काम को गलत नहीं बताया, अगर गलत बताया होता, सरकार में अगर दम होती तो उस बात को कहती कि फलां समय पर उस बैंक का काम खराब रहा, उस सभापति के अन्तर्गत खराब रहा। लेकिन न केवल इस सरकार के लोगों, न केवल रजिस्ट्रार ने बल्कि रिजर्व बैंक के लोगों ने, विश्व बैंक के लोगों ने, केन्द्रीय सरकार के लोगों ने समय-समय पर उस बैंक की और उस व्यक्ति के इन्तजाम की तारीफ की। और जिसकी तारीफ सारे लोगों ने की वही व्यक्ति, वही इन्तजाम आज सरकार के सामने सबसे खराब हो गया। बहुत उछल-कूदने वाले लोग बैठे हैं।

मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ संशोधन इस प्रकार के भी आयेंगे कि अब परिधि बढ़ा दी जाय ताकि कुछ लोग इस चंगुल से बाहर हो जायं। सारे प्रदेश में किन-किन बैंकों में, किन-किन प्रोसेसिंग यूनिट्स में और किन-किन संस्थाओं में सरकार का कितना-कितना रुपया लगा हुआ है और उन संस्थाओं में आज तक यह नामजदगियां क्यों नहीं की गयीं? उसका एक कारण है। यह दुनिया को दिखाना चाहते हैं, एक हद होती है बेहयाई की, उस हद तक जाना चाहते हैं कि दुनिया वाले देखो अगर हमारे चंगुल में नहीं रहोगे तो तुमको इस तरह निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा और वही ऐशो-आराम कर सकता है—चाहे जितने गबन किये हों, चाहे जितनी गड़बड़ियां की हों—जो सरकारी पार्टी में पहुंच जाएगा, उसके सात खून माफ हो जाएंगे। यह इस सरकार की नियत है। आज इसीलिए मजबूरी हो रही है कि धीरे-धीरे लोग खिसते चले जायं।

एक सदस्य—

आप भी चले आइए।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आऊंगा, घबराइए नहीं, लेकिन जब आप इधर आ जाएंगे तब। वह दिन आपने देखा है और फिर देखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, भाषण में मंत्री जी ने क्या कहा? कहा यह कि ४०,००० समितियां हैं, रजिस्ट्रार सरकार से पूर्व अनुमोदन कैसे ले लें, इसमें बड़ी डिले होती है। यह सही है ४०,००० समितियां हों, आपके पास फीगर्स हैं, चाहे एक-आध कम या एक-आध ज्यादा। हम भी उसे मान लेते हैं। आखिर, इस काम में आप को दिक्कत कहां पड़ी। कागज मांगने की बात की गई। जो पत्र मांगा था उसे सदन के पटल पर रखा जाता। अगर यह कठिनाई थी तो उस कठिनाई को इस सदन के सदस्यों के सामने क्यों नहीं रखा गया? तब आप कह देते कि कोई कागज नहीं है। इन ४०,००० समितियों को क्या कठिनाई हुई? आपको यहां बैठे-बैठे इल्हाम हो गया कि समितियों को कठिनाई हो रही है। इल्हाम हो गया, कागज कुछ नहीं है। ठीक वही हालत है जैसा कि कपूर साहब ने कहा कि कुछ मस्तिष्क में उपज रहा है, यह कठिनाई होगी, वह कठिनाई होगी। तो यह कठिनाई मस्तिष्क की उपज है—एकदम सीधी-सीधी उपज है मस्तिष्क की। इस बात की सफाई की गई होती कि ४०,००० सहकारी समितियों को इस ऐक्ट के नाते ये कठिनाइयां हो रही हैं और इसलिए यह विधेयक लाया जा रहा है, तो बात समझ में आती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्या किसी ने कोई बरख्वास्त दी, किसी ने रिपोर्ट की या रजिस्ट्रार ने आपसे कहा कि समितियों की कठिनाई हो रही है? यह कहीं कुछ नहीं है। इल्हाम हो गया होगा, क्योंकि अन्तरात्मा का युग है।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

किसी के अन्तरात्मा न हो तो?

श्री कल्पनाथ सिंह—

किसी के वह न होगी तो इसी तरह चुप होगा।

औद्योगिक यूनिटों में एक कारण यह बताया गया कि पैसा लगने का सवाल है, चूंकि कुछ पैसा लगने वाला है, नई यूनिटें खुलने वाली हैं, उनका शेयर इकट्ठा नहीं होगा, इसलिए नामजदगी का सवाल है। मैं पूछता हूं कोई भी प्रथम समिति आपने नामजद न की? उसमें किसने रोक रखा था। पुराने ऐक्ट का हवाला दिया, वह इसी काम के लिये ही बना हुआ था, चाहते नामजदगी कर देते। लेकिन जब एक बार चुनी हुई समिति अपने कार्यकाल में आ गई, उसने अपना काम शुरू कर दिया, उसका कारोबार बढ़ गया और उसकी तरक्की दिन दूनी रात

[श्री कल्पनाथ सिंह]

चौगुनी हो गई, तब आप की निगाह उधर क्यों लगी है? क्योंकि उनको देख कर आपको तकलीफ होती है, आपको इतना दुःख क्यों हो रहा है? श्रीमान् जी, आप रहेंगे या न रहेंगे, सदन के ४२५ माननीय सदस्यों में से हो सकता है ४२५ ही किसी चुनाव में हार जाएं और दूसरे लोग आ जाएं, लेकिन संस्थाएं रहती हैं, यह विधान सभा रहेगी और सहकारी संस्थाएं बनी रहेंगी। कहीं कोई ऐसा तानाशाह पैदा न हो जाए जो कहे कि उद्देश्य और कारणों के रहते हुए हम इस संविधान में भी संशोधन करेंगे कि विधान सभा न रखी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही होगी कि उद्देश्य और कारण कहीं जाएं, संविधान में संशोधन कर लिया जाए कि विधान सभा नहीं रहेगी? यह भी हो सकता है कि चुनी हुई विधान सभा के ५ साल के कार्यकाल की जगह पर शून्य कर दिया जाये। आप बताइये कि क्या उस भावना के विपरीत भी इस प्रकार का कोई संशोधन हो सकता है? फिर तो केन्द्र की सरकार भी कभी यह कह सकती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इतना कर्जा दिया, उस पर इतना बकाया है, इतनी गारन्टी ली, उसने इतने ऋण-पत्र जारी किये, या दूसरी संस्थाओं से ऋण लिये, इसलिये इन चुने हुये प्रतिनिधियों को अब रहने की जरूरत नहीं है और इनकी जगह चीफ सेक्रेटरी या आई० जी० या कोआपरेटिव का रजिस्ट्रार चीफ मिनिस्टर होगा, अन्य सेक्रेटरीज मिनिस्टर होंगे तथा जो डिप्टी सेक्रेटरीज वगैरह हैं वे विरोध पक्ष में बैठेंगे। तब आप और पंडित जी मिल कर क्या करेंगे? आज जो देश की हालत है उसमें फिर कौन आप के लिये आंसू बहाने जायेगा? आप की जगह तो सब आफिसर्स ले लेंगे। आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसलिये आप जरा गम्भीरता पूर्वक इस पर विचार करें।

आज सहकारिता के आन्दोलन पर ही कुठाराघात हो रहा है। इन लोगों ने प्रजातंत्र की जड़ को काट दी है। एक तरफ तो इन्होंने जनता पर टैक्सों का भार डाल कर तबाह किया है दूसरी ओर उसके अधिकारों की रक्षा नहीं की है। इसलिये अगर जनता इनको निकाल बाहर करे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं इसलिये इस बिल का घोर विरोध करता हूं चूंकि यह प्रजातंत्र के मूल सिद्धान्तों का विरोधी है, चूंकि यह सहकारिता की भावना का विरोधी है, चूंकि यह पार्टी बाजी की भावना को प्रेरित करता है, चूंकि यह लोगों में अनैतिकता का संचार करता है, चूंकि यह अफसरशाही को सर्वाधिक बढ़ावा देता है और चुने हुए प्रतिनिधियों के सर पर जा कर बैठता है। मैं इन सब कारणों से इसका विरोध करता हूं। कल आप नाराज हो रहे थे जब मैंने कहा इस बिल के लिये काफी समय चाहिये, आज आप ने देखा कि साढ़े ३ बजे यह बिल यहां पेश हुआ। ३ दिन की जगह इसको ३ घंटे का समय भी नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति ने समय निर्धारित किया, सदन ने उसे तय किया, मैंने कुछ नहीं किया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप ऐसा भी कर सकते थे कि ५ बजने में एक मिनट पूर्व एक्साइज वाले बिल को समाप्त करते और फिर १ मिनट में इस विधेयक को पास करा लेते। एक मिनट में यह पास हो जाता और फिर झंझट खत्म थी, लेकिन उन भावनाओं का आदर नहीं किया गया, आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें। उल्टे मुझे यह कहा गया था कल, जो पैसा वसूल करवा रहे हैं जगह जगह, सहकारी समितियां अपने अफसरों के डंडे के बल पर, उस पर भी विचार करेंगे।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

उसका वाद अभी मैं देना चाहता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

दीजिये, दीजिये, जादू वह जो सिर पर चढ़ कर बोले, श्रीमन्, इन्हें बोलने दीजिए।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

आप बोल लीजिए, तब मैं साथ ही में जवाब दे दूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

देखा श्रीमन्, यह भाग गये। यही मैं कहता था, मैं जानता था।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रजातंत्र बहुमत का शासन होता है। बहुमत के निर्णय के अनुसार निर्णय हुआ और उसी के अनुसार यह हो रहा है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए।

श्री कल्पनाथ सिंह—

प्रजातंत्र बहुमत का शासन होता है, लेकिन वह अत्याचारी और अनाचारी नहीं होता है वह हमेशा अल्पमत का आदर करता है।

श्री उपाध्यक्ष—

कल जो आपका एक प्रश्न था नियम ५६ में, अब आपको यह मौका मिला, यह मेरी बात का ही समर्थन हुआ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह मैं जानना चाहता हूं, मुझको क्या इतनी देर का समय है, जितनी देर तक मैं बोलना चाहूं?

श्री उपाध्यक्ष—

४२६ का सदन है, सबको देखना है मुझे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप एक बात कीजिए मेहरबानी करके। कल आपने कहा था कि यदि आप को अवसर नहीं मिलगा तो . . .

(व्यवधान)

मुझे आज उस बात के लिए अवसर मिल नहीं रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप को पूरा मौका दिया गया है और आप पूरा मौका ले रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मुझे मौका नहीं है। मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय चाहिए और अन्य सदस्यों को भी समय चाहिए और आप समय दीजिए। कल मेहरबानी करके उस विषय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने की मुझे आज्ञा दीजिएगा, वह अपना अधिकार मैं सुरक्षित रखता हूं। अब मैं इस बिल के बारे में कहना चाहता हूं। आज अफसरों का रवैया क्या हो गया है, यह मैं याद दिलाना चाहता हूं। कोआपरेटिव सोसाइटीज में आज हालत यह है कि डी० आर० और ए० आर० इत्यादि जितने अफसर हैं सब घूमघूम कर बिना किसी प्रस्ताव के लोगों से पैसा मांग रहे हैं और कहते हैं प्रस्ताव करते रहो। (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह]

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आखिर जिस प्रकार की घटना इस प्रदेश में चुने हुये प्रतिनिधियों के रहने के बावजूद हो रही है, अगर यह बिल पास हो गया इस सदन में, तो आप इत्मिनान रखिये या यह कि कोआपरेटिव का पैसा खाएगा अफसर और कलंकित होगा जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि ललचाई हुए आखों से। केवल कुछ प्रतिशत पा जाएगा वह और सारा खायेगा अफसर। जनता के प्रतिनिधियों का हौसला पस्त करने के बाद सरकार के दृष्टिकोण से उस पर कुठाराघात के लिये, और जनता के प्रतिनिधियों को बदनाम करने के लिये यह बिल लाया जा रहा है।

(व्यवधान)

तिगिड़ बिगिड़ करके, जल्दी जल्दी तरीफ करेंगे तो नामजदगी हो जायगी, वह इससे होने वाली नहीं है। उनके पास अपनी अलग एक लम्बी लिस्ट है। अफसरों की जो पहले से मौजूद होंगे वह रह जायेंगे, नयी नामजदगी लोगों की नहीं होगी।

उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि औद्योगिक समितियों में---व्यावसायिक और औद्योगिक दोनों की बात कह रहा हूं---पांच हजार की धनराशि काफी नहीं है, उनके शेयर कैपिटल में। वह बढ़नी चाहिए। ठीक, मैंने माना। कहा गया है कि रुपये का मूल्य कम हुआ इसलिए बढ़ना चाहिए। अवमूल्यन का कारण आज समझ में आया है। अवमूल्यन हुआ कब, कारण समझ में आया आज कि पांच हजार से बढ़ कर यह धनराशि और अधिक होनी चाहिए। सहकारिता की भावना यह थी कि पूंजीपति अपना रुपया लगा कर सहकारिता पर न छा जाय। छोटे छोटे लोगों की सहकारिता सहारा बने। छोटी छोटी रकमों से पूंजी इकट्ठा हो। इस भावना के विपरीत भी अवमूल्यन का सहारा ले कर और दूसरे कारणों का सहारा ले कर पांच हजार से वह धनराशि बढ़ाने का प्रयास होगा क्योंकि गरीबों की गोद से इस सहकारिता आन्दोलन को निकाल कर पूंजीपतियों के गृह में प्रवेश करवा दिया जाय। यह पूंजीवादी मनोवृत्ति इस सरकार की अन्य क्षेत्रों में घुसी हुई थी। इसने सहकारिता के आन्दोलन को भी नहीं छोड़ा। यह कारण उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है, उसकी मनोदशा के पीछे छिपा हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कहा गया है कि तीन साल तक का समय बीत गया तब यह प्वाइंट आपके सामने आया, तीन साल में कौन बड़ी भारी घटना हो गयी? इसके पूर्व भी यहां सरकार होगी। मंत्री जो वही थे। माननीय मुख्य मंत्री दूसरे थे। सरकार को यह जानकारी उस समय नहीं हुई। आज यह बात बीत चुकी। जब उस समय भी मंत्री महोदय विराजमान थे, उस समय जानकारी नहीं हुई, आज हुई। तब तो बात कही नहीं गयी। जब व्यवस्थित ढंग से सरकार का काम चल रहा था, कोई उथलपुथल नहीं थी और जब तक माननीय मन्त्री जी ने त्याग पत्र नहीं दे दिया तब तक मामला ठीक था लेकिन यह बात सदन के सामने नहीं लाई गयी। अध्यादेश के अन्तर्गत भी यह बात उस समय जनता के सामने आ सकती थी चाहे सदन बैठे या न बैठे लेकिन यह बात नहीं हुई। आप देखें कि कठिनाइयां क्या हैं? क्या यह कठिनाइयां ऐसी हैं जिनमें कोई व्यावहारिक बात थी और अगर थी तो क्या उस समय अफसरों को मालूम नहीं हो सका जो आज मालूम हो रहा है? फर्ज कीजिये किसी के पैर में कांटा घुस गया और वह इस सरकार के पास जाता है और कहता है कि उसके पैर में कांटा चुभ गया है तो सरकार तलवार ले कर सर साफ कर देती है यानी न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। यही भावना है कि सर काट दिया जाय और इसलिये इत्मीनान है कि इस सदन में उन की संख्या है जिसके बल पर यह बात भी उनकी तसलीम कर ली जायगी जब कि एक भी विरोधी दल सरकार की इस बात का समर्थन नहीं करता है।

खुश किस्मती से मुख्य मन्त्री जी भी मौजूद हैं। इस बहस के अवसर पर मुझे यह जान कर प्रसन्नता होगी क्या ऐसे अवसर नहीं आये हैं कि जब विरोधी पक्ष चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसने एक स्वर से सरकार की किसी भावना का विरोध किया है तो प्रजातांत्रिक पद्धति के

अन्तर्गत सरकार ने अपने बिल वापस लिये हैं। ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे जब सरकार ने देखा कि विरोध प्रबल है तो उसकी भावनाओं का आदर करते हुये एक दूसरा स्वरूप भी निकाला गया और वह स्वरूप यह है कि आपसी बातचीत के लिये उसे प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति में भेजा जाता है। मैं चाहूंगा कि मुझे इस बात का उत्तर दिया जायगा कि मूल अधिनियम इस सदन की प्रवर समिति या विधान मंडल की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किये गये या नहीं ?

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

व्यवस्था का प्रश्न है। ४ बज गये हैं। इस समय नियम ५१ के प्रश्न आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

नियमानुसार सब के बाद उनको लिया जाता है।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

श्रीमन्, ४ बज चुके हैं, नियम ५१ की सूचनाओं का क्या हुआ . . .

श्री विश्वनाथ कपूर—

४ बजकर १० मिनट हो गये हैं और अभी तक नियम ५१ की सूचनायें नहीं दी गईं। यह नियम के विरुद्ध हो रहा है . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है नियमानुकूल ही और आपके फैसले के अनुसार ही हो रहा है।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

श्रीमन्, मैंने दो-एक प्रश्न नियम ५१ के सम्बन्ध में दिये थे उनके बारे में आप बतायें कि क्या हुआ। कुछ जासूसों के बारे में मैंने आपको सूचना दी है जिसमें कि हमारे एक गृह उपमंत्री का भी हाथ बताया जाता है . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अब इसके बाद होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो संशोधन विधेयक पेश हुआ है उसके सम्बन्ध में जो अधिनियम पेश हुआ था सम्भवतः यह भी सेलेक्ट या ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में ही गया था। उसमें भी शायद कुछ ऐसी ही बात चेन्ज हुई थी कि उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि सरकारी अधिकारियों को हटाकर उसको चुने हुये प्रतिनिधियों के हाथ में सौंपा जाय। आज उसका उल्टा हो रहा है। क्या सरकार ने इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं की। पहले तो सरकार की तरफ से ही यह प्रस्ताव आना चाहिये था न कि विरोधीदल के तरफ से कि हां, इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेज दिया जाना चाहिये। लेकिन नहीं। हमारा जो यह प्रस्ताव है उसमें जनता की भी राय लेनी चाहिए। जनता की राय के अनुसार अगर सरकार का दावा है कि यह कार्यवाही की जाय तब तो ठीक है जनमत संग्रह के लिये जाने दिया जाय और अगर जनता की राय पर भी विश्वास नहीं, सदन के सदस्यों पर विश्वास नहीं और विश्वास केवल अपने हित पर है तो ठीक है, जो चाहो वही फैसला कराइये किन्तु इतना निश्चित है कि फिर सरकार को किसी बात में यह कहने का कोई अधिकार नहीं रह जाता कि उसका उनसे किसी प्रकार अभिप्राय नहीं है।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

आज इस प्रकार से विरोध पक्ष की भावनों को तिलांजलि देकर अगर संख्या के बल पर अपना शासन सदन में भी चलाना चाहते हैं तो हरिजन-हरिजन विरोध पक्ष भी उनकी उस भावना का कभी आदर करने वाला नहीं रह जायेगा और इसीलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सरकारी पक्ष कहता है कि दोनों बातें सामने आती रहती हैं, तो चलाइये और देखें। सारे प्रदेश की जनता देखे। यह सरकार जनता की भावनाओं को तिलांजलि दे बैठी है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है, इसे जनता ही देखेगी और यह देखें कि जो नतीजा अभिप्राय है इस बात का कि प्रजातंत्र के नशे में। और प्रजातंत्र की बोतल में तानाशाही की शराब कैसे पका करती है। यह देखने की चीज है। सीधे-सीधे लेकिन प्रजातंत्र का है शराब है तानाशाही की।

मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि आप यह चाहते हैं कि धीरे-धीरे जनता को इस बात के लिए आदेश कर दिया जाय कि वह अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के प्रति आंख बंद ले और यह उसकी शनैः-शनैः उपेक्षा करते चले जायं। मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि उद्देश्य और कारण में कहा यह जा रहा है कि "कुछ सहकारी चीनी फैक्टरियों के संबंध में वर्तमान वस्तुस्थिति को, जो अब तक धारा ११३ के अधीन आदेश द्वारा नियमित की जाती रही थी, अधिनियम में संशोधन द्वारा नियमित करना आवश्यक है।" क्या आवश्यकता है उसकी? जो आदेश द्वारा नहीं हुआ था उसको अब अधिनियम में ले आना चाहते हैं। वह प्रतिनिहित विधायन का रहा होगा वह हिस्सा, सरकार को दिया गया होगा और अब उसको इसमें ले आना चाहते हैं। यह भी बात थी तो यह भी कारण साफ तौर से बना मुनासिब नहीं समझा गया कि कानूनी कठिनाई उपस्थित हुई, लेकिन नहीं।

एक कठिनाई है और वह कठिनाई है कुछ सहकारी चीनी मिलें और नयी खड़ी हो रही हैं, जो पश्चिम की हैं उनको छोड़ कर वे हो चुकी हैं। कुछ में फिर वही भावना प्रतीत होने लगती है, मालूम होता है सरकार के मन में है कि वह वहां भी प्रतिनिहित विधायन को दी गिया हुआ है उसके अन्तर्गत आदेश को हटा कर दूसरी कोई शक्ल ले आकर नामजद और संभवतः वही दो तिहाई सभापति सभा करने का इरादा सरकार का हो। फिर मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि केन सोसाइटियों के सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है? वहां भी तो यह स्थिति आयेगी फिर? क्या उसका कोई अलग से बिल ले आने का सरकार का इरादा है जो इस सहकारी समिति के बिल से भिन्न होगा? और जब यह इरादा नहीं है कि सहकारिता के दृष्टिकोण को आप समाप्त करें तो क्यों इस तरह की व्यवस्था की जा रही है, मैं यह जानने में असमर्थ रहा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। वह यह कि कहा गया कि सरकार ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और उसकी पूंजी बैंकों में कुछ लगी हुई है। तो वह तो सारे का सारा सरकार का है, उसमें पूंजी उसकी लगी हुई है, लेकिन संचालक मंडल वहां नामजद नहीं हुआ और प्रदेश भर में एक भूमि विकास बैंक जिसका अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (संगठन) का उपाध्यक्ष है, श्री शिवमंगल सिंह हैं, वे इसे बरदाश्त नहीं हो सके। केन्द्र की सरकार ने तो एक भी बैंक का संचालक मंडल नहीं बदला।

जिनको यह कहा गया था कि ये पूंजीपतियों के व्यक्ति हैं और वह थे और आज भी हैं लेकिन सरकार ने उनको बदला नहीं, जिनके एप्वाइंटमेंट उनके मैनेजमेंट ने कर रखे थे और इन्होंने एक आदमी के लिये पूरा बिल पेश कर दिया। इतना ही नहीं ऐसा भी कर दिया कि ऐसे भी हैं बैंक जिनकी पूंजी ५ लाख से ऊपर है। ५ लाख कह कर डरा दिया कि नीचे वाले लोग वंचित हैं। ऊपर वाले बैंकों के अगर सभापति एम० एल० ए० हैं तो वे विरोधी दलों को छोड़ कर इधर आ जायं या फिर वे नहीं हैं और उनके ही दल के हैं तो वे आकर उनको साष्टांग दण्डवत करें। अब शायद संशोधन हो जाये कि ऐसे बैंक जिनकी पूंजी १५ लाख या इससे ऊपर हों। मेहरबानी करके ५ लाख और १५ लाख के बीच के बैंकों के नाम बतायें कि वे किस

किस जिले के हैं। कौन-कौन उनके सभापति हैं। अब मैनेजिंग डायरेक्टर तो खत्म हो गये। आप देखेंगे कि जब यह स्थिति उनके सामने आयेगी कि ५ के बजाय १५ लाख कबूल करना पड़ेगा क्योंकि अध्यादेश में ५ लाख है और विधेयक में भी ५ लाख है तो फिर अगर कोई संशोधन सरकार कबूल करे, ऐसा संशोधन तो इस प्रदेश की जनता और जनता के समझाने वाले लोगों को यह साफ कहना चाहिये कि यह सौदा कैसे हुआ ?

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जो अधिकारों के दुरुपयोग की बात है, वह भी जो इस बिल में संशोधन हो रहा है उससे दूर नहीं कहा जा सकता और जब सरकार अधिकारों के दुरुपयोग पर उतारू हो जाय, ऐसी भावना आने लगे तो सरकार को यह चाहिये कि ऐसी बातों से वह दूर रहने का प्रयास करे जिस जन मानस में यह बात न आने पाये कि सरकार अपने पदों का दुरुपयोग कर रही है।

श्रीमन्, एक निवेदन करना चाहूंगा और वह यह है कि केवल एक आंकड़ा देना चाहूंगा। इसलिये कि जिन बैंकों में तब्दीली नई हुई है, उनकी रिकवरी का प्रतिशत और पैसे बांटने का प्रतिशत मंत्री जी बतायें तो मैं मानने के लिये तैयार हो जाऊंगा कि जो इन्तजाम में चेंज की है तमाम बैंकों में वह सही है।

आप देखें कि भूमि विकास बैंक में सन् ६०–६१ में .२२ से शुरू हुआ मुनाफा और इस समय उसका मुनाफा लगी हुई पूंजी से भी ज्यादा हो गया है। संभवतः वह १००.५० प्रतिशत हो गया है। अब इसकी रिकवरी का प्रतिशत देख लीजिये। इस वर्ष जब कि अतिवृष्टि की बड़ी भयावह स्थिति थी और सारे बैंकों पर उसका असर पड़ा था, इसके बावजूद भी इसकी रिकवरी ७७.७८ प्रतिशत रही जो तीन चौथाई से हर हालत में ज्यादा है किसी किसी साल में तो रिकवरी ९० फीसदी या इससे भी अधिक रही है। जो अन्य बैंक लांग टर्म लोन देते हैं उनको भी देख लिया जाय कि उनकी कितनी रिकवरी है। कहां इसकी पूंजी डूब रही थी। इस सरकार को कैसे इस बात का इल्हाम हो गया कि पूंजी डूब रही है। किसी आफीसर ने भी शिकायत नहीं की थी और अगर की थी तो तारीफ ही की थी।

गवर्नमेंट आफ इंडिया के मिस्टर कुरेशी जो यहां जांच के लिये आये थे उन्होंने इस बैंक के काम को 'एक्सलेंट' की संज्ञा दी थी। इससे अच्छा भला और कौन सा शब्द हो सकता है। फिर ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण आपने उस पर कब्जा करने का फैसला किया है। कोई कारण नहीं है,। केवल एक बात है कि इस दल ने विरोधी दलों का सफाया करने का येनकेन प्रकारेण फैसला कर लिया है और उसी के तहत एक यह हथियार है कि बैंकों के सभापतियों और उप सभापतियों के प्रति। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों की तारीफ करना चाहता हूं कि बैंकों के सभापतियों और उपाध्यक्षों ने इस सरकार के सामने घुटने नहीं टेके और वह सरकार की गलत नीतियों का बराबर विरोध ही करते रहे। मैं चाहता हूं कि प्रदेश की जनता इस सरकार के काले कारनामों को देखे और जो प्रजातंत्र के नाम पर कलंक है, काले कारनामों पर अपने विचार बना कर, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दे। यह सरकार प्रजातंत्र और सहकारिता की विरोधी है। ऐसी सरकार को प्रदेश चलाने का कोई हक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब साढ़े चार बज गये हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि इसको आज स्वीकार करना है इसलिये इसको निश्चित समय में समाप्त हो जाना चाहिये। नियम २२७ में है :—

"निश्चित समय पर अवशिष्ट विषयों का निस्तारण—सदन के संकल्प के अनुसार निश्चित समय पर किसी विधेयक के किसी विशेष प्रक्रम अथवा अन्य कार्य को पूरा करने के लिये अध्यक्ष विधेयक के उस प्रक्रम अथवा अन्य कार्य से संबंधित समस्त अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेंगे।"

तो मैं इसको अब रखूंगा क्योंकि समय तो है नहीं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष—

तो उसको रखेंगे लेकिन भाषण देने के लिये समय नहीं है। उस पर वोट ले लेंगे।

श्री विश्वनाथ कपूर—

यह ऐसा विधेयक है जिसका प्रदेश के लाखों आदमियों से संबंध है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक पर अब आज विचार नहीं हो सकता तो कल के लिये रख दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं तो प्रतीक्षा में था क्योंकि साढ़े ४ बजे हैं कि कहीं से कोई प्रस्ताव आये।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मैं निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से कि इस विधेयक को कल ले लिया जाय १२ बजे से २ बजे तक, दो घंटे में समाप्त हो जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितना महत्वपूर्ण यह बिल है और शायद ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर अपनी राय रखना चाहेंगे और इसके असरात भी बहुत दूर तक जाते हैं। इसलिये आपसे गुजारिश यह है कि...

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे मौका देने में कोई उज्र नहीं है लेकिन जब आपने स्वयं मौका नहीं दिया और नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या करूं?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हम लोग कसूरवार कैसे हो गये?

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरे बिलों के बारे में इस तरह से समय में नहीं बांधते। इसके बारे में सदन ने निर्णय किया कि इन दोनों को पास करना है। आज अगर कोई रास्ता निकले, मुख्य मंत्री जी हैं, तो हमको कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह बिल तो सरकार के हाथ में इतनी बड़ी ताकत देता है कि कोई भी मुख्य मंत्री वहां बैठे, मौजूदा को छोड़ कर, तो उनसे तो इस मामले में आप उम्मीद ही न करें कि कोई रिआयत मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन का फैसला न होता तो मैं अपना फैसला कर देता।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपके अनुरोध पर मैं माननीय मेरा सदन से प्रार्थना करता हूं कि समय बढ़ा दीजिये। इसको कल के लिये रख दीजिये, उजलत में न पास कीजिये।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

उम्मीद तो इनको है ही नहीं और उम्मीद न होने की उम्मीद पर कुठाराघात कौन करे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

हमको उम्मीद है। (हंसी)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अब तो सरकार के पिछलग्गू कहने लगे। अब तो मौका दे दीजिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ऐसा भी मुख्य मंत्री कौन होगा जो स्वयं गाली सुनने के लिये मौका देता चला जाय। क्या मौका चाहते हैं आप ?

श्री विश्वनाथ कपूर—

आप इसे कल ले लें। १२ से २ बजे तक क्वेश्चन आवर के बाद।

श्री उपाध्यक्ष—

कल असरकारी दिवस है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

उसमें ही ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

२ बजे तक तो विधेयक लिये जायंगे। २ बजे से ५ बजे तक गैर-सरकारी दिवस है। कल शुक्रवार का दिन है। कुछ समय हो सकता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आज या कल कभी भी हो जाय....

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप इस तरह से समय की मांग करते हैं तो आप अपने ही गैर-सरकारी घंटे लेंगे..

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं निवेदन करूंगा कि गैर-सरकारी घंटे तो मिलते ही नहीं हैं उसकी बात तो जाने दें बाकी जो साधारण समय सदन का है उसके बाद ९,१०,११ बजे रात तक रख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो केवल १-२ घंटा और चाहते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

सरकारी पक्ष के लोगों की भी उत्सुकता है, वह भी अपना कन्ट्रीब्यूशन इसमें चाहेंगे।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

श्रीमन् सुबह ५ बजे तक कर दिया जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

५ बजे ही कर दीजिये यह तो उसी वक्त उठ कर बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ समझौता ऐसा ही कर लें कि एक घंटा कल के असरकारी घंटों में से और १ घंटा और बढ़ा दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ठीक है, आप की जैसी आज्ञा हो।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन के अनुरोध पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव मान लिया है उसके अनुसार इस विधेयक के लिये २ घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

यह समय कल के लिये बढ़ाया गया लेकिन जितना समय शेष है उसका उपयोग और कर लें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह कब के लिये हुआ?

श्री उपाध्यक्ष—

१ घंटा कल सरकारी घंटे में से लिया जायगा और असरकारी घंटों में से पहला १ घंटा इसके लिये लिया जायगा। यह २ घंटे में समाप्त हो जायगा और असरकारी कार्य ६ बजे तक कर देंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कुछ और जरूरी काम भी था, मेरी धारणा ऐसी थी कि आज के लिये ही आपने यह बढ़ाया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

उपाध्यक्ष जी, आप की आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७२ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक मास के भीतर दे। इस समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

यह विधेयक मुख्य रूप से केवल ३ धाराओं में संशोधन कर रहा है। पहला संशोधन धारा १४ में किया जा रहा है। मंत्री जी ने बताया कि पहले बहुत विलम्ब होता था और वह उपयुक्त ही मालूम होता है लेकिन आप देखेंगे कि जो संशोधन धारा २२ में कर रहे हैं और नई धारा में बढ़ा रहे हैं जिनमें अंशदान की बात थी, उनमें प्रतिबन्ध था कि किसी का अंशदान ५ हजार से ज्यादा का न होगा। लेकिन इनकी बातें बड़ी गोलमोल रहती हैं। वह चाहते हैं कि यह रख दिया जाय कि 'ऐसी धनराशि जो नियत की जाय' रखा जाय लेकिन वह धनराशि नियत की जाय।

इसको देखकर मुझे कहना पड़ता है कि यह जो सहकारिता आन्दोलन रहा है वह असहकारी रहा है। जो संशोधन विधेयक माननीय मंत्री जी लाये हैं, उससे पूरी तरह से सरकारीकरण वे करने जा रहे हैं। अब अगर धन को ज्यादा बढ़ाया जाता है तो नतीजा यह होगा कि जितने बड़े बड़े धनी मानी लोग हैं उनके शेयर्स बढ़ते जायेंगे और उन पर कोई रोक नहीं लग पायेगी। जो प्रतिबन्ध मूल अधिनियम में था उसको कम करके आप पूंजीवाद की ओर बढ़ते जा रहे हैं।

दूसरे आप देखेंगे कि उनकी मंशा क्या है? ये संशोधन कर रहे हैं धारा ३० में। इसकी मूल धारा में जो निर्वाचन की पद्धति थी उसके स्थान पर अब ये बढ़ा रहे हैं कि "प्रत्येक सहकारी समिति का एक सभापति और उप-सभापति होगा जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित, नाम-निर्दिष्ट या नियुक्त किया जायगा।" मूल अधिनियम में केवल 'निर्वाचित' शब्द था और अब क्या ला रहे हैं। तो इससे जो निर्वाचन की धारा है उसके मूल उद्देश्य से दूर जा रहा है। मूल धारा में शब्द "निर्वाचन" था और निर्वाचित सदस्य आते थे। बड़ी चतुराई से "निर्वाचन" शब्द को खत्म करके "नामजद" कर देंगे और जिसको चाहेंगे उसको ऊपर से लटका देंगे। आज तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, कमेटियों आदि में, वे अधिकांश जात-बिरादरी और मुख्यतया "ब्राह्मण" जाति की हुई हैं। यदि सरकार को नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया तो फिर जो कार्य की शैली रही है, वह समाप्त होती जायेगी।

जहां तक धारा ३४ का संबंध है उसमें जो संशोधन ला रहे हैं वह तो काया ही पलट करता है। उसमें दिया है कि "तो राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को उक्त प्रबन्ध कमेटी में २ व्यक्तियों को, उसके सदस्यों के रूप में नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार है।" अब आप कहते हैं कि "२ से अनधिक व्यक्तियों" लेकिन यह नहीं कहते हैं कि 'कितने"। सरकार की नामजदगी २ की सीमा थी। अब माननीय मंत्री जी इस संशोधन विधेयक के जरिये से २ से अधिक उनकी इच्छा पर रहेगी कि कितने नामजद कर दें। इस सिलसिले में कह सकते हैं १/२ या १/३।

श्री राज मंगल पांडेय—

श्रीमन्, ये पूरे प्रतिबन्ध को नहीं पढ़ते हैं, जो इनके मतलब का है, वे उसे पढ़ देते हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं कह रहा था कि २/३ लोगों को नामजद करेंगे। श्रीमन्, आप सोचें कि जैसे किसी सहकारी समिति में दो तिहाई लोग नामजद हो जाएं तो उसका रूप बदल जायेगा। मैं यहां माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं चाहे इस पक्ष में लोग बैठे हों या इस पक्ष में बैठे हों, वे हमारी बात से पूर्णतया सहमत होंगे कि सहकारी आन्दोलन असफल हो गया निश्चित तरीके से और हमारे भाई साहब रामकिंकर जी दंगल में बैठे थे उन्होंने कहा कि क्या इसमें कहना है। यह तो लूट-खसोट का ही मुहकमा हो रहा है।

मैं इनकी भावनाओं का आदर करते हुए निश्चित रूप से कहता हूं कि आज सहकारी आन्दोलन लूट-खसोट का माध्यम बन गया है। इसका कारण क्या रहा। इसका कारण यही रहा कि जो पहले चुने गये सहकारी लोग थे और जो दूसरे निर्वाचित प्रतिनिधि आते थे ये दोनों इन आन्दोलनों को चलाने की दृष्टि से काम नहीं करते थे। बल्कि ये दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी फेंकते थे और इस बात की होड़ लग जाती थी—नाजायज—कमाने की और लूट-खसोट की। जैसे आज कोई सरकारी कर्मचारी है वह कहता है कि नेता बड़े बेईमान हैं और कहता है कि किसी मंत्री को बताकर कि ये लाखों रुपये घूस लेते हैं और नेता सरकारी कर्मचारियों को बेईमान कहता है। चारों तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है। यह हालत हो गई है। ठीक यही हालत हो गई है सहकारी आन्दोलन की भी। सहकारी या सरकारी

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

और निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें आते थे और उन्होंने सहकारी विभाग में लूट-खसोट की जिससे जनता इतनी निराश हो गई।

मैं नहीं कहता कि इसकी भावना बुरी है। इस आन्दोलन को स्वर्गीय नेहरू जी लाये थे। हमारे चौधरी साहब ने इसका विरोध किया था। यह बात सही थी। क्योंकि सहकारी आन्दोलन बुद्धि से संबंध रखता है। जब तक नागरिक सचेत और ईमानदार नहीं होगा तब तक निश्चित है कि सहकारी आन्दोलन सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए महात्मा गांधी जी मानव विकास के लिये बल दिया करते थे। उसी समय चौधरी साहब ने यही कहा था कि परिवार टूट रहे हैं मनुष्य स्वार्थी बनता जा रहा है। ऐसी स्थिति में चाहें कि सहकारिता आन्दोलन चलाएं तो वह असफल ही होगा यानी नेहरू जी की मंशा बिलकुल असफल हो गई। करना यह चाहिए था कि सहकारी आन्दोलन को सफल बनाने के लिये मनुष्य का विकास होना चाहिये। उसको ईमानदार बनाने की कोई प्रक्रिया चलाते। आप यह नहीं कर रहे हैं।

हुआ क्या, ऋण दिया गया। जिस दिन वित्तीय वर्ष खत्म होता है उसी दिन वह जमा भी होता है और निकल भी जाता है। हमारे कल्पनाथ सिंह जी कह रहे थे बलिया की हालत। वहां लाखों रुपया आज सहकारिता का गड़बड़ है। चेक सिस्टम से क्या सुधार हुआ है मैं नहीं जानता लेकिन बरसों का रुपया बाकी पड़ा है और न जमा होता है लेकिन दिखाया जाता है कि जमा होता है और उसी दिन ले लिया। वर्षों से यह हो रहा है। और माननीय मंत्री जी इससे सहमत होंगे। माननीय मंत्री जी ने एक बयान भी दो-तीन महीने हुए उन्होंने खुद कहा था कि अनपढ़ किसानों की, इतनी फर्में बन गई हैं फर्जी, जिनके नाम ही नहीं हैं, मौके पर ही नहीं हैं, आप उनको ऋण देते हैं, वे लूटते हैं। बड़ी गड़बड़ हो रही है ऋण की अदायगी में। ऋण तो ले लिया लेकिन जो सहकारी फर्में होती हैं वे गायब हो जाती हैं।

अभी हमको खादी बोर्ड की लिस्ट मिली थी। मैंने देखा कि उसमें करीब डेढ़ सौ और जिलों के हैं और मेरे यहां का एक भी नहीं है। तो आज इस विभाग में जिस मकसद से यह आन्दोलन लाया गया है, वह पूरा नहीं हुआ। हम तो कहते हैं कि आपका नजरिया बदल गया है। आपकी आत्मा बिड़ला, टाटा और डालमिया है और दृष्टि उसी की हो गई है। इसलिये आप पूंजीपतियों को इसमें लाना चाहते हैं और दूसरी तरफ अपने प्रतिनिधियों को भेजकर सरकारीकरण करना चाहते हैं। यह आपका दोष नहीं, आपकी दृष्टि ही ऐसी हो गयी है। लेकिन मैं आज कहता हूं कि आगे वह समय अवश्य आयेगा जब जनता आपको उसका मजा चखायेगी। इसमें आप लोगों की मजबूरी भी है क्योंकि माननीय त्रिपाठी जी का परिवार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। उधर परिवार जब बढ़ेगा तो उसको खपायेंगे ही।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मजा चखने वाले जहां मजा होगा, वहीं चले जायेंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

परिवार बढ़ता है त्यागी और तपस्वी लोगों का नहीं। वह तो बढ़ता है लोभी और लालची लोगों का। लेकिन लोभी लोग नहीं कहूंगा नहीं तो भाई लोग पीछे पड़ जायेंगे। लेकिन लोभ लालच का समुन्द्र उधर उमड़ रहा है। हमारे मुख्य मंत्री जी को कहीं न कहीं उसको तो खपाना ही है। इधर नहीं तो उधर खपायेंगे किन्तु खपाना अवश्य है। तो मान्यवर, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के। वे मेरी इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि यह आन्दोलन असफल हुआ है। तो मान्यवर, लोभ-लालच को छोड़कर, उसकी एक कमेटी बनायें। जिसमें तमाम पार्टी के लोग रहें। क्योंकि जब आन्दोलन की देश और प्रदेश को जरूरत है, और वह बिल्कुल

असफल हो गया है, तो हम सभी लोग देखें कि उसको कैसे पुनर्जीवित किया जाय। इसलिये सोच-समझकर मैंने यह प्रस्ताव दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप आज ही बोलना चाहें तो आज ही एक घण्टे ले लिया जाय।

श्री रामधारी शास्त्री—

अब तो ठीक नहीं होगा।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, अब बैठना मुश्किल है।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझको अपनी असुविधा का कोई खयाल नहीं अगर आप लोग चाहें।

श्री रामधारी शास्त्री—

जैसा आप आदेश दें।

श्री उपाध्यक्ष—

वैसे कल के लिये दो घण्टे बढ़ाने की स्वीकृति हो गयी है किन्तु आप चाहें तो एक घण्टा उसमें से आज ही ले लिया जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, यह विरोधी दलों पर छोड़ दें। अगर वे चाहें तो ले लें। वैसे मैं तो बैठा ही रहूंगा।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी इच्छा है, कल ही पर रखा जाय। नियम ५१ की सूचनाएं ले ली जांय।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, गोरखपुर में पाकिस्तानी जासूस अब्दुल मन्नान है.....

श्री उपाध्यक्ष—

उसको इसलिये अस्वीकार कर दिया है कि सरकार की नीति पाकिस्तानी जासूसों के संबंध में इस सदन में आ गई है और सदन को अवगत करा दिया गया है। आप उस पर अल्पसूचित प्रश्न कर लें...

श्री विश्वनाथ कपूर—

इसी वक्त ही करवा दें। मान्यवर, अखबार में यह भी दिया है कि अगर उसकी सूचना गलत है तो उस पर कार्यवाही की जाय, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, कहा गया है कि सरकार के एक सदस्य का हाथ है।

श्री उपाध्यक्ष—

पाकिस्तानी जासूस के बारे में सरकार की सतर्कता विभाग की जो गतिविधि है वह सदन के समक्ष आ गई है.....

श्री विश्वनाथ कपूर—

लेकिन अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, जो सरकार की साधारणतया नीति है वह तो ठीक ही है और वह सदन के समक्ष आ गई है, लेकिन इसमें विशेषता यह है कि इस कांड के साथ मंत्रि-परिषद् के एक माननीय सदस्य का नाम जोड़ दिया जाता है, जो बहुत बुरी चीज है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उसको पढ़ा है। उसमें माननीय सदस्य ने जो लिखा है वह अखबार के आधार पर लिखा है। अपनी जानकारी से बिल्कुल नहीं लिखा है। मैंने उसे गौर से पढ़ा है।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

माननीय एक लोक महत्व का प्रश्न मैंने दिया है कि रिहन्द बांध में कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार होने के कारण कुछ लोगों को विशेष भत्ता दिया जाता है, और कुछ को नहीं। उन्होंने हड़ताल की नोटिस दे दी है इससे रिहन्द बांध को खतरा पैदा हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

रिहन्द बांध में कुछ कर्मचारियों को पूरक भत्ता (सर्लचार्जी एलाउंस) दिया जाता है और कुछ को नहीं, इस पर आप प्रश्न कर लें। इसमें ऐसा कोई अधिकारमय तात्कालिक लोक महत्व की चीज निहित नहीं है।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मेरी एक बात सुन लें.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, ४०० परिवारों को नैपाल सरकार ने खदेड़ दिया और वहां सरकार उनको जगह नहीं दे रही है। यह बहुत लोक महत्व का प्रश्न है। बंगला देश के लोगों को हम सहायता दे रहे हैं, लेकिन यह भी तो भाई-बहिन हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

लोक महत्व की बात नहीं है। नैपाल राज्य के लोग यहां आ गये हैं, हम कैसे प्रश्न को इजाजत दे सकते हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

नैपाल सरकार ने उन्हें नागरिकता नहीं प्रदान की और वह यहां गोरखपुर में आकर बस गये। लेकिन वन विभाग के लोग उन्हें उजाड़ रहे हैं। आप इसका एक स्पष्टीकरण ही दिलवा दें—कल दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके नोटिस की शब्दावली ठीक नहीं थी। आप फिर से दे दीजिये।

श्री इन्द्रमणि—

मान्यवर, मुझे एक जानकारी चाहिये। मेरा आपसे निवेदन यह है कि जनतंत्र में पब्लिक ओपीनियन बनाने में अखबार सबसे अच्छा काम करते हैं। एक अखबार के सम्पादक ने लिखा है कि पाकिस्तानी जासूस है, मैं जानना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने पत्र पढ़ लिया है और समाचार-पत्र को आधार मानकर ही लिखा गया है। मैं उसे कोई महत्व नहीं देता।

श्री इन्द्रमणि—

मैं तो एक जानकारी चाहता हूं मान्यवर.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं, माननीय मुख्य मंत्री–कार्य सूची में संख्या १३, ...

श्री कल्पनाथ सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो वक्तव्य छपा है और कार्य-सूची में नम्बर १३ पर उसमें नाम आया है हमारा और कार्य-सूची का जो एजेन्डा छपा है उसमें नाम छपा है श्री कल्याण सिंह का इन दोनों में कौन-सा सही है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं देखे ले रहा हूं। सचिव आपको इस सम्बन्ध में सूचना देंगे।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मान्यवर, जो विधेयक आज स्थगित हुआ है वह कल किस वक्त लिया जायगा?

श्री उपाध्यक्ष—

शुरू में ही लिया जायगा। अभी आधे घन्टे तक हुआ है। अभी कम समय मिलेगा। आधा घन्टा समय गैर-सरकारी कार्य में से लिया गया है और एक घन्टा और। आपने तो देर कर दी।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

नियम ५१ के अन्दर मैंने और श्री रियासत हुसेन साहब ने कुछ सूचना मांगी थी।

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण और विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७२

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा की स्वीकृति के लिये उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७२, जैसा विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ८२१ पर।)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९७१

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९७१ जैसा विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ८२७ पर ।)

गन्ने के मूल्य सम्बन्धी नीति के कारण किसानों में असन्तोष के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री कल्पनाथ सिंह को सम्बोधित करते हुये) आपका हस्ताक्षर इतने घसीट में है कि नाम कल्पनाथ सिंह लिखा है लेकिन पढ़ा गया है कल्याण सिंह । वह भूल हो गई है,

माननीय मुख्य मंत्री ।

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

इससे पहले कि मैं, माननीय सदस्यों द्वारा दी गई दोनों सूचनाओं पर कुछ कहूं मैं गन्ना और चीनी उद्योग के विषय में इस सदन को एक, दो बातों का स्मरण कराना चाहूंगा । जैसा कि इस सदन को ज्ञात है, चीनी उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिस पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट ऐण्ड रेगुलेशन ऐक्ट के अन्तर्गत भारत सरकार को नियंत्रण प्राप्त है । भारत सरकार चीनी से संबंधित नीति तय करने का अधिकार रखती है कि चीनी खुले बाजार में बिके या इसके मूल्य पर कोई नियंत्रण रहे, कितनी चीनी हर महीने में बेची जाय और उस पर कितना शुल्क हो और दूसरी ओर भारत सरकार को गन्ना का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का भी अधिकार प्राप्त है । न्यूनतम गन्ना मूल्य निर्धारित करते समय भारत सरकार को कई तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि गन्ने के उत्पादन में लागत की वृद्धि, अन्य मामलों में भुगतान, गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्रफल को स्थिर रखना तथा उपभोक्ता मूल्य पर प्रभाव । न्यूनतम मूल्य के ऊपर चीनी मिलें और गन्ना समितियां जो भी आपसी समझौते से मूल्य तय करें वह दे सकती हैं परन्तु न्यूनतम मूल्य से कम, चाहे गन्ने की पैदावार में वृद्धि, भी हो, मूल्य नहीं दे सकती है ।

राज्य सरकार अवश्य यह चाहती है कि गन्ना उत्पादकों को अपनी मेहनत का अधिक से अधिक लाभ मिले । इस प्रश्न पर हर पहलू से विचार करके और प्रदेश की स्थिति को देखते हुये राज्य सरकार ने अवश्य यह संस्तुति की थी कि गन्ने का मूल्य इस वर्ष १० रु० प्रति क्विंटल हो परन्तु पूरे भारत की स्थिति को देखते हुये केन्द्रीय सरकार ने गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ाना उचित नहीं समझा और यह भी राय व्यक्त की कि न्यूनतम मूल्य के ऊपर मिलें दाम दे सकती है राज्य सरकार को गन्ना उत्पादकों, श्रमिकों तथा चीनी के उपभोक्ताओं, सबके दृष्टिकोण और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही अपनी नीति अपनानी पड़ती है । इन सब बातों को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरा प्रयत्न किया कि गन्ना उत्पादकों को १० रु० तक गन्ना मूल्य मिले और दिसम्बर, १९७१ के प्रारम्भ में चीनी मिलें पश्चिमी क्षेत्र में ९ रु० प्रति क्विन्टल और मध्य और पूर्वी क्षेत्र में ८ रु० ५० पैसे प्रति क्विन्टल देने पर तैयार भी हो गई । उसके बाद देश में

कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई और गन्ने की पैदावार में इस वर्ष २५ प्रतिशत तक कमी होने के कारण गुड़, खंडसारी और चीनी के भाव बढ़ने शुरू हो गये। गुड़ और खांडसारी इकाइयों के स्वामियों द्वारा गन्ने के दाम अधिक दिये जाने लगे और गन्ना पूर्ति कायम रखने के लिये चीनी मिलों ने भी अपने दाम बढ़ाये। इस बाजार के प्रभाव से पश्चिमी क्षेत्र में यह मूल्य साढ़े दस रु० से साढ़े ग्यारह रु० प्रति क्विन्टल तक पहुंच गया है और मध्य क्षेत्र में भी कई मिलें दस रुपये से साढ़े दस रुपये तक यह मूल्य दे रही हैं। आशा है कि इसका प्रभाव पूर्वी क्षेत्रों में भी पड़ेगा। सरकार इस मामले में सतर्क है और स्थिति पर नजर रखे है। यह कहना कि यह मूल्य में अन्तर राज्य सरकार की किसी भेदभाव की नीति के कारण है, एकदम असत्य है।

भारत सरकार ने मिल मालिकों से बात करके एक सर्वेक्षिक व्यवस्था यह की कि चीनी उत्पादन का ६० प्रतिशत हिस्सा चीनी मिलें १५० रु० प्रति क्विन्टल डी ग्रेड एक्स-फैक्टरी मूल्य पर स्वयं देंगी जिसका आवंटन भारत सरकार उसी प्रकार करेगी जिस प्रकार वह पहले लेवी की चीनी का करती थी। यह व्यवस्था १ जनवरी, १९७२ से प्रारम्भ भी हो गई है और इस महीने में भारत सरकार ने २१,३८४ टन चीनी का कोटा राज्य सरकार को आवंटित किया है। यह कोटा प्रदेश के समस्त जिलों को आवंटित कर दिया गया है और जिला अधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं कि वह अधिक और फुटकर भाव ढुलाई बोरी, चुंगी इत्यादि को दृष्टि में रखते हुये निर्धारित कर दें। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र के लिये एक किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति मास चीनी वितरण के आदेश भी दिये हैं। देहाती क्षेत्रों के लिये प्रधान द्वारा जारी किये गये पर्चों पर ग्रामीण चीनी विक्रेताओं से एक बोरे में एक किलोग्राम चीनी निर्धारित मूल्य पर दी जायगी। अपने जिले के स्टाक की उपलब्धि को देखते हुये यह मात्रा जिलाधिकारी बढ़ा भी सकते हैं।

राज्य सरकार की जो नीति शक्ति चालित क्रशरों या कोल्हू लगाने की है वह कुल प्रदेश के लिये एक ही है और पिछले वर्षों में भी एक ही रही है। यदि किसी क्षेत्र में कोल्हू ज्यादा लगे हैं तो यह हो सकता है कि इस कारण हो कि यहां से अधिक प्रार्थना-पत्र पिछले वर्षों में आये हों। पश्चिमी प्रदेश में सदा से कुछ परम्परा गुड़ बनाने की रही है। जबकि सरकार हर प्रकार से प्रयत्नशील है कि गन्ने का उचित मूल्य मिले यह प्रदेश की आर्थिक स्थिति तथा चीनी उद्योग के स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये आवश्यक है (जिसका प्रभाव भी गन्ना उत्पादकों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं सब पर पड़ता है) कि चीनी मिलों को भी एक न्यूनतम मात्रा में गन्ना उपलब्ध होता रहे। इसलिये चीनी मिलों के आसपास क्रशर लगाने में कुछ पाबन्दी रखनी पड़ती है। माननीय सदस्यों को शायद यह जानकारी होगी कि कुछ अन्य प्रदेशों में, जहां के चीनी उद्योग से इस प्रदेश के चीनी उद्योग को प्रतियोगिता करनी पड़ती है, भी चीनी मिलों के आसपास गुड़ तथा खांडसारी बनाना रोक दिया गया है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में इस क्षेत्र का गन्ना मिलों को मिले, जो जल्दी पेरा जा सके जिससे कि चीनी की रिकवरी अच्छी बनी रहे। फिर भी जबकि पिछले वर्ष ३,८२६ क्रशरों के लाइसेंस इस प्रदेश में दिये गये थे, इस वर्ष ४,२५१ लाइसेंस दिये गये हैं। पिछले वर्ष केवल ३,३०१ लाइसेंस अपना गन्ना पेरकर गुड़ बनाने के लिये कोल्हुओं को लगाने के दिये गये थे। इस वर्ष इस प्रकार के ५,९८६ लाइसेंस दिये गये हैं और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि अगर कोई काश्तकार अपना गन्ना पेर कर गुड़ बनाना चाहे तो उसको कोई कठिनाई न हो। यह उल्लेखनीय है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से इस वर्ष क्रशरों के लिये ४३४ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे जिसमें से ४३० स्वीकार हुये हैं।

जहां तक गन्ना मूल्य का प्रश्न है, सरकार ने जो कदम समय-समय पर उठाये हैं वह इस सदन को भी बताये जा चुके हैं। कोई उत्पीड़क कार्यवाही जो सम्भव थी सरकार करने से नहीं हिचकिचाई। १५ मई, १९७१ को लगभग २० करोड़ रुपया पिछले मास का बकाया था जो इस मौसम के आरम्भ होने पर लगभग ५ करोड़ रु० ही रह गया था जिसमें से अधिक को वसूल करने में कानूनी अड़चने पैदा हो गई है या सरकारी नियंत्रण में लेकर उसके द्वारा रुपया वसूल करवाया जा रहा है। अभी ४जनवरी, १९७२ को ही इस सदन से एक विधेयक पारित किया है

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

जिसमें चालू मौसम के गन्ना मूल्य को बैंक द्वारा देय अग्रिम धन से वसूल करवाने की व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूं कि इन सब बातों से जाहिर होगा कि सरकार जो कुछ भी हो सकता है पूरे प्रदेश में किसानों, श्रमकों और उपभोक्ताओं के हित में कदम उठाती रही है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात का पता है कि इस प्रदेश में गन्ना किसानों को तीन प्रकार के मूल्य मिल रहे हैं। यदि हां, तो इस प्रकार की विषमता क्यों है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, पहले से ही इस प्रदेश में तीन जोन्स बने हुये हैं, वेस्टर्न जोन, सेन्ट्रल जोन और ईस्टर्न जोन। टैरिफ कमीशन के अनुसार भी कीमतों में फर्क रहा है। पूर्व में कुछ रिकवरी कम आई है और वेस्टर्न जोन में रिकवरी ज्यादा आई है। इस प्रकार से मूल्यों में भी कुछ अन्तर रहा है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पच्छिम जोन में चीनी मिलों की रिकवरी पूर्व की अपेक्षा कम है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

पच्छिमी जिलों की रिकवरी पूर्व से कुछ ज्यादा है।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या मन्त्री जी के सामने इसके लिये कोई फैक्ट है या केवल अपने खयाल के आधार पर कह रहे हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

यह औसत रिकवरी की बात है। कहीं अधिक और कहीं कम यह तो दूसरी बात है। पच्छिम जिलों में रिकवरी कुछ ज्यादा है यह मानी हुई बात है। पूरब में गन्ने में रिकवरी कुछ कम होती है इसलिये थोड़ा-सा फर्क हो जाता है क्योंकि गन्ने के दाम रिकवरी के आधार पर ही निर्धारित होते हैं।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या यह सही नहीं है कि पूरब में भी कुछ जिलों में रिकवरी ज्यादा है पच्छिम के अनुपात में तो इस रिकवरी पर ही यह आधार क्यों रखा गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इस सम्बन्ध में भारत सरकार की जो नीति है उसी आधार पर सारे प्रदेशों के लिये यह दाम निर्धारित किये गये हैं। उन्होंने ७.३५ रु० निर्धारित किये। जिसमें गन्ना उद्योग के प्रतिनिधि भी थे। उत्तर प्रदेश शासन के बीच में यह तय हुआ बाद को कि पच्छिम में ९ रु० और पूरब में ८.५० रु० दिया जाय।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

यह जो जोन बनाये गये बहुत पहले बनाये गये थे अब तो प्रदेश में बहुत अच्छे साधन बढ़ गये हैं तो फिर क्यों रिकवरी के उसी औसत को माना जाता है जिससे पूर्वी अंचल को कुछ नुकसान होता है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जैसा माननीय सदस्य कहते हैं हम एक बार फिर इसकी जांच करा लेंगे कि रिकवरी में कितना अन्तर है या नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

क्या माननीय मन्त्री जी को यह पता है कि खुले बाजार में मिलों से जो चीनी निकासी होती है उसका दाम करीब-करीब ५० रु० बढ़ गया है प्रति क्विन्टल। यदि यह सही है तो सरकार क्यों नहीं उसी अनुपात से गन्ने उत्पादकों को दाम दिलाती उनके गन्ने का ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जो भारत सरकार की नीति है उसमें ६० प्रतिशत कोटा सरकारी कंट्रोल से रिलीज होगा और वह कंट्रोल प्राइस पर बिकेगा। उसका एक्स फैक्टरी प्राइस विदाउट एक्साइज १५० रु० क्विन्टल के हिसाब से वह फेयर प्राइस शाप से बिकेगी। बाकी ४० प्रतिशत कोटा फ्री बाजार में मिल वाले बेचेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मेरे प्रश्न को मन्त्री जी ने पूरी तरह से नहीं समझा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो चीनी मिल वाले खुले बाजार में दे रहे हैं जिसको मन्त्री जी ने ४० प्रतिशत कहा उसकी निकासी होती है मिलों से तो उस पर ५० रु० प्रति क्विन्टल के आसपास सरकार ने खुद ही भाव बढ़ा दिया है ? तो क्या वजह है जब उनको यह अतिरिक्त नफा मिल रहा है तो उसी अनुपात से किसानों को गन्ने का दाम दिलाने का आप प्रयास नहीं कर रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जब चीनी की कीमत बढ़ी है तो स्वभावतः ही गन्ने की कीमत भी बढ़ेगी और बढ़ी है पश्चिमी जिलों में और उसका प्रभाव पूर्वी जिलों में भी पड़ेगा। खंडसारी इकाइयां १०-१२रु० पर गन्ना खरीद रही हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने सवाल पूछा है उसका जो संगत जवाब है वह साफ दिलवा दें। हम सवाल कुछ पूछते हैं और उत्तर कुछ आता है। अगर नहीं तैयार है तो मौका दे दीजिये, फिर से जानकारी करके जवाब दें। लेकिन किसी मिनिस्टर को इस तरह की छूट नहीं मिलनी चाहिये जो यह ले लेते हैं और वह सिर्फ आपकी इंडलजन्स की वजह से पा जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो आप भी पा जाते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

उसके लिये तो धन्यवाद, लेकिन सरकार को तो साफ जवाब देना ही चाहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, गन्ने की कीमत तो भारत सरकार निर्धारित करती है। वह ७ रु० ३७ पैसा निर्धारित कर चुके हैं और उस बुनियाद पर जो उन्होंने फैसला किया था वह यह भी था कि ६० प्रतिशत शक्कर सरकार ले लेगी और ४० प्रतिशत फ्री रहेगी। जो ६० प्रतिशत ली है उसको लेवी प्राइस पर बिकवाने की कोशिश कर रहे हैं। गन्ना कम होने की वजह से कीमत बढ़ी है। हमने जो बीच में कोशिश की थी वह इस खयाल से की थी कि वह तो मिनिमम प्राइस है। अगर

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

आपसी समझौते से किसी को अधिक मिल सके—वैसे हम तो कह चुके हैं कि १० रुपया मिलना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने ७ रु० ३७ पैसा तय कर दिया—तो हमने बातचीत करके कीमत बढ़वायी और साढ़े आठ और नौ रुपया सेन्ट्रल जोन और ईस्टर्न जोन में और पश्चिम में ९ रु० हो गया। आज गन्ना मिलना कम हो गया। पश्चिम के इलाके में १०, साढ़े १० और साढ़े ११ तक कीमत गयी। फैक्टरी भी एकाध बन्द हो गयी हैं क्योंकि गन्ना नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो अधिक पैसा देकर वह खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। खंडसारी और गुड़ भी बनाया जाता है। गन्ना डाइवर्ट हो रहा है गुड़ और खांडसारी की ओर भी। गुड़ पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया निर्यात पर अब तक। बाहर गुड़ जा रहा है। गन्ना मिलों में नहीं जा रहा है, मिल वाले अधिक दाम दे रहे हैं। उसका असर सेन्ट्रल जोन पर भी हुआ है। अगर यह स्थिति नहीं सम्हलती है तो व्यापक असर होगा। सरकार इस पर विचार कर रही है कि किस तरह से सम्हालें। अगर ऐसा नहीं होगा तो चीनी की कीमत का बढ़ना लाजिमी होगा क्योंकि गन्ने की कीमत बढ़ती चली जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं कल ११ बजे तक के लिये।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १५ मिनट पर, अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
६ जनवरी, १९७२।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८ (२) का तारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९८ पर]

१९६१ से १९६५ के बीच सचिवालय में नियुक्त किये गये अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों की वरिष्ठतानुसार सूची (उन अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों को छोड़ कर जो प्रवर वर्ग/अवर वर्ग सहायकों के लिये चुन लिये गये हैं अथवा सेवा छोड़कर अन्यत्र चले गये हैं।)

क्रम-संख्या	नाम	शैक्षिक योग्यता
	सर्वश्री	
१	ज्ञान चन्द रस्तोगी	स्नातक
२	सुरेन्द्र मोहन श्रीवास्तव	बी०ए०,एल-एल०बी०
३	शिवमोहन लाल	,,
४	लाज पत राय गुप्ता	स्नातक
५	विजय नाथ	,,
६	द्वारिका प्रसाद त्रिपाठी	,,
७	उमेश दत्त गौड़	,,
८	राम कृष्ण त्रिपाठी	,,
९	श्याम नारायण मिश्रा	,,
१०	सुरेश चन्द्र वर्मा	,,
११	विजय कुमार शर्मा	,,
१२	सतीश चन्द्र श्रीवास्तव	,,
१३	राम मगन सिंह, चौहान	
१४	सैय्यद अख्तर नूमानी	,,
१५	कृष्ण मोहन अवस्थी	,,
१६	राम नरेश दुबे	,,
१७	राम सरन श्रीवास्तव	बी०ए०,एल-एल०बी०
१८	मोहम्मद रियाजुल हक	,,
१९	प्रशान्त कुमार गुप्ता	स्नातक
२०	विष्णु दयाल भार्गव	,,
२१	महेन्द्र प्रताप	,,
२२	जगत नारायण वर्मा	,,
२३	विष्णु कुमार सिन्टोरिया	,,
२४	सतीश चन्द्र जोशी	,,
२५	रमेश शकर श्रीवास्तव	,,
२६	श्री राधा कृष्ण श्रीवास्तव	,,
२७	कलाश नाथ खन्ना	,,
२८	लक्ष्मी नारायण सक्सेना	बी०ए०,एल-एल०बी०
२९	इन्द्र सेन सिंह	स्नातक
३०	प्रकाश स्वरूप श्रीवास्तव	,,
३१	श्याम प्यारे तिवारी	बी०ए०,एल-एल०बी०
३२	काशी नाथ प्रसाद	स्नातक
३३	दया शंकर वर्मा	,,

क्रम-संख्या	नाम	शैक्षिक योग्यता
	सर्वश्री	
३४	द्वारकानाथ श्रीवास्तव	स्नातक
३५	राजबहादुर सिंह	,,
३६	राधेकृष्ण शर्मा	,,
३७	कृष्ण देव त्रिपाठी	,,
३८	वीरेन्द्र कुमार	बी०काम०,एल-एल०बी०
३९	कमरुद्दीन सिद्दीकी	स्नातक
४०	सालिकराम श्रीवास्तव	एम०ए०, डी०पी०ए०
४१	सुशीलचन्द्र गुप्ता	स्नातक
४२	प्रेम शंकर	,,
४३	बजरंगीप्रसाद श्रीवास्तव	,,
४४	शमशाद अहमद ईराकी	एम०ए०
४५	हरीशचन्द्र पन्त	स्नातक
४६	राम प्रसाद श्रीवास्तव	,,
४७	आत्माराम जोशी	एम०ए०
४८	जंग बहादुर सिंह	स्नातक
४९	श्याम राज सिंह	,,
५०	जोगेन्द्र लाल खरे	स्नातक
५१	श्याम कृष्ण शर्मा	एम०ए०, एल-एल०बी०
५२	राम प्रताप सिंह	स्नातक
५३	गणेश दत्त उप्रेती	,,
५४	चन्द्र प्रकाश	,,
५५	रम शंकर लाल	,,
५६	हबीब मुस्तफा काजमी	,,
५७	धीरेन्द्र कुमार सिंह	,,
५८	हरी शंकर पाण्डे	,,
५९	हीरानन्द पाण्डे	,
६०	देवेन्द्र नाथ भट्ट	,,
६१	अमीर हसन खां	,,
६२	श्याम धर पाण्डे	,,
६३	ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव	,,
६४	हरीहर स्वरूप	,,
६५	बृजनाथ श्रीवास्तव	,,
६६	बृज बिहारी लाल श्रीवास्तव	,,
६७	नागेन्द्र मोहन सक्सेना	,,
६८	सुन्द लाल त्रिपाठी	,,
६९	कृष्ण चन्द्र पाण्डे	,,
७०	आदर्श नारायण निगम	,,

नत्थी "ख"

[देखिये ६ जनवरी, १९७२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०६ पर]

अलीगढ़ जिले के विद्यालय जिनमें अध्यापकों व कर्मचारियों का वेतन बकाया है ।

१—खैर इन्टर कालेज, खैर

२—मलिखान सिंह इन्टर कालेज, ठूलई

३—एम० पी० इन्टर कालेज, सुजावलपुर

४—विक्रम सेवा सदन, पिसावा

५—चम्पा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अलीमपुर

६—बिहारी लाल भारती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पालीमुफीमपुर

७—महेश्वर कन्या इन्टर कालेज, अलीगढ़

८—सेठ हरचरन दास कन्या इन्टर कालेज, हाथरस

९—आदर्श भारती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कलवा

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

[देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०९ पर]

तालिका

जनपद बलिया की संस्थाओं को अगस्त, १९७१ तक की प्रदत्त आर्थिक सहायता की स्थिति ।

क्रमांक	संस्थाओं का नाम	उद्योग	प्रदत्त आर्थिक सहायता की तिथि	ऋण धनराशि	कुल धनराशि अगस्त, १९७१ तक	अनुदान
१	२	३	४	५	६	७
१	श्री गांधी हरिजन आश्रम खण्डवा, बलिया	तेल	१४–५–६४	१,८००.००		
	,, ,, ,,	,,	१४–२–६९	६,०००.००		८००.००
	,, ,, ,,	साबुन	११–६–६३	२०००.००		१,२००.००
	,, ,, ,,	कुम्हारी	३०–३–६६	१५,०००.००		
	,, ,, ,,	,,	५–४–६७	१५,०००.००		
	,, ,, ,,	,,	१६–६–६९	१०,०००.००	४९,८००.००	
२	ग्रामोत्थान समिति जीवावस्ती, बलिया ।	धान	२९–४–७०	८,०००.००	८,०००.००	
३	ग्राम स्वराज्य समिति, हरपुर ..	,,	११–२–७०	७५,००.००		५००.००
	,, ,, ,,	कुम्हारी	२–७–६९	२,७३६.५०	१०,२३६.५०	२३६.५०
४	तेलधानी उ०स०स०लि० श्री रामपुर, बलिया ।	तेल	२५–९–६७	५,५,७५.००		२,७००.००
	,, ,, ,,	,,	२५–२–६४	३,३००.००		१,३००.००
	,, ,, ,,	,,	१८–७–६६	९,५००.००	१८,३७५.००	

५	तेलघानी उ०स० स० लि०, बरवार तीपटी।	तेल	२५–४–६१	२,५००.००	२,५००.००	
६	तेलघानी उ० स० स० लि०, बांसडीह	,,	२५–९–६२	३,०००.००		
	तेलघानी उ० स० स० लि०, बांसडीह	,,	२५–२–६४	६,०००.००	९,०००.००	
७	तेलघानी उ० स० स० लि०, बलिया, भृगुआश्रम।	,,	१७–९–६२	९,९६२.५०	९,९६२.५०	४,०००.००
८	तेलघानी उ० स० स० लि०, हातापुर	,,	७–१–६३	३,५७५.००	३,५७५.००	१,२००.००
९	ग्रामीण तेल उ०स०स०लि०, मनियर	,,	१०–१–६४	५,४३७.५०		१,६००.००
	,, ,, ,,	,,	२९–३–६५	७,६००.००	१३,०३७.५०	१,६००.००
१०	तेलघानी उ०स०स०लि०, कथौरिया	,,	१०–१–६४	५,०८७.५०		
	,, ,, ,,	,,	४–६–६९	१२,०००.००	१७,०८७.५०	
११	तेलघानी उ० स० स० लि०, लालगंज	,,	१०–१–६४	६,०५०.००		२,०५०.००
	,, ,, ,,	,,	१०–५–६६	१६,७५०.००		१,७५०.००
	,, ,, ,,	,,	१४–२–६९	१०,०००.००	३२,८००.००	
१२	तेलघानी उ०स०स०लि०, सहतवार ..	,,	१०–१–६४	५,३५०.००	५,३५०.००	१,६००.००
१३	तेलघानी उ०स०स०लि०, हल्दी ..	,,	१५–१२–६४	७,०००.००	७,०००.००	१,६००.००
१४	तेलघानी उ०स०स०लि०, रावती ..	,,	२९–३–६५	८,४००.००	८,४००.००	२ ०००.००
१५	आदर्श तेलघानी उ०स०स०लि०, विल्थरा रोड।	,,	३०–१२–६५	८,१२५.००		२ ०००.००
	,, ,, ,,	,,	६८/६९	९,४३०.००	१७,५५५.००	४३०.००
१६	तेलघानी उद्योग स०स०लि०, रानीगंज	,,	३०–१२–६५	७,०००.००		३,६२५.००
	,, ,, ,,	,,	१४–२–६९	१०,५००.००	१७,५००.००	५००.०० ५०५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७
१७	आदर्श तेलघानी उ०स०स०लि०, खजुरी	तेल	१०–५–६६	६,९५०.००		
	,, ,, ,,	,,	१५–३–६७	३,५००.००		१६,००.००
	,, ,, ,,	,,	२–७–६९	५,०००.००	१५,४५०.००	
१८	तेलघानी उ०स०स०लि०, चिर्चया	,,	६८/६९	९,८६०.००	९,८६०.००	८६०.००
१९	हाथ धान कुटाई उ०स०स०लि०, दलनछ-पुरा।	धान	२३–८–६८	६,३७५.००	६,३७५.००	५००.००
२०	धान कुटाई उ०स०स०लि०, जय प्रकाश-नगर।	,,	२५–२–६४	८७५.००	८७५.००	–––
२१	हाथ धान कु०उ०स०स०लि० तिलवार	,,	३०–३–६६	४,४००.००		
	,, ,, ,,	,,	१९–१०–६६	५००.००	४,९००.००	
२२	आदर्श धान कु० एवं दाल निर्माण उ०स० स०लि०, डुमरिया, आदर्श धान कु० एवं धान दाल निर्माण उ०स० स० लि०,डुमरिया।	,,	३०–३–६६	७,४५०.००		
			१९–१०–६६	५००.००		
	,, ,, ,,	,,	१६–४–६८	५,०००.००	१२,९५०.०	
२३	हाथ धान कु०उ०स०स०लि०, खजूरी	,,	३०–१२–६५	१०,१८७.५०		
	,, ,, ,,	,,	२३–८–६८	८,५००.००	१८,६८७.५०	१,५००.००
२४	गृह उ०,चर्म शोधन स०स०लि०, चित-चितवरारा।	चर्म	२५–९–६१	५,०००.००		१,५००.००
	,, ,, ,,	,,	३१–३–६२	५,०००.००	१०,०००.००	
२५	चर्मकला उ०स०, स० लि० बिल्था रोड	,,	२५–९–६१	५,०००.००	५,०००.००	
२६	गृह उद्योग चर्मशोधन स०स०लि०, बांसडीह	,,	३१–३–६२	५,०००.००	५,०००.००	२,०००.००
२७	,, ,, हल्दी	,,	३१–३–६२	५,०००.००	५,०००.००	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२८	गृह उ०स०स०लि०, रानीगंज ..	,,	३१–३–६२	५,०००.००		
	,, ,, ,,	,,	१०–५–६३	५,०००.००	१०,०००.००	
२९	गृह उ० चर्म शो० स०स०लि०, पिपरिया	चर्म	८–१२–७०	५,०००.००	५,०००.००	
३०	चर्म शो० उ०स०स० लि०, मनियर	,,	२८–५–७१	४,०००.००	४,०००.००	
३१	चर्म शोधन उ०स०स० लि०, खेती ..	,,	२५–५–७१	३,०००.००	३,०००.००	
३२	साबुन उ०स०स०लि०, बांसडीह ..	साबुन	२५–९–६१	४,०००.००	४,०००.००	
३३	साबुन उ०स०स०लि०, गोपालपुर ..	,,	११–२–७०	५,०००.००	५,०००.००	
३४	बलिया चीनी उ०स०स०लि०, बलिया ..	गुड़	३१–३–६२	१८,८७५.००		८,५७५.००
	,, ,, ,,	,,	३०–४–६३	१०,०००.००	२८,८७५.००	
३५	गुड़ खांण्डसारी उ० स०स०लि०, कन्सोपटना।	,,	६–६–६९	१,७००.००		१,३००.००
	,, ,, ,,	,,	६८/६९	६,४००.००		
	,, ,, ,,	,,	६९/७०	७५०.००	८,८५०.००	
३६	आदर्श गुड़ खांण्डसारी उ०स०स०लि०, बड़गांव।	,,	६–६–६९	१,२५०.००		
	,, ,, ,,	,,	६८/६९	६,४००.००	७,६५०.००	१,३००.००
३७	गुड़ खाण्डसारी उ०स०स०लि०, नगरा	गुड़	११–५–७०	८,५००.००		
	,, ,, ,,	,,	२४–४–७१	३,३७५.००	११,८७५.००	
३८	गुड़ खण्डसारी उ०स०स०लि०, मनियरदियारी।	,,	२४–४–७१	३,७५०.००	३,७५०.००	
३९	डिमान्सट्रेशन ऐन्ड पब्लिसिटी ..	कुम्हारी	६६/६७	—	—	५,७४९.५५
४०	दियासलाई उ०स०स०लि०, भृगुआश्रम	माचिस	१६–६–६६	१४,०५०.००	—	५,४५०.००
	,, ,, ,,	,,	२९–३–६८	१५,८००.००	२९,८५०.००	१,४००.००

अविधान संभा

१	२	३	४	५	६	७
४१	दियासलाई उ०स०स०लि०, बांसडीह	माचिस	२९–३–६८	८,४५०.००		२,४५०.००
	,, ,, ,,	,,	१६–४–६८	८,६००.००	१७,०५०.००	
४२	कंकड़, चूना, सुर्खी उ०स०स०लि०, ..	चूना	६–५–६८	५,०००.००		१,०००.००
	,, ,, ,,	,,	१९–९–६९	२,०००.००	७,०००.००	
४३	कंकड़, चूना, सुर्खी उ०स०स०लि०, कोरष्टाडीह ।	,,	१४–२–६९	५००.००		५००.०००
	,, ,, ,,	,,	५–६–६८	२,३२५.००	२,८२५.००	—
४४	काष्ट कला उ०स०स०लि०, पाण्डेपुर	काष्ट	१–५–७०	७५०.००	—	—
	,, ,, ,,	,,	८–१२–७०	६,७५०.००	७,५००.००	२,४५०.००
४५	काष्ट कला उ०स०स०लि०, रसड़ा ..	,,	१–५–७०	१,२५०.००		
	,, ,, ,,	,,	२९–५–७१	५,७५०.००	७,०००.००	१,७५०.००
४६	लोह एवम् कृषि कला स०स०लि०, माधोपुर ।	,,	२९–५–७१	९,१२५.००	९,१२५.००	
४७	लोह एवम् कृषि कला स०स०लि०, दीपनारायणपुरी ।	,,	२९–५–७१	९,७५००.००	९,७५००.००	
४८	लोहा एवं काष्टकला उ०स०स०लि०, बासडीह ।	,,	२२–५–७१	६,१००.००	६,१००.००	
४९	लोहा एवं काष्ट कला उ०स०स०लि०, डुमरिया ।	,,	८–२–७१	३,१००.००	३,१००.००	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१० पर।)

थाना डेरापुर, जिला कानपुर के अन्तर्गत १ जनवरी, १९७१ से ५ जून, १९७१ तक हुए कत्ल, डकैती तथा बलवे के संबंध में सूचना

कत्ल	नाम मृतक		ग्राम
१	श्री डीलसिंह	..	उदनापुर
२	श्री राजेन्द्र सिंह श्रीमती सुदामा देवी	..	रेगवा मजरा नुनारी
३	श्री साधो	..	अमौली ठकुरान।

डकैती	जिसके यहां डकैती पड़ी		ग्राम
१	श्री मन्ना सिंह	..	कैमहा मजरा बिहार
२	श्री राम सेवक	..	हयुमा
३	श्री रामभजन	..	अमौली ठकुरान
४	श्री राम नरायन	..	भूपतियापुर।

बलवे :—बलवे की कुल ८ घटनायें हुईं।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१४ पर)

विवरण

दिनांक २३ अक्तूबर, १९७१ की रात को हडौरा ग्राम, जिला वाराणसी, के निवासी श्री कपूर शाहू ने पुलिस थाने चकिया पर रिपोर्ट लिखाई कि खेतों की सिंचाई के संबंध में श्री बद्री हरिजन से उनका झगड़ा हो गया जिस पर उनके ३ साथी और आ गये तथा उन चारों आदमियों ने दौड़ा कर व घर में घुस कर शिकायतकर्ता को मारा। इस रिपोर्ट के आधार पर थाने में धारा ४५२/३२३ भा० दं० वि० का मामला दर्ज किया गया। दिनांक २६ अक्तूबर, १९७१ को ६ बजे प्रातः पुलिस का एक दल उपर्युक्त रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने गांव में पहुंचा और गांव के कुछ व्यक्तियों के सहयोग से एक अभियुक्त को जैसे ही गिरफ्तार किया तो गांव की एक बड़ी भीड़, जिसमें अधिकांश हरिजन थे, ने गिरफ्तार किये गये अभियुक्त को छुड़ा लेने का प्रयत्न किया। भीड़ में एक व्यक्ति देशी पिस्तौल से भी लैस था तथा अन्य बहुत से लोग लाठियों से भीड़ द्वारा बराबर वार पर वार किये जाने से पुलिस दल व उनके सहयोगी ग्रामीण पस्त हो गये। एक पुलिस मैन द्वारा आत्म रक्षार्थ गोली चलाने का भी कोई असर न हुआ। घायल हो जाने के कारण पुलिस मैन की बन्दूक भी छिन गई। इस पर ४ ग्रामीणों और २ पुलिस मैनों ने एक मकान में शरण ली किन्तु भीड़ ने उन्हें वहां से निकाल कर २ पुलिस मैनों एवं २ ग्रामीणों को बुरी तरह से मारा और उन्हें जला दिया गया।

९ बजे प्रातः इस घटना की प्रथम सूचना मिलते ही जिले के अधिकारी अधिक पुलिस फोर्स के साथ तत्काल गांव पहुंच गये और भागे हुये अभियुक्तों का पीछा करके १३ को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसमें से दो घायल अभियुक्तों की अस्पताल में मृत्यु हो गई। एक अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में घायल होकर पुलिस हिरासत में मर गया। इस मामले में भा० दं० वि० की धारा १४७/१४८/१४९/३०७/३०२/२०१/२२४२/२५/३२३/३२४/३३२/३३७/४३६ व ३९४ के अन्तर्गत दर्ज किये गये अपराध की विवेचना अभी जारी है और जो तीन अभियुक्त मारे गये उनके अलावा अन्य १४ व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं।

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१८ पर)

इन्चार्ज थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायतों की डिप्टी एस० पी० अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा १५–८–७० से १५–१–७१ तक की गई जांच एवं कार्यवाही के संबंध में सूचना

शिकायतकर्ता	आरोप	जांच तथा की गई कार्यवाही
१—श्री सुरेन्द्र विक्रम, एम०एल०ए०	इंजन के पुर्जों की चोरी के मुकदमें को अदम तफतीश रखने की शिकायत।	पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार चोरी के मुकदमें की समुचित जांच की गई। इस मामले में थानाध्यक्ष की कोई त्रुटि नहीं पाई गई अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।
२—श्री सुरेन्द्र विक्रम, एम०एल०ए०	इंजन के सामान की पुनः चोरी होने तथा गुण्डों की गतिविधियों को न रोकने की शिकायत।	चोरी के मुकदमों की जांच करने, ग्राम खेड़ा-बझेड़ा में एक आर्म्ड पुलिस गार्ड तैनात करने और स्थिति को आंकने का पुलिस अधीक्षक के आदेशों का पालन किया गया। उप पुलिस अधीक्षक ने ग्राम का निरीक्षण किया और क्षेत्र में अराजकता की स्थिति न होने की रिपोर्ट दी। थानाध्यक्ष का कोई दोष नहीं पाया गया अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठा।
३—श्री रुस्तम सिंह, निवासी ग्राम मदरुआ।	पुत्र की हत्या के मामले में रिश्वत लेकर पुलिस द्वारा अभियुक्त को छोड़ दिया जाना तथा धमकी देकर पंचायतनामा भरना।	जांच से पाया गया कि प्रार्थी के ५–६ वर्षीय पुत्र की मृत्यु जंगली जानवरों द्वारा खाये जाने के कारण हुई। किसी अपराध का होना नहीं पाया गया, प्रार्थी ने शिकायती-पत्र देने से इंकार भी किया। आरोपों में सत्यता नहीं पाई गई अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई।
४—श्री बुधपाल सिंह, निवासी बमिहाना	पुलिस द्वारा प्रार्थी की लायसेन्सी बन्दूक उठा ले जाने तथा रिश्तेदार को बन्दी बना लेने की शिकायत।	जांच से प्रतीत हुआ कि बरेली जिले की पुलिस ने एक डकैती के अभियोग में प्रार्थी के रिश्तेदार को बन्दी बनाया था और प्रार्थी की बन्दूक ले गये थे क्योंकि बन्दूक के दुरुपयोग की आशंका थी। इन आरोपों का स्थानीय पुलिस से कोई संबंध नहीं पाया गया।

शिकायतकर्ता	आरोप	जांच तथा की गई कार्यवाही
५—श्रीमती प्रेमवती, ग्राम पलिहारा	थानाध्यक्ष की बेगार न करने के कारण प्रार्थिनी के पति को गलत बन्द कर देने की शिकायत।	जांच से पाया गया कि प्रार्थिनी के पति की गिरफ्तारी एक डकैती के सिलसिले में की गई तथा उसके पास से लूटी हुई बन्दूक भी बरामद हुई। शिकायती-पत्र पर किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।
६—श्री गोकरन, निवासी कटा फतेहपुर।	अमुक व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी की पत्नी को छेड़े जाने के मामले में कोई कार्यवाही न किये जाने तथा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत।	जांच से किसी अपराध का होना नहीं पाया गया और प्रार्थी द्वारा फर्जी रिपोर्ट करना पाया गया। पुलिस के विरुद्ध आरोपों में सत्यता नहीं पाई गई अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२५ पर)

जुलाई से नवम्बर, १९७१ तक थाना अलीगंज, जिला एटा में धारा ३०२, ३०७, ३२५ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमों के संबंध में सूचना

	दर्ज मुकदमों की सं०	जिनमें जांच की गई	जिनमें जांच नहीं की गई	जो चालान किए गए	जो लापता रहे	जिनमें जांच जारी है
धारा ३०२ भा० दं० वि० ..	९	९	—	३	—	६
धारा ३०७ भा० दं० वि० ..	६	६	—	१	१	४
ारा ३२५ भा० दं० वि० ..	१३	३	१०	१	—	२
	२८	१८	१०	५	१	१२

उपर्युक्त २८ मुकदमों में से १२ ऐसे हैं जिनमें गवाहों के बयान शेष रहने के कारण जांच पूरी नहीं हो सकी है। भा० दं० वि० की धारा ३०७ के अधीन एक मुकदमें में सबूत की कमी के कारण अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई। भा० दं० वि० ३२५ के अधीन १० साधारण मुकदमें पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा १०४ के अधीन बिला तफतीश रखे गये।

संसद सदस्य सूचना

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२७ पर ।)

गोरखपुर जिले के थाना बांसगांव, खजनी, सिकरीगंज, गोला तथा बड़हलगंज के अन्तर्गत १ मई, १९७१ से ३० सितम्बर, १९७१ तक हुई हत्या, डकैती तथा राहजनी की घटनाओं की सूचना जिनके बारे में रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हुई ।

	थाने का नाम		अपराध	गांव का नाम जहां अपराध होना अंकित कराया गया है		मृतक का नाम
(क)	सिकरी गंज	..	हत्या	अहिरौली	..	१—रामलौट शर्मा
	,,	..	,,	हरदत्तपुर	..	२—श्रीमती कुशलादेवी
	,,	..	,,	रानीपुर	..	३—वीरेन्द्र सिंह
	गोला	..	,,	देवारी बारी	..	४—सिरताज चुड़िहार
	बांसगांव	..	,,	बस्का	..	५—श्रीमती भगवनियां
	,,	..	,,	डडियाबुजुर्ग	..	६—रामजी
	बड़हलगंज	..	,,	धनौली	..	७—सूर्यबली ८—रामलाल

नोट :—थाना खजनी में हत्या की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख)	सिकरीगंज	..	डकैती	साउडीह	..	कोई नहीं
	खजनी	..	,,	कुड़ारभरत	..	,,

नोट :—थाना बांसगांव, गोला तथा बड़हलगंज में डकैती की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई ।

(ग)	सिकरी गंज	..	राहजनी	बेला खुर्द	..	कोई नहीं
	खजनी	..	,,	रामपुर गलबली		,,
	बांसगांव	..	,,	बांसगांव		,,
	बड़हलगंज	..	,,	पटना	..	,,
	,,	..	,,	कस्बा बड़हलगंज		,,

नोट :—थाना गोला में राहजनी की घटना की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२८ पर)

दिसम्बर, १९७१ में हुई सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले पदों का विवरण

क्रम सं०	सेवा/पद	रिक्तियों की कुल सं०	रिक्तियों में आरक्षण				सामान्य अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियां
			अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये	अनुसूचित जन जातीय अभ्यर्थियों के लिये	छंटनी किए गए कर्मचारियों के लिये	सैन्य वियोजित अधिकारियों के लिये	
१	उत्तर प्रदेश सिविल (इक्जीक्यूटिव ब्रांच) सर्विस ..	५४	१२	२	२७	११	२
२	उ०प्र० पुलिस सेवा	१२	२	—	६	२	२
३	उद्योग विभाग में गन्ना निरीक्षक	१	—	—	—	—	१
४	उ० प्र० शैक्षिक सेवा	३	१	—	१	—	१
५	उ० प्र० गन्ना सेवा क्लास–२ में जिला गन्ना अधिकारी	२	—	—	१	—	१
६	जिला पूर्ति अधिकारी	१	—	—	—	—	१
७	रीजनल आडिट अफसर	३	१	—	१	—	१
८	उ० प्र० वित्त एवं लेखा सेवा	१५	३	—	७	३	२
९	सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां ..	११	२	—	५	२	२
१०	जिला परिषदों के अन्तर्गत कार्य अधिकारी ..	३	१	—	१	—	१
११	बिक्री कर अधिकारी	१६	३	—	८	३	२
	योग ..	१२१	२५	२	५७	२१	१६

टिप्पणी : प्रत्येक सेवा / पदों में रिक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक वर्ग के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या औपबन्धिक है तथा घट बढ़ सकती है। यदि आरक्षित पदों के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हुए तो इस कमी की पूर्ति सामान्य अभ्यर्थियों से की जायगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७३० पर)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७१

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, १९६४ में संशोधन करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९७२ कहलायेगा ।

मंडी समितियों के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध

२—(१) दिनांक ३० अक्टूबर, १९७१ से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, १९६४ (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध, दो वर्ष की अवधि के लिये अथवा जब तक उक्त अधिनियम की धारा १३ के अधीन निर्वाचित मंडी समिति स्थापित न हो, इसमें जो भी पहले हो, प्रत्येक मंडी क्षेत्र के संबंध में जो उक्त दिनांक को विद्यमान था अथवा उक्त अवधि में घोषित किया जाय, निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, प्रथम समिति, यदि कोई हो, के सभापति, उप सभापति तथा सदस्य अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे;

(ख) मंडी क्षेत्र की समिति, उसके सभापति तथा उप सभापति के सभी अधिकार, कृत्य तथा कर्तव्य उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट में निहित होंगे जिसमें प्रधान मंडी स्थल स्थित हो और उक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही उनका प्रयोग निष्पादित तथा पालन किया जायेगा, और उक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, विधि की दृष्टि में समिति या उसका सभापति अथवा उप सभापति समझा जायेगा ;

(ग) राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट पिछले अंतिम खंड द्वारा उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों के संबंध में इस प्रकार प्रदत्त अधिकारों को, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जो वह आरोपित करना उचित समझे, अपने द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है;

(घ) राज्य सरकार समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रासंगिक या आनुषंगिक उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत उक्त अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुकूलन, परिष्कार या उसके प्रवर्तन को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निलंबित करने का उपबन्ध भी है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, बना सकती है, जो उसे पूर्वगामी अथवा सम्बद्ध किसी भी प्रयोजनों के लिये आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो ।

(२) उपधारा (१) के खंड (घ) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् यथा शक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब भी उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रक्खी जायेगी, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी, जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किंतु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन संबंधित अधिसूचना के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

३—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, १९७१ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १५, १९७१ का निरसन

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, १९६४ की धारा १३ के अन्तर्गत प्रथम समितियों को छोड़ कर मंडी समितियों का संघटन निर्वाचन द्वारा निर्धारित है । उक्त अधिनियम की धारा १४ के अन्तर्गत राज्य सरकार को यह शक्ति दी गयी है कि वह विनियमित मंडी क्षेत्रों की प्रथम समितियों के सदस्यों आदि को नियुक्ति कर प्रथम समितियों का एक वर्ष के लिए गठन कर दे । तद्नुसार प्रदेश की २५० प्रधान मंडियों में से अब तक ८४ मंडियों में प्रथम समितियां गठित की जा चुकी हैं । इन समितियों के एक वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति के बाद, क्योंकि निर्वाचन द्वारा नई मंडी समितियां गठित नहीं की जा सकीं, अतएव प्रथम समितियों का कार्यकाल समय-समय पर बढाना पड़ा । राज्य सरकार ने यह निश्चय किया कि निष्पक्ष वातावरण में मंडी समितियों का निर्वाचन कराने के लिए यह उचित होगा कि मंडी समितियों तथा उनके सभापति एवं उप सभापति के सभी अधिकार, कृत्य और कर्त्तव्य संबंधित जिला अधिकारियों में निहित कर दिये जायं । चूंकि विधान मंडल सत्र में नहीं था, इसलिये उक्त उद्देश्य से दिनांक ३० अक्तूबर, १९७१ को एक अध्यादेश जारी किया गया । उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

सीता राम,
कृषि मंत्री ।

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७३० पर)

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1971

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ में निम्नलिखित प्रयोजनों के हेतु आगे संशोधन करने के लिए — उ० प्र० अधिनियम संख्या ४५, १९५८

विधेयक

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९७२ कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम

२—उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ की उपधारा (१) में शब्द "उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय" रख दिये जायं। — उ० प्र० अधिनियम संख्या ४५, १९५८ की धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (१) के खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्— — धारा १० का संशोधन

"(ट) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक प्रतिनिधि, और"।

४—मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (३) में प्रयुक्त शब्दों "दो पदावधियों" के स्थान पर शब्द 'तीन पदावधियों' रख दिये जायं। — धारा ११ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा १८ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्— — धारा १८ का संशोधन

"(२) कृषि प्रयोग केंद्र का एक संचालक होगा जो उपकुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा और उनके प्रति उत्तरदायी होगा।"

६—मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्— — धारा १९ का संशोधन

"(२) एक प्रसार संचालक होगा जो उपकुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा और उनके प्रति उत्तरदायी होगा।"

७—उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९७१, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। — उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १७, १९७१ का निरसन

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर की स्थापना अमरीका के लैन्ड ग्रांट्स कालेजों के पैटर्न पर वर्ष १९५८ में पारित एक अधिनियम के अधीन की गई है। अधिनियम के वर्तमान प्राविधानों के अनुसार कोई व्यक्ति उपकुलपति के पद पर तीन-तीन वर्ष की दो पदावधियों से अधिक नहीं रह सकता। चूंकि किसी भी उच्च स्तरीय शिक्षण संस्था के विकास के लिये लम्बी अवधि के नेतृत्व की आवश्यकता होती है, अतः यह निर्णय लिया गया है कि किसी व्यक्ति के लिये तीन-तीन वर्ष की तीन पदावधियों की सीमा निर्धारित करना अधिक उपयुक्त होगा। अतएव मूल अधिनियम में तद्नुसार संशोधन करने के लिये एक अध्यादेश जारी किया गया। इस अवसर का लाभ कुछ अन्य छोटे-मोटे संशोधन करने के लिये भी उठाया गया। उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से तथा उपरोक्त विश्वविद्यालय का नाम बदल कर "गोबिन्द वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय" रखने के उद्देश्य से यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

सीता राम,
कृषि मंत्री।

विधान परिषद उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७९५ पर)

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) अधिनियम, १९५२ ई० के उपबन्धों को कतिपय संशोधनों के साथ पुनः अधिनियमित करने का तथा उसके अनुसरण में किये गये कार्यों को वैध करने का तथा तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने का

विधेयक

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार उस क्षेत्र में होगा जहां विनाश अधिनियम की धारा १ की उपधारा (३) के अधीन उक्त अधिनियम प्रवृत्त हो।

(३) यह धारा और धारा २, ३, ४, ५ तथा ७, २३ जून, १९५२ को प्रवृत्त हुई समझी जायंगी और धारा ६, ८, ९ तथा १० तुरन्त प्रवृत्त होंगी।

परिभाषायें

२—जब तक कि विषय या प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "विनाश अधिनियम" का तात्पर्य १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदार-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम से है,

(ख) "नियत दिनांक" का तात्पर्य २१ मई, १९५२ से है;

(ग) "कलेक्टर" के अन्तर्गत कोई अपर कलेक्टर अथवा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए कलेक्टर द्वारा अधिकृत प्रथम श्रेणी का सहायक कलेक्टर भी है;

(घ) "जिला न्यायाधीश का न्यायालय" के अन्तर्गत किसी ऐसे अपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय भी है जिसे जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा धारा ४ के अधीन कोई अपील अभ्यर्पित की जाय;

(ङ) किसी भूमि के संबंध में, "मध्यवर्ती" का तात्पर्य स्वामी, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार और अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी, और दवामी काश्तकार से है;

(च) "पट्टा" के अन्तर्गत माफी या रियायती लगान की काश्त भी है;

(छ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(ज) "संक्रामण अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) अधिनियम, १९५२ से है; उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९५२ यू० पी० ऐक्ट सं० १७, १९३९

(झ) ऐसे शब्दों तथा पदों के, जो इस अधिनियम परिभाषित नहीं हैं, किन्तु यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त ऐक्ट में उनके लिए दिये गये हैं।

नियत दिनांक के बाद किये गये या रजिस्ट्रीकृत पट्टे और अन्य व्यवहार आरम्भ से ही शून्य होंगे

३—किसी विधि या संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी—

(१) मध्यवर्ती द्वारा भूमि का पट्टा, जो नियत दिनांक या उसके पश्चात् दिया गया या रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, निष्पादन के दिनांक से अकृत और शून्य होगा और एतद्द्वारा अकृत तथा शून्य घोषित किया जाता है, और पट्टेदार (चाहे उसने ऐसे पट्टे के अनुसरण में या उसकी प्रत्याशा में, नियत दिनांक के पूर्व या उसके पश्चात् कब्जा प्राप्त किया हो) यू०पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा १८० और विनाश अधिनियम की धारा २०९ के प्रयोजनों के लिए ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा जो तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के विपरीत भूमि पर काबिज हो। यू०पी० ऐक्ट सं० १७, १९३९

(२) किसी मध्यवर्ती और किसी काश्तकार के बीच किया या ऐसा व्यवहार जिससे काश्तकार को अपने खाते या उसके किसी भाग के विक्रय द्वारा संक्रामण का अधिकार प्राप्त हो और जो नियत दिनांक को या उसके पश्चात् किया या निष्पादित किया गया या रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, निष्पादन के दिनांक से अकृत और शून्य होगा और एतद्द्वारा अकृत और शून्य घोषित किया जाता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा में 'रजिस्ट्रीकरण' का तात्पर्य लेखों के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध मे तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार रजिस्ट्रीकरण से है और इसके अन्तर्गत यू० पी० टैनन्सी ऐक्ट, १९३९ की धारा ५७ के अधीन प्रमाणीकरण भी है। यू० पी० ऐक्ट सं० १७, १९३९

४—(१) यदि धारा ३ के उपबन्धों के आधार पर किसी भूमि के संबंध मे कोई पट्टा या अन्य व्यवहार शून्य हो जाय, तो उससे सम्बद्ध भूमि के या ऐसी भूमि पर किन्हीं वृक्षों के सम्बन्ध में सभी व्यक्तियों के अधिकार और आभार, उपधारा (२) और (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, इस प्रकार समझे जायेंगे मानों ऐसा पट्टा या अन्य व्यवहार न कभी स्वीकृत किया गया था या न कभी उसकी अनुमति दी गयी थी।

परिणाम तथा प्रक्रिया

(२) यदि कोई व्यक्ति जिसे ऐसा पट्टा दिया गया था अथवा जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था, अथवा उसके हित उत्तराधिकारी का ऐसे पट्टे या व्यवहार के अनुसरण में किसी भूमि पर कब्जा (चाहे अन्यवाश्रित या वास्तविक हों जिसमें कृषीय कब्जा भी सम्मिलित है) हो, तो इस आधार पर कि उसका किसी निश्चित समय पर या किसी निश्चित अवधि के लिये भूमि पर कब्जा रहा है अथवा यूनाइटड प्राविन्सेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अधीन अनुरक्षित किसी अभिलेख या रजिस्टर में इस प्रकार कब्जा रखने के किसी इन्द्राज के आधार पर, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, उसके पक्ष में कोई अधिकार प्रोद्भूत हुआ नहीं समझा जायगा। यू० पी० ऐक्ट सं० ३, १९०१

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) में निहित किसी बात से किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके कब्जे में उपर्युक्त ऐसे पट्टे या अन्य व्यवहार के अनुसरण में कोई भूमि हो, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में किसी लगान, मालगुजारी या अन्य लोक देयों के लिये उसके दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(४) कलेक्टर या उसके द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी के लिये—

(क) ऐसे पट्टे या अन्य व्यवहार में सम्मिलित भूमि का और उस पर के किन्हीं वृक्षों का कब्जा और प्रभार लेना, और ऐसी कार्यवाही करना अथवा करवाना और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग करना अथवा प्रयोग करवाना जो कलेक्टर अथवा इस प्रकार नियुक्त अधिकारी की राय में आवश्यक हो;

(ख) ऐसे पट्टे या अन्य व्यवहार में सम्मिलित किसी भूमि, भवन या अन्य स्थान में प्रवेश करना, और इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उसका सर्वेक्षण करना अथवा उसका माप लेना;

(ग) किसी व्यक्ति से ऐसे प्राधिकारी को, जो निर्दिष्ट किया जाय, किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में कोई पुस्तिका या अन्य लेख्य प्रस्तुत करने और ऐसे प्राधिकारी को ऐसी अन्य सूचना देने, जो निर्दिष्ट की जाय, की अपेक्षा करना; और

(घ) यदि अपेक्षित पुस्तिका, लेखा तथा अन्य लेख्य प्रस्तुत न किये जायं, तो किसी भूमि, भवन या अन्य स्थान में प्रवेश करना और ऐसी पुस्तिका, लेखा तथा अन्य लेख्यों को अभिगृहीत करना और उनका कब्जा लेना;

वैध होगा।

(५) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (४) के अधीन कलेक्टर के किसी कार्य या आदेश से क्षुब्ध हो, उसके पास आपत्ति कर सकता है जिसमें वह अपने अधिकारों का पूरा ब्योरा देगा और इस बात का अभिवेदन करेगा कि धारा ३ के और उपधारा (१) और (२) के उपबन्ध उक्त भूमि या उसके किसी भाग से सम्बन्ध नहीं रखते, और कलेक्टर सरसरी जांच के पश्चात् आपत्ति पर निर्णय देगा।

(६) कलेक्टर का निर्णय, उपधारा (७) के अन्तर्गत किसी अपील या पुनरीक्षण के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

(७) कोई व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार भी है), जो उपधारा (4) के अधीन कलेक्टर के आदेश से क्षब्ध हो, आदेश के विरुद्ध ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाय, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील कर सकता है जिसका निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा।

निजी जोत के अधीन भूमि के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

उ०प्र० अधिनियम संख्या १, १९६१

५—(१) यदि धारा ३ के उपबन्धों के आधार पर किसी पट्टे या अन्य व्यवहार के शून्य हो जाने के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति से जिसे ऐसा पट्टा दिया गया हो या जिसे कोई अधिकार प्रदत्त किया गया हो अपने निजी जोत के अधीन धृत किसी भूमि को सौंप देने की अपेक्षा की जाय, तो वह उक्त भूमि में से उतनी भूमि को, जो उक्त व्यक्ति द्वारा धृत किसी अन्य भूमि के साथ मिलकर (समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के अर्थ में) अधिकतम जोत क्षेत्र से अधिक न हो, इस अधि-

नियम के प्रवर्तन से विमुक्ति करने के लिए कलेक्टर को, ऐसे ब्योरों सहित, जो विहित किये जायं, एक आवेदन-पत्र दे सकता है।

(२) तदुपरान्त कलेक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो विहित की जाय, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जिसे वह, समस्त संगत परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् और ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, निर्दिष्ट करे, पूर्वोक्त विमुक्ति का आदेश दे सकता है और ऐसे प्रतिकर के लिए जो उसकी राय में उक्त भूमि पर कब्जे से अस्थायी रूप में वंचित होने के लिए दिया जाना चाहिए, तथा उक्त प्रतिकर को उन सभी व्यक्तियों के बीच जो ज्ञात हों या जिनके बारे में यह विश्वास हो कि भूमि में उनका स्वत्व है और जिनकी या जिनके दावों की उसे सूचना हो, चाहे वे क्रमशः उसके समक्ष उपस्थित हुए हों या नहीं, विभाजित किये जाने के सम्बन्ध में अभिनिर्णय दे सकता है।

(३) कोई भी व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार भी है), जो उपधारा (२) के अधीन कलेक्टर के आदेश से, विमुक्ति स्वीकृत या अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में या स्वीकृत विमुक्ति की सीमा के सम्बन्ध में, या इस प्रकार विमुक्त भूमि की निर्दिष्ट के सम्बन्ध में या प्रतिकर की धनराशि या जिसे वह देय हों, उस व्यक्ति के संबंध में, अथवा हित रखने वाले व्यक्तियों के बीच उक्त प्रतिकर के विभाजन के संबंध में क्षुब्ध हों, तो वह आदेश के विरुद्ध, ऐसी समयावधि के भीतर जो विहित की जाय, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील कर सकता है जिसका निर्णय, उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण पर जारी किये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

१८९४ का ऐक्ट ।

(४) भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के उपबन्ध इस धारा के अधीन प्रतिकर सम्बन्धी समस्त कार्यवाहियों के संबंध में यथासम्भव लागू होंगे।

धारा ४ में अभिदिष्ट भूमि में वृक्ष गिराने इत्यादि के लिये शास्ति

६—कोई व्यक्ति जो किसी वृक्ष को गिराता है, विरान करता है, काट-छांट करता है, चुआता है, ठूठ बनाता है या जलाता है अथवा उसकी छाल उतारता है या किसी अन्य प्रकार से वृक्ष को क्षति पहुंचाता है अथवा धारा ४ में अभिदिष्ट किसी भूमि को खेती के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ता है या साफ करता है अथवा ऐसी भूमि पर किसी वन में अथवा वृक्षों में आग लगाता है या ऐसे वन के किसी वृक्ष को क्षति पहुंचाता है अथवा पशुओं द्वारा किसी ऐसे वृक्ष को क्षति पहुंचाने देता है, तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जायगा जो तीन वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड दिया जायगा या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

नियम बनाने की शक्ति

७—(१) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में अथवा दो या उससे अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिनों की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या संशोधन का उनके अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ।

वैधीकरण

८—(१) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, संक्रामण अधिनियम की धारा ३ के उपबन्धों के अनुसरण में, या विगाश अधिनियम की धारा ४, ६ और २५ के उपबन्धों के अनुसरण में किसी भूमि या उस पर किसी वृक्ष के संबंध में इस आधार पर कि संक्रामण अधिनियम की धारा ३ के उपबन्ध वैध तथा प्रभावी थे, किया गया या किये जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य अथवा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के आधार पर किया गया या की गई समझी जायगी और सदैव से ही इस प्रकार वैध रूप से किया गया या की गई समझी जायगी मानो यह अधिनियम सदैव से प्रवृत्त था।

(२) विशेषतः और पूर्ववत् उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित इंडियन फारस्ट ऐक्ट, १९२७ के अधीन किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण का किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई आदेश धारा ४ की उपधारा (४) के अधीन उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने या धारा ६ के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोग चलाने में कोई रुकावट नहीं होगी और न ही उसे रुकावट होना समझा जायगा।

सद्भावना से किए गये कार्य के लिए संरक्षण

९—राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के अधीन सद्भावना से किया जाय अथवा किये जाने के लिए अभिप्रेत हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९५२

१०—उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) अधिनियम, १९५२ ई० तथा उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वधीकरण) अध्यादेश, १९७१ एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १६, १९७१ का निरसन

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

उद्देश्य तथा कारण

दिनांक ८ अगस्त, १९४६ को अभिलिखित संयुक्त प्रान्तीय विधान सभा द्वारा जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के संकल्प के अनुसरण में, जिसमें जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया था, १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम दिनांक २६ जनवरी, १९५१ को अधिनियमित हुआ। परन्तु इसके तुरन्त बाद ही कतिपय मध्यवर्तियों ने उच्च न्यायालय में उक्त अधिनियम की वैधता को चुनौती दी और उनकी अपीलों के उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने के उपरान्त राज्य सरकार ने अपना निर्णय घोषित किया कि आस्थान पहली जुलाई, १९५२ से राज्य में निहित होंगे। इस आशंका से कि मध्यवर्ती यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ के अधीन भू-प्रबन्ध के अपने अधिकारों का उस अल्प अवधि के दौरान, जिसमें वे काबिज बने रहेंगे, दुरुपयोग कर सकते हैं, राज्य सरकार ने लोकहित में यह निर्णय लिया कि २१ मई, १९५२ के बाद किये गये सभी पट्टे व अन्य व्यवहार अवैध समझे जायेंगे और इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) अधिनियम, १९५२ (जिसे एतद्पश्चात् संक्रामण अधिनियम कहा गया है) अधिनियमित किया गया। देहरादून के एक श्री महेन्द्र लाल जैनी द्वारा उपर्युक्त संक्रामण अधिनियम को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गयी और उच्चतम न्यायालय ने दिनांक ७ नवम्बर, १९६२ को निर्णित याचिका संख्या ५९, १९६२, महेन्द्र लाल जैनी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य, जो (१९६३) सप्लीमेन्ट (१) सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स ९१२ में रिपोर्टेड है, में उक्त संक्रामण अधिनियम को, उस अधिनियमनके अधिनियम के समय प्रभावी संविधान के अनुच्छेद ३१ के अधिकारातीत ठहराया। संविधान के अनुच्छेद ३१ तथा ३१—क चौथे तथा सत्रहवें संशोधनों द्वारा इस प्रकार संशोधित हो गये हैं कि संक्रामण अधिनियम, यदि वह उक्त संशोधनों के पश्चात् अधिनियमित होता तो वैध और संवैधानिक होता।

२—१९५० ई०के जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में परिदर्शित भूमि संबंधी सुधारों से सम्बन्धित राज्य की नीति को पूर्णरूपेण प्रभावी बनानेके उद्देश्य से यह आवश्यक तथा इष्टकर समझा गया कि संक्रामण अधिनियम को कतिपय संशोधनों के साथ पुनः अधिनियमित किया जाय और तदनुसार उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१ उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में पुरःस्थापित किया गया और उसके द्वारा २० अगस्त, १९७१ को पारित किया गया। इसके पहले कि यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा भी पारित किया जाता, सदन का ४ अक्तूबर, १९७१ से सत्रावसान हो गया। चूंकि विधान मण्डल सत्र में नहीं था और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राज्यपाल को तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया, अतः उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७१ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १६, १९७१) प्रख्यापित किया गया।

३—उपर्युक्त अध्यादेश को प्रस्थापित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७२ को फिर से प्रारूपीय प्रकार के कतिपय औपचारिक परिवर्तनों के साथ पुरःस्थापित किया जा रहा है। मूल अधिनियम का अभिदेश देते हुए उसे केवल संशोधनों के साथ पुनः अधिनियमित करने के बजाय, अब यह प्रस्ताव है कि, प्रचुर सावधानी के रूप में, मूल अधिनियमन का अभिदेश किये बिना उसके उपबन्धों को संशोधन सहित समाविष्ट करके एक नयी विधि पुनः अधिनियमित की जाय।

उदित नारायण शर्मा,
राजस्व मंत्री।

नत्थी 'ड'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९७६ पर)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९७१

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९७२ कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम

२—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (३) में, अंक "१९७१" के स्थान पर अंक "१९७३" रख दिये जायें। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५८ की धारा १ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) में उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाये:— — धारा ४ का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह भी है कि कलेक्टर पूर्व प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन प्राप्त अपने सभी या किन्हीं अधिकारों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक उपाध्यक्ष को प्रतिनिहित कर सकता है।"

४—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९७१ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। — उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २२, १९७१ का निरसन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य और कारण

चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के तीन सीमावर्ती जिलों में अन्तरिम जिला परिषदों का कार्यकाल ३१ दिसम्बर, १९७१ को समाप्त होने वाला है। यह निर्णय लिया गया है कि शेष जिलों में जिला परिषदों का पुनः संगठन किये जाने के साथ ही इन जिलों में भी निर्वाचित जिला परिषदें स्थापित की जायं। अतएव, यह प्रस्ताव है कि अन्तरिम जिला परिषदों का कार्यकाल ३१ दिसम्बर, १९७३ तक बढ़ा दिया जाय। साथ ही उक्त जिलों की अन्तरिम जिला परिषदों के प्रशासन में गैर सरकारी व्यक्तियों को सम्बद्ध करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उपाध्यक्ष की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।

विधेयक, तद्नुसार पुरःस्थापित किया जाता है।

बलदेव सिंह आर्य,
सामुदायिक विकास मंत्री।

बी०एस०यू०पी०—ए०पी० २५१ एल०ए०—१९७२—३४५।